खण्ड–37, अंक–02
गुरूवार, 28 भाद्रपद, शक संवत्, 1935
(19 सितम्बर, 2013 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2013)

(खण्ड 37 में 03 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2015

मूल्य

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	"क"
नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की माग	1
प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा पर नियम–310 के अन्तर्गत पुनः चर्चा (क्रमागत)	2–52
प्रश्नोत्तर	53–118
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)]	119
उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	119
उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	119–120
उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	120
हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	120–121
हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित) ...	121
प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा पर नियम–310 के अन्तर्गत पुनः चर्चा जारी (क्रमागत)	121–139
वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण ...	139–142
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2013 के प्रथम सत्र में नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	142
जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड रूद्रपुर के अन्तर्गत ग्राम कनकपुर में राजकीय हाई स्कूल का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	142
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	143

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर के ग्राम देवधला मे अनुसूचित जाति बस्ती के लिए कृषि भूमि की सिचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	143
जनपद ददेहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जांघा मे कृषि भूमि की सिचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध मे याचिका (उपस्थापित)	143
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम जमनीपुर तप्पड मे कृषि भूमि की सिचाई हेतु सिचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध मे याचिका (उपस्थापित) ...	143–144
जनपद देहरादून के तहसील विकास नगर के नगरपालिका परिषद वार्ड न0–1, 4, 5 तथा वार्ड न0–9 में सीवर लाईन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध मे याचिका (उपस्थापित)	144
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा छरबा (उस्मानपुर) की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	144
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा फतेपुर मे कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु उत्तरी उद्‌मादी नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	144
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा कटापत्थर की हजारो बीघा कृषि भूमि बाढ से प्रभावित होने के कारण सुरक्षा हेतु कटापत्थर मे यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	145
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा ढकरानी के नहर पार कृषि फार्म के पीछे निवासियों की कृषि भूमि के लिए सिचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध मे याचिका (उपस्थापित)	145
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाए	145
जनपद नैनीताल के भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काला मातल–ल्वेशाल एव कस्यालेख–सूपी पाटा रोड के बन्द होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	146

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के प्राथमिक विद्यालय खूना के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	147
प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा पर नियम-310 के अन्तर्गत पुनः चर्चा जारी (क्रमागत)	147-158
वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान.- अनुदान संख्या-01 विधान सभा, 03 मंत्रि-परिषद, 04 न्याय प्रशासन, 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं, 08 आबकारी, 10 पुलिस एवं जेल, 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, 14 सूचना, 15 कल्याण योजनाएं, 16 श्रम और रोजगार, 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान, 18 सहकारिता, 19 ग्राम्य विकास, 20 सिंचाई एवं बाढ़, 21 ऊर्जा, 22 लोक निर्माण कार्य, 23 उद्योग, 24 परिवहन, 25 खाद्य, 26 पर्यटन, 27 वन, 28 पशुपालन, 29 औद्यानिक विकास, 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण, 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (स्वीकृत) ...	158-160
उत्तराखण्ड विनियोग (2013-14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित एवं पारित)	160-164
प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा पर नियम-310 के अन्तर्गत पुनः चर्चा जारी (क्रमागत)	164-183
नत्थियां	184-215

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री विजय बहुगुणा
10—श्री गणेश गोदियाल
11—श्री गणेश जोशी
12—श्री चन्दन राम दास
13—श्री चन्द्र शेखर
14—डा0 जीत राम
15—श्री दलीप सिंह रावत
16—श्री दान सिंह भण्डारी
17—श्री दिनेश अग्रवाल
18—श्री दिनेश धनै
19—श्री नवप्रभात
20—श्री नारायणराम आर्य
21—श्री पुष्कर सिंह धामी
22—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23—श्री प्रदीप बत्रा
24—श्री प्रीतम सिंह पवार
25—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
26—श्री प्रेम सिंह
27—श्री फुरकान अहमद
28—श्री बंशीधर भगत
29—श्री मदन कौशिक
30—श्री मदन सिंह बिष्ट
31—श्री मयूख सिंह
32—श्री महावीर सिंह
33—श्री माल चन्द
34—श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी
35—श्री यतीश्वरानन्द
36—श्री यशपाल आर्य
37—श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
38—श्री रसैल वैलेन्टाइन गार्डनर
39—श्री राजकुमार
40—श्री राज कुमार ठुकराल
41—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
42—श्री राजेश शुक्ला
43—श्री ललित फर्स्वाण
44—श्री विक्रम सिंह नेगी
45—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
46—श्रीमती विजया बड़थ्वाल
47—श्री बिशन सिंह चुफाल
48—श्रीमती शैला रानी रावत
49—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
50—श्री संजय गुप्ता
51—श्री सरवत करीम अंसारी
52—श्रीमती सरिता आर्या
53—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
54—श्री सुबोध उनियाल
55—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
57—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58—श्री सुरेन्द्र राकेश
59—श्री हरक सिंह रावत
60—श्री हरबन्स कपूर
61—श्री हरभजन सिंह चीमा
62—श्री हरिदास
63—श्री हरीश धामी
64—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
65—श्री हेमेश खर्कवाल

गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

सदन में विश्वास मत व्यक्त करने हेतु मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नियम 310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, कल से यह चर्चा जारी है इसके लिए आपने कहा है और हम आभारी भी हैं कि आपने चर्चा जारी रखी है। मान्यवर, एक नया मुद्दा यहाँ पर आ गया है कि इस प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी के यहाँ दो दिन पहले एक दावत हुई थी, उस दावत में गोली चली और गोली चलने के बाद आज बयान आता है कि पटाखे की आवाज मैंने भी सुनी है। मान्यवर, ऐसे समय में दावत होनी नहीं चाहिए थी और हुई तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, पर जो गोली चली उसकी गूँज पूरे भारत में है, इसलिए नियम–310 के अन्तर्गत इसको ले लें। हम हाऊस को कहीं पर अव्यवस्थित नहीं करना चाहते हैं। मान्यवर, यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर पीठ से कोई न कोई निर्णय आना चाहिए।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप किसी नियम के अन्तर्गत लायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम नियम–310 में लाये हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 में कोई नहीं लिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपको विशेषाधिकार है आप जो भी करें, पर यह इतनी महत्वपूर्ण घटना है, पूरा देश जानना चाहता है कि जिनके ऊपर इस प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी थी वो धड़ाधड़ गोलियां मार रहे हैं, आखिर कौन इस प्रदेश को बचायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मानानीय भट्ट जी, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष है। आप सदन की कार्यसंचालन नियमावली को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अन्तर्गत जो भी आप लायेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे या जो भी होगा देखा जायेगा, लेकिन अभी जो चर्चा प्रारम्भ हुई है उस पर आप व्यवधान न डालें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसको कल नियम–58 में ले लें।

श्री अध्यक्ष–

कल जब लायेंगे तब कल देखेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ठीक है।

प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा पर नियम–310 के अन्तर्गत पुनः चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय फर्स्वाण जी, आप बोलें।

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, धन्यवाद। मैं माननीय श्री विजय पाल सिंह सजवाण जी से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। उनके द्वारा दैवीय आपदा के सम्बन्ध में जो बातें यहाँ पर कही गई है वो निनिश्चत तौर पर सरकार का बहुत सराहनीय प्रयास यहाँ पर रहा और आपके माध्यम से सरकार द्वारा किये गये कार्य लिए धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उनके द्वारा जनपद बागेश्वर के बहुत ही पिछड़े कपकोट विधानसभा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मंत्रिमण्डल द्वारा समय–समय पर हमको मार्गदर्शन दिया जा रहा था। मानयवश आपदा से कपकोट की जो दुर्दशा रही उसको केदारनाथ की आपदा से कम नहीं आंक सकते हैं क्योंकि जीरो प्वाइंट पिंडारी ग्लेशियर जो आपदा शुरू हुई तो लगातार आपदा रही और पिण्डर के नीचे के सभी गाव में आपदा आई। पर्यटन के क्षेत्र में लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ और जो वहाँ आय के साधन थे उसमें आपका आपदा का असर पड़ा। उस आपदा क्षेत्र में जाकर हमने जनता की भावनाओं को समझने का प्रयास किया और उन भावनाओं से हम लोगों ने सोचा कि आपदा कैसे रही, क्या रही और किस प्रकार से समाधान हो सकता है यह हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जब बागेश्वर जनपद में आये थे तो उनको अवगत करा दिया था।

माननीय दुर्गापाल जी, माननीय खर्कवाल जी द्वारा समय–समय पर वहाँ पर आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और हमने उन क्षेत्रों की समस्याओं से उन सभी को अवगत भी कराया था और उनके द्वारा जो प्रयास कपकोट विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिए किया गया, वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। माननीय अध्यक्ष जी, जो नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है, चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र में पिण्डारी ग्लेशियर हो, सुन्दर ढुंगा ग्लेशियर हो या पपनी ग्लेशियर हो, ये सभी ग्लेशियर पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जिस प्रकार से इन स्थानों पर तीन दिन से फंसे पर्यटकों की आर्मी के हेलीकॉप्टरों से निकाल कर इन्हें जिला मुख्यालय पहुंचाया गया, यह आर्मी की सबसे बड़ी साहसिक कामयाबी पर्यटन के क्षेत्र में है। मान्यवर, इसके साथ ही एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों द्वारा जिस तरह से आपदा क्षेत्रों में फंसे हुए पर्यटकों को सही सलामत निकाला गया, यह भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं या जो खुल रही है और वर्षा के कारण बंद हो रही हैं, वहां पर एयर फोर्स के द्वारा उन स्थानों पर 500 कुंतल खाद्यान्न की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध करवायी गयी थी और अक्टूबर माह तक का खाद्यान्न उन स्थानों पर सरकार द्वारा डाला गया था, जिसके कारण आज उन स्थानों पर खाद्यान्न का संकट नहीं है।

मान्यवर, जिस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी और निजी हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके खाद्यान्न पहुंचाया गया, यह बहुत ही सराहनीय कदम रहा है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, आने वाले समय में हमें मिलकर ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, इस हेतु हमारी सरकार प्रयासरत है। जैसे हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब हम 2002 में सरकार में थे तो तब हमने एक सैटेलाइट संचार की व्यवस्था की थी, यदि यह व्यवस्था सरकार द्वारा चालू की गयी होती और इस पर इम्प्लीमेंट किया गया होता तो निश्चित तौर पर आज हमें इससे फायदा होता। मान्यवर, हम सभी लोगों को यह भी सोचना होगा कि जो भी योजना अच्छी हो उसको चलाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, मैं अपने जिले के जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चूंकि उन्होंने आपदा के समय में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मान्यवर, जैसे यहां पर बात रखी गयी कि बहुत से क्षेत्रों में केरोसीन आदि की कमी थी, परन्तु हमारे क्षेत्र में यह कमी नहीं थी, चूंकि जिस तरह से मेरे क्षेत्र में तीन–तीन बाउजर टैंकर स्टोर किये हुए थे, यह आपदा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी थी। यह निश्चित तौर पर फायदेमंद हुई, इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं अपने जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, इसके साथ ही मैं जिले के कर्मचारी, तहसील के कर्मचारी, पटवारी जिन्होंने भी आपदा के समय अच्छा कार्य किया है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मान्यवर, आपदाएं हम सभी लोगों के लिए एक सोचनीय विषय है। कपकोट जैसे दुर्गम क्षेत्र में जब ये आपदा आयी तो हम सब लोगों ने यह महसूस किया कि हमें अपनी भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संचार की एक ऐसी क्रान्ति करनी होगी, जो आपदा के समय में भी कार्य करे। मान्यवर, आज भी हमें दुर्गम क्षेत्रों में संचार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, दुर्गम क्षेत्रों से संचार के अभाव में जिला मुख्यालय तक सूचना आने में कम से कम चार-पांच दिन का समय लगा है, यह समस्या हमारे सामने दुबारा न आये, इस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। मान्यवर, सरकार द्वारा क्षेत्रों में जो भी कार्य किये जायें तो उन कार्यों में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के सुझाव भी अवश्य लिये जायें, ताकि परिस्थितियों की सही जानकारी का पता लग सके और कार्य सही ढंग से हो सके। मान्यवर, विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। मान्यवर, उरेडा के माध्यम से विद्युतीकरण हुआ है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बागेश्वर जनपद के ऐसे क्षेत्र, जिसमें पिछले 7-8 सालों से लगातार आपदाए आती रही है और इन 7-8 सालों में इस जनपद के अंदर कोई ऐसे कार्य नहीं हुए है, जिन्हें हम कह सकें कि अमुक-अमुक कार्य सरकार के द्वारा आपदा के अन्तर्गत किये गये हैं। मान्यवर, निश्चित तौर पर इस दिशा में हमारे माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री, माननीय सांसद श्री प्रदीप टम्टा और माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री हरीश रावत जी ने आपदा के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण हेतु जो कृषि योग्य भूमि बह रही थी उसको बचाने का प्रयास किया है। इस हेतु मैं इनको धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, इस सरकार के द्वारा मेरे क्षेत्र में जो सबसे अच्छा कार्य किया गया, पशु व्यवसाय के सम्बन्ध में किया गया है। मान्यवर, पिण्डर घाटी से लेकर के पिण्डारी की ऊँची हिमालयी क्षेत्र में जाकर जो बकरियों का व्यवसाय करते थे, इन लोगों के जानवरों को जो लगभग 644 लोगों को राहत के तौर पर मुआवजा देने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। मान्यवर, 263 ऐसे आवासीय भवनों को सरकार के द्वारा अहेतुक सहायता या गृह अनुदान या सब्सिडी के तौर पर जो सहायता दी जाती थी, सरकार के द्वारा वहाँ पर वह भी प्रयास किया गया और लगभग 8 हेक्टेयर भूमि जो कपकोट विधान सभा की आपदा के कारण नष्ट हो गयी थी, उसके लिए माननीय आपदा मंत्री जी ने बाढ़ सुरक्षा एवं नियंत्रण में पैसा दिया है। इसके लिए माननीय आपदा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और 172 परिवारों के 365 लोग जो विस्थापन की जद में थे, उन सबको सरकार के द्वारा कहीं न कहीं बसाने का प्रयास करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से निवेदन भी करूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार में क्या हुआ और क्या नहीं, इससे सब भिज्ञ हैं, लेकिन पुनर्वास की नीति के विषय में, जैसा कि माननीय विधायक केदारनाथ शैलारानी रावत जी ने अपनी बात को यहाँ पर रखा। बहुत बढ़िया ढंग से आपने यहाँ

पर बात रखी थी। वहाँ पर निर्माण के अलावा अगर हम अपने स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित तौर पर पलायन की जो स्थिति आज वहाँ पर मजबूरी में हो गयी है, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल कर सकते हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में चाहे सुन्दरढुंगा ग्लेशियर का मार्ग हो, चाहे पिण्डारी ग्लेशियर का मार्ग हो, चाहे कफनी ग्लेशियर का मार्ग हो, इनमें ट्रैकिंग रूटों पर कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से, चाहे पी0डब्लू0डी0 हो या अन्य एजेंसियाँ हों, उनके द्वारा टेण्डर आमंत्रित कर दिये गये हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन इन टेण्डरों में कहीं न कहीं ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए, उस क्षेत्र के मानकों के अनुरूप ऐसे पुलों का निर्माण वहाँ पर होना चाहिए, जिससे कम खर्चे पर हम वहाँ पर उन पुलों का निर्माण कर सकें। इसके साथ ही बहुत सटीक जानकारी आपदा की प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और हम सब लोगों को वहाँ पर देखने को मिला कि कुछ कमियाँ वहाँ पर रह गयी थी। आपदा प्रबन्धन में चाहे रस्सियाँ और रेस्क्यू का सामान हो, चाहे सोलर लालटेन हो, चाहे टॉर्चें हों, इनका डैमो किया जाता है लेकिन आपदा के समय इनमें हमें बहुत सी कमियाँ देखने को मिलीं। माननीय अध्यक्ष जी, उस बात को भी हम सदन के माध्यम से कहना चाहेंगे। जनपद बागेश्वर में यह स्थिति है कि यदि हम तहसीलदार के पास जाने की बात करें तो वहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं मिलती हैं। जब आपदा आती है तो किराए की गाड़ियों में चलने का प्रयास करते हैं और कोई बहानेबाजी करके कार्यवाही करने का प्रयास नहीं करता। इससे हम सब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन बातों का भी संज्ञान लिया जाए और इन पर ध्यान दिया जाय।

पर्यटन के क्षेत्र में जो कमियाँ रही हैं। आपदा के समय जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं, उनमें चाहे रिखाड़ी वाहम मे, सूपी की सड़क है या पोथिंग की सड़क है, ये पर्यटन के रूप से बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इनको खोलने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किये लेकिन फिर भी विशेष परिस्थितियाँ रहीं, आपदा के समय कहीं कोहरा लगता है, कहीं बारिश होती है। कहीं पर काम करने की स्थितियाँ हमारे पक्ष में नहीं थी। लेकिन अब समय बदल गया है, परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में हैं, इसलिए जल्द से जल्द ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अभी तक सरकार ने हेलीकॉप्टरों के माध्यम से खाद्यान्न की व्यवस्था करी और जहाँ सरकार के जनप्रतिनिधि पहुँचे, वहाँ पर तत्काल सड़कों को खुलवा कर राशन पहुँचाने की व्यवस्था की जाय। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में सरकारों द्वारा सुझाव दिये जाते रहे है कि अति दुर्गम क्षेत्रों में हैलीपैड ग्राम पंचायत स्तर पर बनाये जायेंगे। इस बात का विशेष संज्ञान लिया जाना चाहिए। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के अन्तर्गत हैलीपैड का निर्माण चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के माध्यम से हो, चाहे अन्य सहायता राशि के माध्यम से हो, इनके माध्यमों से जल्द से जल्द हैलीपैडों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे वहाँ पर ऐसे हेलीकॉप्टर उतर सकें, जिनसे विशेष परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न पहुँचाया जा सके।

मान्यवर, मैं एयर फोर्स और आर्मी के उन कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसी-ऐसी परिस्थितियों में, जब बारिश हो रही थी, जब पूरा क्षेत्र आपदाग्रस्त था। पिंडर घाटी के ऐसे लोगों को, जिनके बच्चे बागेश्वर या आस-पास के क्षेत्रों में पढ़ते थे, उनको 10-10, 15-15 की संख्या में लाने का कार्य किया, इसलिये सरकार के द्वारा जो कार्य किये गये, वह काबिलेतारीफ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह दो बार मेरे क्षेत्र में आये और वहां पर स्थल निरीक्षण कर वहां की पूरी भौगोलिक परिस्थितियों को जानने का प्रयास किया। इसके लिये नेता सदन धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आशा करता हूँ कि जो समस्यायें वहां पर उन्होंने देखी और सुनी, उसका समाधान वह आने वाले दिनों में करने का प्रयास करेंगे। पर्यटन क्षेत्र में भी जो समस्यायें आई हैं, जिससे वहां के लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, मुझे विश्वास है कि सरकार आने वाले दिनों में इसके लिये भी प्रयास सुनिश्चित करेगी। मैं यह भी चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों की गाड़ियों का संचालन जो यात्रा के समय केदारनाथ तथा अन्य क्षेत्रों में किया गया था, उन लोगों को आज बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे कम्पनसेशन का मामला हो या इंश्योरेंस का मामला हो, इन कारणों से उनकी गाड़ियां आज रोड पर नहीं जा रही है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय नियोजन मंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब मैं आपदा के दौरान विपरीत परिस्थितियों में 50 से 150 किलोमीटर दूर पैदल अपने क्षेत्र में था और जब भी कनेक्टिविटी होती तो आप लोगों से सम्पर्क होता था और आप लोगों द्वारा मुझे कई सुझाव दिये गये थे। मेडिकल की एक टीम पूरे एक महीने तक मेरे साथ रही, जिसने वहां के लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का कार्य किया। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय बहिन शैलारानी रावत, भाई विजयपाल सजवाण एवं प्रो० जीतराम जी द्वारा कहे गये वक्तव्यों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ और माननीय सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि जो कमियां हमने यहां रखी हैं, उन सब का निस्तारण कर हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया कराये जाने पर सरकार विचार करे।

*श्री गणेश जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-310 की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर भीषण आपदा आई और आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, अगर हमारी पार्टी की सरकार भी होती, तो हम भी आपदा को नहीं रोक सकते थे। मान्यवर, आपदा के बाद सरकार की जो जिम्मेदारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होनी चाहिये थी, सरकार की जो संवेदनशीलता होनी चाहिये थी, वह कहीं नहीं दिखाई दी। इससे पूर्व माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मदन कौशिक जी और हमारे साथियों ने अपनी बात को यहां पर रखा और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, मुख्यतः जहां पर यह हादसा हुआ, हमारी बहिन माननीय शैला रानी जी ने अपनी बात को रखा और बड़े–बड़े दावे किये है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सज्जन आदमी हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। जब आपदा आई, मुख्यमंत्री जी उसका सामना कर रहे थे, संकट की घड़ी में पूरा प्रदेश, पूरा विपक्ष उनके साथ था। हमारे नेताओं ने कहा था कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, इस संकट की घड़ी मे पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। लेकिन मान्यवर, मुख्यमंत्री जी पर दोहरी आपदा आ गई, एक तो सामने आपदा आई थी, उसे वह फेस कर रहे थे, हमारे एन0डी0आर0एफ0 के जवान, आई0टी0बी0पी0 के जवान और सेना के जवान आपदा के दौरान लोगों और शवों को ढूँढ रहे थे और दूसरी हमारे कांग्रेस के मित्र उस आपदा में मुख्यमंत्री की गद्दी को ढूँढ रहे थे। मान्यवर, और इसी के कारण इस आपदा में जो राहत लोगो को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पायी।

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो फौजी रहे हैं, माननीय हरक सिंह रावत जी चले गये है, वो मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट, प्रोफेसर रहे है। सैनिक का ध्यान सामने की तरफ होता है कि सामने से हमला हो रहा है, जब पीछे से वार होता है तो वह पीछे चला जाता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी पर हमला जब हमारे कांग्रेस के मित्रो ने किया, तो जो राहत लोगों को मिलनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री जी को गद्दी बचाने के लिए बार–बार दिल्ली जाना पड़ता है, इस कारण जनता को पूरी मदद नहीं मिल पायी। कई हमारे साथियों ने बहुत–बहुत दावे किये कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। मै दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जहां गया नहीं, वहां की बात क्यों करूँ। मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सहस्त्रधारा हेलीपैड मेरे विधान सभा क्षेत्र मे आता है। वहां पर राहत कार्य शुरू किये गये। सरकार ने बड़े–बड़े दावे किये कि जो लोग आपदा से आ रहे हैं, उनको हम हेलीकाप्टर से ला रहे हैं, लोगो के ठहरने की व्यवस्था होटलों में कर दी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मे यह हेलीपैड है। हमने वहां पर कैम्प लगाया, हम वहां पर खड़े थे। महाराष्ट्र के कुछ यात्री वहां पर आये, उनके जो साथी छूट गये थे, वे उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हे एक होटल मे ठहराया गया। सुबह होटल वाले ने उनके हाथ मे ₹ 2400 का बिल रख दिया। मान्यवर, वो वहां पर आकर रो रहे थे। हमने उनके ठहरने की व्यवस्था की।

ग्वालियर के 03 परिवार जिनके छोटे–छोटे 03 बच्चे थे, क्योंकि सेना द्वारा पहले महिलाओं एवं छोटे बच्चों को निकाला गया था। मैं जब वहां पर गया तो छोटी बच्ची के साथ महिलाएं वहां पर रो रही थी। मैने उनकी बात सुनी, उनके पास होटल वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। मै उनको अपने घर पर ले गया। 03 दिन तक उनको

अपने घर पर रखा, जब उनके परिवार वाले आये, तो उन्हें उनके परिवार वालों के साथ भेजा। मान्यवर, बड़े कष्ट की बात है। नेता सदन यहां पर आ गये हैं। जब पिछली बार आपदा आयी तो हमारे कांग्रेस के मित्र, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी विदेशों में घूम रहे थे। इस बार इतनी कृपा की कि इस बार विदेशों में नहीं घूमे, लेकिन हेलीकॉप्टर से प्रदेश के अन्दर ही घूमते रहे। जिन हेलीकॉप्टरो में पीड़ितों को लाना था, जिन हेलीकॉप्टरों में गर्भवती महिलाओं को लाना था, समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा मान्यवर, उत्तरकाशी की एक गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रह गयी और हेलीकॉप्टर एक मंत्री जी को लेकर उड़ गया, जिस कारण उस महिला की मृत्यु हो गयी। मान्यवर, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती।

मान्यवर, जहां पूरे प्रदेश के अन्दर आपदा आयी तो देहरादून जिले में भी आपदा आयी है मान्यवर, देहरादून के अन्दर यदि सबसे ज्यादा नुकसान कहीं हुआ है, तो मसूरी विधान सभा क्षेत्र में हुआ है। 16 जून को 04 लोगों की मृत्यु मिट्टी बेहड़ी ग्राम में मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई। मान्यवर, जो सरकार दावे कर रही है कि मुआवजा बढ़ाया गया, राहत राशि बढ़ायी गयी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने देखा जैतूनवाला गल्जवाड़ी एक क्षेत्र है, वहां पर एक व्यक्ति रहता है निर्मल, उसका मकान गिर गया, आज भी वो जिला पंचायत के पंचायत भवन में रह रहा है। अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला है। मान्यवर, मैं वहां के तहसीलदार को लेकर, लेखपाल को लेकर 16 न्याय पंचायत, जहां मटर की फसल होती है, आलू की फसल होती है, उन क्षेत्रों में गया। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी के आवास से 26 किलोमीटर भटवारीखाल 22 किलोमीटर, बुरांसखण्डा 40 किलोमीटर, मान्यवर, यहाँ के लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला, तो इसकी कल्पना क्या होगी। मुझे बड़ा कष्ट होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत भले आदमी है, मैं उनके पास गया था, हमने कहा आपको तंग करना ठीक नहीं है। जब आपदा को एक माह हो गया तो 16–7–2013 को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है, आप कुछ राहत राशि दे दीजिएगा, मुख्यमंत्री कोष से दे दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन देखियेगा उन्होंने कहा गणेश मुझे सब याद है, आपदा राहत में बहुत पैसा है, मैं डी0एम0 को लिख रहा हूँ, बड़े सुन्दर अक्षरों में लिखा है, बहुत प्यार से लिखा है, कितने सुन्दर अक्षर हैं, बड़े प्यार से लिखा और मेरा सीना चौड़ा हो गया और मैं तुरन्त डी0एम0 साहब के पास पहुँच गया और मैंने कहा डी0एम0 साहब यह सी0एम0 साहब ने लिखा है। मान्यवर, यह पत्र 16–7 को लिखा था और आज क्या तारीख हो गयी है, आज तक एक पैसा नहीं मिला।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ के डी0एम0 की और यहाँ के अधिकारियों की, उन्होंने बहुत मॉरल सपोर्ट दिया। हमने रात को 12.00 बजे फोन किया और हमने उन्हें सुबह 4.00 बजे बुलाया, हमारे साथ उन्होंने तहसीलदार को भेजा। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ के जिलाधिकारी को राहत आयुक्त बनाकर केदारनाथ भेजा गया था, अपने जाने से पूर्व एक 50 करोड़ का आकलन जो यहाँ पर दैवी आपदा से नुकसान हुआ है उसको शासन को भेजा गया है। मान्यवर, अभी लोक लेखा समिति की बैठक में सचिव आपदा से पूछा, उन्होंने कहा हम इसको देने के लिए बाध्य नहीं है, यह तो विभाग व्यवस्था करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप डी0एम0 के पास जाओ, बहुत पैसा आया है, बहुत पैसा दे दिया है। मान्यवर, हम नेता सदन की बात को माने या सचिव आपदा की बात को मानें, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा इस संकट की घड़ी में पूरा देश नेता सदन के साथ था, कांग्रेस के हमारे नेता मुख्यमंत्री की गद्दी ढूंढ रहे थे, कब नेता सदन का विकेट गिरे और कब हमारा नम्बर आये। मान्यवर, परसों जो गोली कांड हुआ है वह भी उसी का एक पार्ट है। (व्यवधान)

मान्यवर, मैंने एक अखबार में पढ़ा (कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे–बैठे अपनी बात करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ) और उसी विषय पर माननीय इन्दिरा जी का भी बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि डा0 हरक सिंह जी के यहां कोई ब्याह–शादी हुई होगी मैंने यह सोचा था ? (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे अपनी बात करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ) यह बयान अमर उजाला के प्रथम पेज पर था। वहां पर किसकी शादी हो रही थी और किसकी शादी में वह लोग आये थे ? और यह भी कहा गया कि वहां पर विधायकों की मीटिंग हो रही थी। यह बैठक तो माननीय नेता सदन के घर पर होनी चाहिए थी जो एक परम्परा है। (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे अपनी बात करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय सदस्यों को आपदा से सम्बन्धित विषय पर बोलना है, यदि किसी माननीय सदस्य को कोई अन्य विषय पर बोलना है तो वह दूसरे दिन बोल लें।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, उत्तराखण्ड में पर्यटन एक मात्र व्यवसाय है, जिसका केन्द्र बिन्दु मसूरी और नैनीताल क्षेत्र है। इस आपदा में पर्यटन पूरी तरह से चौपट हो गया है। इस सम्बन्ध

मे मैं और हमारे होटल व्यवसाय के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीया अमृता रावत जी से मिले थे तो हमने कहा था कि टैक्स मे हमे एक साल तक की छूट दी जाय। क्योंकि इन होटलो में 20 से 50 तक कर्मचारी काम कर रहे है, इसलिए होटल व्यवसायियों के पास इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है और इनके पास बैंको से नोटिस भी आ रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने इन होटल के मालिकों को मात्र कुछ चीजों मे छूट दी है जो न्याय संगत नही है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इन होटल के व्यवसायों को कम से कम एक साल तक हर चीज मे छूट दी जाय। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

(व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि रिजर्व बैंक ने आदेश दे दिये है कि जिनके ऊपर कर्जा है उस कर्जे को एक साल तक स्थगित कर दिया है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, हमने कहा कि अन्य कर्जों मे भी छूट दी जाय। (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे अपनी बात करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कुछ कर्ज जो हैं, वह भारत सरकार माफ करती है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस आपदा के विषय पर सदन में बहुत सारी बाते आयी है और मेरा क्षेत्र भी आपदा मे बहुत क्षतिग्रस्त रहा। मेरे क्षेत्र मे भी बहुत सारे विधायक एवं नेतागण को आने का मौका मिला। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होने इस आपदा की घडी में मेरे क्षेत्र मे आने का समय दिया और सहयोग किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आपदा मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, माननीय अमृता रावत एवं माननीय महाराज जी भी मेरे क्षेत्र मे आये। आपदा की जो त्रासदी बद्रीनाथ और केदारनाथ के अन्दर हुइ। शायद जिन्दगी मे ऐसी त्रासदी कभी नहीं आयी। मैं 18 तारीख को बद्रीनाथ के अन्दर था और जो अफरा–तफरी उन लोगो एवं पर्यटकों के अन्दर थी, वह शायद जिन्दगी में देखने को नही मिली। अभी यहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने वक्तव्य रखे, कुछ लोगो ने मनगढंत

रखे और कुछ लोगों ने टी0वी0 को देख कर रखे। परन्तु हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा है। उस समय पूरा देश और प्रदेश कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि किसी का जीवन मुश्किल से बच पायेगा। बद्री विशाल जी की कृपा थी कि हमारे यहां पर जनधन की हानि कम हुई, सम्पत्ति का जरूर ज्यादा नुकसान हुआ।

हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर आये। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने पैदल भ्रमण भी किया और आप बद्री विशाल जी तक पहुचे और बहुत सारे बिन्दुओं पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी अपने विचार रखे। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष की एक बात से मुझे सख्त एतराज है और वह यह है कि उन्होंने कहा कि आपदा की सामग्री पार्टी के आधार पर बांटी जा रही है। मेरी यह गुजारिश है कि यह आपदा का समय था, यह कोई राजनीति का समय नहीं था और हमने स्वयं देखा कि जितनी खाद्यान्न की व्यवस्था इस बार की आपदा में हुई उतनी शायद कभी नहीं हुई, जितना सामान हमने गांव-गांव जाकर पहुँचाया शायद उतना कभी नहीं हुआ होगा। मान्यवर, हमारे मित्र कहते रहते है कि श्रीमती शैला रानी जी, श्री राजेन्द्र भण्डारी ने बगावत की तो ऐसी परिस्थितियां थी, लोग हमको झकझोर रहे थे, डांट रहे थे और कह रहे थे कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है, हमारी जान बचाओ, हमको सुरक्षित स्थान पर निकालो। तो जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आये तो हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लोगो को निकालने की व्यवस्था करें, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करें, खाद्यान्न की व्यवस्था करें, टेंट तिरपाल की व्यवस्था करे और यह अपने मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। यह हमारा हक है और हमारे बोलने के बाद जो व्यवस्था हुई उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और यदि व्यवस्था नहीं हुई होती तो मैं आज भी सदन में बोलता।

मान्यवर, पहले की आपदा और अब की आपदा दोनो को नापा जाए कि किसमें कितना मिला है, मेरे जोशीमठ मे एक साल का खाद्यान्न सरकार के स्टोर मे पड़ा है। मान्यवर, मै पहले मंत्री था तो मैने देखा था कि कितना मिला है। (व्यवधान) मान्यवर, पाँच हजार रूपया कृषि मे मिल रहा है और मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से कहा है कि हमारे यहाँ लैण्ड का जो बाजार भाव है उस हिसाब से खेती का पैसा मिलना चाहिए और उसे मैंने बढ़वाया। मान्यवर, हमारे क्षेत्र मे 18 सौ खच्चर वाले फंसे थे और उनके लिए राशन, टेंट तिरपाल आदि की व्यवस्था की। अलकनन्दा के अन्दर 110 मीटर का पुल बह गया था हमने 15-20 दिन के अन्दर रातों-रात मौके पर खड़े होकर बनवाया और 18 सौ खच्चर वालो को सुरक्षित उनके घर पहुँचाया और 1 महीना 16 दिन तक क्षेत्र मे मैं डटा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तो हमारे पहाड़ के अन्दर सारे पैदल रास्ते बन्द हो गये थे, फोनो की कनेक्टिविटी बन्द हो गई थी तो नेता प्रतिनिधि हेलीकॉप्टर से नहीं जायेंगे तो कैसे जायेंगे। यह भी सुनने में आया कि आर्मी

से हैलीकॉप्टर बुलाते, तो वह खराब मौसम में भी चला जाता, तो सेना का जब हेलीकॉप्टर आया और जरा भी मौसम खराब हो रहा था तो वह कह रहे थे कि मैं नहीं जा पाऊँगा और हमारे डेक्कन के हेलीकॉप्टर थे और भी थे वे पूरी बारिश में, कोहरे में भी गये और आप लोग कहते हैं कि 4 आदमी को ले गये, तो मैं कहता हूँ कि 8–10 लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठ कर गये, उस पाइलट ने यह नहीं देखा कि हमारी जान चली जायेगी, हेलीकॉप्टर गिर जायेगा पर उसने किया।

मान्यवर, 18 तारीख को 25 हजार आदमी बद्रीनाथ में फंसा था और 18 हजार आदमी हेमकुण्ड में फंसा था और हेमकुण्ड से लेकर गोविन्दघाट तक का पूरा रास्ता तबाह हो गया था, तीन पुल टूट गये थे, सारी कनेक्टिविटी बन्द हो गई थी और 18 हजार आदमी को 12 दिन में निकाला तो यह सरकार ने किया, हम लोगों ने बैठ कर के किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जन प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में कार्य किया है और मैं समझता हूँ कि पहली बार उत्तराखण्ड के जन प्रतिनिधियों द्वारा इतना कार्य किया गया। माननीय शैला रानी रावत रो रही थीं, रोना नहीं है जब हमारे लोग मर गये है, मा–बाप मर गये है, बेटा बिछुड़ गया है, परिवार के परिवार तबाह हो गये है तो इस पर रोना नहीं है तो क्या जश्न मनाना है ? मान्यवर, इस पर रोना लाजमी था। मान्यवर, यह तो हमारा संयम था, डेडीकेशन था और समर्पण की भावना थी कि जो इतना कार्य कर गये। मैंने स्वयं देखा है लोगों को अपने को झकोरते हुए, हमें डांटते हुए, हमे लोगों ने यह तक कह दिया कि किसी काम के विधायक नहीं हैं, आप यहां से भाग जाईये, हमारे लिए कोई न कोई व्यवस्था करिये। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे माननीय विधायकगणो ने जो कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। यहां पर कोई यह कह रहे थे कि हमारे एस0डी0एम0 केदारनाथ के अंदर शहीद हुए हैं, इस समय तो कई लोग शहीद हुए है। मान्यवर, उत्तराखण्ड की त्रासदी में जितने लोग मरे हैं वे सारे के सारे शहीद हुए है, कोई एक शहीद नहीं हुआ है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पहले घोड़े वाले को ` 2 हजार, ` 4 हजार मिलता था आज यह राशि ` 25 हजार मिल रही है। डंडी–कंडी वालों को जो पहले ` 1 हजार मिलता था, वह आज ` 10–12 हजार मिल रहा है, यह हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, आज मेरे क्षेत्र के गाव गुम्पा, पल्जा, जखोला, गोविन्द घाट, पाण्डुकेश्वर, पुल्ला भ्यूड आदि जगहों पर हमने राशन भेजा है, हमने लोगों को निकाला है। मान्यवर, गांवों में जो बीमार हुए है उनको हवाई सेवा के माध्यम से देहरादून लाये है। मान्यवर, मैं इस सदन के अंदर सभी विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह राजनीति करने का समय नहीं है, यह आरोप–प्रत्यारोप का समय नहीं है। मान्यवर, मौके के साक्षी हम हैं। हमने क्षेत्र में लोगों को खून के आंसू रोते हुए देखा है। मान्यवर, हमने ऐसे–ऐसे मां–बाप को देखा है कि पत्नी बद्रीनाथ में फंसी है, खुद जोशीमठ पहुंच गये है और बच्चों का पता नहीं है, वे है कहां। वहां का दृश्य बहुत ही मार्मिक था, जिसे बयां नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, सेना के जवानों के साथ हमने एक महीने तक जान हथेली में रखकर कार्य किया है।

मान्यवर, किस तरह से उत्तराखण्ड के लोगो ने यात्रियों की मदद की, कैसी विषम परिस्थितियों में यात्रियों को दुर्गम रास्तों से निकाला है, जो मदद केदारघाटी के लोगो ने, बद्रीनाथ घाटी के लोगों और पूरे उत्तराखण्ड के लोगों ने की है, शायद इतनी मदद जीवन में कोइ अन्य नहीं कर सकता है। मान्यवर, हमने अपने घरों और दुकानो का सारा राशन आपदा पीड़ितों को खिलाया है। हमने अपने गावो का सारा सामान टेंट, इत्यादि सब पीड़ितों की मदद के लिए दिये हैं। मान्यवर, टी0वी0 पर एक चीज हमें देखने को मिली, जिसमें लिखा था ''उत्तराखण्ड के लुटेरे''। मान्यवर, इस न्यूज को देख कर बहुत कष्ट हुआ कि हमारे उत्तराखण्ड के लोगों ने इतनी विषम परिस्थितियों में अपनी जान हथेली पर रख कर पीड़ित लोगो की जान बचायी है, पीड़ितो की सेवा की है। और टी0वी0 में बड़ा–बड़ा एड आता है कि उत्तराखण्ड के अंदर लुटेरे है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इसकी बहुत कटु शब्दों में आलोचना करता हूँ। मान्यवर, यदि काम करने वाले लोगो का मनोबल टूटेगा तो फिर दुबारा कोई कार्य नहीं करेगा।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपदा के समय हमने अपने मुख्यमंत्री जी से कुछ कहा होगा तो वे तो हमारे गार्जियन हैं। हम उनसे नही कहेंगे तो किससे कहेंगे ? हम तो इस सदन के विधायक हैं और एक विधायक के अंदर कितनी जिम्मेदारी होती है, यह तो माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जानते है, चूंकि आप भी एक विधायक है। यह व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि मुझे मुआवजा विधायक दे, मुझे राशन न मिले तो यह भी विधायक दे, टेंट तिरपाल नहीं मिलेगा तो विधायक लायेगा। बिजली नही आयेगी तो विधायक लायेगा। चूंकि अल्टीमेटली उस क्षेत्र के अंदर चुनाव विधायक

को लड़ना है और सारी जिम्मेदारी विधायक की ही होती है। मान्यवर, हमने रात–दिन पीड़ित लोगों के साथ रहकर जो कार्य किया है फिर भी अभी हम लोग उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाये है। आज जो हजारों लोग जो पुनर्वास की आस में खड़े है, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आपने बहुत ही गति से जी०आई०एस० की रिपोर्ट मंगवायी है, आज तक इतनी तेजी से यह रिपोर्ट कभी नहीं आयी है। आपने भूमि का चिन्हीकरण करवा दिया है कि कौन पुनर्वास वाला कहां पर रहेगा, डिफोरेस्ट कहाँ से होगा, सिविल भूमि कहाँ से होगी, नाप लैण्ड कहाँ पर होगी, कितनी किसको कहाँ पर जमीन मिलेगी, उसका भी चिन्हीकरण कर दिया है।

अब हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो एन०जी०ओ० के लोग, सरकार के लोग या अन्य लोग पुनर्वास में मदद करना चाहते है, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे जल्दी से जल्दी हमारे पुनर्वास के घर बनाएं ताकि जाड़ो का जो सीजन आने वाला है, 15 दिन के अन्दर, बद्रीनाथ और केदारनाथ में छिटपुट बर्फ गिरने लगी है, ऊँची–ऊँची चोटियों पर, अब खुले आसमान के नीचे बहुत अधिक समय तक रहना सम्भव नहीं हो पा रहा है। किराए के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ` 3–3 हजार दिये हैं, जो कि बहुत स्वागतयोग्य कदम है। परन्तु किराए के घर में बहुत लम्बे समय तक गुजारा नहीं हो पाएगा। मेरी गुजारिश है कि जल्दी हमारा पुनर्वास हो ताकि हमारे लोग अपने घरों में जाएं और पुलना, भ्युंडार, पांडुकेश्वर में जो घर थे, हजारो की संख्या में जो तबाह हो गये हैं, जो बचे भी है, उनको बचा हुआ नहीं माना जा सकता, वे भी खतरे की जद में है, वे सारे भी हिले हुए हैं, उनमें क्रैक्स आए है। नदी बिल्कुल उनके अन्दर तक आ गयी है। नदी का जो जल स्तर है, वह 8 मीटर से 10 मीटर तक ऊपर आ गया है। कोई भी मकान हमारा सुरक्षित नही है। वहाँ पर सेफ्टी वॉल बननी चाहिए, सुरक्षा दीवार बननी चाहिए। आर०सी०सी० का वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए ताकि जो परिवार है, जो गाँव है, वे आगे उनमें सुरक्षित रह सकें। ऐसी मै आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ।

मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन है, सेना के जवानों को मैं इस सदन के माध्यम से भी बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर हमारी सेना समय पर नही पहुँच गयी होती, तो न जाने कितनी कैजुअलटी और हो गयी होती, न जाने कितने लोग आज हमारे बीच में मौजूद न रह जाते, उन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर बचाव कार्य किया। चाहे वे एन०डी०आर०एफ० के है, चाहे आई०टी०बी०पी० के हैं, चाहे सेना के जवान हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जो भी जवान वहाँ पर आए, हमारे पुलिस फोर्स के जवान है, जिस मुस्तैदी से, जिस शेर बहादुरी से उन लोगो ने काम किया है, उसके लिए मैं उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूँ। नेता प्रतिपक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ मे आप गये, हमारे पण्डे समाज

के लोग कह रहे थे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि जो भी नेता इधर आता है, [* * * *] ले जाओ, नहीं तो काम नहीं कर रहे है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हमारे बहुत अच्छे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं और आपके मार्ग दर्शन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। आप भी विधायक हैं और हम भी विधायक हैं। अगर हम एक–दूसरे को ऐसी नसीहत देंगे तो कोई भी विधायक ठीक–ठाक नहीं रहेगा। सारे लंगडे हो जाएंगे, जनता सबका मार–मार कर बुरा हाल कर देगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे ढग से रहे, एक–दूसरे की हम लोग मदद करे ताकि और आगे तक हम लोग कुशल नेतृत्व कर सकें। जनता के बीच जो हमारी जिम्मेदारी है, उसका भरपूर तरह से पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे लिए सब कहते हैं कि मैंने बहुत लड़ाई की है, एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको।

"लड़ते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में,
वो सवार क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलते है।"

मान्यवर, जो जांबाज आदमी होगा, जो जिन्दादिल आदमी होगा, वही बोलता है, मुर्दे कभी बोला नहीं करते। इसलिए हमारी एक पहचान है कि हम बोलते भी हैं, करते भी हैं, जनता के बीच रहते भी हैं और उनकी सेवा भी करते है और खूब सेवा की है। मुझे इस बात का फख्र है कि डेढ़ महीने के अन्दर जो काम मैंने अपनी विधान सभा में किया है, मैं समझता हूँ कि मेरा ये जीवन भी और वो जीवन भी, सब सफल हो गये, जो सेवा हमने की और मुझे मन से भी बहुत शान्ति है। माननीय मंत्रीगण के हम बहुत आभारी है, जिन्होंने समय–समय पर हमारी मदद की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी है। अब एक ही इच्छा है, माननीय अध्यक्ष जी, कभी इधर अगर खाली हो तो मुझे बता देना नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जब कभी आपका जाना होगा तो मुझे अवश्य बता दें ताकि हमको भी मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात बता दूँ हमारे माननीय सदस्य जी ने कहा कि पण्डों ने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि [* * * *] इस शब्द को आप निकलवाईये। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा और न मै ऐसा कह सकता हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। अगर पण्डों ने कहा है तो वह गलत कहा है, यह मै सदन के अन्दर कह रहा हूँ। क्योंकि पण्डो ने जितना स्वागत किया रात में, उन्होंने यह कहा कि महाराज आप पहले व्यक्ति है, जो पैदल आए हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, उन्होंने कहा, आ रहे हैं हेलीकॉप्टर में, फुर्र–फुर्र उड़ जा रहे हैं और माणा के गाँव वालों ने तो कहा कि हमारे यहाँ तो आज तक कोई जन प्रतिनिधि नहीं आया। मै आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप बाद में गये होंगे। मेरे

नोटः [* * * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

जाने तक वहाँ कोई नहीं गया था। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा, यह इतिहास बनेगा कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे विधायकों को भगाना, आखिर इस सदन के किसी विधायक पर संकट आयेगा तो हम उसका बचाव भी करेंगे। चूंकि यह सदन के मतलब का है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इंगित अंश को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

*श्री माल चन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, विगत दिनों प्रदेश के चार जनपदों में आपदा आई, लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र का विधायक हूँ, जहां परमानेन्ट आपदा आती है। कभी शीत काल में आपदा आती है, कभी बरसात में आपदा आती है। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन, जो हमारे सांसद भी रहे हैं, का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मोरण नाम का पूरा गाव मेरे क्षेत्र में दब गया, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहा पर नहीं गया। जहां लिवाई–बिताई, ओसणा–गंगार के लोग आज कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है और बन्दरों की तरह टप–टप पहाड़ों से नीचे उतरने को मजबूर है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोरी और विकास खण्ड पुरोला का सरबडिया गांव 65 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित है और विकास खण्ड मोरी में पशु विहार की वजह से सडकें नहीं बनती हैं, आज की इस आपदा में पुल बह गये हैं, पैदल मार्ग बह गये हैं, खच्चरों का भाड़ा चौगुना हो गया है, आज की इस कमरतोड़ महंगाई के जमाने में लोग इतना भाड़ा नहीं दे पा रहे है और वहाँ पर राशन के लाले पड़े हुये है। मैं किसी क्षेत्र का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से राशन नहीं पहुचाया जा रहा है, मात्र लिवाली में मेरे विशेष अनुरोध पर दो बार राशन उतारा गया। मान्यवर, मैंने तो यहां तक कहा कि हेलीकॉप्टर का भाड़ा मेरे से ले लो, लेकिन हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दो, लेकिन किसी ने मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, अब बर्फ गिरने वाली है, लेकिन राशन के गोदाम खाली पड़े हुये हैं, क्योंकि आने–जाने के सारे रास्ते बन्द पड़े हुये हैं, सड़कें बन्द हैं और उनको खोलने की चिन्ता किसी को नहीं है।

मान्यवर, मैं नेता सदन का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपने किसानों को सेब और आलू का समर्थन मूल्य दिया, लेकिन एक प्रार्थना भी है कि आज आलू और सेब के ढेर मेरे यहा लगे हुये हैं, मैं समझता हूँ कि आपने इसके लिये पर्याप्त पैसा नहीं दिया है। लोग टकटकी लगा कर देख रहे है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम इसको खरीदेगा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या नहीं, मेरा आपके माध्यम से नेता सदन से अनुरोध है कि इस हेतु और धन विभाग को दें, नहीं तो वह सेब और आलू सारा का सारा सड़ जायेगा। भूमि कटाव का मुआवजा, हमने सुना है कि ` 5 हजार प्रति नाली कर दिया गया है, लेकिन क्षेत्र में अभी ` 5 हजार तो क्या ` 5 भी नहीं बंटे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस राशि को बढ़ाकर ` 10 हजार किया जाय और ` 10 हजार नहीं भी करते है तो ` 5 हजार तो लोगों को मिल ही जायें और इसके लिये चिन्हीकरण किया जाय।

*मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

मान्यवर, माल चन्द जी दोहरा दें, मुझे सुनाई नहीं पड़ा।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, मेरा कहना है भू कटाव का मुआवजा मेरे क्षेत्र में अभी तक नहीं बंटा है, मेरी एक और प्रार्थना पूरे सदन से है कि जो आंकड़ा आपदा का है। पटवारी गांव में जाता है और जिस मकान में दरारें पड़ गई हैं, जो मकान रहने लायक नहीं है, उसके लिये वह मुआवजा नहीं देता और कहता है कि जब यह मकान गिर जायेगा, तब मुआवजा मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि जो मकान रहने लायक नहीं है, उसे पूर्ण क्षतिग्रस्त में लिया जाना चाहिये। मान्यवर, सेब के पेड़ो का मुआवजा अभी चिन्हित नहीं किया गया है। पेड़ो का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पहाड़ के काश्तकारों की मुख्य फसल सेब है, लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। पेड़ो का भी मुआवजा दिया जाना, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

मेरे क्षेत्र में पुल बह गये है और लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ट्राली लगाकर, आपने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा एस०डी०एम०, डी०एम० ट्रालियों पर जा रहे हैं। 06 ट्रालियॉं अतिआवश्यक हैं। यदि ये ट्रालियॉं नहीं लगती है तो कोई दुर्घटना भी घट सकती है। मैंने कई बार कहा भी है, लेकिन वो 06 ट्रालियॉं अभी तक नहीं लगी हैं। मैंने हाउस में सदन के माध्यम से कई बार कहा है कि विधान सभा पुरोला या अन्य क्षेत्रों में आपदा के समय, मेरे यहां अग्निकाण्ड बहुत होते है, मैंने पहले भी कहा मान्यवर, कि छोटे-छोटे हेलीपैड बनाये जाने चाहिए ताकि आपदा के समय वो काम आयें, लेकिन आज तक कहीं भी हेलीपैड नहीं बने हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मनरेगा से, विधायक निधि से ऐसा आदेश जारी हो कि हर ग्राम पंचायत में एक हेलीपैड होना चाहिए। जिस प्रकार की आपदा विकास खण्ड मोरी में आयी, 8-10 गांवों का सम्पर्क आज भी टूटा हुआ है। कोटला, नारायण में हजारों-हजार नाली जमीन बह गयी है। मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि लोगों को फसल का मुआवजा भी मिलना चाहिए। उनके घर पर लाल धान, लाल चावल सब खत्म हो गया है, भूमि बहकर नष्ट हो गयी है। धान की फसल तैयार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने वाली थी, सब दब गयी है। मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से कि भूमि के मुआवजे के साथ फसल का मुआवजा भी मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

कृपया संक्षेप करें।

श्री माल चन्द—

मान्यवर, काश्तकारों का जो कर्जा है, वो माफ होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन जी से निवेदन कर रहा हूँ कि उनका कर्जा माफ होना चाहिए और व्यावसायिक जिनके होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबा हैं, उन्होंने सरकारी कर्जा ले रखा है, तो वो भी माफ होना चाहिए और बिजली का जो बिल है मान्यवर, कामर्शियल जिनके कनेक्शन हैं, आपदा के कारण टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनका बिजली का बिल माफ होना चाहिए। बिजली और पानी का बिल माफ होना चाहिए, जिनके कामर्शियल कनेक्शन हैं। यह मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है। आपने मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम—310 की सूचना पर आज दूसरे दिन हम चर्चा कर रहे है। मैं चाहता हूँ कि 01 बजकर कम से कम 20—25 मिनट पर सरकार की तरफ से जो माननीय सदस्यों ने बात रखी हैं, उसका जवाब आ जाय। उस हिसाब से हमको सदन को चलाना होगा। इसलिए बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे।

*श्री हरीश धामी—

माननीय अध्यक्ष जी, 16—17 तारीख को पूरे उत्तराखण्ड में आपदा आयी, उस आपदा में मेरा क्षेत्र धारचूला भी क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन, 19 तारीख को उत्तराखण्ड सरकार के सहयोग से, क्योंकि उस क्षेत्र में पैदल जाना हमारा सम्भव नहीं था। मैं 19 तारीख को उत्तराखण्ड सरकार के सहयोग से धारचूला पहुँचा और 19 तारीख से लगातार अपने क्षेत्र में रहा। मैंने देखा कि उस क्षेत्र में जो हम लोग वहां के निवासी थे, नहीं जा पा रहे थे, फिर भी वहां पर जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने प्रभावितों को राहत सामग्री पहुँचाने का काम किया। जो उत्तराखण्ड सरकार ने इस बार खुले दिल से आपदा प्रभावितों को आपदा राहत में चाहे उनके मकानों का मुआवजा हो, या उनके जानवरों का मुआवजा हो, उसके लिए जो पैसा दिया, उसके लिए माननीय सदन को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो पिछले 27 सालों से मेरी विधान सभा में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र की समस्याओं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को देखते हुए, आपदा को देखते हुए जो मृग विहार को हटाने का काम किया उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही कैबिनेट के सभी मंत्रीगणों को धन्यवाद करता हूँ।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सहयोगी साथियों का जिन्होंने इस दु:ख की घड़ी मे मेरा साथ वहाँ पर दिया। लेकिन थोड़ा दु:ख होता है कि हमारे कुछ मित्र उस क्षेत्र में आये और आपदा में राहत पहुँचाने के बजाय उन्होंने कुछ और ज्यादा आपदा पहुँचाने का काम किया। आपने देखा होगा जिस क्षेत्र में आपदा आई नही थी, उस क्षेत्र मे हमारे कुछ मित्रो ने गरीब तबके के लोगों के बीच में राशन बांट कर मीडिया के सामने यह दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर भुखमरी फैली हुई है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र का फोटो खिचवाया जा रहा था कि वहाँ लोग भुखमरी से राशन के लिए लड़ रहे हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए कि आखिर वह क्षेत्र आपदा से प्रभावित है या नहीं है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के हर उस गाँव तक गया हूँ, जहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँचा और मैंने अपनी जेब से लोगों को पैसे दिये। मुझे लगा प्रशासन यहाँ पर नही पहुँच सकता है तो मैंने वहाँ पर खुद राहत देने का काम किया। हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि कुछ लोग अपने लोगों को आपदा में फायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी भी जाँच हो, आखिर कोई विधायक अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी प्रभावित को अगर लाभान्वित कर रहा है, उसमे अगर किसी को लगता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचा रहा है, अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे सोरला क्षेत्र के लोग जिनके एक ही परिवार के 10-10 घर बने थे, सबके घर चले गये, आज वहाँ पर एक रेते का टीला बना हुआ है। हमने माननीय मुख्यमत्री जी से निवेदन किया कि प्रति परिवार जितने घर है, उन घरों का मुआवजा मिलना चाहिए। आज मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने 2008 की आपदा देखी और 2009 की आपदा देखी है, लोगो को 35 और 50 हजार से ज्यादा आपदा राहत राशि नही मिली है। आज भी मेरे बरम क्षेत्र के लोग जो 2008 की आपदा मे आपदाग्रस्त थे वह आज भी रो रहे है। लाहेकाला मे 2009 मे उत्तराखण्ड की सबसे बडी त्रासदी उस समय की थी, उसमें 43 लोगों की जान गई थी, आज तक भी उन लोगों का पुनर्वास नही हो पाया, लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार ने इस वक्त किसी को दु:ख नहीं पहुँचने दिया। एक मै और निवेदन करना चाहता हूँ। (किसी माननीय सदस्य द्वारा बैठे-बैठे कुछ बोलने पर) इस बीज के लिए शायद आप अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री से पूछे तो बेहतर होगा। मान्यवर, जो उस क्षेत्र की आपदा थी, आज उस क्षेत्र के लोगो का, हमारे बहुत से मित्र कह रहे हैं कि उनका कृषि ऋण माफ होना चाहिए। मै कहता हूँ कि ऋण माफ होना चाहिए। लेकिन 2009 में जो 43 लोगो की जान गई और जिनका घर परिवार सब बह गया, आज उनके नाम पर बैंक

की नोटिस है। मैंने आपसे निवेदन किया था और एक पत्र लिखा था, उसी कारण जो उनकी आर०सी० कटी थी, उसको रोका गया।

मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष से आज आप आपदा में कोई राजनीति न करें। आप हमारे क्षेत्र में आइये, हम आपका स्वागत करते है, लेकिन क्षेत्र में आकर आप एक बड़ी आपदा लाने की कोशिश न करें, लोगों को न बहलायें। हमारे कुछ मित्र धारचूला में गये, वहाँ पर आन्दोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने आपदा प्रभावित उस धरने में हैं, जिनका घर बार बह गया है वह कितने लोग है, अगर उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति मिल जायेगा तो निश्चित तौर से हम अपनी सरकार से कहेंगे कि वास्तव में गलत हो रहा है। जिन लोगों का कुछ नहीं गया, जो राजनीति करना चाह रहे हैं, वही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, लेकिन नेता सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस तरह से इस आपदा में पूरे दिल से सरकार खुले हाथों से पैसा बांट रही है, आपदा प्रभावितों को जो राहत दे रही है, उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ।

*श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम–310 के तहत बोलने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आज जो दैवी आपदा आयी है, जैसे कि लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ आई वहाँ नहीं आई। मेरा तो अपना मानना है कि दैवी आपदा पूरे उत्तराखण्ड में आई और पूरे देश में आई।

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं हमारे विपक्ष के जितने भी लोग हैं उन्होंने इस आपदा पर अपने विचार रखे। मैं यह कहूँगा कि यहां पर जो तुलना की बात की जा रही है कि हमारी सरकार ने यह किया और आपकी सरकार ने क्या किया, इसकी जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आपदा आयी। इसके लिए पूरे देश ने खुले दिल से मदद की है। लेकिन इस सरकार ने जनता की मदद नहीं की है, केवल जहां पर इनके लोग थे, उन्हीं लोगों को इसका फायदा पहुंचा है। अभी हमारे धामी जी ने कहा कि कुछ ही क्षेत्र में आपदा आयी है। इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था उसमें कहा कि प्रदेश में कहीं पर सड़कें टूटी हैं तो कहीं पर खेत बह गये हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में दैवीय आपदा आयी है, तो इन प्रभावित लोगों को यथाशीघ्र राहत दी जाय।

इस आपदा से लोग बेरोजगार भी हो गये हैं। मान्यवर, ये लोग दो महीने तक काम से वंचित भी रहे है और इन लोगों के पास भोजन का संकट हो गया है। इसलिए इन लोगों को मदद की जरूरत है। लेकिन इन लोगों को आज तक किसी प्रकार की आर्थिक

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मदद नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 13 और 14 तारीख को मिला था। आज इन लोगों को दो–चार हजार रुपये सहायता की आवश्यकता है। मान्यवर, इस विषय पर आज राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है और जहां यह सवाल है कि पूर्व की सरकार ने इनकी मदद नहीं की, पूर्व की सरकार में कितनी ज्यादा दैवीय आपदा आयी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिसमें हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। लेकिन आज हजारों करोड़ रुपये भी इस सरकार में कम पड़ रहे हैं। लेकिन इसकी तुलना उससे की जाय तो यह बहुत गलत है। आज केवल जनता को मदद करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में मलबा गिरने से दो आदमियों की मौत हो गयी थी। उनको जरूर मुआवजा मिला है। मेरा विधान सभा क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा हुआ है, जैसे कुजा और गुंडेस है। इस क्षेत्र के रास्ते व खेत बह गये हैं और वहां पर जो अश्व मार्ग बने हुए थे, वह भी बह गये हैं। अब वहां के लोग सामान को अपने कन्धे पर ला रहे हैं, इन लोगो को पैसा कमाने के लिए जो काम करना चाहिए था, वह अब यह काम कर रहे हैं। इन लोगों को बाजार जाने में बहुत समय लगता है। इन लोगों को भी आज मदद की आवश्यकता है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, पूर्व के हमारे वक्ताओं ने अपनी बात यहाँ पर रखी है और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यहा पर जो भी बातें रखीं, मैं भी अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूँ। मैं यह भी कहूँगा कि हमारे पहाड़ों में फसलों पर जो ऋण मिला है। हमारे काश्तकार उसको चुकाने में असमर्थ हैं इन लोगो के ऋण माफ होने चाहिए। धन्यवाद।

*श्री दिनेश धनै–

मान्यवर, आपने नियम–310 पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आपदा के विषय पर यह चर्चा है। यह बात सही है कि इस आपदा से पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित हुआ है। अगर शरीर के किसी भाग में कष्ट होता है तो पूरे शरीर को कष्ट होता है। इसी प्रकार हमारे देश के उत्तराखण्ड प्रदेश में यह आपदा आयी। इस आपदा से सरकार की उन क्षेत्रों को सुविधा देने की प्राथमिकता रही है। आज कई तरह की आपदायें हमारे प्रदेश में हैं, जरूरत है तो उनको पुनर्वास करने की।

मान्यवर, कल हमारे साथी कह रहे थे कि दो लोग बह गये थे और उनको आपदा मे सम्मिलित नही किया गया, ठीक इसी तरह से कई तरह की आपदायें चाहे वह हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे टिहरी में बांध विस्थापितो के क्षेत्र में हो, जिन लोगो ने आपदा में जान दी है, उनके पीछे परिवार और मुसीबतें

---

* सदस्य ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

खड़ी है। उनके लिए सरकार की ओर से मदद दी जा रही है, उनके सामने लक्ष्य फिर से खड़ा हो रहा है। लेकिन टिहरी बांध से भू–धसाव के कारण आज जो लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास जीने के लिए कोई राह नहीं है, तो ऐसे बहुत से गांव, जो भू–धंसाव के कारण गिर गये, 4–5 इंच उनकी जमीन में दरार आ गई, वे रात–रात भर सो नहीं पाते हैं और वे भी इस बरसात में कच्चे घरों में शरण लिए हुये हैं, उनकी तरफ भी सरकार को देखना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि टिहरी बांध पर एक साल से आवागमन चालू है, लेकिन बांध के ऊपर जो सड़कें 1–2 मीटर धंस गई है और लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं और वह मार्ग बन्द है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस मार्ग पर नियम के अन्तर्गत आवाजाही सुचारू करें ताकि कोई दूसरी आपदा उनके ऊपर न आये। मान्यवर, 5 तारीख को टिहरी में हवा चलने की वजह से, बिजली से 9 दुकानदारों की पूरी दुकान जलकर राख हो गई, उनका व्यवसाय समाप्त हो गया, तो ऐसी जो आपदायें हैं, उनको भी प्रवासित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम सबको प्रवासित नहीं कर पायेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिसके लिए हमने उत्तराखण्ड मांगा था वह सपना पूरा नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, विधानसभा नागरी में ओ०बी०सी० से सम्बन्धित एक जी०ओ० सरकार ने जारी कर रखा है जिस पर गोरखा समुदाय लिखा है, इसलिए जिसको फौज में भर्ती होना था तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया और वह फौज में भर्ती नहीं हो पाया। यह उसके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि इसको भी परिभाषित करें कि इस तरह के जो शब्द शासनादेशों में अंकित किये जाते है, उनको स्पष्ट किया जाए जिससे कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मैं पहली बार विधानसभा में आया हूँ और यहाँ सीखने का बहुत अच्छा अनुभव तो नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जब कोई गम्भीर विषय हो तो ऐसा न हो, जिससे कि जब कोई नये सदस्य आयें तो उनको यह न लगे कि सदन इसी तरह से चलता है। मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद और अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि गढ़वाली और कुमाऊँनी भाषाओं को जो दर्जा मिलना चाहिए था, सदन के माध्यम से इसको भी सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद।

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह सदन आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति प्रदान की। मान्यवर, निश्चित रूप से यह एक ऐसी आपदा थी जिसमें मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में उत्तराखण्ड में इतनी बड़ी दुर्घटना कभी नहीं हुई और जो हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उससे यह निश्चित है कि आपदा का जो स्तर है वह कितना होगा। मान्यवर, वह अलग विषय है। आपदाएं पहले भी आयी है और फिर भी आ सकती हैं, चूंकि हमारे राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है, वह आपदा ग्रसित क्षेत्र ही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आने वाली आपदाओं से किस तरह से निपटा जाय। आज जो इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, तो इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी कमियां भी रही हैं। मान्यवर, चाहे मौसम विभाग हो, चाहे रिमोट सेंसिंग हो, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया हो, चाहे एन0डी0आर0एफ0 हो या चाहे वाडिया इन्स्टीट्यूट हो ये अनेक एजेंसियां हमारे बीच में हैं, इनके केन्द्र हमारे प्रदेश में भी है। मान्यवर, इनके द्वारा जो संकेत दिये जाते है, उन्हीं के अनुसार यदि कार्य किया जाता तो शायद प्रदेश में जो आज इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इसको टाला जा सकता था। मान्यवर, मैं यह नहीं मान सकता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी बात करेंगे, परन्तु अखबार में छपा है तो उसका उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा, जिससे कि भविष्य में सभी लोग सचेत रहें। अखबार में छपा था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहा गया कि 16 से 17 तारीख को जो आपदा आयी है, इसके संकेत आपको मौसम विभाग ने पहले ही दे दिये थे तो उसका जवाब मिला कि मौसम विभाग तो ऐसी चेतावनियां देता रहता है। मैं समझता हूँ कि मौसम विभाग की विश्वसनीयता और अन्य एजेंसियों की विश्वसनीयता पर हम ध्यान नहीं देंगे और उन्हें हल्के में लेंगे तो निश्चित रूप से इन आपदाओं से निपटने के लिए जो प्रबन्ध है या जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो इसके गम्भीर परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, इसी की परिणति आज हमारे सामने है। हमें इन पर विश्वास करना चाहिए था।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सीमान्त प्रदेश है और हमारे देश की सीमाएं अनेक देशों से लगी हुई है, यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो निश्चित रूप से हमें इसके गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। पलायन का जो खतरा पहले से ही हम पर मंडरा रहा है, यदि इस दिशा में सकारात्मक कार्य नहीं किये गये तो यह और अधिक गम्भीर रूप ले लेगा। मान्यवर, अब सर्दी आने वाली है और इस मौसम में पुनर्वास की स्थिति और कठिन हो जायेगी, इसलिए समय रहते हुए पुनर्वास की व्यवस्था कर ली जाय तो बहुत उचित होगा।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान देहरादून महानगर की विषम परिस्थितियों की ओर भी दिलाना चाहता हूँ। देहरादून के अन्तर्गत चार विधान सभा क्षेत्र हैं राजपुर, रायपुर, धरमपुर और देहरादून कैंट। इन चार विधान सभा क्षेत्रों में दो नदियां है बिन्दाल और रिस्पना नदी। इन नदियों के तट पर लगभग दो से ढाई लाख लोग रहते है, जोकि गरीब है, असहाय हैं, अल्प संख्यक हैं और बी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्धित लोग हैं, जिन्हे

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कोई मकान नहीं मिला है, जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों ने अपना ठिकाना नदी के किनारे ही बना दिया है। मान्यवर, हमें चिन्ता यह भी करनी चाहिए कि पिछले कई वर्षों से इन नदियों में जो मलबा जमा हो रहा है, उसकी सफाई नहीं की गयी है, जिससे कि नदियों का तल ऊपर उठ रहा है। जब भी वर्षा होती है, यह नदियाँ उफान पर आ जाती हैं और तटबंध भी टूट जाते हैं। मान्यवर, मेरा एक सुझाव था कि नदियों के तल पर जो मलबा है, उस मलबे को साफ किया जाय और जो तट हैं, उन पर पक्की दीवार बनाई जाय। उनका तल पक्का किया जाय। जिससे अनेक घटनाएं जो इस वर्ष भी हुई, अनेक लोग हताहत भी हुए और अनेक लोग नदियों और नालों में बह गए, जिसका संज्ञान हमें लेना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे लिए यह संकट बना हुआ है और आने वाले समय में यह और भी गम्भीर रूप धारण कर सकता है। समय पर कार्यवाही की जाय, जिससे कि दो लाख लोग जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनका जीवन सुरक्षित किया जाय। मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया, अपनी बात रखने का, धन्यवाद।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने नियम–310 की इस सूचना को स्वीकार किया। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, 2002 से 2007 तक मैं विधायक रहा था। बीच में 2007 से 2012 तक मैं विधायक नहीं रहा, मगर इस सदन में शायद पहली बार नियम–310 की सूचना को स्वीकार किया गया। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई विरोध नहीं किया क्योंकि सब चाहते थे कि एक स्वस्थ बहस हो, एक स्वस्थ चर्चा हो और एक जो अप्रत्याशित आपदा उत्तराखण्ड में आयी, जिसमें पूरा देश हमारे साथ खड़ा था, उस आपदा से हम लोग सबक लें। आवश्यकता आलोचना की नहीं थी और आज आलोचना करने की जरूरत भी नहीं थी। जरूरत थी समालोचना की। क्या हम लोग इस आपदा से सीखे। एक ऐसी अप्रत्याशित आपदा जिससे पूरा देश ही नहीं, अन्य देश भी इससे सबक लेंगे, इससे सीखेंगे कि ऐसी अप्रत्याशित आपदा में उत्तराखण्ड के लोगों ने किस तरह से उसका डट कर मुकाबला किया, कहाँ कमियाँ रह गयीं, उन कमियों को दूर करके और बेहतर कर सकते थे, यह सीखने का मौका मिलेगा।

मैं इस सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन करोड़ो–करोड़ लोगों का, जिनके हाथ हमारे लोगों की मदद को आगे बढ़े, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन अनेक एन0जी0ओ0 का, जो मौके पर यहाँ पहुँचे और आज भी मौके पर पुनर्वास के कार्यक्रम में बिना किसी हित के इस सरकार को और हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। मगर कुछ लोगों ने इस आपदा में भी अपनी राजनीति की संभावनाएं देखने

की कोशिश की। यह गंभीर प्रश्न है। सवाल यह नहीं है कि इस तरफ कौन बैठा है और उस तरफ कौन बैठा है। सवाल यह है कि जब केदार घाटी के लोगों ने अतिथि देवो भव. को आत्मसात करते हुए, जो दो महीने–चार महीने का अनाज का कोटा अपने यहाँ रखा था, लोगों को अपने घर में रख कर, उनको बैठा कर, खिलाने–पिलाने का कार्य किया, तो कैसे कुछ लोग उत्तराखण्ड की दूसरी छवि बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, कौन वे लोग थे ?

मैं केदारनाथ की तस्वीर परसों पेपर में देख रहा था, पूजा से पहले और मैंने केदारनाथ की पुरानी तस्वीरों को भी देखा, मुझे दोनों में ज्यादा अन्तर नहीं दिखाई दिया। वो कौन लोग थे, जिन्होंने, निर्माण के लिए देहरादून में नक्शा पास कराने जाओ तिमंजिले का, तो पूछते हैं 50 फिट चौडी सडक है कि नहीं, वो कौन लोग थे, जिन्होंने 3–3, 4–4 मंजिले भवन वहाँ पर बनाने दिये ? आज सबक सीखने की जरूरत है, वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है। कल क्या होगा और कैसे होगा, यह सोचने और समझने की जरूरत है। मान्यवर, उन लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है कि अगर हम प्रकृति से छेडछाड करेंगे, तो कल कहीं न कहीं इसके परिणाम भी भुगतने ही होंगे। मैं समालोचना की बात कर रहा था, मैं सोच रहा था कि यदि यह बहस दो दिन चलेगी तो इसके निष्कर्ष निकलेंगे और पूरे देश में वह निष्कर्ष जायेंगे, उन निष्कर्षों के आधार पर हम सरकार से कहेंगे कि इस लाईन पर काम करो। लेकिन मात्र आलोचना करने के लिये आलोचना नहीं होनी चाहिये। मैं अपने क्षेत्र के उन छोटे–बडे अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपदा के समय जब हमें फोन पर सूचना मिली की धारचूला में एन0एच0पी0सी0 की कालोनी बह गई है, तो हमने अपने सारे कर्मचारियों को फोन किया और उन्होंने रात–दिन जाग कर के, उपजिलाधिकारी ने कमर तक पानी में जाकर के कार्य किया, जिससे मेरे यहां एक भी जनहानि नहीं हुई।

मान्यवर, बागेश्वर की सरयू से लेकर, काली गंगा और धौलीगंगा का पानी इकट्ठा होकर टनकपुर आता है और इस साल इस पानी ने सारे पुराने रिकार्ड तोड दिये है। सन् 1922 में बनबसा कैनाल में चार लाख बाईस हजार क्यूसैक पानी आया था। और इस साल 5 लाख 84 हजार क्यूसैक पानी आया था, इतना पानी पहुंचने के बाद भी उस क्षेत्र में कोई जनहानि नहीं हुई, इसके लिये वहां के पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी समेत सभी कर्मचारियों का कोटि–कोटि धन्यवाद करता हूँ। हम सब लोगों ने मिलकर लोगों को और जान–माल को बचाने का कार्य किया, प्रापर्टी को बचाने का कार्य किया। कुछ मित्र ऐसे भी थे जो हफ्ते–दस दिन बाद वहां आते थे और कहते थे कि पत्थर चोरी हो रहा है, डी0एफ0ओ0 आ गये, एस0डी0एम0 आ गये, हमने कहा कि भई शारदा का पत्थर, शारदा में ही लग रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, संक्षेप में अपनी बात को पूर्ण करें।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, लेकिन हमने लोगों की प्रापर्टी को बचाने का कार्य किया, सरकार ने कृषि भूमि का मुआवजा बढ़ाकर ` 5 हजार नाली करने का निर्णय लिया, उसके लिये मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहां पर यह भी कह देना चाहता हूँ कि जो शहरी क्षेत्र है, जहां पर जमीन की कीमत ` 20 से 30 लाख रुपया बीघा है, उनका कम्पनसेशन ` 5 हजार नाली के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। उसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, बाजार भाव से नहीं तो कम से कम सर्किल रेट से उनको मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। मान्यवर, सब्जेक्ट संक्षिप्त करने लायक है नहीं, लेकिन समय की बाध्यता है। एक निवेदन मैं अपनी सरकार से करना चाहता हूँ कि जहां–जहां भी नदियां पहाड़ से उतर कर मैदान में प्रवेश करती है, वहां पर अनिवार्य रूप से हर वर्ष खनन हो और यदि खनन में कोई परेशानी है तो जिस तरह से गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बना है, उसी की तर्ज पर सरकार अपने प्रदेश की नदियों के लिये उत्तराखण्ड बाढ़ विकास प्राधिकरण बनाये। हर साल नदियां मार्ग बदलती हैं, प्राधिकरण तय करेगा कि इस साल यहां पर काटना है, इसके लिये जिस प्रकार की भी मशीनें लगानी पड़े, लगाई जाय। क्योंकि इन नदियों के साथ बड़ी संख्या में मलवा पहाड़ से आता है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करता है, जिससे नदी अपने तट को छोड़ देती है, नदी का मार्ग बदल जाता है, तो जो नदी की पुरानी स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम है, उसे ओपन किया जाय, खाली छोड़ा जाय, ताकि हम बड़ी आपदाओं से बच सकें। इन सब की मानीटरिंग के लिये सरकार एक अलग से उत्तराखण्ड बाढ़ विकास प्राधिकरण बनायेगी, ऐसा मेरा मानना है।

मान्यवर, आपदा आये आज 3 महीने हो गये हैं, अभी तक बरसात का समय था, अब बरसात खत्म हो गई है और अब असली जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि यह समय पुनर्वास का है। माननीय निशंक जी यहां पर बैठे है, बड़े जीवट वाले लगते हैं, केदारनाथ पैदल पहुच गये, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ और जगह भी पहुँचे। मान्यवर, और आगे भी इन सब से निवेदन करता हूँ। आपने राह दिखानी है, आपने जहां हमारा ध्यान न जाये, ध्यान देना है और कहीं अगर छोटा छेद दिखता है तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस छेद को बंद भी करना है, उसे और बढ़ाना नहीं है। यह हमारी सब की जिम्मेदारी है। 02 सीट ज्यादा हो गयी तो आप भी इधर हो सकते थे। यह कोई खण्डित जनादेश नहीं था, बहुत किनारे–किनारे का जनादेश था। आपकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को विपक्ष भी समझेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, यह राष्ट्रीय आपदा है, इसमें सबको साथ देना चाहिए और जो उनके नैतिक और यथार्थवादी सुझाव हों, उनको सरकार को आत्मसात करना चाहिए। मान्यवर, एक पूर्णागिरी का बहुत बड़ा मेला मेरे क्षेत्र में लगता है और चार धाम यात्रा से कई गुना यात्री उसमें आते हैं, यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है और वो मेला जो टनकपुर से कन्ट्रोल होता है, उस मेले में वहां जो घाट शारदा नदी में बने हुए थे, जिनमें स्नान करने के बाद यात्री पूर्णागिरी के दर्शन को जाते थे, उन सारे घाटों का नामो–निशान मिट गया है। अभी होली पर वह मेला शुरू हो जायेगा, वैसे वर्ष भर यह मेला चलता है। मैंने पूर्व में शारदा नदी के किनारे उनौलीगोठ तक तटबंध बनाने की मांग की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आज इस पर तत्काल काम शुरू कराये जाने की आवश्यकता है और पूर्णागिरी मेला जब फुल स्ट्रीम पर होता है, उससे पहले–पहले ये घाट का काम पूरा हो जाय। ऐसा यह सरकार काम करेगी, यह मेरा मानना है।

ज्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं धन्यवाद दूँगा सरकार को, कभी भी हमने जो मांग करी आपदा के किसी भी क्षेत्र में सरकार ने कभी भी पैसे का रोना नहीं रोया, सरकार ने नियम–कानून का रोना नहीं रोया, हमने नियमों को बदला, नियमों को शिथिल किया, धन उपलब्ध कराया। जिलाधिकारियों को आदेश कर दिये गये कि ऊपर परमीशन के लिए फाईल मत भेजो, सारे जिलाधिकारियों को पैसा भेज दिया गया कि आपदा में आप खुद डिसाईड करके काम करें। इस मुस्तैदी के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं चाह रहा था कि बहस 1–2 दिन और भी बढ़ती तो अच्छा होता। कुछ लोग जो ठोस सुझाव देना चाह रहे थे, उनके सुझाव विस्तार से यहां पर आने चाहिए थे, क्योंकि कार्यवाही लिखी जा रही है, सब नोट किया जा रहा है। इन सुझावों से आगे नीतियाँ बनाने में सरकार को भी मदद मिलती। आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नियम–310 की सूचना स्वीकार करके आपने एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक निर्णय लिया, इसके लिए आने वाले वर्षों–वर्षों तक आपको याद किया जायेगा। मान्यवर, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं जिन सुझावों की उम्मीद कर रहा था, अब कार्यवाही में लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत बढ़िया–बढ़िया बातें निकल कर आएगी, हमारे विपक्ष के साथी भी अच्छे सुझाव देंगे पर उसमें मुझे अपेक्षित सुझाव नहीं लगे। एक और मौका देकर यदि अच्छी बातें निकलती हैं माननीय अध्यक्ष जी, कोई बुराई नहीं है, सदन बढ़ा दिया जाय। मगर इस राज्य के हित में, इस देश के हित

में उन सुझावों को यहां आना चाहिए, उन सुझावों पर मन्थन होना चाहिए, विचार होना चाहिए।

एक बार पुनः मैं उन हजारों–हजार लोगों को, उन करोड़ों–करोड़ लोगों को जिन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करी, लोगों को बचाने में सहायता करी, उन सब को पूरी कृतज्ञतापूर्वक, पूरे उत्तराखण्ड के लोगों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो इस आपदा में हताहत हुए, उनको दिल की असीम गहराईयों से पूरे सदन की तरफ से उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ और आपने इस 310 की सूचना पर संक्षिप्त में ही सही बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ।

*श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, नियम–310 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने की अनुज्ञा दी है, मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमन्, हमेशा दैवी आपदा उत्तराखण्ड में आती रही है और किसी न किसी रूप में कभी कम, कभी ज्यादा और हमेशा ही इन त्रासदियों का सामना उत्तराखण्ड जैसा प्रदेश करता रहा है। 2010 में भी पूरे प्रदेश में भारी आपदा आयी थी। मान्यवर, लेकिन वह आपदा ऐसी थी उससे अन्य क्षतियाँ तो हुईं, जन क्षति कम हुई। लेकिन श्रीमन्, जो इस समय प्रलय जैसी स्थिति पैदा हुई, उसने पूरे उत्तराखण्ड को तो झकझोर करके रखा ही, पूरे देश और दुनिया को भी कुछ सोचने को बाध्य किया। उस वीभत्स दृश्य को देखकर के लोगों की रूह भी कांपे। यह घटना 16 जून और 17 जून की है। 16 जून की रात्रि को पहली बार शाम को बहुत तेजी से केदारनाथ में पीछे से पानी आना शुरू हुआ, वहाँ शंकराचार्य आश्रम और दो तीन आश्रमों से लोग तेजी से बहने शुरू हुए तो सारे के सारे केदारनाथ के लोग मंदिर परिसर में इकट्ठे हो गये और सब लोग वहाँ भजन कीर्तन करते रहे।

मुझे लगता है कि 16 जून की शाम को 25 से 30 लोग उसी दिन बह करके निकले और पानी जिस तरीके से बढ़ता चला गया जो लोग वहाँ पर थे उनको समझने में समय नहीं लगा कि अब कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर जिस ढंग से 16 की रात्रि से शुरू हुआ और लगातार पानी बढ़ता गया और रात के 2.00 बजे तक लोग कीर्तन भजन करते रहे। कुछ लोग अपने घरों को चले गये, माइक लगाकर सभी लोगों को मंदिर परिसर में बुलाया गया, अधिकांश लोग वहाँ पहुँचे। ये जो 17 की सुबह सवा सात बजे के आस–पास केवल 10 मिनट का जो प्रलय था, उससे लोग हतप्रभ हैं जो वहाँ पर थे, किसी के हाथ पर बेटा है, किसी के हाथ पर अपने पति का हाथ है, अगल–बगल से होकर

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गुजर रहे हैं। कब कौन कहाँ चला गया यह पता ही नहीं चला। 8 से 10 मिनट तक यह प्रलय रहा और 11वें मिनट पर जो जिस स्थिति में था वह वैसी स्थिति मे दिखाई दिया। यह अजीब सा प्रलय था, ऐसा भी नहीं कि कोई बादल फटा हो, यह शोध करेंगे कि आखिर हुआ क्या होगा। उस 10 मिनट ने केदारनाथ से लेकर टोटल घाटी, रामबाडा से लेकर गौरीकुण्ड तक जो तबाही की है, वह इतिहास में किसी देश में पहले तरीके की नहीं होगा।

मान्यवर, 17 तारीख की शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी टेलीफोन पर बातचीत हुई, आपने भी कहा कि सूचना तो ऐसी मिल रही है, तब सरकार को भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया होगा। आशंकित सब लोग थे। 18 की सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय में एक बैठक की थी, उस बैठक में मैं भी वहाँ उपस्थित था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव महोदय को कुछ सुझाव भी दिये थे कि इस समय किस तरीके से पीछे के अनुभवों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन 18 तारीख को भी सरकार के पास यह सूचना नहीं थी कि यहाँ इतनी बडी तबाही हुई है। हमको भी 18 तारीख की सुबह तक इतनी तो शंका थी कि बहुत बडी तबाही हो गई है, लेकिन इतनी बडी होगी यह हम अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। मुझे लगता है कि 17 या 18 को कैबिनेट भी हुई होगी, उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं आ पाया। 18 तारीख को बैठक के बाद मैं दोपहर में निकला, तब देखा तो सोनप्रयाग से लेकर के, जब मैंने गौरीकुण्ड को देखा तो मेरी तो रूह कॉप गई थी। जिस गौरी कुण्ड में 15 हजार लोग रहते थे, बहुत बडी आबादी है गौरीकुण्ड में, गौरीकुण्ड आधा पूरा तबाह हो चुका था और सैकडों लोग गौरी गॉव में, ऊपर से कोई कपडा हिला रहा था। गौरीकुण्ड के ऊपर रामबाडा का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। जिसने कभी रामबाडा को देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा, उसको तो अनुमान ही नहीं होगा कि रामबाडा यहाँ रहा होगा।

मान्यवर, जिसने कभी पहले एक बार रामबाडा को देखा होगा तो वह आज सोच भी नहीं सकता है कि रामबाडा कहा पर है। वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। मान्यवर, केदारनाथ में एक तरफ मन्दाकिनी तथा दूसरी तरफ सरस्वती नदी बहती है तो हो सकता है कि सरस्वती नदी ने अपना तेज रूप ले लिया हो और उस तरफ के मकान बह गये हो या मन्दाकिनी ने तेज रूप ले लिया हो तो इस तरफ के मकान बहे हों, लेकिन वहां पर खराब स्थिति थी। मन्दाकिनी ने अपना रूप बदल दिया जिस तरीके से सरस्वती ऊपर से आयी, उससे स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गयी। उससे यह अनुमान लगाने में देरी नहीं हुई कि यहां पर हजारों लोगो की मौत हुई। मान्यवर, 18 तारीख को फाटा

मे सभी टेलीफोन की लाईनें ध्वस्त हो गयी थीं। वहां से देर रात हम लोग गुप्तकाशी पहुचे और वहां पर लोगो से चर्चा की तथा जवान लोगों को इकट्ठा किया और 19 तारीख के सुबह को हमने किसी से तेल मांगकर उस टेलीफोन के टावर को चलाया। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां टेलीफोन लगाया, फोन लग तो रहा था लेकिन सुबह की बात थी हो सकता है वह तैयार हो रहे हो तो उनका फोन नहीं उठा। फिर मैंने सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वहां फोन लगाकर देखूं तो उनके वहां सुबह फोन उठा और मैंने उनसे कहा कि यह फोन कब कट जाय यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन यहां पर त्रासदी बहुत ज्यादा हुई है, यह सरकार के हाथ की बात नहीं है, यदि वह सरकार कुछ करती भी है तो ? इसलिए यहां पर वायु सेना, एन०डी०आर०एफ० की सेना को आना चाहिए और यहां पर हेलीकॉप्टर की बहुत आवश्यकता है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें, मेरी बात तो उनसे नहीं हो पा रही है। लेकिन लगभग आधे घण्टे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई। मैंने बताया कि यहां पर हजारो लोगो की स्थिति बहुत खराब है और सुरक्षा के नाम की कोई चीज नहीं है तो इसको देखे ? वहां पर डाक्टर नही है और लोग ऊपर की पहाडियों तक पहुचे हुए है। इसलिए आप सेना की मदद लेकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने एवं उनकी जान बचाने का काम शुरू करें।

मैं आपका आभारी हूँ आपने कहा कि निशंक जी, आप देखते रहें आपको दिन तक रिजल्ट मिलने शुरू हो जायेंगे। मान्यवर, हम उसके बाद केदारनाथ की ओर चले गये। वहां पर हम लोग कई घण्टो तक रुके और वहां पर कई लोग घायल हुए थे। मै आभारी हूँ ऋषिकुल, शान्तिकुंज वालों का उन्होंने कुछ खाने के पैकेट का सामान वहां पर पहुचाया था और उन लोगो से बहुत देर तक चर्चा की उससे लोगो को थोडी सी राहत मिली। वहां पर जो प्राईवेट हेलीकॉप्टर थे वह कुछ खाने के पैकेट लाये थे तो उसमें भी बहुत छिनाझपटी हो रही थी। क्योंकि वहां पर सुरक्षा की कुछ भी सुविधा नहीं थी और हेलीकॉप्टर वाले भी कहने लगे कि अब हम लोग यहां पर नहीं आ पायेंगे। फिर हम लोगों ने एक टीम बनायी जिसमे श्री सुरेश जोशी, श्री बलराज पासी जी थे तो हमने वहां पर सबसे पहले यह काम किया कि जो बुजुर्ग लोग है उनको वहां से निकालने की प्राथमिकता दी जाय। तब सभी लोग वहां पर लाईन बनाकर खड़े हुए। मान्यवर, जब आपदा आती है तो उसको रोका नही जा सकता है। लेकिन मैं माननीय खर्कवाल जी की बात से सहमत हूँ उन्होंने कहा कि यहां पर आलोचना नहीं समालोचना होनी चाहिए और आगे का काम भी तय होना चाहिए। लेकिन हम जब पीछे की बातों को भी ध्यान दें तो आगे का रास्ता तय होता है। जिलाधिकारी महोदय 17 तारीख को वहां से चले गये थे। मान्यवर, 22 तारीख की शाम को 5 दिन के बाद वहां जिलाधिकारी पहुँचा।

*कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, आप गलत तथ्य दे रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 18 तारीख की शाम को माननीय शैला रानी जी, डी0एम0, रूद्रप्रयाग ढौंडियाल जी और एस0पी0 हम चारों लोग केदारनाथ गये और 18 तारीख को उनकी तबियत खराब हो गई और 19 तारीख को गुलाबराय से उनको देहरादून भेजा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर आये थे और 20 तारीख की सुबह डी0एम0 की पोस्टिंग हो गई थी।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यदि मैं गलत हूँ तो मैं करेक्ट कर लूँगा, लेकिन मेरी पुख्ता जानकारी है कि 22 तारीख की शाम को जिलाधिकारी ने वहाँ पर ज्वाइनिंग दी। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सूचना को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, यह सरकार की ओर से जानकारी है और आप कहते हैं कि 20 तारीख को जिलाधिकारी ने वहाँ ज्वाइन कर लिया था।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 20 तारीख की सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय यशपाल जी और मैं माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर के दिल्ली से वहाँ आये थे तो श्री पाण्डे जी को वहाँ जिलाधिकारी के रूप में भेजा था और फिर दिन में जावलकर जी ने खुद इच्छा जाहिर की वहाँ पर सेवा देने के लिए, तो फिर तय हुआ और उसी दिन उनकी तैनाती करने के आदेश हो गये थे भले ही उन्होंने ज्वाइन 21 तारीख को किया, लेकिन 20 तारीख को जिलाधिकारी के रूप में पाण्डे जी ने ज्वाइन किया तो जिला खाली नहीं रहा।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन जानकारी दे देंगे तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष–

इसकी सही जानकारी हासिल कर ली जायेगी।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि 22 तारीख की शाम तक उस जिले में जिलाधिकारी नहीं था, यदि यह मान भी लिया जाए कि 20 तारीख को ज्वाइन किया तो मैं यह सोचता हूँ कि जहाँ इतनी बड़ी त्रासदी आ गई थी तो उस समय भी मेरा सुझाव

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

था कि प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी लेवल के 3–4 अधिकारी की वहां पर पोस्टिंग होनी चाहिए थी। श्रीमन्, सरकार हमने भी चलाई है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री कोई जादू की छड़ी नहीं होता है, लेकिन जब ईमानदारी से काम होते हैं तो सब लोग मिलकर के काम करते हैं। यह किस स्तर पर चूक हुई है कि इतनी बड़ी त्रासदी में दसियों हजार लोग अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे है। हमने सुझाव दिया था कि 2–3 कैबिनेट मंत्री, यदि उस 30 किलोमीटर के ऊपर वहाँ पर रामबाड़ा और सीतापुर में एक कैम्प बनाया जाता, इधर फाटा में तीसरा कैम्प होता और गुप्तकाशी में तीसरा कैम्प होता। यह बात सही है कि वहाँ लोगों में बहुत आक्रोश था, क्योंकि फाटा में मुझसे पहले जब श्री भरत सिंह जी उतरे तो उनके साथ और मेरे साथ भी अभद्रता हुई और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आये पहले आप ऊपर से लोगों को लेकर आये, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों के आक्रोश को झेलते हुये वहाँ पर कैम्प होना चाहिए था। कैम्प में 1–2 मंत्री रेग्यूलर होने चाहिए थे और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी होते तो शायद यह जो 3–4 दिन का गैप हुआ, फिर सेना आ गई तो उनको भी कहाँ काम करना है, तो वहाँ लोकल लोगों का भी सहयोग नहीं लिया गया।

मान्यवर, जो दूसरी सबसे बड़ी चूक हुई है कि जो लोग ऊपर लोगों की जान बचाने के लिए तैयार थे, वे सड़कों पर हो–हल्ला मचा रहे थे यदि इन्हीं लोगों को संयोजित कर कहा जाता कि जो लोग जंगलचट्टी, गरुड़चट्टी आदि जगहों पर लोगों की जान बचाने के लिए जा सकते हैं तो जायं। इन लोगों को रास्तों की भी जानकारी थी, इनकी मदद से बहुत हद तक सहयोग लिया जा सकता था और बहुत सारे लोगों की जान बचायी जा सकती थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। मान्यवर, नियोजन के क्षेत्र में भी चूक हुई है। क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का वहां उपस्थित न होना और किसी भी कैबिनेट मंत्री का मौके पर उपलब्ध न होना और मौके पर रात–दिन कैंप न करना भी यह दर्शाता है। मान्यवर, सुनियोजित नियोजन न होने के कारण भी स्थिति बिगड़ी है। मान्यवर, जो सबसे खराब संदेश बाहर गया, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि टीवी में समाचार आ रहा था ''उत्तराखण्ड के लुटेरे''। इस सम्बन्ध में मुझे भी किसी ने फोन किया तो मैंने उस टी०वी० चैनल के मालिक से कहा कि हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया इस पंक्ति को बंद करें, ऐसा कुछ नहीं है।

मान्यवर, मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है गुप्तकाशी में एक पाण्डे ढाबा है, उसने कहा मेरे दो मकान हैं, वह सुबह से शाम तक हजारों लोगों को खाना खिला–खिलाकर परेशान हो रखा था, वह दिन भर लोगों की मदद कर रहा था। मान्यवर, वहां पर लोगों ने सारे के सारे अपने मकान खाली करके यात्रियों को रहने की सुविधा

दी और यही तक नहीं, स्थानीय लोगों द्वारा इनको खाना भी खिलाया गया। वहां पर लोगों ने अपना सारा का सारा अनाज यात्रियों को खिलाने में समाप्त कर दिया। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने संकट के समय मदद की, वहा के लोगों ने मानवता की एक मिशाल कायम की है। मान्यवर, गुजरात के 10–12 आदमी थे, उन्होंने मेरा हाथ पकडकर एक होटल में चलने को कहा तो इस पर मैं डर गया पता नहीं उस आदमी ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया होगा, लेकिन जब मैं उनके साथ गया तो उन्होंने कहा इस आदमी ने हमारी बहुत मदद की है, इन्होंने हम से किराया भी नही लिया और खाना भी मुफ्त मे खिलाया है। यहां पर खाना समाप्त हो रहा है तो गांव से मंगा रहा है, ये हमारे लिए देवता हैं। इस तरह के उदाहरण भी उस पाटी में देखे गये। मान्यवर, शुरू के दो–चार दिन मे चूक हो गयी है तो कोई बडी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई, जोकि बहुत ही निन्दनीय स्थिति है।

मान्यवर, चाहे बद्रीनाथ का क्षेत्र रहा हो, पिण्डर का क्षेत्र हो, श्रीनगर का क्षेत्र रहा हो, चाहे पैठानी का क्षेत्र रहा हो, चाहे टनकपुर का क्षेत्र रहा हो, चाहे धारचूला–मुनस्यारी का क्षेत्र रहा हो, चाहे उत्तरकाशी के मनेरी का क्षेत्र रहा हो, सभी आपदा से प्रभावित रहे है। मान्यवर, मैं आलोचना की दृष्टि से नही बोल रहा हूँ। हम प्रदेश हित में क्या कर सकते हैं, यह सरकार को हमें बताना चाहिए। हम सहर्ष मदद को तैयार है। हम पूरी ताकत के साथ खडे होते, चूंकि यहा पर विषय किसी सरकार से सम्बन्धित नही था, विषय किसी पार्टी का नहीं था, विषय पूरे उत्तराखण्ड का था। मान्यवर, पूरे देश के लगभग 24 प्रदेशो के लोग यहा पर हताहत हुए हैं, यही नहीं विश्व के लगभग 10 देशो के लोग तो यहां पर रहे ही होगे। मान्यवर, अकेले नेपाल से बहुत लोग यहां पर आये हुए थे। पूरे विश्व की नजरें उत्तराखण्ड सरकार पर थी। मान्यवर, केदार घाटी में हजारो की संख्या में लोग हताहत हुए है। जो लोग टापुओं पर चले गये थे, उनको बचाने की चुनौती सरकार के पास थी। जो लोग गरुडचट्टी, जंगलचट्टी की चोटियों पर चढ गये है और चारों तरफ से रास्ते बंद हो गये, जो लोग रामबाडा के जंगलो में फंस गये थे, उनको बचाने की सबसे बडी चुनौती प्रदेश सरकार के ऊपर थी, जिसमें यह सरकार बिल्कुल भी सफल नहीं हुई है।

मान्यवर, मुझे इस बात की खुशी हुई जब एक समाचार चैनल पर किसी पत्रकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि जो लोग अपने परिवार के लोगों को ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने चप्पा–चप्पा छान लिया है। अब वहां पर कोई शव नहीं है, जो शव होंगे वे दबे होंगे, यदि कोई जिन्दा मिल जाय तो, इससे बडी खुशी कोई नहीं होगी, यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी

ने टी०वी० चैनल से कहा था। लेकिन मान्यवर, कुछ दिन बाद लोग जब पैदल रास्ते से चलने लगे तो रास्तों में शवों के ढेर थे, ये वे लोग थे श्रीमन्, 16–17 तारीख को जो लोग जान बचाकर चले गये थे, वे लोग डेढ़ से दो महीने तक मौत से संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते–करते उनकी जान चली गयी। ऐसे तमाम लोग, इनमें चाहे 185 लोग रहे हों। (व्यवधान) यदि ऐसा नहीं था, तो सुनिश्चित करा देते, पता चल जाता कि कितने दिनों बाद मरे हुए लोग हैं। यदि सत्यता थी तो यह करना चाहिए था। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत बड़ी संख्या में थे और अभी भी मेरा यह दावा है कि अगर जंगलों में चला जाय तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों ने भटक–भटक कर, भूख और प्यास से तड़प–तड़प कर अपनी जानों को गंवाया, उनको देखा जा सकता है, निकाला जा सकता है। एक तो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

*श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, बहुत गलत बात है, एक महीने तक कोई जिन्दा नहीं रह सकता।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप शांत रहिए, बीच में मत बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं यह नहीं कह रहा कि एक महीने के बाद ही मरे होंगे, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठण्ड के कारण, भूख और प्यास के कारण लोग मरे हैं। यदि आपका कहना यह है कि एक महीने तक जिन्दा नहीं रह सकते, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा तो कहना यह है कि जो 16 और 17 तारीख को नहीं मरे, उसके बाद मरे हैं। इतना ही नहीं डोईवाला के बगल में एक कुकरेती परिवार है, वे अध्यापक हैं। कुकरेती परिवार का एक बेटा और बेटी वहाँ थे, देखते ही देखते सैलाब आया, बेटी उधर पहुँच गयी और बेटे को भी पत्थर लगा। किसी तरह से उन दोनों को बचा कर ये लोग लाए। तीन दिन तक बेटा तड़पता रहा, श्रीमन्, कोई ऐसा नेटवर्क होता, तीसरे दिन नीचे सोनप्रयाग में आकर, बेटे ने उनकी गोद में दम तोड़ा, श्रीमन्, ऐसे एक नहीं जाने कितने लोग रहे होंगे। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेषकर अनुरोध है कि पूरे देश के कोने–कोने से यह बात आ रही है, जिसमें उसी कुकरेती परिवार का एक उदाहरण है, उनकी बेटी जिन्दा है, टी०वी० में जो विज्ञापन चल रहा है, उसमें उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उसकी क्लिप को निकालकर हम लोगों ने मिलाया, उनकी बेटी आज भी जिन्दा है लेकिन वह कहाँ है, मालूम नहीं। जिन लोगों को उधर से हेलीकॉप्टर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से जाते हुए देखा गया, वे आज भी अपने घरों में नहीं पहुँचे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह बहुत बड़ी चुनौती है, जिन लोगों को उधर से बचाया गया, वे अभी तक अपने घर नही पहुँचे है। यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है।

श्रीमन्, उन हेलीकॉप्टरों से जितने लोग आए, उनकी सूची तो एक बार जारी होनी चाहिए। ताकि पता चल सके कि ये-ये लोग यहाँ-यहाँ से आए हैं। चाहे वे सेना के हेलीकॉप्टर से आए, चाहे प्राईवेट हेलीकॉप्टर से आए, उनकी निश्चित रूप से एक सूची होनी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि चाहे स्थानीय आधार पर, उत्तरकाशी के मनेरी मे दसियों हजार लोगों को, जहाँ पर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया, जिस दिन मैं गया, उस दिन भी कोई मंत्री वहाँ नहीं पहुँचा था, कोई आला अधिकारी वहाँ नहीं था। लेकिन मनेरी का जो भादव सेवा आश्रम, प्रेम बुडकोटी और अनिल जी जैसे लोगों ने सप्ताहों-सप्ताह तक दसियों हजार लोगों की सेवा की। श्रीमन्, चाहे वह विद्या भारती हो, आर0एस0एस0 हो, पतंजलि वाले हों, शांतिकुंज वाले हों, साध्वी ऋतम्भरा जी हों, दिव्य प्रेम सेवा मिशन वाले हों, बहुत सारे लोगों ने, जिन-जिन लोगों ने भी काम किया, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

श्रीमन्, मेरे दो-तीन विषय हैं, मैं यह कहता हूँ कि 3 महीने का समय हो गया, ठीक है, स्वाभाविक भी है, प्रदेश सरकार के पास अपने सीमित संसाधन है। हमने यह अनुरोध किया था कि जब तक यह सारा काम होता, वह पूरा क्षेत्र सेना को दिया जाना चाहिए था। यदि आज हमको पता है कि केदारनाथ मे इतने हजार लोग दबे हैं, यदि हमको पता है कि रामबाड़ा में दबे है, यदि हमको पता है कि गौरीकुण्ड मे दबे हैं, कोई आदमी नदी में बहता है तो यहाँ से लेकर गंगा सागर तक हम गोताखोरों से कहकर किसी भी तरह से उसका शव बरामद करने की कोशिश करते। यदि यह पता है कि यहाँ हजारों लोग दफन हुए है, जिसकी सूचना, हालांकि वह सूचना रोज बदलती है, जिसकी सूचना गवर्नमेंट के पास है। चाहे तीन हजार ही हो, लेकिन क्या कोशिश की गई, उनको निकालने के लिये क्या कवायद की गई ? यह कवायद की गई कि जो कम्पनी पहले ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, उस कम्पनी को वहां का काम दिया गया। अभी मैं केदारनाथ गया था, तो देखा कि उस कम्पनी के 30-35 लोग लगे हुये थे। यह गवर्नमेंट की नीति है और अधिनियम है कि यदि किसी कम्पनी को काम दिया जाय तो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होनी जरूरी है। लेकिन यहां पर ब्लैक लिस्टेड कम्पनी को ठेका दिया जा रहा है, लाशें निकालने का काम युद्ध स्तर पर होना चाहिये था, इसका ठेका नहीं होना चाहिये था। अभी केदारनाथ जी में पंडों को वहा जाने से रोका गया था, वे लोग मेरे साथ वहा पर गये थे, एक पंडे ने कहा कि यह मेरा घर है और इसमें तीन लोग दबे हुये हैं। यदि वह

लोग वहां पर जायेंगे तो कम से कम उनका दाह–संस्कार तो कर पायेंगे, मकान खड़े हैं, लेकिन लोग यहां–वहां दबे हुये हैं।

अभी जब वह लोग यहां आये थे तो मैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था और उन्होंने उनको आश्वस्त भी किया था कि जो भी मदद सम्भव होगी, वह की जायेगी, लेकिन उन राज पुरोहितों को वहां जाने से ही रोका गया। यदि वहां की सफाई करनी थी तो उनके मालिकों को, जिनकी वह सम्पत्ति है, वहां जाने देना चाहिये था। हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ, उनके मन में एक योजना है कि वहां पर सफाई होनी चाहिये, इस पर हम आपके साथ हैं। लेकिन जो वहां के पुरोहित हैं, उनको तो भरोसे में लेना पड़ेगा, क्योंकि वह धर्मशाला या कुटिया उनकी सम्पदा है। यह तो हो नहीं सकता कि मेरी सम्पदा वहां पर खड़ी है, लेकिन आप मुझे वहां तक जाने ही न दें। मैं तो उस दिन खुश था, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तीन–तीन, चार–चार करके लोगों को वहां ले जाया जायेगा और उसके सामने ही उसके मकान को साफ किया जायेगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा तो है, उन्होंने निर्देश भी दे दिये, लेकिन चूक कहां हो गई कि वह काम नहीं हो पाया। मेरे पास हजारों सी0डी0 और चित्र है, जिसमें दिख रहा है कि मृतक दबे हैं, सन्दूकों के ताले टूटे हैं, मकानों के ताले टूटे हैं, यह लूट और डकैती वहां पर हुई है।

यदि आपने वहां जाना प्रतिबंधित कर दिया था तो यह कैसे हुआ ? आप अधिसूचित कर देते, कोई पत्ता भी पर नहीं मार सकता था, अगर वहां पुलिस कर्मियों को लगा देते। यदि आपने पुलिस लगाई तो उन जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त ही नहीं, उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिये। हम लोगों ने देखा कि तमाम लोग रो रहे हैं, इन सब की सी0डी0 और फोटोज हमारे पास है, यदि सदन चाहे तो हम उसे यह दिखाने को तैयार हैं कि किस तरह की छीना–झपटी हुई है, दरवाजों के ताले तोड़े है, एक दरवाजा बन्द है तो दूसरे दरवाजे को तोड़कर चोरी की है, पुरोहितों की पोथियां बिखरी हुई है। इसके अलावा दूसरा जो दर्दनाक विषय है, वह यह है कि वहां पर सरकार ने हर घर को श्मशान बनाकर रख दिया है। केदारनाथ जी से 10 कदम की दूरी पर मैंने पूछा यहां क्या हुआ था तो बताया गया कि यहां पर लोगों को जलाया गया, थोड़ी दूरी पर फिर पूछा तो बताया गया कि यहां पर लोगों को फूंका गया है, मकानों से गद्दे और दरवाजे निकालकर दाह संस्कार किया गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से सारी बातें रख दी है, लेकिन 10 से 15 स्थानों पर लोगों को फूंका गया, केदारनाथ जी के परिसर में। कदाचित ऐसा तो नहीं होना चाहिये था, ऐसे में कम से कम एक स्थान को श्मशान के रूप में चिन्हित कर वहां पर दाह संस्कार किया जाना चाहिये था। मेरा निवेदन है कि जिन भी अधिकारियों ने ऐसा कार्य किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी ही चाहिये, आखिर हर घर को श्मशान तो नहीं बनाया जा सकता है।

श्रीमन्, दूसरा विषय मेरा यह है कि पूजा की इतनी जल्दी क्या थी, पूजा के हम विरोधी नहीं हैं, होनी चाहिये, लेकिन मुझे लगता है कि जब इतनी ही पूजा होनी थी कि परिसर ही मात्र साफ किया जाना था, बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष महोदय भी यहां पर बैठे है गोदियाल साहब। जब हम लोग बैठे थे तो वहां के कर्मचारियो ने कहा कि हॉं साहब ये हमने साफ किया है, यदि केवल उतनी ही सफाई होनी थी और सरकारी पूजा ही होनी थी तो श्रीमन्, यह तो एक सप्ताह के बाद भी हो सकती थी। चारो तरफ शवो के ढेर पड़े हुए हों, बिखरे हुए हो तो इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी। मैं तो यह समझता था कि 03 महीने तक सब कुछ साफ हो गया होगा और इस उत्साह से मैं गया कि ठीक है ये पुरोहितों को रोका गया, मेरे मन मे आक्रोश सिर्फ इतना था। बाकी तो सरकार का काम है, पुरोहितो का काम है, उन्होंने कौन सा समय और तिथि तय किया होगा, यह हमारा काम नहीं है, लेकिन रावत जी टी0वी0 चैनल पर बोल रहे थे, मुझसे भी बोल रहे थे कि यह गलत समय है। हमारे तमाम साथियो ने भी कहा, वहां के पुरोहित कह रहे है कि हमको मालूम नहीं। तो मालूम किसको होगा। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि उस आधार पर इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी। 06 महीने तो वैसे भी पूजा होती है और ऊखीमठ में तो वैसे भी केदारनाथ जी की पूजा होती है।

यदि तीन महीने के अंदर उस सब काम को नहीं कर सकने की स्थिति थी, रास्ता क्यो नहीं बना सकते थे श्रीमन्, मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार को भी हमारी मदद करनी चाहिए। हम दो–दो विदेशी सीमाओं से घिरे हैं। राज्य सरकार के अपने सीमित संसाधन हैं। माननीय राष्ट्रपति जी से भी हमने अनुरोध किया था कि यहां पर सैकड़ो पुल बहे हैं, सामानो को वहां तक पहुँचाने की चुनौती है, भारत सरकार को हमें मदद करनी चाहिए थी श्रीमन्, दो–दो विदेशी सीमाएं हमसे लगी हुई है, चीन हमारे सिर पर बैठा हुआ है और हम ऐसे क्षेत्र को लावारिस तो नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरी समझ मे नहीं आ पाया कि यदि यही सरकारी पूजा होनी थी तो वो तो एक सप्ताह या 15 दिन के बाद भी शुरू हो जाती।

नम्बर–2, वहां के पुरोहितों पर प्रतिबंध किस बात का, रास्ता पैदल चलने का तो हो ही सकता था। हॉं, मैं जब वहां पहुँचा तो दो विरोधाभाषी बयान जरूर आये। हमारे मित्र हरक सिंह जी से जब टी0वी0 पर कहॉ कि यदि रास्ता नहीं था तो फिर निशंक जी कैसे पहुँच गये तो उन्होंने कहा कि रास्ता था इसीलिए तो पहुँचे। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। बात तो सही है, मै उड़कर थोड़े ही न गया था। नम्बर–2, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अधिकारियो से पूछा कि क्यों प्रतिबंध लगाया, अधिकारियो ने कहा कि जान–माल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को खतरा है। मुझे भी रोका गया फाटा में। 300–400 पुलिसकर्मियों ने कहा कि जान को खतरा है, नहीं जा सकते, हम आपको छूट नहीं दे सकते है पैदल जाने के लिए। मैं आभारी हूं कि आपने कहा कि आप हेलीकॉप्टर से चले जाईये, और लोग भी चले जाएं। आपकी चिंता यह थी कि रास्ता बिल्कुल नहीं है और आपने कहा भी कि रास्ता बिल्कुल नहीं है और इसलिए वहां जाया नहीं जा सकता। अब यह बहुत विरोधाभाषी बात है। यदि मंत्री जी कह रहे हैं कि रास्ता है तो फिर यह प्रतिबंध क्यों लगा, तब तो सबको ही जाना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रास्ता नहीं है। तो यह तो तय कर लें कि क्या सही था और क्या गलत।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, रास्ता था, लेकिन अच्छा नहीं था। आप गये, बहुत अच्छा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि वे आपको राज्य स्थापना दिवस पर सम्मानित करेंगे।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसके लिए भी मुझे धन्यवाद देना है। ये भी मैंने टी0वी0 पर देखा था और मैं बहुत गदगद था कि मुख्यमंत्री जी का इतना उदार हृदय है। मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी मुझे यह सुझाव दे देते कि निशंक जी उधर भी आप आइंये, तो निशंक जी पैदल भी आते और इसमें मुझे किसी के बहुत ज्यादा सुझाव की जरूरत नहीं थी। मौसम खराब होता तो मुझे तो पैदल आना ही था। वहीं रहने के लिए थोड़े न गये थे हम। मेरे मन में यह विचार आया कि आखिर प्रतिबंध क्यों, उन पुरोहितों को भी साथ ले जाते। पीढ़ियों से उनके मकान हैं श्रीमन्, सदियों से। एक सदस्य ने कहा कि वहां दो–तीन मंजिले मकान बने है। केदारनाथ पीढ़ियों से, सदियों से बसा है श्रीमन्, ये बाद में तय करेंगे कि किसने गलत किया या सही किया, लेकिन वर्तमान में जो हमारे सामने परिस्थितियों है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे मेरे को सम्मानित करने वाले हैं और मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस पूरे सदन के माध्यम से कि मैं उनका आभार प्रकट कर रहा हूं। हॉ मैंने इतना जरूर कहा कि पहला सम्मान होना चाहिए वहां जो सेना के जवान थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियॉ दी, आन्दोलनकारी हैं मान्यवर, जो स्वयं सेवी संस्थायें है, यह पहला अधिकार सम्मान का उनका होता है। फिर भी मेरे प्रति आपकी इतनी विशालता है तो मैंने छोटी सी बात कही थी, आप और हम जिस दिन पैदल उसी मार्ग से केदारनाथ पहुँचेंगे, उस दिन मैं अपना बड़ा सम्मान समझूँगा। यह मैंने आपसे अनुरोध किया है।

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, आपकी सी शक्ति मेरे पास नहीं है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि सदन के माध्यम से मैं नेता सदन से यह अनुरोध करता हूँ कि तात्कालिक और दीर्घकालिक दो प्रकार की योजनायें बननी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे सुझाव आये। हमने हिमनद प्राधिकरण बनाया, आपने उसको बिना सोचे समझे रिजक्ट कर दिया, कम से कम निशंक जी से पूछ तो लेते कि हिमनद प्राधिकरण क्या चीज है ? मान्यवर, ये नीतिगत विषय है, हम आपके साथ चलने को तैयार है, हिमालय की अलग नीति होनी चाहिए। जैसे समुद्र तटीय सुरक्षा बल है वैसे ही हिमालय सुरक्षा बल यदि होता, जिसके लिए मैंने बार–बार प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, जिससे आज हमारे सैकड़ो लोग बच सकते थे। ऐसे ही रडार हमको मिलने चाहिए थे, जिसकी माँग थी। कम से कम वह चार घण्टे पहले इस बात का अनुमान लगा देता है, वह इतनी क्षमता का रडार होता, कम से कम हम चार घण्टे में अपने लोगों को बचा तो सकते थे। उस समय का चाहे स्वच्छ गंगा बोर्ड है, ऐसी दस–बीस चीजें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको याद करेंगे कि आगे किस ढंग का प्लान होना चाहिए वह हमारे मनोमस्तिष्क में होगा, हम आपको मदद करने को तैयार हैं। लेकिन जो समय पर खाद्यान्न नहीं पहुँचा, आज भी बहुत सारे सदस्यो ने कहा, स्वाभाविक है कि सदस्य सरकार चला रहे हैं, तो यहाँ कम से कम खराब तो नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य राजेन्द्र भण्डारी जी चले गये हैं उन्होंने तो आपको हिन्ट दे दिया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मान्यवर, सबकी यह पीडा है चाहे इधर के विधायक हों चाहे उधर के विधायक हों। श्रीमती शैला जी इतने गुस्से में थीं, जो भी प्रतिनिधि होगा उसको लगता है कि सब एक साथ होना चाहिए, जब क्षेत्र में प्रतिनिधि जूझता है तो उसे महसूस होता है कि कितनी कठिनाईयाँ होती हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया 05 मिनट में, संक्षेप में करें।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे सदन में प्रमाणो के साथ खाद्यान्न के पैकेटों में हुआ बहुत बडा घोटाला भी यहाँ रखा। मैं आज समाचार पत्र देख रहा था कि कही न कही आपने इस पर कार्यवाही कर दी होगी। मान्यवर, जो प्रमाणो के साथ रखा यहाँ पर और जिसकी सी०डी० तक दिखाई। एक तो इन लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? मान्यवर, जो पाँच सात विषय हैं उन पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। श्वेत पत्र जारी करने में क्या दिक्कत है, करे न श्वेत पत्र जारी सरकार, इतने मिनट में ये हुआ और इतने मिनट में ये हुआ। एक सुझाव मेरा और है,

इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, पूरे राज्य के लिए चुनौती है। हजारों लोग वहाँ दबे हुए है, हमने कुछ दिन के लिए डी०एम० को राहत आयुक्त बना दिया उसके बाद वह वापस आ गये। एक नया नौजवान जो अभी आई०ए०एस० प्रशिक्षु है, उसको हमने राहत आयुक्त बना दिया। इससे ज्यादा क्रूर मजाक और क्या हो सकता है।

मेरा सुझाव है कि ये अधिकारी केवल घूमते न रहें, डोलते न रहें, लम्बी लम्बी बात न करते रहे। वहाँ पर किसी जिम्मेदार अधिकारी को लगाईये और रात दिन खप करके काम कराईये। हमसे क्या मदद हो सकती है आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते है, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे सारे विधायक चट्टान की तरह प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए साथ में खड़े हैं। आप बताइये हमको क्या करना है, लेकिन पहल तो आपको करनी है। आप श्वेत पत्र जारी करें, उसमें बहुत सारी चीजे है, वह लोगों की समझ में आ जाता। उदाहरण के लिए नरेन्द्र मोदी आये उन्होंने तो निवेदन ही किया था कि हम क्या मदद कर सकते हैं, जैसे सफाई करने का जिम्मा है, उस दिन यदि आप हाँ कर देते, जो तीन महीने से वहाँ त्रासदी फैली हुई है तब आप यही तो कहते कि नरेन्द्र मोदी जी ने जिम्मा लिया था, सफाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आये, जिन लोगों ने मदद करने की बात की थी उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था, इसमें क्या दिक्कत थी। मैं यह कहना चाहता हूँ मान्यवर, वहां पर जितने भी पुरोहित है उनके हक–हकूकों को दरकिनार कर उनको बाहर नहीं कर सकते है और वहां पर जितने शव है उनको कितने समय में निकाल लिया जायेगा, यह काम शीघ्र होना चाहिए।

मान्यवर, सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि वहां पर अब बर्फ पड़नी शुरू हो जायेगी। वहां पर अभी भी हजारों लोग टैन्टों में रह रहे हैं, उन लोगों को तो बचायें जो बच सकते है। इसके लिए आपकी सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी होगी और हम उस दिशा में क्या कार्य कर सकते हैं वह बतायें, उस कार्य में हम जरूर सहयोग करेंगे। मान्यवर, हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि जो कम्पनी वहां पर काम कर रही है यदि आपकी सरकार को उस कम्पनी से बहुत ज्यादा मोह है तो वह भी इस सदन के सामने आना चाहिए। यह कम्पनी प्रतिस्पर्द्धा में कहां पर खड़ी है उसके बारे में भी बताना चाहिए और वहां पर क्या काम कर सकती है वह भी बताना चाहिए। मान्यवर, वहां पर इतने दिनों तक इस कम्पनी ने एक भी कॉटेज नहीं बनाये हैं इसको मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। जो कम्पनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है उस कम्पनी को वहां पर काम नहीं दिया जाना चाहिए। अभी तक वहां पर गांव के रास्ते तो बन जाने चाहिए थे, लेकिन वह काम भी नहीं हुआ है, जब वहां पर रास्ता बनेगा तब वे लोग अपना राशन ले जा पायेंगे।

मैं वहां पर एक परिवार मे गया तो उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं था। वहां एक बुजुर्ग महिला मिली, मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो तो उसने कहा कि मैंने एक दूसरे लडके से सामान लाने के लिए कहा है वह एक दिन तो ले आया अब खत्म हो गया अब कोई दूसरा लडका नहीं मिल रहा है। आज भी तीन महीने के बाद भी वहां के लोगो के ऊपर चुनौती बनी है। वहां के बच्चे पढ–लिख नहीं पा रहे है क्योंकि उनका सब कुछ पानी में बह गया है, उनके पास न तो सार्टिफिकेट हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस सम्बन्ध मे एक अलग से ग्रुप बना दें। वहां पर जो लोग अब बच गये हैं उनको यह सरकार सजोने का काम तो करे। इसलिए मैंने एक सुझाव दिया था कि देहरादून में उन लोगो के लिए तत्काल एक हास्टिल होना चाहिए। जिन लोगो के परिवार वहां पर ध्वस्त हो गये हैं उन लोगो के बच्चों को यह एक सहारा होना चाहिए। अभी भी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वहां कार्य कर रही बंगाल इंजीनियर्स को यहां पर बुलायें और वहां के लोगों को फिर एक बार बसायें। वहां पर अभी भी बहुत जल्दी काम होना चाहिए। मान्यवर, मै हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र में गया था तो वहां पर दर्जनों गांव तबाह हो गये हैं, उन लोगों की खेती खत्म हो गयी है। जो गन्ना किसान हैं उनको भी मदद करने की जरूरत है और मै शक्तिफार्म तथा नानकमत्ता में भी गया था तो वहां की भी हालत बहुत खराब है। टनकपुर मे तो नदी के किनारे जितनी भी बस्तियां बसी हैं वह भी तबाह हो गयी है। वहां पर नेशनल हाईवे तबाह हो गये है। इसलिए मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इस बारे मे श्वेत पत्र हर हाल में जारी होना चाहिए। जिससे हर व्यक्ति कौन कहां पर था और क्या काम कर रहा था उसकी जानकारी हो जायेगी, चाहे उसमें जनप्रतिनिधि क्यो न हो। मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पर चर्चा कराने का एक बहुत बडा ऐतिहासिक निर्णय लिया और आपकी पीठ से यह निर्देश हुए, यह निर्देश आगे भी एक मिसाल बनेगी। इस चर्चा से हमारी जनता का विश्वास इस सदन मे बढेगा। मैं चर्चा के समय यह देख रहा था कि चर्चा किस दिशा में जा रही है। मैं यहां पर आंकडे पर चर्चा नहीं करूँगा। इस सम्बन्ध में हमारे माननीय आपदा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो वह आकडे देंगे। यहां पर हमारे साथियों ने सदन मे अपने विचार रखे उनका भी सम्मान करता हूँ और उनके विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमने आपदाओं का सामना किया है जैसे शर्माजी ने भूकम्प। मान्यवर, उत्तरकाशी मे वरुणावत के समय में भी वर्ष 2010 और वर्ष 2012 में भी और इस आपदा मे रास्तों की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा

कट गई, इसलिए निश्चित रूप से इस सदन को स्वीकार करना चाहिए कि बचाव और राहत का कार्य बहुत कठिन है और रिकन्स्ट्रक्शन के समय में भी हमारे सामने कठिनाई रहेगी। अभी माननीय निशंक जी ने कहा कि 8–10 मिनट तक वहाँ पानी की दीवार आ गई थी। ऐसे ही सुनामी में भी हुआ था। तो इसलिए इसे हिमालय सुनामी भी कह सकते है। निश्चित कहा जा सकता है कि किसी को भी इसकी कल्पना नहीं थी कि ऐसा होगा। केदारनाथ घाटी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और हमारे प्रदेश में हमेशा इसके लिए बात होती है, केदारघाटी में होने वाली आपदा ट्री लाईन के एबव पैदा हुई। ये वो हिस्सा था जिस हिस्से में कोई ह्यूमन इन्टरफेरेन्स, किसी योजना का निर्माण नहीं हुआ तो ऐसी जगह पर यदि ऐसी आपदा हो सकती है तो निश्चित रूप से हमें प्रदेश के बारे में दीर्घ चिन्तन करना पड़ेगा।

मान्यवर, हम कभी–कभी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे मे चर्चा करते है, मैंने खराटी की जल विद्युत परियोजना देखी और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से उस खराटी की जल विद्युत की परियोजना की वजह से खराटी का नुकसान लगातार हुआ, पर और जो बड़ी जल विद्युत परियोजनायें हैं उनसे इस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। मान्यवर, इस आपदा से जितनी घाटी में प्रभाव पड़ा उसमें सिर्फ केदार घाटी ही नई थी, इसके अलावा न यमुना घाटी नई थी, न गंगा की उत्तरकाशी के हिस्से की घाटी नई थी, न रुद्रप्रयाग की घाटी नई थी, न मुन्स्यारी की घाटी नई थी, बाकी सारी की सारी घाटी जो कई वर्षों से लगातार प्रभावित हो रही थीं, क्योंकि उसमें बचाव कार्य ठीक से नहीं किये जा सके जिस कारण वहाँ बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग इसका उदाहरण हमें दिखाई देता है। मान्यवर, दो अनुभव और भी हैं जिसमें से एक अनुभव यह है कि समय के बीतने के साथ–साथ हम प्रभावितों को भूल जाते है, भूकम्प के प्रभावितों को भी हम भूल गये, जब लेह में आपदा आई तो वहाँ के प्रभावितो को भी हम समय के साथ भूल गये और दूसरा अनुभव यह है कि जहाँ जन–हानि ज्यादा हो जाती है वहाँ हमारा ध्यान बहुत ज्यादा चला जाता है और जहाँ नुकसान ज्यादा होता है वहाँ पर हमारा ध्यान कम जाता है।

ये अनुभव भी हमें आपदा के समय पर दिखाई देते हैं। मैदानी क्षेत्र की पीड़ा को भी हमें समझना पड़ेगा। केवल पछवादून के हिस्से की 20 हजार बीघा भूमि नदी के कटाव में बह गयी और इस जमीन की कीमत ` 10 लाख प्रति बीघा है, तो इस तरह की चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हम जो भी कार्यक्रम आगे के बनाते हैं उसमें सभी क्षेत्रों को शामिल करना पड़ेगा। मान्यवर, गोविन्द पशु विहार के क्षेत्र के लिए मैंने अपने समय में भी जिक्र किया था और हमने गोविन्द पशु विहार को छोड़ने का प्रस्ताव भी किया था, पर उस पर आगे कार्यवाही नहीं हो सकी और वह क्षेत्र कितना प्रभावित

होता है, इसको मैं महसूस करता हूँ। मान्यवर, जहाँ तक रेस्क्यू की बात है तो इस पर काफी चर्चा हुई, तो इस पर महसूस होता है कि जितनी तेजी से रिस्पांस करना चाहिए था वह समय ज्यादा था, इस पर विचार होना चाहिए कि ऐसी गलती हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत क्यों हुई।

मान्यवर, रिलीफ के लिए माननीय निशंक जी ने कहा कि इसके दो फेज होने चाहिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसके दो फेज नहीं इसके कई फेज होने चाहिए थे। रिलीफ फण्ड फेज एक में सरकार ने अच्छा काम किया, जिस प्रकार से इतनी उदारतापूर्वक हमने कम्पनसेशन को पहुँचाया निश्चित रूप से वह सराहनीय कार्य हुआ, रिलीफ के फेज दो में हमें सबसे पहले लोगों की रहने की व्यवस्था जाड़ा आने से पहले करनी है, यह बहुत बड़ी चुनौती है और इसका तीसरा फेज में हमें नदियों के मलबे को निश्चित रूप से समय सीमा के अन्दर साफ करना पड़ेगा। चूंकि नदियों के अंदर ये बढ़ता हुआ मलबा ही आगे बहुत दिक्कत करता है। मान्यवर, जहां तक मैं जानता हूँ पर्यावरण एक्ट का कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो फोरेस्ट की 200–300 साल पुरानी परिपाटी रिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम को समाप्त करता हो। रिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोग्राम है। मान्यवर, हमें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जब हम रिवर को खनन से जोड़ देते हैं तो हम रिवर ट्रेनिंग के प्रोग्राम को भी नहीं कर पाते हैं और खनन की अनुमति लेने में हम अपने इलाकों का नुकसान करते जा रहे हैं। यह नुकसान उत्तरकाशी में असी गंगा में स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। यदि हम रिवर ट्रेनिंग के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लें। और सर्वाईवली का प्रश्न भी है। मान्यवर, जो लोग तीर्थ यात्रा से अपनी साल भर की कमाई करते थे, वे किस तरह से सर्वाईव करेंगे इस बारे में भी हमें चिंतन करने की जरूरत है। मान्यवर, हमारा जो लांग टर्म प्रोग्राम है वह प्रोग्राम कितना सक्सेफुल होगा इस पर ध्यान देना होगा।

हम इस राज्य की अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ा करें यह हमें देखना होगा, यदि हम चाहते तो एक नयी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने प्रदेश को मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं। इस सरकार ने कितनी उदारता पूर्वक हर क्षेत्र में आर्थिक सहायता दी है। मान्यवर, हम सभी माननीय सदस्यों को यह भी सोचना होगा कि कुछ स्थानों पर इतने बड़े निर्माण कैसे हो गये, जबकि आज से 10–15 साल पहले उन स्थानों पर कुछ भी नहीं था। यदि हमने समय रहते हुए इस तरह के निर्माण को तीर्थस्थलों पर नहीं रोका तो आगे भी हमें ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मान्यवर, किस तरह से नदियों के किनारे बड़े–बड़े भवन बन गये, किस तरह से नदियों की दिशा मोड़ी गयी, यह भी सोचनीय है। हम अपने देहरादून की नदियों के बहाव को

ही बंद करते जा रहे है, जोकि चिन्ता का विषय है। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय सुरक्षा का है। सेना का ही एक प्रमुख अंग हमारी इन सड़कों के रख-रखाव से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, डी0जी0बी0आर0 और बी0आर0ओ0 भी सेना के ही प्रमुख अंग है। यहां पर प्रश्न उठता है कि वर्ष 1961-62 मे चाईना और भारत की लड़ाइं हुयी थी और आज हम वर्ष 2013 में है और आज भी वह व्यवस्था नहीं बन पायी है जो बननी चाहिए थी। यदि आज भी हमें अपनी सेना को दूरस्थ नीलांग घाटी या अन्य घाटी मे पहुंचाना हो तो हम नही पहुंचा सकते हैं, चूंकि हमारे पास आज भी सड़क नहीं है।

मान्यवर, श्रेय लेने की होड़ से कार्य नही चलेगा और न ही आरोप-प्रत्यारोप से कार्य चलेगा। यदि आर्मी, एयरफोर्स और एन0डी0आर0एफ0 ने आपदा के समय कार्य किया है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारे अधिकारियों ने भी कार्य किया है, चाहे वह छोटे अधिकारी हों या बड़े अधिकारी, इन्होंने भी विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया है। इनके कार्यों की भी हमे निश्चित रूप से सराहना करनी चाहिए। मान्यवर, उन लोगो की चुनौती भी हमारे सामने है जो हर आपदा के अन्दर अपना व्यापार ढूंढते है और भ्रष्टाचार को रोकने की चुनौती भी हमारे सामने है, चारों धामों में अवैध निर्माण को रोकने की चुनौती भी सामने है। मान्यवर, एक और चुनौती भी सामने है, जिसका जिक्र माननीय अजय भट्ट जी ने भी किया था। यह चुनौती ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र विकास नगर की एक महिला पूजा है, उसका 12 साल का लड़का, रामबाड़ा से आगे निकला और वह आज भी गायब है, इसका मतलब इस बच्चे को कोई जानबूझ कर अपने साथ ले गया है। ऐसे और भी कई उदाहरण होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मान्यवर, मैं अखबार में किसी के बयान को पढ़कर हतप्रभ रह गया था कि मेरे लोग उत्तराखण्ड की आपदा मे हुई विधवाओं के साथ शादी करने को तैयार है, यह भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करता है हमें इनसे सावधान रहना होगा। सरकार को निश्चित रूप से ऐसे लोगों को खोजने में पहल करनी चाहिए जिनकी एफ0आई0आर0 दर्ज है, चाहे यह संख्या कम हो या अधिक हो।

मान्यवर, विनाश के बाद विकास का अवसर भी मिलता है। मान्यवर, जो केन्द्र से सहायता मिली है, इसमें मै एक व्यक्ति का नाम का निश्चित रूप से यहा पर कहना चाहूगा। मान्यवर, हमारी अपनी पाटी के वाईस प्रेसीडेंट राहुल गॉधी जी यहॉ आए और हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ताओ से भी दूर उस इलाके में 3-4 दिन रहे। जो मदद हमें आज मिल रही है, वह उन्होने की है। निश्चित रूप से मैं उनके यहॉ आने और जिस तरह से वे सड़क मार्ग से सब जगह घूमे, उसके लिए उनकी प्रशंसा भी करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। (व्यवधान) उम्मीद नहीं कर सकते आपको इतनी मदद मिली। (व्यवधान) कुंभ में कितनी धनराशि उपलब्ध हुई, ` 400-500 या 600 करोड़ ? कुंभ के

निर्माण और अर्द्धकुम्भ के निर्माण का तुलनात्मक अध्ययन क्यों नहीं किया जाना चाहिए ? जब हमें निर्माण का अवसर मिलता है, आज हमें निर्माण का अवसर मिला है, तो हमें अपनी इन पुरानी चीजों से सबक लेना चाहिए।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आपने कुछ चर्चा की, कुम्भ और अर्द्धकुम्भ की, जरा इसको स्पष्ट कर दें तो आभारी रहूँगा।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूँ। आप पूरी–पूरी योजनाओं को उठा लीजिए जो अर्द्धकुम्भ में बनीं, उसमें देखिए कि कितना निर्माण हुआ और उस निर्माण में कितना स्थाई निर्माण था और फिर कुम्भ का उठाईये और उसमें तुलना कीजिए कि कितना स्थाई निर्माण हुआ।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को चुनौती देकर कहना चाहता हूँ कि इतिहास में पहली बार हुआ, जब स्थाई रूप में 80 प्रतिशत काम हुआ और अस्थाई रूप में केवल 20 प्रतिशत काम हुआ। (व्यवधान) सुबोध जी, जांच की जहाँ तक बात है, इन्होंने दूसरी चर्चा शुरू कर दी और मैं चुप हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आपने जांच की धमकी दी और आपके सदस्यों ने दो कदम आगे जाकर कह दिया कि अभी देखिए, हमने यह आयोग बैठा रखा है, जैसे आयोग को निर्देश दे रहे हों, अफसोस होता है मुझे। टेलीविजन में दे रहे हैं, हमने आयोग गठित कर दिया, जल्दी करो, जल्दी करो। अपने घरों में बैठकर टिप्पणी बना कर कह रहे हैं। (व्यवधान) पहली बार हिन्दुस्तान के अन्दर यह हुआ है। (व्यवधान)

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, हमें अधिकार है, सरकार की ओर से बोलने का। (व्यवधान) हम सदन के सदस्य हैं, हमें अधिकार है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन के अन्दर और सदन के बाहर गवर्नमेंट हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश न करे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि विषय के अन्तर्गत आएं और बीच में टोका–टाकी न करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नामप्रभात–

मान्यवर, मैंने इस विषय का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हमें निर्माण का मौका मिला है, कुम्भ के समय में भी और अर्द्धकुम्भ के समय में भी। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन की बात मैंने कही। मैंने यह तो नहीं कहा कि हमारे समय में अच्छा काम हुआ था या आपके समय में अच्छा काम हुआ था। जब तुलनात्मक अध्ययन होगा तो अपने–आप पता चल जाएगा।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं विनम्रता से इस भरे सदन के सामने अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर आज ही एक आदेश जारी कर दें कि अर्द्धकुम्भ में कितने प्रतिशत स्थाई काम हुए और कुम्भ में कितने प्रतिशत। मैं आपका आभारी रहूँगा, इसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट इस सदन में भी आनी चाहिए।

श्री नामप्रभात–

मान्यवर, हमें यह भी एक चीज विचार करनी चाहिए, लगातार होने वाले इस नुकसान का होना जारी है। वह 2010 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ और वह आज भी हुआ। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का स्टेट हाई–वे नम्बर–1, दिल्ली–यमुनोत्री स्टेट हाई–वे, यह हमारा दुर्भाग्य था कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा नेशनल हाई–वे नहीं बना। अभी मैं आपदा राहत मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करूँगा कि कल जो प्रश्न संख्या–21 उपस्थित हुआ, उसमें सरकार ने कहा कि यह भारी वाहनों के लिए खोल दिया गया है। जरा किसी अधिकारी को वहाँ भेज तो दीजिए, अगर 14 किमी0 में उसकी जीप भी चली जाए तो बात है। यह 2009 से नष्ट होना शुरू हुआ। पिछले सवा साल में दो बार इसके स्टीमेट हम भी भेज चुके हैं और अधिकारी कह देते हैं कि यह मार्ग भारी वाहनों के लिये खोल दिया गया है, जब कि मार्ग नहीं खुला हुआ है। यह केवल इसलिये महत्वपूर्ण नहीं है कि यह मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थित है, बल्कि पूरे यमुना घाटी क्षेत्र का, जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून का क्षेत्र सम्मिलित है, उसकी सारी कृषि उपज, सेब और आलू यहीं से जाता है। मैंने अपने क्षेत्र की 20 हजार बीघा जमीन के नष्ट होने का जिक्र किया है, मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ और मौके–बेमौके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को कहता रहा हूँ कि जो भी प्लानिंग का कार्य हो, उसमें पॉलिटिकल इनपुट को जरूर जोड़ा जाय। आपने बहुत अच्छा निर्णय किया कि हर विधान सभा के ऊपर एक कमेटी बनाई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक और सांसद और सरकारी अधिकारी सदस्य हैं। अगर वह कमेटी ठीक से काम करे ....। (व्यवधान)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, यह कमेटी कहां पर है, हमें तो इसकी कोई सूचना नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह अभी जवाब में आ जायेगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें और माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं समाप्ति की ही ओर हूँ, मान्यवर, इस राज्य की जनता को सन्तुष्ट करना, देश की जनता का विश्वास जीतना, यह विषय आज सरकार के ही सामने नहीं है, बल्कि इस सदन के सामने भी है, जिससे इस विषय को चर्चा के लिये स्वीकार किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यह विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इस चर्चा की परिणिति इस राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप हो, उनको संतुष्ट करने वाली हो और देश की जनता का विश्वास जीतने वाली हो, तभी इस चर्चा का सार्थक पक्ष सामने आयेगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आपने कहा था कि कल मौका दिया जायेगा, चर्चा का उत्तर कल भी आ सकता है।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, हमको भी अपनी बात रखनी है, हमने सूची में भी नाम दिया है।

(कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपदा का जो मसला है, उसकी गम्भीरता इसी से परिलक्षित होती है कि आपने एक उच्च परम्परा कायम की और पहली बार इस सदन में नियम–310 स्वीकार किया है। देश के अन्य राज्यों में भी यह होता है, लेकिन हमारे राज्य के सदन में पहली

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बार इसका श्रेय आपको जाता है। दोनों तरफ के सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ कि बोलने से सरकार को कोई खतरा होने वाला नहीं है। हमने यह भी कह दिया है कि जो अनुपूरक अनुदान आप ला रहे हैं, हमने यह तय कर लिया है, हमारे सारे सीनियर लीडर्स यहां पर बैठे हैं, हमने तय कर लिया है कि हम एक रत्ती न तो कटौती लाने वाले हैं और न चूं करने वाले हैं। क्योंकि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश की अनुपूरक मांगो को हम पास करवायें। जब हम इतना कॉपरेट कर रहे है तो सारे लोग करें, चर्चा जारी रहे, उत्तर आज की बजाय कल दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दो बजे बुलाई है, हम दोनों सदस्य यहीं से कहते है कि तीन दिन और हाउस बढ़ा दीजिये। हाउस में ही निर्णय हो जाय। मान्यवर, इससे बड़ी सदाशयता हम प्रदेश के हित में क्या दिखा सकते हैं ? प्रदेश को आज जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सारे लोग बोल लेंगे, सब लोग बोलेंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे। मान्यवर, हमें कोई एतराज नहीं है। गवर्नमेंट को हम यहां तक कॉपरेट कर रहे हैं, जो चाहे, वो करें, पर सारे सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने बड़ी सदाशयता से नियम–310 स्वीकार किया, इसके महत्व को समझते हुए, यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। मेरा ख्याल है अब बिन्दु तो सभी आ चुके है, जो बचे थे, वो माननीय निशंक जी ने पूरे कर दिये एक–एक करके गिनाकर। मुझे कोई बिन्दु बचा हुआ नहीं लग रहा है, फिर भी भागीदारी होती है, जन प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में भी संदेश देना होता है और हो सकता है कि कुछ उनके क्षेत्र का बिन्दु छूट गया हो। तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आपदा मंत्री जी, कल भी इसका उत्तर दे सकते हैं। हमारा 04.00 बजे से विधायी कार्य प्रारम्भ होगा, उसे आप स्वीकृति देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने कह दिया है कि हम चूं नहीं करने वाले हैं इस बार, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम सिर्फ आपदा पर बोल रहे हैं।

*आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

मान्यवर, आपने कहा था कि हम नियम–310 में दूसरा कोई प्रश्न नहीं लायेंगे, चर्चा की मांग नहीं करेंगे और आज फिर आप नियम–310 की सूचना ले आये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ये तो हमारा नैतिक अधिकार है, वो तो हम कल भी लायेंगे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने कल ही कहा था कि यह अंतिम बार है, अगली बार से नियम–310 में सुनवाई नहीं होगी। कल ही यह निर्देश दिये थे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपदा–प्रबन्धन मंत्री जी यह चाहते हैं कि यहां प्रदेश में गोलियाँ चलती रहें और हम चुपचाप मूक–दर्शक बने बैठे रहें। गोलीकाण्ड की बात तो आयेगी ही, वो तो कल भी आयेगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री पुष्कर सिंह धामी जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 में बोलने का अवसर दिया, आपका मैं आभारी हूँ। लेकिन मुझे एक बात आपके समक्ष जरूर करनी है कि माननीय मुख्यमंत्री कृपया ध्यान दें। माननीय नेता सदन, हम कुछ बात कहना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि आप हमारी बात को सुनें। माननीय अध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं इस पूरी विधान सभा के 71 विधायकों में मैं अकेला एक ऐसा विधायक हूँ जिसके ऊपर गाढ़े नीले रंग की पगड़ी है और मैं इसे बड़ी करके बांध कर आता हूँ कि कभी अध्यक्ष जी की नजर मेरे ऊपर भी चली जाय तो मुझे भी बोलने का मौका मिले। मैं आभारी हूँ अध्यक्ष जी, आपका कि आपने अंत में समय दिया, लेकिन दे तो दिया। मैं चाहूँगा कि सबको थोड़ा–थोड़ा समय मिले। हमें सदन के सामने कुछ बातें रखनी हैं पर ये कहूँगा कि नेता सदन हमारे नेता हैं, हमारी बात को सुनने का समय दें। मैं अपनी बात को माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य अपने साथियों के साथ सम्बद्ध करते हुए रखना चाहता हूँ लेकिन जो बातें सदन में आ चुकी हैं, उनको बार–बार रिपीट किया जाय, यह भी अच्छी परम्परा नहीं है, समय खाती हैं ये बातें। मान्यवर, समय को बेकार करूँ, ऐसा मैं नहीं चाहता। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें जरूरी हैं जिनके ऊपर मैं बल देना चाहता हूँ।

कोई नहीं कहता कि आपदा आयेगी और इसमें सरकार दोषी है। या कोई सरकार चाहती हो कि आपदा आये, कोई नेता चाहता हो या कोई प्रदेश का वासी चाहता हो। आपदा आई इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपदा आने के बाद जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो आपदा के प्रभाव से प्रभावित व्यक्तियों को बचाने के लिए जो किया जाना चाहिए था, जो सरकार की जिम्मेदारी थी, क्या सरकार उसमें पूरी तरह खरी उतरी ? हम यह कहें कि हमने ये कुछ किया, सरकार कहे कि हमने ये कुछ किया, इससे ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ इस बात से होगा कि जो हमने नहीं किया उसको आने वाले समय में हम करें। और इस आपदा का जो प्रभाव हमारे प्रदेश के ऊपर बाकी है वह प्रभाव खत्म किया जा सके, और पूरे देश में एक ऐसा संदेश जाये, अगर किसी प्रदेश में परमात्मा न करे ऐसी दैवी आपदा आये, उत्तराखण्ड में आयी है तो, उत्तराखण्ड की सरकार यहाँ के निवासी इस बात में सक्षम हैं कि वह इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसा संदेश जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, दैवी आपदा आयी, बहुत आदमी दब गये और बहुत आदमी बह गये, बहुत मर गये।

अचानक जो कुछ हुआ उसमें तो शायद बहुत कुछ नहीं किया जा सकता इसमें दो राय नहीं। लेकिन समय मिलने पर जो कुछ किया जा सकता था उसमें जो कुछ कमी रही उसके प्रति हमारे सारे प्रतिपक्ष ने इस बात के ऊपर प्रकाश डाला है कि यहाँ पर कमियाँ रही हैं। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है अगर कहीं पर कोई आपदा आई है और वहाँ पर कोई मंत्री समय पर नहीं पहुँच पाया या मुख्यमंत्री जी नहीं पहुँच सके, पैदल नहीं पहुँच सके, हवाई जहाज से पहुँचे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल इस चीज का है कि उनके लिए जो दायित्व सरकार का है उनको पूरा करने के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाद्यान्न पहुँचाने के लिए जितना प्रयास किया वह भी ठीक किया, लेकिन जो कमियाँ रह गयी है उन कमियों की तरफ हमें चिन्तन करना है, वह क्यों रह गई ? अगर रह गई उसको स्वीकार करने में मैं नहीं समझता हूँ सरकार को इस बात के लिए अपना घूंघट निकालने की जरूरत पड़े। अगर इन कमियों का पता लग जायेगा तो हमारे प्रदेश की जनता क्या कहेगी, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि बचे कुछ काम किये जाने हैं। दैवी आपदा की पूर्ति के लिए जो काम करने हैं और जितनी जल्दी वह होने चाहिए, जल्दी किये जायें। विकास के कामों में तेजी लाई जाये। मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं मुख्यमंत्री जी पहुँचे या न पहुँचे लेकिन एरेंजमेंट किया गया। लेकिन जो नहीं हुआ समय से यही चिन्तन है हमारे सारे विपक्ष का।

अगर समय से हो जाता तो अच्छे रिजल्ट आते, ऐसा है कि, यह बात सही है बहुत सारे लोग जब वहाँ से पहाड़ से नीचे गिरे वह जान बचाने के लिए इधर-उधर गये। मीडिया में आ रहा है कि वहां कोई 15 दिन बाद, कोई 20 दिन बाद तक राहत की माग करते हुए मर गये और उन तक हमारी सहायता नहीं पहुंच पायी थी। अगर विपक्ष कहता

है कि सरकार के ऊपर कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। यह मुकदमा भगवान जी के दरगाह में चलेगा और जो लोग उस समय चीखते रहे और पुकारते रहे कि कहीं से कोई मदद आ जाय। यह बददुआ उनके ऊपर लगेगी जो वहां पर उनकी सहायता कर सकते थे या जिनको सहायता करनी चाहिए थी। हमारी आत्मा इस बात को कहेगी और सरकार की आत्मा इस बात को मानेगी कि इतना हम और कुछ कर सकते तो वे लोग बच जाते। यदि परिवार का एक आदमी भी मर जाय तो परिवार में दुख का माहौल हो जाता है। लेकिन वहां पर तो लोग यह कहते-कहते मर गये कि कोई हमें बचा लो, इसके लिए हमको बहुत दु:ख हुआ। मान्यवर, अगर आप कहे कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हुई तो आपकी आत्मा बतायेगी। अगर कोई कमी रही है तो सरकार इस पर चिन्तन करे। मान्यवर, सरकार को इस आपदा में पैसे की सहायता करने में किसी ने कमी नहीं की है और विदेशो से भी पैसा आया, कई संस्थाओं ने भी पैसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री के कोष में गरीब से गरीब लोगों ने इस आपदा में सहायता की है और केन्द्र सरकार ने भी इस आपदा में बहुत ज्यादा धनराशि की मदद की है। अब आप भी नहीं कह सकते है कि उत्तराखण्ड को दुबारा बनाने में पैसे की कमी हो और आप बार-बार कह भी चुके है कि दैवीय आपदा के कार्य हेतु अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, कृपया आप बुरा न माने। अब आपका काम है उस पैसे को सही तरीके से खर्च करना। उस पैसे पर प्रदेश व प्रदेश के बाहर बहुत लोगों की नजर है। लोग यह कह रहे हैं कि यह पैसा लगाया नहीं जायेगा बल्कि सरकार द्वारा खाया जायेगा। मैं यह संदेश दे रहा हूँ जो आज जनता के बीच में चल रहा है। इसमें मेरा यह सुझाव है कि इसमें एक कमेटी बनायें, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यगण हों और वह इस बात पर ध्यान रखेगी कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह किस तरीके से काम कर रहे है। क्या उस पैसे का कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है ? इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यगण मिल-जुलकर इस पर काम करेंगे और इससे सरकार पर भी कोई आरोप नहीं लगायेगा और जनता भी कुछ नहीं कह पायेगी। मान्यवर, अभी जो श्वेत-पत्र जारी करने की बात कही गयी है। इस बारे में मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार को इसको जारी करने में कोई परेशानी होगी। इससे यह अन्दाज लगाया जायेगा कि वहां पर कितने लोगों ने सहायता की, मान्यवर, कितने आदमी वहाँ पर थे, कितने आदमी वहाँ पर बह गये, कितने आदमी मर गये, कितने आदमियो को सरकार ने बचाया, किस तरीके से बचाया, कितना खाद्यान्न गया, तो ये सारे आंकडे जनता के सामने आ जायें और जब यह आंकडे जनता के सामने आयेंगे तो उस समय जनता का मुँह आपके प्रति बन्द हो जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखकर दिया कि इतना पैसा इनको दे दो पर वहाँ के जिलाधिकारी ने नहीं दिया, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप किसी को पैसे के लिए सूचित करें तो दस बार सोचिए, हमें एक लाख न दे हमें एक हजार दें पर आपके दस्तखत आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी आनी चाहिए कि ये साइन माननीय मुख्यमंत्री के हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री की चाहत है इसको पूरा करना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। किसी भी मद में आपके द्वारा पैसा स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद हम लोग फाईलें लेकर के आपके सचिवालय में भागते रहें यह बात अच्छी नहीं लगती, यह अवमानना हमारी नहीं, यह अवमानना मुख्यमंत्री पद की है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसके प्रति आप जरूर ध्यान दें। पैसे जितना भी स्वीकृत करें, यह आपने देखना है कि प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से खेल कर रहे हैं वह नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दैवीय आपदा से सैकड़ों परिवार, हजारों परिवार उजाड़ चुके है और आपने यह भी आश्वासन दिया है कि वहाँ पर सब को बसाया जायेगा, लेकिन हम इस बात के लिए आपको ध्यान दिलाना चाहते है कि यह जो दैवीय आपदा से प्रभावित पर्वतीय क्षेत्र है, यह चीन और नेपाल जैसे देशों के बार्डर का प्रहरी है। अगर आपने यह सोच लिया कि इनको वहाँ से उठा करके कहीं मैदानी क्षेत्र में नीचे उनको विस्थापित कर दिया जाए तो हमारा पर्वतीय क्षेत्र, हमारा प्रहरी क्षेत्र खाली हो जायेगा और चीन और नेपाल जैसे देशों से खतरे बढ़ जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको आस-पास के स्थानों पर जहाँ आप उचित समझें वहाँ पर ही उनको बसाया जाय, यह हमारे लिए ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चीमा जी, कृपया समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, माननीय नेता सदन मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि ऊपर नुकसान हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं माननीय आपदा मंत्री जी से कहूँगा कि आपके विधान सभा क्षेत्र बाजपुर में, काशीपुर विधान सभा क्षेत्र में आप जानते है कि सड़को की क्या हालत है। वहाँ पर बच्चे स्कूलों को नहीं जा पा रहे हैं, छोटे-छोटे रास्ते टूट चुके हैं और दैवीय आपदा मंत्री जी को मिलते हैं तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मैं वहाँ गुरुद्वारों में गया था और पाँच लाख दे दिये, लेकिन सड़को के लिए मेरी शिकायत है आपदा मंत्री जी, कि अगर आप अपने क्षेत्र को भी नहीं देख सकते हैं तो आप प्रदेश को क्या देखेंगे, यह हमारी आपत्ति है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों द्वारा कृषि हेतु लिए गये ऋण को माफ किये जाने विषयक

**1–श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री गाल चन्द–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को कृषि हेतु लिए गये ऋण को माफ करने हेतु सरकार विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (डॉ0 इन्दिरा हृदयेश)–

आपदा से प्रभावित ऐसे व्यक्तियों को जिनके द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंक से ऋण लिया गया है, के ऋणों की किश्तों को एक वर्ष के लिये स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है तथा जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया है, की ऋण की किश्तों के भुगतान को एक वर्ष के लिये स्थगित रखे जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 01–08–2013 के क्रम में इण्डियन बैंक एसोसिएशन द्वारा अपने पत्र संख्या–SB/GOVT./CIV/7518 दिनांक 02–08–2013 से सभी बैंकों को तद्नुसार निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के लगातार गिरते स्तर को उठाने हेतु प्रयास किये जाने विषयक

*1–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में शिक्षा के लगातार गिरते स्तर के कारण सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या लगातार कम हो रही है, और अधिकांशतः गरीब अभिभावक ही अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पठन–पाठन हेतु भेज रहे हैं, यहां तक कि सरकारी अध्यापक भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते हैं ?

क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बतायेंगे की सरकार शिक्षा के इस गिरते स्तर को उठाने हेतु कोई प्रयास करेगी ?

यदि हाँ, तो क्या और कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट – उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न तारांकित माने गये।

शिक्षा एवं पेयजल मंत्री (श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी)–

विगत वर्षों में सरकारी विद्यालयों की छात्र संख्या में कमी हुई है किन्तु इसका शिक्षा के स्तर, अभिभावकों की गरीबी एवं सरकारी अध्यापकों के अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सरकार अपेक्षित स्तर की शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर निर्धारित स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु शासनादेश संख्या–824/XXIV(1)/2013–824/2012 दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वहीं माध्यमिक स्तर पर अपेक्षित अधिगम स्तरों की पहचान एवं उपचारात्मक शिक्षण हेतु शासनादेश संख्या–526/XXIV–3/02(43)/2013 दिनांक 23 मार्च, 2013 द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के बैजनाथ में संग्रहालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में

*2–श्री ललित फरस्वाण–

क्या संस्कृति मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के बैजनाथ में कत्यूर राजवंश से सम्बन्धित मूर्तियां एक कमरे में बन्द है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि संग्रहालय न बनने से पर्यटन से होने वाले राजस्व का नुकसान हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बैजनाथ में संग्रहालय बनाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति, उद्यान, पर्यटन, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

जी हाँ। जनपद बागेश्वर के बैजनाथ मन्दिर समूह 'प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1958 (संशोधित 2010)' के अन्तर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि बैजनाथ मंदिर समूह की उक्त मूर्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से एकत्रित कर एक कक्ष में सुरक्षित रखा गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इन मूर्तियों/कलाकृतियों को संग्रहालय बनाकर रखे जाने की कार्ययोजना है तथा इस हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के पर्वतीय हिमालयी क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटी के संग्रहण व विपणन हेतु योजना बनाये जाने विषयक

*3—श्री ललित फरस्वाण—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय हिमालयी क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी—बूटी के संग्रहण व विपणन हेतु कोई योजना काश्तकारों के लिए बनाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के प्राकृतिक क्षेत्रों एवं वन पंचायतों से जड़ी—बूटियों का संग्रहण जनपदीय भेषज संघों, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम एवं वन पंचायतों के माध्यम से करवाया जाता है।

जड़ी—बूटियों के विपणन हेतु राज्य में तीन जड़ी—बूटी मण्डियां यथा, रामनगर, ऋषिकेश तथा टनकपुर स्थापित हैं जहां पर नीलामी प्रक्रिया के द्वारा जड़ी—बूटियों का विपणन किया जा रहा है।

जनपद बागेश्वर में चाय उत्पादन की संभावनाओं व लोगों को रोजगार प्रदान कर पलायन रोकने हेतु चाय बागान विस्तारीकरण की योजना विषयक

*4—श्री ललित फरस्वाण—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में चाय उत्पादन की सम्भावनाओं व लोगों को रोजगार प्रदान कर पलायन रोकने हेतु चाय बागान विस्तारीकरण की योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

बागेश्वर क्षेत्र में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय परियोजना के अन्तर्गत 211 हैक्टेयर स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 115 हैक्टेयर कुल 326 हैक्टेयर में प्लान्टेशन किया जा चुका है।

जनपद बागेश्वर के हरिनगरी क्षेत्र में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 38 हैक्टेयर एवं मनरेगा के अन्तर्गत 30 हैक्टेयर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013–14 में चाय प्लान्टेशन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

*5–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

प्रदेश में सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत संचालित किये जाने विषयक

*6–श्री गणप्रभात–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत संचालित करने का निर्णय लिया गया है ?

यदि हाँ, तो कौन–कौन से स्कूल पी०पी०पी० के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पी०पी०पी० पार्टनर के चयन के लिये क्या मानक तथा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

अद्यतन कोई नहीं।

पी०पी०पी० पार्टनर के चयन के लिये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं उत्तराखण्ड लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) नीति 2012 के प्राविधान लागू हैं।

सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान/गंगा बेसिक बोर्ड के अन्तर्गत गंगा नदी में निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा को पुनः दूषित होने से रोकने के सम्बन्ध में

*7–श्री मदन कौशिक–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि गंगा एक्शन प्लान/गंगा बेसिन बोर्ड के अन्तर्गत गंगा नदी में निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा में प्रदूषण कम हुआ है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा गंगा को पुनः दूषित होने से रोकने की दशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

गंगा को पुनः दूषित होने से रोकने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कार्यक्रम की कार्ययोजना के अन्तर्गत वर्ष 2010 तक प्रभावी परियोजनाऐं भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त कार्यान्वित की जानी है। अभी तक 16 नगरों एवं 6 बस्तियों सहित कुल 22 स्थानों हेतु प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

गंगा नदी के किनारे बसे कुल 10 नगरों/स्थानों के अन्तर्गत सीवरेज योजनाओं एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से सम्बन्धित कुल 15 परियोजनाओं (स्वीकृत लागत ` 155.61 करोड़) के कार्य स्वीकृत/निर्माणाधीन है। मुनि की रेती–ढालवाला की फीजिबिलिटी रिपोर्ट की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विरचन कार्य प्रारम्भ है।

हरिद्वार नगर में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करवाने के लिए आवश्यक उपायों हेतु सिटी सेनिटेशन प्लान बनाया जा चुका है तथा सीवरेज कार्यों का फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

चयनित स्थानों में सीवरेज प्रणाली एवं ट्रीटमेन्ट प्लान्ट सौलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, नदी तट विकास एवं औद्योगिक इकाईयों से हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण हेतु परियोजनाऐं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार

*8–श्री महावीर सिंह–

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड के अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। कतिपय विद्यालयों में ही शिक्षकों के पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही यथा प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रानीपुर के अन्तर्गत शिवालिक नगर के कलस्टर आर के स्थान पर नये नलकूप हेतु रि बोर कराये जाने विषयक

*9–श्री आदेश चौहान–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शिवालिक नगर के कलस्टर–आर में स्थित पेयजल नलकूप से पिछले कई महीनों से पानी आपूर्ति बन्द हो गई है जिस कारण क्षेत्र में पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर नये नलकूप हेतु रि–बोर कराने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शिवालिक नगर के कलस्टर–आर की योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान के अनुरक्षण में नहीं है। इस क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था गृह निर्माण समिति, बी0एच0ई0एल0, शिवालिक नगर, हरिद्वार के अनुरक्षण में है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त प्रस्तर–01 के अनुसार।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत लैंन्सडौन में ईको टूरिज्म के नाम पर पर्यटन विभाग द्वारा निर्मोणित हट्स पर लगी इमारती लकड़ी के परीक्षण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने विषयक

*10–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत लैंन्सडौन मे ईको टूरिज्म के नाम पर पर्यटन विभाग द्वारा हट्स का निर्माण कराया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन हट्स की निर्माण लागत क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन हट्स में लगाई जा रही इमारती लकड़ी कहां की है तथा क्या इस इमारती लकड़ी का परीक्षण कराया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार परीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

ईको लॉग हट्स (सिंगल बेडरूम)–5 न0 हेतु धनराशि ₹ 187.18 लाख तथा ईको लॉग हट्स (डबल बेडरूम)–4 न0 हेतु धनराशि ₹ 187.67 लाख।

प्रश्न नहीं उठता।

हट्स में लगायी जा रही इमारती लकडी फिनलैण्ड देश से आयात की गयी है। इस इमारती लकडी का परीक्षण भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बैंगलोर तथा वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून से कराया गया है।

परीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल में भैरवगढ़ी पेयजल पम्पिंग योजना के निर्माण विषयक

*11–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल में भैरवगढ़ी पेयजल पम्पिंग योजना कब तक बनकर तैयार होगी तथा इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना निर्माणाधीन है। पूर्व में लैन्सडाउन छावनी क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हुए प्राक्कलन गठित किया गया था, जिस पर वित्त व्यय समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि छावनी क्षेत्र लैन्सडाउन की जलापूर्ति हेतु छावनी परिषद द्वारा व्यय वहन किया जायेगा, शेष ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ही राज्य सरकार द्वारा व्यय वहन किया जायेगा। अतः छावनी परिषद को अलग करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया। प्राक्कलन परीक्षणाधीन है। पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति के पश्चात लगभग 03 वर्ष में योजना पूर्ण रूप से तैयार हो जायेगी।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 184 से 188 पर)

जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा कोटडा सन्तोर में पेयजल योजना हेतु नलकूप का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में

*12–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा कोटडा सन्तोर में पेयजल योजना हेतु नलकूप प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा कोटडा सन्तूर में पेयजल नलकूप निर्माण के लिए जिला योजना वर्ष 2013–14 में ` 15.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऋषिकेश में गंगा नदी में जा रहे सीवर का गंदा पानी के रोकथाम विषयक

*13–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि ऋषिकेश में सीवर का गंदा पानी गंगा नदी में जा रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके रोकथाम के क्या उपाय सरकार कर रही है और कब तक ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

ऋषिकेश में मुख्यतः दो स्रोत, सरस्वती नाला एवं साईं घाट के समीप वाली नाली से गन्दा पानी गंगा नदी में मिल रहा है। जिसके नियन्त्रण हेतु त्रिवेणी घाट सीवरेज योजना जिसकी कुल लागत ` 723.00 लाख स्वीकृत है। उक्त में से ` 219.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जिसके सापेक्ष 70 प्रतिशत भौतिक कार्य सहित ` 194.00 लाख व्यय किये जा चुके है। उक्त के अतिरिक्त ऋषिकेश सीवरेज योजना भी भारत सरकार के राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कार्यक्रम के अधीन क्लीन गंगा मिशन–2020 के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें क्षेत्र का वृहद सर्वेक्षण एवं नगरीय स्वच्छता कार्ययोजना/फिजीबिलिटी रिपोर्ट/विस्तृत प्राक्कलन विरचन कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार से स्वीकृति/धनावंटन के पश्चात कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत चौबट्टाखाल में पम्पिंग पेयजल योजना का कार्य पूर्ण किये जाने विषयक

*14–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत चौबट्टाखाल में पम्पिंग पेयजल योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक कार्य पूर्ण हो पायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जून, 2015 तक कार्य पूर्ण होना सम्भावित है।

जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत परोरी एकेश्वर पेयजल स्रोत सम्वर्धन योजना को पूर्ण किये जाने विषयक

*15–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत परोरी एकेश्वर पेयजल स्रोत सम्वर्धन योजना पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

क्या सत्य है कि लगभग 57 कि0मी0 प्रस्तावित योजना में से विगत 9 वर्षों में मात्र 23 कि0मी0 ही पाईप लाईन बिछाई गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भौतिक स्थिति की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रस्तावित योजना में वितरण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 के अन्तर्गत अनु0 लागत ₹ 2350.41 लाख का प्राक्कलन विरचित कर परीक्षणाधीन है। योजना स्वीकृति के पश्चात 02 वर्षों में योजना पूर्ण होने की सम्भावना है।

जी नहीं। मूल योजना में स्वीकृत 41 कि0मी0 ग्रैविटी/सम्भाइं मैन के सापेक्ष अब तक 28 कि0मी0 पाइप लाइन बिछायी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं दैवीय आपदा के कारण मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण सामग्री पहुंचाने में विलम्ब होने के कारण।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में

*16–श्री अरविन्द पाण्डे–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में गर्मियों के दिनों में पानी का स्रोत नीचे हो जाने की वजह से आम जनता को पेयजल की समस्या हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस समस्या के निदान हेतु कोई प्रबन्ध कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

गर्मियों के दिनों में स्रोत नीचे हो जाने की कोई समस्या वर्तमान तक चिन्हांकित नहीं हुई है।

जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत 15 वर्षावधि वाली पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन किये जाने विषयक

*17–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी पेयजल योजनाओं की अवधि 15 वर्ष से अधिक हो गई है एवं इनका विवरण क्या है ?

क्या सरकार इनके पुनर्गठन की योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 15 वर्ष से अधिक की आयु वाली कुल 404 पेयजल योजनायें है, जिनमें से 124 पेयजल योजनायें उत्तराखण्ड जल संस्थान के संरक्षणाधीन हैं। विवरण संलग्न है।†

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं० 189 से 199 पर)

जी हाँ।

सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट की परिधि में पुनर्गठन कार्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में गांवों को सामूहिक बागवानी हेतु प्रोत्साहित किये जाने विषयक

*18–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागवानी के लिए प्रदेश में क्या प्रस्ताव बनाये हैं तथा इस वर्ष कितने गांवों को बागवानी हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस योजना के लिए कितने गांव कुमायूँ मण्डल मे और कितने गाव गढ़वाल मण्डल में चिन्हित किये गये है ?

क्या सरकार जनपद पौड़ी गढ़वाल में सामूहिक बागवानी के लिए प्रोत्साहित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

राज्य में बागवानी के विकास के लिये जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर एवं केन्द्र पोषित बागवानी मिशन की योजनाएं संचालित हैं। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष 1921 गांवों में बागवानी के विकास हेतु धनराशि व्यय की जायेगी।

कुमायूँ मण्डल मे 658 तथा गढ़वाल मण्डल में 1263 गांवों को चिन्हित कर उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में सरयू नदी पर पेयजल लिफ्ट योजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

*19–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में सरयू नदी पर पेयजल लिफ्ट योजना के निर्माण की मांग जनता द्वारा लम्बे समय से की जा रही है ?

यदि हाँ, तो ग्रामीणों की पेयजल समस्या के निदान हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

लोहाघाट नगरीय क्षेत्र की पेयजल समस्या के निदान हेतु लोहाघाट नगर पुनर्गठन (पम्पिंग) पेयजल योजना का प्राक्कलन अनुमानित लागत ` 4395.88 लाख छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों का अवस्थापना विकास कार्यक्रम (यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी०) के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु परीक्षणाधीन है।

ग्रामीण बस्तियों के पेयजल समस्या के निदान हेतु 32 पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयी दैवीय आपदा से कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम के क्षतिग्रस्त गेस्ट हाउसों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने विषयक

*20–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आयी दैवीय आपदा से पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पत्तियों की कितनी आर्थिक एवं भौतिक हानि हुई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के कितने गेस्ट हाउस यात्रा मार्गों पर स्थित थे और कितने क्षतिग्रस्त हुए है ?

सरकार द्वारा कब तक इन गेस्ट हाउसों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्थायें कर ली जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

प्रदेश में आयी दैवीय आपदा के कारण कैलाश मानसरोवर/आदि कैलाश मार्ग/पिण्डारी काफनी/सुन्दरढुंगा ट्रैकिंग मार्ग अवरूद्ध हो जाने के कारण पर्यटकों के आवास आरक्षण निरस्त करने से लगभग ` 992.50 लाख का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। निगम से सम्बद्ध व्यवसायियों को लगभग ` 249.00 लाख के व्यवसाय की हानि हुई है।

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की ` 441.50 लाख की परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुयी हैं।

यात्रा मार्गों/ट्रैकिंग मार्गों पर स्थित 17 आवास गृह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं।

इसी प्रकार चारधाम यात्रा के पैकेज टूअर, पर्वतारोहण टूअर, आवासीय आरक्षण, खाद्य एवं पेय सुविधा के व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है जिस कारण गढ़वाल मण्डल विकास निगम को अत्यधिक आर्थिक हानि हुयी है। निगम को आपदा के कारण ` 37.16 करोड़ की व्यवसायिक हानि हुयी है। आपदा के कारण अग्रिम आरक्षण के विरुद्ध पर्यटकों को ` 2.00 करोड़ की धनराशि रिफण्ड की गयी है। आपदा से गढ़म०वि०नि० की ` 40.00 करोड़ की परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुयी हैं।

इस प्रकार दोनों निगमों को ` 4708.50 लाख की व्यवसायिक हानि तथा ` 4441.50 लाख की परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुयी हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में 09 कैम्प हैं जिसमें से 8 में 20 से 30 प्रतिशत तक आंशिक क्षति हुई है। मिलम ग्लेशियर मार्ग में 07 कैम्प हैं जिसमें से 04 कैम्पों में 10 से 20 प्रतिशत तक आंशिक क्षति हुई है। पिण्डारी कफनी एवं सुन्दरढुंगा मार्ग में स्थित 09 कैम्प है इन सभी कैम्पों में 10 से 20 प्रतिशत तक आंशिक क्षति हुयी है।

गढ़वाल मण्डल में पर्यटन विभाग के कुल 49 पर्यटक आवास गृह स्थित थे जिसमें से 07 पर्यटक आवास गृह रिवर राफटिंग कैम्प, कौड़ियाला, पर्यटक आवास गृह चन्द्रापुरी, स्यालसौड़, रामबाड़ा, केदारनाथ, बिरही एवं भटवाड़ी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं।

आंशिक क्षति से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रस्ताव आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन/पर्यटन मन्त्रालय भारत सरकार को विस्तृत डी०पी०आर० सहित प्रेषित किया जा रहा है। पूर्णतया क्षतिग्रस्त पर्यटक आवास गृहों के पुनर्निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता तथा वैकल्पिक आवासीय व्यवस्थायें तलाशी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के शेष नलकूपों पर जनरेटर उपलब्ध कराये जाने विषयक

1—श्री नवप्रभात—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में कितने पेयजल नलकूप हैं तथा इनमें से कितने नलकूपों पर जनरेटर की व्यवस्था है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शेष नलकूपों पर जनरेटर उपलब्ध कराने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में पेयजल विभाग के नियंत्रणाधीन 38 नलकूप संचालित हैं, जिनमें से 04 नलकूपों पर जनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध है।

अवशेष पेयजल नलकूपों को धन की उपलब्धता के मध्यनजर आवश्यकतानुसार जनरेटर उपलब्ध कराये जायेंगे।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के तहत संचालित विद्यालयों की स्थिति के सम्बन्ध में

2–श्री ललित फरस्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में संचालित विद्यालय वर्ष 2013 में बन्द कर दिये जायेंगे ?

यदि हाँ, तो इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान योजना पूर्ववत् संचालित है।

3–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

प्रथम मंगल के अता0 48 में स्थानान्तरित।

जनपद बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर क्षेत्र के अन्तर्गत निवासित लोगों की सुविधा हेतु कार्ययोजना या विस्थापन की नीति विषयक

4–श्री ललित फरस्वाण–

क्या संस्कृति मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर के 100 मीटर की परिधि में लोगों के आवासीय भवन निर्मित है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि लोगों को आवासीय भवनो के मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिये अनुमति लेने में असुविधा हो रही है तथा लोगों द्वारा विस्थापन की मांग की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मंदिर क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले लोगों की सुविधा के लिये कोई कार्ययोजना या विस्थापन की कोई नीति बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हॉं।

जी नहीं। बैजनाथ मंदिर समूह के समीप 100 मीटर तथा इससे परे 200 मीटर की परिधि में भवन मरम्मत/निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं तथा विस्थापन की मांग सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। लोगों को नियमानुसार आवासीय भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अनुमति दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत इण्टरमीडिएट की छात्राओं हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

5–श्री ललित फरस्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश मे संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत इण्टरमीडिएट की छात्राओं हेतु सरकार आगे कोई योजना बना रही है ?

यदि हॉं, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के शालात्याग की प्रवृत्ति को रोकने एवं प्रोत्साहन किए जाने हेतु उन्हें इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षा सुलभ कराये जाने के लिए, राज्य में संचालित 28 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का विस्तारीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार गत वित्तीय वर्ष में विशेष योजनागत सहायता अन्तर्गत 09 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के विस्तारीकरण हेतु ` 2226.35 लाख स्वीकृत किये गये हैं तथा केन्द्र पोषित बालिका छात्रावास योजनान्तर्गत 19 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के विस्तारीकरण हेतु प्रथम किश्त ` 1776.35 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रमसा के तहत विद्यार्थियों के गणवेश (यूनिफार्म) हेतु धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

6—श्री ललित फरस्वाण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रमसा के तहत विद्यार्थियों के गणवेश (यूनिफार्म) हेतु सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि पर्याप्त है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि दी जा रही धनराशि से 2 जोड़े गणवेश (यूनिफार्म) बना पाना सम्भव है ?

यदि नहीं, तो क्या इस धनराशि को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

रमसा के अन्तर्गत विद्यार्थियों को गणवेश (यूनिफार्म) दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रमसा के तहत अशासकीय विद्यालयों को धन अवमुक्त किये जाने विषयक

7—श्री ललित फरस्वाण—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि अशासकीय विद्यालयों को रमसा के तहत धन अवमुक्त नहीं किया जाता है ?

क्या अशासकीय विद्यालयों को रमसा के तहत धन अवमुक्त कराने के लिए कोई योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित है ?

यदि हाँ, तो कब तक योजना अस्तित्व में आयेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा अभी रमसा योजना के तहत मात्र शासकीय विद्यालयों को ही आच्छादित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद कम्पनी या ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण

8—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिको व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हॉ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों/कर्मचारियो को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या सरकार उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हॉ।

निम्नवत स्थानों पर मै0 जी0ए0 डिजीटल वैब वर्ल्ड प्रा0लि0, नं0–1, हारगोविंग एन्कलेव, विकास मार्ग, एक्सटेंशन नई दिल्ली के माध्यम से 01–01–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की सेवायें ली जा रही हैं,—

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	उपलब्ध कराये गये कर्मियों की संख्या	
		वर्ष 2012	वर्ष 2013
1.	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून	01	—
2.	क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, देहरादून	01	01
3.	क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, उत्तरकाशी	01	02
4.	जिला पर्यटन विकास कार्यालय, बागेश्वर	01	01
5.	जिला पर्यटन विकास कार्यालय, ऊधमसिंह नगर	01	01
6.	जिला पर्यटन विकास कार्यालय, टिहरी गढ़वाल	01	01
7.	जिला पर्यटन विकास कार्यालय, रूद्रप्रयाग	01	01
8.	जिला पर्यटन विकास कार्यालय, गोपेश्वर	01	01
9.	जिला पर्यटन विकास कार्यालय, चम्पावत	01	01
	योग	09	09

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद कम्पनी या ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण

9—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों कर्मचारियों को किन—किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या सरकार उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

वर्ष 2007 के पश्चात उपनल के माध्यम से 1368, हिल्ट्रान के माध्यम से 56, पी०आर०डी० के माध्यम से 14 तथा ट्रेस रोजगार संस्था के माध्यम से 171 कार्मिकों सहित कुल 1609 कर्मियों को आउटसोर्सिंग से कार्ययोजित किया गया है।

यह सभी कार्मिक राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला परियोजना कार्यालयों एवं राजकीय हाईस्कूलों व इण्टरमीडिएट कॉलेजों में उपनल, हिल्ट्रान, पी०आर०डी० तथा ट्रेस रोजगार संस्था के द्वारा लगाये गये हैं।

जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है.—

क्र० सं०	जनपद / कार्यालय	उपनल द्वारा	हिल्ट्रान द्वारा	पी०आर०डी० द्वारा	ट्रेस रोजगार संस्था
1	2	3	4	5	6
1.	राज्य परियोजना कार्यालय	06	06	14	0
2.	अल्मोड़ा	43	03	0	09
3.	बागेश्वर	62	03	0	06
4.	चम्पावत	68	02	0	06
5.	नैनीताल	108	04	0	08
6.	पिथौरागढ़	135	04	0	11

1	2	3	4	5	6
7.	ऊधमसिंह नगर	74	01	0	27
8.	देहरादून	147	02	0	22
9.	हरिद्वार	49	03	0	24
10.	टिहरी	185	18	0	16
11.	उत्तरकाशी	99	03	0	12
12.	चमोली	130	05	0	09
13.	पौड़ी	188	02	0	15
14.	रूद्रप्रयाग	74	0	0	06
	योग	1368	56	14	171

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर के केशवमाधवपुरम् तथा सरस्वती विहार के मिनी पेयजल नलकूप की अद्यतन स्थिति विषयक

10—श्री नवप्रभात—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम डाकपत्थर के केशवमाधवपुरम् तथा सरस्वती विहार के लिये मिनी पेयजल नलकूप (पाईप लाईन सहित) की योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गयी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

प्रस्तावित योजना हेतु प्राप्त प्राक्कलन स्वीकृति के प्रक्रियान्तर्गत गतिमान है।

जनपद देहरादून के विकासनगर नगर पालिका में सीवरेज सिस्टम के विस्तार योजना की अद्यतन स्थिति विषयक

11—श्री नवप्रभात—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकासनगर नगर पालिका में सीवरेज सिस्टम के विस्तार की कोई योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

प्राक्कलन विरचन हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

संस्कृति विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद कम्पनी या ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण

12—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिको व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिको कर्मचारियो को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या मंत्री जी उनका जिलेवार विवरण देंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को नहीं रखा जाता है।

संस्कृति विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से जाने वाले कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अनुदान दिये जाने विषयक

13—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड से प्रारम्भ होने वाली अत्यन्त महत्वपूर्ण व पौराणिक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य के यात्रियों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ?

यदि हाँ, तो राज्य निर्माण के उपरान्त क्या प्रत्येक वर्ष यात्रियो को अनुदान दिया गया है ?

यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से संचालित उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अनुदान दिया गया है।

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 88 कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अनुदान दिया गया है। (सूची संलग्न है)†

प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद कम्पनी या ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण

14–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिको व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों व कर्मचारियो को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया है ?

क्या सरकार उनका जिलेवार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2007 के बाद अब तक कुल 9078 श्रमिकों व कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग आधार पर भिन्न–भिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न कम्पनियों एवं ठेकेदारों के माध्यम से लगाया गया है।

जी हाँ, सूची संलग्न है।†

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद कम्पनी या ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों के रखे जाने का जिलेवार पूर्ण विवरण

15–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिको व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

---

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं० 200 से 204 पर)

† (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं० 205 से 208 पर)

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों/कर्मचारियों को किन-किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया है ?

क्या सरकार उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

निम्नलिखित तालिका के अनुसार श्रमिकों/कर्मचारियों को कम्पनी/ठेकेदारों के माध्यम से रखा गया है.–

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	कुल रखे गये कार्मिक	सेवा प्रदाता संस्था का नाम		
			उपनल	एजेन्सी	
1.	रेशम विभाग	2	02	–	–
2.	भेषज विकास इकाई	11	–	11	मै० गर्ग कान्ट्रैक्टर प्रा० कार्मिक एजेन्सी देहरादून
3.	राज्य औषधीय पादप बोर्ड	04	–	04	मै० गर्ग कान्ट्रैक्टर प्रा० कार्मिक एजेन्सी देहरादून
4.	सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई	22	–	22	गार्डेनेल सिक्योरिटी प्रा० लि० एजेन्सी देहरादून
5.	भाग विकास बोर्ड अल्मोड़ा	02	02	–	–
6.	जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान	03	03	–	–

जी हाँ।

ठेके पर रखे गये कार्मिकों का जनपदवार विवरण निम्नवत है.–

क्र०सं०	जनपद	रेशम विभाग	सगन्ध पौधा केन्द्र	भेषज विकास इकाई	राज्य औषधीय पादप बोर्ड	भाग बोर्ड	जड़ी-बूटी शोध संस्थान
1.	देहरादून	01	22	09	04	–	–
2.	पौड़ी	–	–	–	–	–	–
3.	नैनीताल	–	–	–	–	–	–
4.	चमोली	01	–	01	–	–	03
5.	ऊधमसिंह नगर	–	–	–	–	–	–
6.	टिहरी	–	–	01	–	–	–
7.	चम्पावत	–	–	–	–	02	–
8.	अल्मोड़ा	–	–	–	–	–	–
	योग	02	22	11	04	02	03

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को विकसित किये जाने विषयक

16—श्री महावीर सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत नागटिब्बा, देवलशारी, मैरियाणा, क्यारी सुरकंडा एवं पत्थरखोला आदि स्थानों को पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से विकसित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2000—01 में औतड़ से नागटिब्बा पैदल मार्ग के निर्माण हेतु ` 2.03 लाख, नागटिब्बा में भदराज मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु ` 1.96 लाख, नागटिब्बा पर्यटन स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु ` 4.68 लाख तथा वर्ष 2007—08 में घराड़ से नागटिब्बा ट्रैकिंग मार्ग हेतु ` 17.24 लाख, वर्ष 2008—09 में देवी दर्शन सर्किट के अन्तर्गत सुरकण्डा देवी के विकास हेतु ` 62.97 लाख वर्ष 2010—11 में औतड़ से नागटिब्बा सम्पर्क मार्ग हेतु ` 5.09 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त निर्माण कार्य वर्तमान में पूर्ण कर जनउपयोग में संचालित हैं।

जिला योजना 2013—14 में मोरियाणा में यात्री शैड के निर्माण हेतु ` 1.50 लाख तथा एस०सी०एस०पी० योजना के अन्तर्गत ग्राम क्यारी में कम्यूनिटीहाल के निर्माण हेतु ` 5.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के ग्राम लक्ष्मीपुर केदारावाला में पेयजल नलकूप के ओवरहैड टैंक के निर्माण विषयक

17—श्री नवप्रभात—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के ग्राम लक्ष्मीपुर केदारावाला में पेयजल नलकूप का बोरिंग कार्य किस वर्ष में पूरा किया गया था ?

क्या इस पेयजल नलकूप से क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या इस पेयजल नलकूप के ओवरहैड टैंक का निर्माण हो चुका है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के ग्राम लक्ष्मीपुर में वर्ष 1996 तथा ग्राम केदारावाला में वर्ष 2007 में नलकूप निर्माण किया गया है।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रदेश के विद्यालयों इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयास

18–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कम्प्यूटर शिक्षा के महत्व को देखते हुए प्रदेश के विद्यालयों–इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार कोई प्रयास कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

केन्द्र पुरोनिधानित योजना आई०सी०टी० इन स्कूल्स के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को आच्छादित किया जाना है। प्रदेश के 25 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2005–06 में तथा 100 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2007–08 में क्रमश: प्रथम एवं द्वितीय चरण, कुल 125 राजकीय विद्यालयों को आई०सी०टी० योजनान्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है। द्वितीय चरण में वर्ष 2007–08 में आच्छादित प्रदेश के 100 विद्यालयों के 500 शिक्षकों एवं कक्षा–9 से 12 के समस्त छात्र–छात्राओं का कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धित विद्यालयों में संचालित किया जा चुका है। तृतीय चरण में स्वीकृत वर्ष 2010–11 में प्रदेश के 500 विद्यालयों को आई०सी०टी० योजना में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में राजकीय इण्टर कालेज लांघा के भवन तथा आवास पुन: निर्माण विषयक

19–श्री नवप्रभात–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में राजकीय इण्टर कालेज लांघा के भवन तथा अध्यापक कर्मचारी निवासों के निष्प्रयोज्य हो जाने की जानकारी शासन को प्राप्त हुई है ?

यदि हाँ, तो विद्यालय भवन तथा आवास पुन: निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

आगणन का परीक्षण किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अन्तर्गत हरबर्टपुर में प्रस्तावित मिनी पेयजल नलकूप की अद्यतन स्थिति

20–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अन्तर्गत हरबर्टपुर (सहारनपुर रोड) के लिए मिनी पेयजल नलकूप (पाईप लाईन सहित) योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गयी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्रस्तावित योजना हेतु प्राप्त प्राक्कलन स्वीकृति के प्रक्रियान्तर्गत गतिमान है।

राज्य पर्यटन की दृष्टि से यमुना घाटी में यमुना नदी पर रिवर राफ्टिंग करवाये जाने विषयक

21–श्री महावीर सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जिस प्रकार गंगा नदी पर पर्यटन की दृष्टि से रिवर राफ्टिंग की जाती है, क्या उसी तरह यमुना घाटी में यमुना नदी पर भी रिवर राफ्टिंग करवाई जानी प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में उत्तराखण्ड की समस्त नदियों के लिए रिवर राफ्टिंग संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसमें यमुना नदी भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के ग्राम रौतूकी बैली में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवन निर्माण विषयक

22–श्री महावीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में ग्राम रौतूकी बैली में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हॉ। विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य गतिमान है।

निर्माण कार्य गतिमान है तथा भवन के भूतल का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय सारिणी के अनुसार भवन का निर्माण कार्य माह नवम्बर 2013 तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

23–श्री राज कुमार ठुकराल–

द्वितीय शुक्रवार के अता0 04 में स्थानान्तरित।

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के विभिन्न पर्यटन योजनाओं को 13वें वित्त आयोग की कार्ययोजना में प्रस्तावित किये जाने विषयक

24–श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन कि विकास हेतु 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मसूरी–विशिंग वैल–जार्ज एवरेस्ट, मसूरी–क्लाउड इन्डस–दुधली–भदराज, मसूरी–क्लाउड इन्डस–विनयोग हिल, मसूरी कैम्पटी फॉल, मसूरी–गन हिल, भट्टाफाल–मसूरी ट्रैक रूट प्रस्तावित की गई थी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है ? यदि हॉ, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं को पूर्ण करने पर विचार करेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं, 13वें वित्त आयोग में सदर्भित अन्तिम कार्य योजना सूची में यह योजनायें सम्मिलित नहीं हैं।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से वित्त पोषित देहरादून पर्यटन सर्किट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राजपुर से झड़ीपानी मसूरी तक पुराने मार्ग का निर्माण एवं सुधार के स्थान पर राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा हाथीपांव विंशिग वैल–जार्ज एवरेस्ट हाउस (पार्क स्टेट) ट्रैक मार्ग का सुधार को कराये जाने का निर्णय लिया गया, जो क्रियान्वित है। अन्य योजनायें 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

उक्तानुसार।

जनपद देहरादून के मसूरी शहर हेतु पेयजल योजना बनाये जाने विषयक

25–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी में पेयजल की अत्यन्त समस्या है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी शहर के लिए पेयजल योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। पर्यटन सीजन में पेयजल समस्या उत्पन्न हो जाती है।

जी हाँ।

मसूरी नगर में पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि किये जाने हेतु मसूरी सोर्स ऑगमेन्टेशन पम्पिंग पेयजल योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत यमुना नदी से पम्पिंग द्वारा पेयजल की आपूर्ति प्रस्तावित की गई है। इस योजना के प्रथम चरण का प्राक्कलन (पी०–1) ` 555.86 लाख परीक्षणाधीन है।

उक्त के अतिरिक्त काण्डीघाट स्रोत पर इम्पाउंडिंग द्वारा कृत्रिम झील का निर्माण करते हुए मसूरी नगर की पेयजल वृद्धि हेतु फिजिबिलिटी तथा स्टेबिलिटी का अध्ययन भी आई०आई०टी० रुडकी के माध्यम से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत पर्यटन स्थल भट्टा फॉल के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में

26—श्री गणेश जोशी—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा भट्टा फॉल के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त योजना में कब तक काम शुरू किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शासकीय/अशासकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान विषय की मान्यता विषयक

27—श्री दलीप सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने शासकीय/अशासकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान की मान्यता नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त कालेजों में विज्ञान की मान्यता दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

प्रदेश के 22 शासकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान विषय नहीं है एवं 96 अशासकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान विषय की मान्यता नहीं है।

मानक पूर्ण करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय इण्टर कालेजों/हाईस्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किये जाने विषयक

28–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में राजकीय इण्टर कालेज/हाईस्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किये जाने का कोई प्राविधान है ?

यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने विद्यालयों में पुस्तकालय विधिवत स्थापित हैं और कितने पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालय सहायक कार्यरत हैं ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा रमसा के तहत प्रत्येक विद्यालय को पुस्तकों के लिए दी जाने वाली धनराशि के सदुपयोग के लिए कोई कार्य योजना बनायी जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप रमसा के अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण किया जा रहा है, व पुस्तकों हेतु प्रतिवर्ष ` 10000/– की धनराशि प्रत्येक विद्यालय को आवंटित की जाती है। विद्यालयों के संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य विद्यालयों में उपलब्ध कार्मिक/संसाधनों के सहयोग से इसका संचालन/सदुपयोग करते हैं।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेज मानले में प्रवक्ता के पदों को सृजित किये जाने विषयक

29–श्री मिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ राजकीय इण्टर कालेज मानले में विज्ञान एवं कला के सात प्रवक्ता पद सृजित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष प्रवक्ता के पदों को सृजित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

मानकानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेज मानले में भवन निर्माण हेतु शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक

30–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय इण्टर कालेज मानले के भवन निर्माण हेतु कुल कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रथम किस्त में कितना धन अवमुक्त हुआ है तथा शेष राशि कब तक अवमुक्त की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राजकीय इण्टर कालेज, मानले, पिथौरागढ़ के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत ` 89.00 लाख के सापेक्ष ` 44.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रथम किस्त वर्ष 2007–08 में ` 2.00 लाख, द्वितीय किश्त वर्ष 2009–10 में ` 42.00 लाख अवमुक्त की गयी। वर्ष 2013–14 में अवशेष धनराशि ` 45.00 लाख का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों की डिग्रियों का सत्यापन किये जाने का प्राविधान विषयक

31–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों की डिग्रियों का सत्यापन किये जाने का प्राविधान है ?

यदि हाँ, तो कौन इसके लिए सक्षम अधिकारी है और अभी तक कुल कितने कर्मचारियों/शिक्षकों का सत्यापन हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई कार्ययोजना बनाए जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को नियुक्ति के समय उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया जाता है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर के राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किये जाने विषयक

32–श्री महावीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में मात्र एक राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इसका इण्टरमीडिएट में उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

मानक पूर्ण करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत उच्चीकृत हाईस्कूलों एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति विषयक

33—श्री महावीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उच्चीकृत हाईस्कूलों एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

वर्तमान में स०अ० एल०टी० वेतनक्रम में 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची एवं प्रवक्ता संवर्ग में 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची के तहत नियुक्तियाँ की जा चुकी है। प्रवक्ता के रिक्त पदों पर एल०टी० से प्रवक्ता संवर्ग में 1383 पदों पर पदोन्नति की संस्तुति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो चुकी है। तद्नुसार उनकी पदस्थापना की कार्यवाही गतिमान है। सीधी भर्ती हेतु अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती को बढ़ावा दिये जाने के प्रयास

34—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती को बढ़ावा देने हेतु पूर्व संचालित चाय विकास परियोजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं मनरेगा के अन्तर्गत क्रमशः 597 हैक्टेयर, 165 हैक्टेयर एवं 43 हैक्टेयर कुल 805 हैक्टेयर में चाय प्लान्टेशन किया जा चुका है।

चाय की खेती को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2013—14 में 38 हैक्टेयर एवं मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 200 हैक्टेयर में चाय प्लान्टेशन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विभिन्न स्थानों में हैण्डपम्प लगाये जाने विषयक

35–श्री महावीर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत कितने स्थानों पर कहां–कहां हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तावित हैं ?

क्या मंत्री जी विवरण सहित उपलब्ध करवायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। दो स्थानों पर।

प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। प्रस्तावित स्थल की फिजीबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के ग्राम रामनगर स्थित कन्या जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण की मांग

36–श्री राजेश शुक्ला–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रामनगर विकास खण्ड रूद्रपुर में स्थित कन्या जूनियर हाईस्कूल जो सन् 1965 से स्थापित है तथा इसके उच्चीकरण की मांग क्षेत्र की जनता लगातार कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के उच्चीकरण पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

मानक पूर्ण करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों को अन्य विभागों में समायोजित किये जाने विषयक

37–श्री महावीर सिंह–

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में 17 वर्षों से केन्द्रपोषित योजना (व्यवसायिक शिक्षा) में कार्यरत रहे व्यवसायिक शिक्षकों की सेवायें वर्ष 2005 में समाप्त कर दी गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त व्यवसायिक शिक्षकों को अन्य विभागों में समायोजित किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नही उठता।

प्रदेश के विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों के पदों का सृजन एवं नियुक्ति विषयक

38–श्री ललित फरस्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों के पदों को सृजित कर नियुक्ति का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो नियुक्ति प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम विषय पृथक से संचालित किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश में उद्यान विकास योजना के तहत किसानों को पॉलीहाऊस के निर्माण हेतु प्राविधानित 30 प्रतिशत राजसहायता दिये जाने विषयक

39–श्री ललित फरस्वाण–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उद्यान विकास योजना के तहत किसानों को पॉलीहाऊस निर्माण के लिए 50 प्रतिशत सहायता एच0एम0एन0ई0एच0 के अतिरिक्त 30 प्रतिशत राजसहायता राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है ?

यदि हॉं, तो क्या यह सहायता किसानों को दी जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हॉं।

जी हॉं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार नगर निगम के ज्वालापुर क्षेत्र में लगे नलकूपों पर जनरेटर सैट लगाये जाने विषयक

40–श्री आदेश चौहान–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत ज्वालापुर के सभी नलकूप हर वर्ष गर्मियों के मौसम में विद्युत कटौती व लो–वोल्टेज की समस्या के कारण पर्याप्त समय के लिए नहीं चल पा रहे हैं जिस कारण उक्त पूरे क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट बना हुआ है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार ज्वालापुर क्षेत्र के नलकूपों पर हरिद्वार क्षेत्र की तरह जनरेटर सैट लगाने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हॉं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रीष्म ऋतु में पूरे प्रदेश में लो–वोल्टेज एवं विद्युत कटौती के कारण अल्प अवधि के लिए पेयजल आपूर्ति बाधित होती है।

जनपद बागेश्वर के गरूड़ कस्बे व ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना हेतु धनराशि आवंटन

41—श्री ललित फरस्वाण—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के गरूड कस्बे व आस—पास की 8 ग्राम पंचायतों के पेयजल हेतु डी0पी0आर0 का गठन हुआ है ?

यदि हॉं, तो पेयजल योजना हेतु धनराशि कब तक आवंटित की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हॉं।

विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में कोल्ड स्टोर बनाये जाने विषयक

42—श्री महावीर सिंह—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के काश्तकारों की नकदी फसलो एवं फलो के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोर की कोई व्यवस्था नही है, जिस कारण काश्तकारों की फसलों एवं फलों का समय पर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार धनोल्टी में कोल्ड स्टोर बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हॉं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नही उठता।

इस क्षेत्र मे औद्यानिक नकदी फसलो का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होने के कारण भण्डारण की आवश्यकता नहीं पडती है, तथा जो उत्पादन होता है, वह व्यक्तिगत उपयोग एवं स्थानीय बाजार मे खपत हो जाता है। उक्त वर्णित कारणो से कोल्ड स्टोर निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के खराब स्टैण्ड पोस्ट को ठीक करने एवं गले पेयजल सप्लाई पाईप लाईन को बदले जाने विषयक

43–श्री राजेश शुक्ला–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि किच्छा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प व प्रेशर नल लगे हैं तथा इनमें से कितने पम्प व नल ठीक रूप से कार्य कर रहे है ?

क्या सरकार खराब नलों को ठीक कराने एवं किच्छा नगर में पेयजल सप्लाई पाईप लाइन के गले हुए पाईपों को बदलने पर कोई विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

किच्छा विधान सभा क्षेत्र में कुल 892 नग हैण्डपम्प स्थापित है। इनमें से 622 नग उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा एवं 270 नग अन्य विभाग द्वारा स्थापित किये गये है। इनमें से 731 नग हैण्ड पम्प ठीक रूप से कार्य कर रहे हैं। जहां तक प्रेशर नल का प्रश्न है, सम्भवतः इसका आशय स्टैंण्ड पोस्ट से है। किच्छा विधान सभा क्षेत्र में कुल 211 स्टैण्ड पोस्ट लगे हैं, जिनमें से 188 स्टैण्ड पोस्ट सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

जी हाँ।

धन उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में दीर्घकालीन पेयजल योजना संचालित किये जाने विषयक

44–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गल्जवाडी/पुरोहितवाला/क्यारकुली भट्टा में पेयजल की समस्या है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार गल्जवाडी/पुरोहितवाला/क्यारकुली भट्टा के लिए कोई दीर्घकालीन पेयजल योजना संचालित किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। ग्रीष्म ऋतु में स्रोत का स्राव कम हो जाने के कारण इन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या होती है।

पुरोहितवाला बस्ती जो बिलासपुर काण्डली पेयजल योजनान्तर्गत है, का रखरखाव पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जा रहा है, जिस पर विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति द्वारा डिवोल्यूशन का कार्य गतिमान है। क्यारकुली व भट्टा ग्राम पेयजल योजना नियोजन चरण पूर्ण करके प्राक्कलन अनु0 लागत ` 96.51 लाख विरचित कर लिया गया, योजना जिला योजना समिति द्वारा इस योजना हेतु ` 15.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

उपरोक्तानुसार धनराशि स्वीकृत होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के कौसानी में उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड/निदेशालय स्थापित किया जाना

45–श्री ललित फरस्वाण–

क्या उद्यान मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर के कौसानी में निजी क्षेत्र की चाय फैक्ट्री स्थापित है तथा यहां पर व्यापक क्षेत्र में चाय बागान है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार चाय बोर्ड/निदेशालय को कौसानी जनपद बागेश्वर में स्थापित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि पूर्व से ही मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय के उपरान्त उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थापित है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम रौणिया में पेयजल व्यवस्था हेतु विचार

46—श्री महावीर सिंह—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रतापनगर में पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत है जिसमें कि ग्राम रौणिया भी शामिल है ?

क्या सत्य है कि किन्हीं कारणों से ग्राम रौणिया को हटाने पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार ग्राम रौणिया की पेयजल व्यवस्था हेतु क्या विचार कर रही है तथा उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ। किन्तु प्रतापनगर पम्पिंग पेयजल योजना में रौणिया ग्राम पंचायत सम्मिलित नहीं है।

जी नहीं।

प्रतापनगर पम्पिंग पेयजल योजना भाग—2 में रौणिया ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत आनन्द चौक तथा बनाली पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण विषयक

47—श्री महावीर सिंह—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत आनन्द चौक तथा बनाली पम्पिंग पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

प्रारम्भिक कार्य (पी०—1) हेतु धनराशि अवमुक्ति का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। तदोपरान्त नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

48—श्री आदेश चौहान—

प्रथम शुक्रवार के अता0 25 में स्थानान्तरित।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में संजय झील का सौन्दर्यीकरण

49—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में संजय झील के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हॉं, तो झील का सौन्दर्यीकरण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हॉं।

उक्त योजना को 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था। 13वें वित्त आयोग हेतु गठित समिति द्वारा, उक्त योजना को 13वें वित्त आयोग की संस्तुति तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाईन्स से आच्छादित न होने के कारण 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया। अब उक्त योजना को राज्य योजना से स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुपूरक माग के माध्यम से धनराशि की मांग की गयी है। यदि अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि प्राप्त होती है तो उक्त योजना की स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के समस्त शासकीय/अशासकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान विषय का स्वीकृत किया जाना

50—श्री दलीप सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने शासकीय/अशासकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान विषय नहीं है ?

क्या सरकार समस्त इण्टर कालेजों में विज्ञान विषय स्वीकृत करने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 02 शासकीय/01 अशासकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान विषय नहीं है।

मानकानुसार एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में भेगलथ स्यूरी पेयजल योजना का निर्माण

51—श्री भीमलाल आर्य—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में भेगलथ—स्यूरी पेयजल योजना का निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक भेगलथ—स्यूरी पेयजल योजना का निर्माण किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हॉं।

भेगलथ—स्यूरी ग्राम पंचायत दुंगमन्दर ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है। जिसका प्रारंभिक प्राक्कलन (पी0—1) परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने पर विचार

52—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रो में सरकार सीवर लाइन बिछाने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो सरकार की क्या नीति है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हॉं (आंशिक)।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कार्यक्रम के अधीन गंगा नदी के समीप स्थित ऐसे निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित कर जहां जलापूर्ति की दर 135lpcd (भारत सरकार के मानकों के अनुरूप) है, सीवर लाइन बिछाने हेतु फीजिबिलिटी के आधार पर योजना निर्माण हेतु प्रस्ताव किये जाने की नीति है।

गंगा नदी के किनारे बसे जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की दर 135lpcd से कम है उनके सीवर चलाने हेतु उपयुक्त जल उपलब्ध न होने से भारत सरकार की दिशा–निर्देशों के सापेक्ष, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत सीवर बिछाने सम्बन्धी प्राक्कलन विरचन की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे क्षेत्रों में फीजिबिलिटी के अनुरूप लो–कॉस्ट सैनिटेशन की योजनायें क्रियान्वित की जा सकती हैं।

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम मजरा लक्ष्मीपुर में नलकूप का निर्माण

53–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा ईस्ट होप टाउन के मजरा लक्ष्मीपुर में पेयजल हेतु नलकूप प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा ईस्ट होप टाउन के मजरा लक्ष्मीपुर आरकेडिया ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित है, जिससे सुचारू पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत स्थित राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति

54–श्री ललित फरर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज कर्मी, बदियाकोट, कपकोट, माजखेत, बघर, कन्यालीकोट, बनलेख, चौंडास्थल, सौंग, काण्डा, देवतोली, सानिउडियार राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक इन राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने विषयक

55—श्री ललित फरस्वांण—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक एवं कर्मचारियों को सेवायें प्रदान करने के प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पूर्व से पर्वतीय विकास भत्ता देय है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के गोनगढ़ व माणिकनाथ समूह पेयजल योजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदत्त किये जाने विषयक

56—श्री भीमलाल आर्य—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत गोनगढ़ समूह पेयजल योजना व माणिकनाथ समूह पेयजल योजना को यथाशीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस पेयजल योजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

गोनगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना के प्रथम चरण के कार्यों का प्राक्कलन परीक्षणाधीन है। माणिकनाथ ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में आन्दोलनरत टी0ई0टी0 उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगारों को विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से रोजगार प्रदान हेतु सरकार की नीति

57–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल एवं श्री तीरथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में आन्दोलनरत टी0ई0टी0 उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगारों को विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार की क्या नीति है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

संलग्न शासनादेश सं0 1283/XXIV(1)/2011–08/2010 दिनांक 14 दिसम्बर 2011 द्वारा चयन के दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं।†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज काण्डा, ऐठाण में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति

58–श्री ललित फरस्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज काण्डा, ऐठाण (कपकोट), काण्डा, में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त है ?

यदि हाँ, तो उक्त राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ, परन्तु राजकीय बालिका इण्टर कालेज ऐठाण में हाईस्कूल स्तर की प्रधानाध्यापिका कार्यरत हैं।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति

59–श्री ललित फरस्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल नामती, चेटाबगड़, भन्तोला, नीती, सौराग, उडमस्थल, उडियार,

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 209 से 215 पर)

पुड़कुनी, जीती, खती, भनार, उतरौड़ा, गोगिना, हौराली में राजकीय हाईस्कूल में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त है ?

यदि हॉं, तो कब तक उक्त राजकीय हाईस्कूलो में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं। राजकीय हाईस्कूलो में प्रधानाचार्य के पद नहीं होते हैं।

प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदो को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्रामो में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापको की नियुक्ति

60–श्री ललित फरस्वांण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के मल्ला दानपुर के तीख, पटाक, बोरबलड़ा, मिकिला व खलपट्टा ग्रामों के प्राथमिक विद्यालयो में अध्यापकों के पद रिक्त है ?

यदि हॉं, तो कब तक उपरोक्त प्राथमिक विद्यालयो में अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। मात्र प्राथमिक विद्यालय बोरबलड़ा में 01 अध्यापक का पद रिक्त है।

प्राथमिक विद्यालय तीख, पटाक, मिकिला एवं खलपट्टा में दिनांक 7 अगस्त 2013 को एक–एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति की जा चुकी है। प्राथमिक विद्यालय बोरबलड़ा में 01 सहायक अध्यापक की नियुक्ति यथाशीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट स्थित क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय भटंग का पुनर्निमांण

61–श्री ललित फरस्वांण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भटंग का भवन 2011 में आई आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया था, का पुनर्निमांण वर्तमान तक नहीं हो पाया है ?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो कब तक विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

62–श्री ललित फरस्वाण–

चतुर्थ सोमवार के अता0 30 में स्थाना0

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश नगर के समीप व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर लाईन बिछाये जाने विषयक

63–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत नगर के समीप व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार सीवर लाईन बिछाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक योजना प्रारम्भ की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0) कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋषिकेश नगर, गंगा नदी के समीप बसी कुछ ग्रामीण बस्तियों में सीवर लाईन बिछाने एवं मल जल शोधन संयत्र हेतु, सिटी सैनिटेशन इन्वैस्टमेन्ट प्लान/फिजीबिलिटी रिपोर्ट/डी0पी0आर0 के कार्य प्रगति पर है। जिसमें ऋषिकेश नगर के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण क्षेत्र प्रगति विहार, शैल विहार, इन्द्रानगर आदि सम्मिलित हैं।

उक्त योजना की डी0पी0आर0 मार्च–2014 तक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है, तदोपरान्त स्वीकृति एवं धनावंटन के पश्चात् योजना के कार्य वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ कराये जाने सम्भावित होंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ियों में कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में

64–श्री चन्दन राम दास–

क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ियों मे विगत 10 वर्षो से लगातार कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को नियमित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हॉ, तो कब तक नियमित किया जायेगा ?

यदि नहीं ? तो क्यो ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान मे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियो व सहायक कार्यकत्रियो की जनपदवार संख्या क्या है ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

जी नहीं।

आंगनबाडी कार्यकत्रियो एवं सहायिकाए भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत निश्चित मानदेय पर कार्यरत हैं, इनको नियमित किया जाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत आंगनबाडी कार्यकत्रियों व सहायक कार्यकत्रियो की जनपदवार संख्या निम्नवत् है.–

क्र0सं0	जनपद का नाम	आंगनबाडी कार्यकत्रियाँ	सहायक कार्यकत्रियाँ
01	अल्मोडा	1169	1173
02	बागेश्वर	548	547
03	चमोली	686	687
04	चम्पावत	384	382
05	देहरादून	1613	1596
06	हरिद्वार	2683	2357
07	नैनीताल	1001	984
08	पौडी	1052	1017
09	पिथौरागढ	653	649
10	रूद्रप्रयाग	428	408
11	टिहरी गढवाल	1163	1151
12	ऊधमसिंह नगर	2094	1925
13	उत्तरकाशी	578	576
	योग	14072	13462

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत भैरोंगड़ी पम्पिंग योजना प्रारम्भ किये जाने विषयक

65–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के चौबट्टाखाल के अन्तर्गत भैरोंगड़ी पम्पिंग योजना कब से प्रारम्भ की जायेगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने गांव उक्त योजना से लाभान्वित होंगे एवं उक्त योजना से नये गांवों को जोड़ने की योजना है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना वर्ष 2009 से निर्माणाधीन है।

योजना से 64 ग्राम/बस्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है एवं तकनीकी रूप से नये गांव नहीं जोड़े जा सकते हैं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत बरचुण्ड देवता पम्पिंग पेयजल योजना के पूर्ण किये जाने विषयक

66–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत बरचुण्ड देवता पम्पिंग पेयजल योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो पायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्रथम चरण के कार्यों (पी0–1) हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की विभिन्न पेयजल योजनाओं में कार्यरत पी0टी0सी0 कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने विषयक

67–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश की विभिन्न पेयजल योजनाओं में कार्यरत पी0टी0सी0 कर्मचारियो का मानदेय बढ़ायेगी ?

यदि हाँ, तो कितना एवं कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड जल संस्थान की विभिन्न पेयजल योजनाओं में पी०टी०सी० कार्मिकों के मानदेय में जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 01–05–2013 से वृद्धि कर दी गयी है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक, जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों एवं इण्टर कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

66–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के लैन्सडौन विधान सभा के अन्तर्गत कितने शासकीय/अशासकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक, जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की संख्या जिनमें शिक्षकों के पद रिक्त है का विवरण निम्नवत है.–

शासकीय विद्यालय		अशासकीय विद्यालय	
प्राथमिक	41	प्राथमिक	00
उच्च प्राथमिक	25	उच्च प्राथमिक	02
हाईस्कूल	16	हाईस्कूल	07
इण्टर	32	इण्टर	08
योग	114		17

कुल–131 विद्यालय

जी हाँ।

प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय सहायता प्राप्त (Aided) विद्यालयों का सरकारीकरण किये जाने विषयक

69—श्री सौरभ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय सहायता प्राप्त (Aided) विद्यालयों का सरकारीकरण करने की योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

मानकानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तराखण्ड के प्राचीन मन्दिरों के रख रखाव हेतु बजट स्वीकृति पर विचार

70—श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में कितने प्राचीन मन्दिर है तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल कितने प्राचीन मन्दिर ग्रामीण क्षेत्रों में किन किन गांवों में है ?

क्या सरकार उक्त प्राचीन मन्दिरों के रख रखाव हेतु बजट स्वीकृत करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

यद्यपि उत्तराखण्ड राज्य में कितने प्राचीन मंदिर अवस्थित हैं यह सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है, तथापि संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, पौड़ी एवं अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रदेश के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के 47 संरक्षित एवं 24 संरक्षणाधीन कुल 71 स्मारक हैं, जिनमें मंदिर भी शामिल हैं। जनपद पौड़ी में 5 संरक्षित एवं 2 संरक्षणाधीन स्मारक/मंदिर निम्नवत हैं:—

संरक्षित स्मारक/मंदिर

1. वैष्णव मंदिर समूह, देवल, वि0ख0 कोट, पौड़ी।
2. देवलगढ़ मंदिर समूह, देवलगढ़, खिर्सू, पौड़ी।
3. शिव मंदिर पैठाणी, थलीसैंण, पौड़ी।
4. शिवालय, कुखड़गांव, पौड़ी।
5. लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह, सुमाड़ी, खिर्सू, पौड़ी।

संरक्षणाधीन स्मारक/स्थल

1. नगर गांव के मंदिर, कल्जीखाल, पौड़ी।

2. दानडी मंदिर समूह, खिर्सू, पौड़ी।

राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों मंदिरों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु संस्कृति विभाग के आय-व्ययक में प्रतिवर्ष धनराशि का आवंटन किया जाता है। तद्नुसार प्रतिवर्ष संरक्षित एवं संरक्षणाधीन स्मारकों/स्थलों/मंदिरों का जीर्णोद्धार व वार्षिक रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा भी प्रदेश में ख्याति प्राप्त स्थलों के आस-पास अवस्थापना सुविधाओं आदि के लिये धनराशि दी जाती है। भारत सरकार द्वारा पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विगत वर्षों में धनराशि स्वीकृत की गयी है, इसके अतिरिक्त चारधाम यात्रा को यात्रियों/पर्यटकों हेतु और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करने हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत भूमिया डांडा पम्पिंग योजना हेतु टैंकों का निर्माण

71-श्री तीरथ सिंह-

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत भूमिया डांडा पम्पिंग योजना हेतु घाटी पर बन रहे टैंक से क्षेत्र में सुचारू पेयजल आपूर्ति हो जायेगी ?

क्या सरकार उक्त टैंक को घाटी के स्थान पर झिन्दा गढ़ी तोक/बड़ोली गांव के ऊपर बनाने पर विचार करेगी जिससे पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके ?

यदि हॉं, तो कब तक टैंक का निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

जी नहीं। उक्त योजना हेतु घाटी पर वर्तमान में कोई टैंक नहीं बन रहा है। सुचारू पेयजल आपूर्ति हेतु उचित स्थान पर टैंकों का निर्माण किया जायेगा।

प्रथम चरण के कार्यों हेतु प्राक्कलन (पी0-1) परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुख्य सेविका के रिक्त पदों की स्थिति तथा कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन

72–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश मे मुख्य सेविका के कितने पद रिक्त है ?

क्या सरकार द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्त्रियों का वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन किया जायेगा ?

यदि हॉ, तो सरकार के द्वारा प्रमोशन में विलम्बता होने का लाभ आयु में छूट देकर प्रमोशन किये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अमृता रावत–

वर्तमान में मुख्य सेविका के 103 पद रिक्त हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

सेवा नियमावली के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाती है।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत डुंगरी नदी से पेयजल लिफ्ट योजना की स्वीकृति विषयक

73–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत नेपाल की सीमा से लगे हुए क्षेत्र पुलहिण्डोला में पेयजल संकट को दूर करने के लिए डुंगरी नदी से पेयजल लिफ्ट योजना की स्वीकृति हेतु सरकार विचार कर रही है ?

यदि हॉ, तो क्या योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने पर भी सरकार विचार करेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। पुलहिण्डोला के चार तोक क्रमशः खेतकुनी, पुल हिण्डोला बाजार, पुल्ला, पुल्ला हरिजन बस्ती की पेयजल समस्या के निदान के लिये मिनी नलकूप स्थापित किये जाने हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के डौंडा स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धन की स्वीकृति

74–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ के डौंडा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय डौंडा काली नदी में बह गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्यालय भवन हेतु धन स्वीकृति करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के कन्या इण्टर कालेज लोहाघाट में गणित विषय को पढ़ाये जाने की स्वीकृति

75–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत कन्या इण्टर कालेज लोहाघाट में गणित विषय न होने से छात्राओं के पठन पाठन में कठिनाई आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कन्या विद्यालय में गणित विषय पढ़ाये जाने की स्वीकृति देने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

मानकानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत लोहाघाट नगर क्षेत्र में सीवर की उचित व्यवस्था हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

76–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत लोहाघाट नगर क्षेत्र में सीवर की उचित व्यवस्था न होने के कारण वर्षा काल में नालियों का गन्दा पानी हर जगह भर जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नगरीय क्षेत्र में सीवर की उचित व्यवस्था हेतु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

लोहाघाट नगर हेतु वर्तमान में लगभग 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। सीवर लाईन बिछाने हेतु नगर मे 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पेयजल आपूर्ति होने के मानक है, जिसके लिए लोहाघाट नगर पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 4395.68 लाख यू0आई0डी0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षणाधीन है। परीक्षण के उपरान्त उक्त प्राक्कलन शहरी विकास विभाग के माध्यम से भारत सरकार नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा। प्राक्कलन की स्वीकृति/धनावंटन होने के पश्चात ही शहर मे 135 lpcd की दर से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, तत्पश्चात सीवरेज योजना पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत लोहाघाट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति विषयक

77–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत लोहाघाट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज बर्दाखान, पाटी, गरसाडी, खेतीखान में प्रवक्ताओं की नियुक्ति न होने के कारण वहा पर शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार आगामी बोर्ड की परीक्षाओं एवं विद्यार्थियों के भविष्य हेतु उक्त विद्यालय में प्रवक्ताओं की शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। इन विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम के कार्यरत अध्यापकों से पठन–पाठन का कार्य कराया जा रहा है।

रिक्त पदो को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत पुलहिण्डोला, चौमेल स्थित राजकीय इण्टर कालेज में कृषि विषय खोले जाने के सम्बन्ध में

78–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत पुलहिण्डोला, चौमेल स्थित राजकीय इण्टर कालेज में कृषि विषय न होने के कारण वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियो को अन्य विषयों मे शिक्षा ग्रहण करनी पड रही है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में पठन पाठन हेतु कृषि विषय खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक कृषि विषय को पढाना शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हॉं।

प्रस्ताव विचाराधीन है जिसकी स्वीकृति मानकों एव वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोलाडांडा के उच्चीकरण विषयक

79–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विकास खण्ड पाटी के ग्राम पंचायत गोलाडाडा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के उच्चीकरण न होने से विद्यालयो मे शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को 5वी के बाद आगे की शिक्षा हेतु अन्य विद्यालयों में जाना पडता है, जिसमे से कई विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयो में दाखिला न मिल पाने के कारण उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है ?

क्या सरकार उक्त विद्यालय को उच्चीकृत करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विकासखण्ड पाटी के ग्राम पंचायत गोलाडांडा से 2.5 किमी की दूरी पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिनवालगाँव संचालित है। जिसमे कक्षा 6–10 तक की कक्षायें संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय गोलाडांडा से 2.5 किमी की दूरी पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिनवालगाँव संचालित है, जिसमे कक्षा 6–10 तक की कक्षायें संचालित हैं।

जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौसाल एवं जानकीधार का उच्चीकरण

80–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौसाल एवं जानकीधार के उच्चीकरण न होने से विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को 10वीं के बाद इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने हेतु सुदूर क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में जाना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो विद्यालयों के उच्चीकरण के मानक पूर्ण होने के बाद सरकार उक्त दोनों विद्यालयों को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

मानक पूर्ण करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के उच्चीकृत राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा इण्टर कालेज में शिक्षकों के पदों का सृजन एवं नियुक्ति

81–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के राजकीय जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय में तथा माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण राजकीय इण्टर कालेज में किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि प्रथम वर्ष में इन स्कूलों में छात्रों को प्रवेश दिया गया मगर शिक्षकों के पद सृजित न होने के कारण तथा शिक्षकों की कमी के कारण द्वितीय वर्ष छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजित कर उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। विद्यार्थियों की दोनों वर्षों में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है।

विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर पर 04 विद्यालयों का उच्चीकरण रा0मा0शि0अ0 योजनान्तर्गत किया गया है, जिनमें पदों का सृजन किया जा चुका है। हाईस्कूल से इण्टर स्तर पर प्रशासकीय रूप से उच्चीकृत 12 विद्यालयों में पदों के सृजन किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शिक्षकों को एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए0सी0पी0) का लाभ दिया जाना

82–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शिक्षकों को एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए0सी0पी0) का लाभ प्राप्त हो रहा है ?

यदि हाँ, तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन कितने वर्षों के अन्तराल पर दिया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सम्बन्धित शासनादेश संख्या इत्यादि का विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

शासनादेश संख्या–655/माध्यमिक/2002 मा0शि0अनु0 दिनांक 12 जुलाई, 2002 के अनुसार प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुमन्य है तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा अनुमन्य है। एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) शिक्षकों को अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में शिक्षा विभाग में तैनात पी0ई0एस0 अधिकारियों का विवरण

83–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में शिक्षा विभाग में कितने पी0ई0एस0 अधिकारी कहां कहां पर तैनात है ?

क्या जिला हरिद्वार के समस्त विकास खण्डों में खण्ड शिक्षा अधिकारी के सभी पदों पर प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारी तैनात है ?

यदि हाँ, तो विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद हरिद्वार में निम्नलिखित पदों पर पी0ई0एस0 अधिकारी तैनात हैं:–

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी।
2. प्राचार्य, डायट।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (बे0)
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बहादराबाद।
6. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भगवानपुर।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, खानपुर।
8. रा0इ0का0, भेल।
9. रा0इ0का0, जण्डौरा।
10. रा0क0इ0का0, धीरवाली।
11. रा0क0इ0का0, रूड़की।
12. रा0क0इ0का0, बुग्गावाला।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

अधिकारियों की कमी के कारण दो विकास खण्डों में शिक्षा अधिकारियों की तैनाती नहीं हो सकी है।

जनपद हरिद्वार में संचालित लोक शिक्षा केन्द्रों में प्रतिवर्ष मदवार व्यय धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण

84–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में कितने लोक शिक्षा केन्द्र संचालित है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रति लोक शिक्षा केन्द्र पर प्रतिवर्ष मदवार कितनी धनराशि व्यय की जाती है तथा उससे लाभान्वित होने वाले छात्रों/व्यक्तियों का सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

कुल 302 लोक शिक्षा केन्द्र संचालित हैं।

लोक शिक्षा केन्द्रों में मदवार व्यय विवरण निम्नवत् है.–

मद	दर
अनावर्ती मद	2500 केवल एक बार
आवर्ती मद	27000 (प्रतिवर्ष)
प्रोग्राम कास्ट	48000 (प्रतिवर्ष)

योजना के अन्तर्गत जिला हरिद्वार मे 109556 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है।

जनपद हरिद्वार मे एन0आर0पी0 के अन्तर्गत पदों की नियुक्ति विषयक

85–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में आर0टी0आई0 के अन्तर्गत एन0आर0पी0 के पदो की नियुक्ति बिना निर्धारित प्रक्रिया के कर दी गयी है जिससे हरिद्वार के शिक्षक समाज में भारी रोष व्याप्त है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार नियुक्तियां निरस्त करने पर विचार कर रही है तथा क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के कांडा कमेड़ी में सरयू नदी से लिफ्टिंग पेयजल योजना का कार्यान्वयन

86–श्री ललित फरस्वाण–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा सं0–606/2012 से कपकोट विधान सभा के कांडा–कमेडी में सरयू नदी से लिफ्टिंग पेयजल योजना की घोषणा की गई है ?

यदि हाँ, तो इस घोषणा के कार्यान्वयन हेतु शासनादेश कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्राक्कलन शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में घोषित गोमती नदी के हरिद्वार छीना स्थान से लिफ्ट पेयजल योजना के शासनादेश विषयक

87–श्री ललित फरस्वाण–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13–01–2013 को बागेश्वर उत्तरायणी मेला के उद्घाटन समारोह के अवसर पर कौसानी के लिए गोमती नदी पर स्थान हरिद्वार छीना से लिफ्ट पेयजल योजना बनाने की घोषणा की गई है ?

यदि हाँ, तो घोषणा पर शासनादेश कब तक जारी होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) की स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में नैलवाल पाली विचखोली पम्पिंग योजना से पेयजल आपूर्ति विषयक

88–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में नैलवाल पाली–विचखोली पम्पिंग योजना को कब और कितनी धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पेयजल योजना का कार्य नियत समय व मानकों के अनुसार हो गया है और योजना के अन्तर्गत लक्षित ग्रामों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। सैक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नैलवालपाली पेयजल योजना अनु0 लागत ` 63.82 लाख स्वीकृत है। योजना में अब तक ` 46.52 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

योजना निर्माणाधीन है, निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप गतिमान है। योजना में सम्मिलित 05 बस्तियों में से 01 बस्ती विचखोली हेतु आंशिक जलापूर्ति की जा रही है।

माह दिसम्बर, 2013 तक योजना में सम्मिलित सभी बस्तियों को पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार की नगर पालिका मंगलौर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति

89–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार की नगर पालिका मंगलौर के रा0प्रा0वि0 में शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित हो गयी है ?

क्या सरकार नगर पालिका मंगलौर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में जल संस्थान के सब डिवीजन खोलने सम्बन्धी घोषणा पर शासनादेश

90–श्री ललित फरर्स्वाण–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 13–01–2013 को बागेश्वर उत्तरायणी मेला के उद्घाटन समारोह के अवसर पर क्षेत्र कांडा में जल संस्थान के सब डिवीजन खोलने की घोषणा की गई है ?

यदि हाँ, तो इस घोषणा पर शासनादेश कब तक जारी होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में घोषित वृहद पेयजल योजना का शासनादेश

91–श्री ललित फरस्वाण–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा सं0–621/2012 से कपकोट विधान सभा के फरसाली गुलेर गांव को जोड़ते हुए वृहद पेयजल योजना की घोषणा की गई है ?

यदि हाँ, तो घोषणा में शासनादेश कब तक होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

कपकोट डिग्री कालेज में पेयजल व्यवस्था हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित धनावंटन सम्बन्धी शासनादेश

92–श्री ललित फरस्वाण–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा सं0–608/2012 द्वारा कपकोट डिग्री कालेज में पेयजल व्यवस्था हेतु धन आवंटन की घोषणा की गई है ?

यदि हाँ, तो घोषणा का शासनादेश कब तक होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

शासनादेश संख्या 986/उन्तीस(2)/13–2(61पे0)/2013 दिनांक 12–08–2013 द्वारा स्वीकृति जारी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पंजीकृत अल्पसंख्यक संस्थाओं का विवरण

93–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने मख्तब/मदरसा, ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत तथा वर्तमान में कितने केन्द्रो/संस्थाओं को अल्पसंख्यको के कल्याण हेतु पंजीकृत किया गया है ?

क्या मंत्री जी सम्पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्तमान में किसी भी अल्पसंख्यक संस्था को पंजीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मकतब/मदरसा/अल्पसंख्यक संस्थाओं के पंजीकरण का प्राविधान नहीं है।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्थाओं हेतु कल्याण योजनाएं तथा निर्देश/गाईडलाइन

94–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में मख्तब मदरसों/अल्पसंख्यक संस्थाओं के कल्याण हेतु कौन कौन सी योजना संचालित है एवं संचालित योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु कोई दिशा निर्देश/गाईडलाइन बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। भारत सरकार के आदेश संख्या F.No.11-2/2008-EE-2(MDM) दिनांक 21 अप्रैल, 2008 द्वारा इन मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराये जाने की भी व्यवस्था की गयी है। इन योजनाओं से लाभ प्राप्त किये जाने हेतु पृथक से कोई भी गाइड लाइन नहीं बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना है और भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही संचालित होती है।

प्रदेश में अपंजीकृत/गैर मान्यता प्राप्त मख्तब मदरसों/संस्थाओं को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में

95–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में कितने अपंजीकृत/गैर मान्यता प्राप्त मख्तब मदरसों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करायी जा रही है ?

क्या मंत्री जी उक्त संस्थाओं का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी, बालिका विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग की अध्ययनरत बालिकाओं का सम्पूर्ण विवरण

96–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने कस्तूरबा गांधी, बालिका विद्यालय संचालित हैं तथा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अल्पसंख्य वर्ग की कितनी बालिकायें अध्ययनरत हैं एवं उनका प्रतिशत क्या है ?

क्या मंत्री जी उक्त का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य में कुल 28 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग की 14 बालिकायें अध्ययनरत हैं। उनका प्रतिशत 1.18 हैं।

जी हाँ। विवरण निम्नवत् है।

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	अध्ययनरत अल्पसंख्यक बालिकाओं की संख्या
01	हरिद्वार	नारसन लक्सर भगवानपुर	हरजौलीजट अकबरपुर गोविन्दपुर	02 05 02
02	ऊधमसिंह नगर	सितारगंज बाजपुर	सितारगंज बाजपुर	01 04
			योग	14

प्रदेश में साक्षर भारत योजना अन्तर्गत साक्षर अल्पसंख्यक महिलाओं एवं साक्षरता पर व्यय धनराशि का विवरण

97–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में साक्षर भारत योजना वर्तमान में संचालित है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी जनपदवार इस योजना के अन्तर्गत कितनी अल्पसंख्यक महिलाओं को साक्षर किया गया है एवं उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई है का सम्पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के छः जनपद क्रमशः बागेश्वर, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी एवं उत्तरकाशी आच्छादित है। इन जनपदों में कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 11629 अल्पसंख्यक महिलाओं को साक्षर किया जा चुका है जिन पर व्यय हुई धनराशि का जनपदवार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	जनपद	साक्षर अल्पसंख्यक महिलायें	कुल व्यय
1.	बागेश्वर	25	5750
2.	चम्पावत	247	56810
3.	हरिद्वार	5689	938470
4.	टिहरी	215	6450
5.	ऊधमसिंह नगर	5428	648440
6.	उत्तरकाशी	25	5750
	योग	11629	1661670

98–श्री महावीर सिंह–

चतुर्थ सोमवार के अता0 31 में स्थाना0।

जिला हरिद्वार में अल्पसंख्यक युवक/युवतियों के ट्रेनिंग हेतु शिक्षा विभाग द्वारा संचालित केन्द्रों का विवरण

99–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में कितने जन शिक्षण संस्थान/केन्द्र संचालित है एवं उन केन्द्रों के द्वारा कितने अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को ट्रेनिंग प्रदान की गयी है और उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

क्या मंत्री जी उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

शिक्षा विभाग द्वारा कोई केन्द्र संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पंजीकृत अल्पसंख्यक संस्थाओं का विवरण

100–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में कितनी अल्पसंख्यक संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है ?

क्या उन्हें सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत कोई सुविधा/वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ?

यदि हाँ, तो सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

एक भी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में शीत गृह निर्माण

101–श्री महावीर सिंह–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर के धनौल्टी में नकदी फसलों के रख रखाव के लिए शीत गृह निर्माण प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस क्षेत्र में औद्यानिक नकदी फसलों का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होने के कारण भण्डारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तथा जो उत्पादन होता है, वह व्यक्तिगत उपयोग एवं स्थानीय बाजार में खपत हो जाता है। सरप्लस उत्पादन नहीं होता है। अतः इन कारणों से शीतगृह निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

कृषि, कृषि विपणन, चिकित्सा शिक्षा, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री हरक सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 2 बजकर 04 मिनट पर 3.00 बजे तक के लिए भोजन अवकाश हेतु स्थगित हुई)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा पर नियम 310 के अन्तर्गत पुनः चर्चा जारी (क्रमागत)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आपदा जैसे महत्वपूर्ण मामले पर नियम–310 में चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, बहुत सारे लोगों ने चर्चा करी। हमारे विधान सभा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनको भी स्थगित करके चर्चा करने का आपने अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चर्चाएं हुई। न तो इसमें महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था, न सरकार का बजट था लेकिन फिर भी कोई सरकार का धन्यवाद दे रहा था, कोई आरोप लगा रहा था। बहुत सारे लोगों को हमने आपदा के समय भी देखा।

16–17 जून को जब प्रदेश में आपदा आयी थी, उसके बाद मैं स्वयं भी 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया था। मेरे साथ माननीय विधायक चन्दन राम दास जी भी थे और माननीय सदस्य डा0 प्रेम सिंह राणा जी भी थे। जब हम वहाँ गये तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे और हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था करने के लिए चिन्ता कर रहे थे। हमने स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर हमारी भी मदद की जरूरत हो, तो हम भी अपनी भागीदारी इसमें कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बतायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद 24 और 25 तारीख को मैंने माननीय विधायक शैलारानी रावत जी से फोन पर बात करने की कोशिश की और माननीय राजेन्द्र सिंह भण्डारी जी से भी फोन पर बात करने की कोशिश की कि उनके क्षेत्र में अगर हमारी जरूरत हो तो हम भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। जब उनका फोन नहीं मिला तो माननीय अध्यक्ष जी, हम 5 मित्रों ने पैसा एकत्रित किया और हमने सोचा कि पिथौरागढ़ की तरफ हम लोग जाए। हमारे दो साथी डॉक्टर थे, जिन्होंने अपना क्लीनिक बन्द किया और एक तारीख से हम लोग पिथौरागढ़ के क्षेत्र में गये। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग दो–तीन गाड़ियों में कुछ दवाईयाँ और सामान लेकर वहाँ गये थे। कुछ लोग, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मैंने स्वयं देखा, पट्टाबगड़ में जब हम लोग गए, तो वहाँ बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित थे, जब हमने पता किया कि क्या मामला चल रहा है, तो पता चला कि सोलर लालटेन वहाँ मिलने वाली है। खाद्यान्न वहाँ पर मिलने वाला है। सुबह से वहाँ पर एकत्रित थे, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ कैम्प लगाया। मैं स्वयं एक कार्यकर्ता के तौर पर वहाँ उपस्थित था। कहीं से मैं एक विधायक के तौर पर नहीं गया था। मेरे साथ 6 लोग थे और 2 डॉक्टर अपना क्लीनिक बन्द कर अपने साथियों के साथ वहाँ गये थे। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग अपने साथ टेबिल, स्टूल सब लेकर गए थे। हम लोगों ने वहाँ पर कैम्प लगाया और दवाईयाँ बांटनी चालू करी।

इसी बीच में वहाँ डी0एम0 साहब आए और आते ही उन्होंने कहना चालू कर दिया कि आपने किससे पूछ कर यहाँ कैम्प लगाया है, आपकी दवाईयाँ सही हैं या नहीं ? उनका कहना ठीक था लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जो उनका बोलने का, व्यवहार का तरीका था, वह बहुत ठीक नहीं था। इस वक्त चूँकि पूरा देश सहायता करना चाह रहा था। मेरे साथी स्वयं अपना क्लीनिक बन्द करके वहाँ गये थे। ₹ एक–एक लाख मेरे 4 साथियों ने और स्वयं मैंने ₹ 1 लाख, कुल ₹ 5 लाख एकत्रित कर हम लोग वहाँ गये

थे, जिस तरह से उनका व्यवहार था, वह बहुत ठीक नहीं था। मैं खुद चूँकि एक कार्यकर्ता बन कर गया था। मेरे कपड़ों से भी नहीं लग रहा था कि मैं विधायक हूँ। जब मेरे साथियों ने कहा कि स्वयं विधायक सुरेन्द्र सिंह जीना जी हमारे साथ आए हैं तब उनका व्यवहार परिवर्तित हुआ। तब उन्होंने हमारी दवाईयाँ चैक करीं, जो उनका कर्तव्य भी था, ड्यूटी भी थी। उसके बाद हमने पूरे दिन वहाँ पर कैम्प लगाया। फिर घट्टाबगड़ से आगे रास्ता बन्द था। हमे पता लगा कि ब्रह्मगाँव वहाँ पड़ता है और वहाँ भी लोगों को पता लगा कि कैम्प लगने वाला है, चूँकि माननीय विधायक बिशन सिंह चुफाल जी को हमने सूचना दी थी कि हम दवाईयाँ लेकर दिल्ली से आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम ब्रह्मगाँव मे गये तो रात के 7 बजे पहुँचे क्योंकि रास्ता बीच में टूट गया था। हम लोग करीब डेढ़ दो किलोमीटर पैदल चल कर गए।

मैं तो चूँकि पर्वतीय क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ लेकिन जो लोग दिल्ली से गये थे, मै उनको धन्यवाद भी दूँगा कि वे स्वयं मेरे साथ पैदल चल कर वहाँ पर गये। जब हम रात को 7 बजे वहाँ पहुँचे तो करीब ढाई सौ लोग वहाँ पर दवाईयों के लिए रुके हुए थे और वहाँ पर लोगों का कहना था, मै सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इसकी चिन्ता की होगी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर बहुत हालत खराब है, लोगों की तबियत खराब है। पीने का पानी खराब हो गया है, सरकार दवाईयाँ नहीं दे रही है। और जो दवाईयाँ दे भी रही हैं, वह एक्सपायरी डेट की हैं। इस बारे में मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि यह सब झूठी सूचनायें हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ कमियां वहां पर रही हैं। दूसरे दिन मैं वहां से मदकोट गया तो वहां पर अधिकारियो ने मुझसे कहा कि आप लोग क्यो दवाईयां बांट रहे हैं, विभाग दवाईयां बांट रहा है। उस दिन हमने वहां पर कैम्प लगाकर 600 लोगों को दवाईया दीं।

उसके बाद जब हम 6 बजे वहां से वापस आ रहे थे तो पता चला कि आगे सड़क टूट गई है और रास्ता बन्द हो गया है, तो मैंने जिलाधिकारी को फोन किया, जो एक-दो दिन पहले मुझे वहां मिले थे, कि हम 14 लोग हैं और यहां रास्ते में फंस गये है और मदकोट में रहने की भी कोइ व्यवस्था नहीं है, अगर आप रोड खुलवा देंगे तो हम आगे जा सकेंगे। आगे कुमाऊँ मण्डल के गेस्ट हाउस में हमने रुकने का इंतजाम किया है तो उन्होंने कहा कि आप चिन्ता मत कीजिये एक घण्टे में, मैं सड़क खुलवा दूंगा, आप इंतजार करिये। जब एक घंटे बाद उनका कोई फोन नहीं आया तो मैंने उन्हें दुबारा फोन किया तो उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति का फोन नम्बर मुझे दिया और कहा कि यही सारी व्यवस्थायें देख रहे है, आप इनसे बात कर लीजिये। जब मैंने इस व्यक्ति से बात की तो उसने मुझसे कहा कि जो जे0सी0बी0 वाला है, उसका भी घर-परिवार है, उसको

भी घर जाना है, आप वापस मदकोट चले जाइये, रास्ता अब सुबह ही खुल पायेगा। मान्यवर, सरकार चिन्ता कर रही थी कि 24 घंटे भी किसी को परेशानी नहीं होगी, इसीलिये वहां पर सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उनकी यह बात सुनकर हम बहुत हताश हुये और वापस मदकोट आये, लेकिन वहां रहने की कोई जगह नहीं थी, सारे होटल फुल थे, एक छोटे से ढाबे में हमने 12-14 लोगों के लिये खाना बनाया और उसके बाद वहां के एक हिमालय सिंह नाम के आदमी आये, जब उन्हें पता चला कि विधायक जी आये हैं तो उन्होंने फिर अपने घर पर हमारे रुकने की व्यवस्था करवाई।

मान्यवर, अधिकारियों ने भी कार्य किये, सरकार ने भी कार्य किये, लेकिन कुछ कमियां जरूर रह गईं। आपदा जैसे समय में सरकारी अधिकारी का यह कहना कि जे0सी0बी0 वाले का परिवार है, अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। मेरा कहना यह है कि पीड़ितों को समय से सही सुविधा नहीं मिल पाई, जिसका भुक्तभोगी मैं स्वयं भी हूँ। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में रगड़गाड़ एक गांव है, वहां पर बादल फट गया, साढ़े चार के करीब वहां से खबर आई कि गांव में बादल फट गया है, काफी सारे मकान दब गये हैं, भैंसे दब गई हैं। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को वहां पर पहुंचने को कहा, वह लोग पहुंचे और मैंने एस0डी0एम0 साहब को फोन किया, वह वहां पर सुबह 6 बजे पहुंच गये, खाद्यान्न अधिकारी, खाद्यान्न लेकर पहुंच गये, उससे हमने सामग्री बांटी, उसके बाद मैंने पी0डब्ल्यू0डी0 के एक्स0ई0एन0 को फोन किया तो वह भी साढ़े 6 बजे तक अपनी मशीनें लेकर पहुंच गये। कुछ ऐसे अधिकारी भी थे, जो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे थे। एस0डी0एम0 साहब और मैं वहां पर दो बजे तक बैठे थे लोगों को वहीं पर राशन भी दिया और हमने मुआवजे के चैक भी बांटे।

कुछ लोग तो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे थे और कुछ लापरवाही भी कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मदकोट में हमारे साथ क्या हुआ था। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में स्यालदे और देघाट में बादल फट गया, लेकिन वहां नदी किनारे आबादी न होने से जनहानि नहीं हुई, लेकिन काफी भू कटाव हो गया। अभी माननीय शैलारानी जी और राजेन्द्र भण्डारी जी ने कहा भी था कि उनको वहां पर रोना भी आ रहा था, हम भी टी0वी0 देख रहे थे, तो जो उनका दर्द था वह आसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। मान्यवर, हम लोग विधायक हैं, हम चाहते हैं कि कुछ नीति बने और इसीलिये यह चर्चा हो भी रही है। जो चीजें हो गईं, वह तो हो गई, लेकिन उसके आगे हम लोग अब क्या कर सकते हैं यह देखना जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर भेज दिये, एक लाख का दो लाख कर दिया, इसके लिये तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई नीति आगे के लिये बन जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, 1991 में सुरक्षित एवं आपदा से जूझने के लिये तत्पर भारत के निर्माण हेतु भारत के नवें वित्त आयोग से आपदा राहत कोष की स्थापना की गई थी। उसमें ` 500 करोड़ 2005 में आये भी थे, लेकिन तत्कालीन जो हमारे जन–प्रतिनिधि थे, उससे उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने का काम, किसी को मकान दिलाने का काम, अपने भाईयों को ठेका दिलाने का काम शुरू कर दिया था, यह परम्परा तब से लेकर आज तक चलती आ रही है। आपदा के जो नियम भारत सरकार ने तय किये हैं और इस मद में हमें 75 प्रतिशत पैसा भारत सरकार से मिलता है और 25 प्रतिशत ही राज्य को देना होता है, लेकिन इसके लिये आज भी कोई नियम नहीं बने हुये हैं। आज हम जैसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज भी किसी का मकान टूटता है तो पटवारी, जो राजस्व का व्यक्ति है, जिसे इसका कोई अनुभव ही नहीं है, वह प्रमाणित करता है, जिलाधिकारी को आपने वहां का सर्वेसर्वा बनाकर रखा है, लेकिन उसके पास काम करने वालों की अनुभवी टीम ही नहीं है, जो निर्णय ले सके कि आपदा में आखिर क्या हो, क्या कार्य किया जाय। सिर्फ आपदा राशि की बंदरबाट कर देना ठीक नहीं है।

मान्यवर, हम जन–प्रतिनिधि हैं तो हमारा काम इतना ही नहीं है कि किसी को मकान दिला दें, कहीं खड़ंजा बना दें, कहीं रास्ता बना दें, अगर यही नीति चलती रहेगी तो माननीय अध्यक्ष जी, तो ये आपदा, जो हमारा प्रदेश है इसके 09 पर्वतीय जिले हैं। इसके 04 जिले भूकम्प जोन–4 में आते हैं और 05 जिले भूकम्प जोन–5 मे आते हैं। मान्यवर, जब भी बादल फटेंगे, पहाड़ों में बारिश होगी तो सारा पानी प्लेन्स में आयेगा ही आयेगा। इसको रोकने के लिए हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं, हमारी नीति क्या बन रही है। जब आपदा–प्रबन्धन का गठन हो गया तो क्या इसके बाद इसकी बैठकें हो रही हैं ? 2005 के बाद 2008 मे बैठक हुई। अब आपदा आ गयी है तो 2013 मे बैठक हो रही है। 14 और 15 तारीख को मौसम विभाग ने भी कह दिया कि हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले ही कह दिया था कि 4 और 5 तारीख को महाप्रलय आयेगा और इस बार कुमाऊँ क्षेत्र होगा, लेकिन 4 और 5 को कोई महाप्रलय नहीं आयी। लोगों को इस तरह डरा दिया गया। मौसम विभाग भी अपना पल्ला झाड़कर मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाने लगा। हम भी मुख्यमंत्री जी को कहने लगे।

माननीय अध्यक्ष जी, जब भी आपदा आयेगी तो ये कभी भी आ सकती है जब इतने खतरनाक जोन मे हम लोग रह रहे हैं, इसके लिए आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि क्या आगे के लिए कोई योजना बना रहे हैं ? बहुत सारी चीजें पहले भी आ गयी हैं जैसे माननीय शैलारानी रावत जी ने कहा कि 2000 लोगों को चाहते तो हम लोग बचा सकते थे। मान्यवर, एक भी व्यक्ति अगर मरता है तो कितने दु:ख की बात है। जिसका एक भी व्यक्ति जाता है तो

कितने दु:ख की बात है, कितनी चिंता की बात है। हमें लोगों को बचाने का प्रयास करना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा कि सरकार की ओर से कमी रही है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के लिए हम कुछ न कुछ निर्णय अवश्य लें।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, इसमें मैं यह कहूँगी कि वहां धरने की वजह से 2000 लोगों की मौत हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यदि हम 2000 लोगों को बचा सकते, 2000 जानवरों को हम बचा सकते तो यह कितनी बड़ी बात होती। जो कमियाँ रह गयी है, उनसे हम आगे कैसे निपटेंगे ? जो चर्चा हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आगे के लिए नीतियाँ बन जाए। जो हो रहा है उसमें हम लोगों ने कहीं न कहीं प्रकृति से खिलवाड़ किया है। हम लगातार देख रहे हैं नदी किनारे लोगो ने कब्जा कर लिया है। 05 नाली लोग जमीन खरीदते हैं और 20–20 नाली पर होटल बना लिये है। वो होटल मालिक तो कमा रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं, वो मैसेज क्या दे रहे हैं ? हमारी सरकार ने कर दिया, आपकी सरकार ने कर दिया, 2005 से लगातार पैसा मिल रहा है लेकिन हम कोइ कार्य नहीं कर रहे हैं एक–दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा और हम लोग राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति करेंगे। लेकिन अगर हम इस मामले मे राजनीति करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। मै आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप सरकार में बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी कमियाँ हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि गौशाला के लिए भी आपने परिवर्तन कर दिया, लेकिन मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कई गौशालाएं टूट गयीं, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिला। एक व्यक्ति को एक मकान का पैसा तो मिला लेकिन दूसरे मकान का पैसा उसे नहीं मिला।

यह सच्चाई है माननीय अध्यक्ष जी, उनका यह काम नहीं और फिर यदि वो काम कर रहे हैं तो बिना लिये–दिये कोई काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, इस पर चिन्ता करने की जरूरत है। हम आपदा–प्रबन्धन का काम कर रहे हैं, उसके न्यूनीकरण के लिए काम कर रहे है तो आगे हमारी नीति क्या है ? हमने किया क्या है ? खाली यह नहीं कि अब आपदा आ गयी है तो 2013 में 02 बैठकें कर दी हैं। हम लगातार इन बैठकों को करें, एक सिस्टम बना दें, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, यह भी मेरा आरोप नहीं है जब ` 75 करोड़ आपदा में पेड न्यूज पर खर्च कर दिया। यह पत्रकारिता हमारा चौथा

स्तम्भ है, लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ` 75 करोड़ खर्च करके भी स्थानीय मीडिया पर प्रतिबन्ध लगा देना तो उनकी आवाज को बन्द कर देने का काम है। यदि ऐसा हो रहा है तो मैं इसमें बदलाव करने का आपसे निवेदन कर रहा हूँ और अगर ` 480 की किट को ` 650 में खरीदा है तो यह भी बहुत चिन्ता की बात है। आपदा के समय में जब हम सब लोग इकट्ठे है तो इस तरह का काम न हो और ब्लैक लिस्टेड कम्पनियों को भी काम न दिया जाय। जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ठोस नीति बने। माननीय नवप्रभात जी, हमारे पड़ोसी राज्य चीन ने तैयारी कर दी है, रेल पटरियाँ बिछ गयी हैं, अगर कभी भी युद्ध होगा तो हमें जाने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे आपदा आयी तो रास्ते आदि बन्द हो जायेंगे। तो केन्द्र सरकार से हमारे मानको मे परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि केन्द्र में भी आपकी सरकार है। आप यहां पर भी सक्षम है, पहले सांसद भी रहे हैं, 4-4 सांसद आपकी पार्टी से यहां पर उपस्थित हैं और इको सेन्सटिव जोन केन्द्र सरकार बनाने जा रही है। अभी तो कुछ सड़कें बन पा रही हैं, अगर यह जोन बन जाएगा तो ये भी नहीं बन पाएगी।

ये आपदा से जुड़े हुए मामले है, इसके लिए आपदा के जो मानक हैं, क्योंकि महालेखाकार के द्वारा जो आप केन्द्र सरकार के पैसे को खर्च करोगे। मान्यवर, वह सब पर आपत्तियाँ लगी हुई हैं क्योंकि हम उनके मानकों के आधार पर काम नहीं कर रहे है। नदी किनारे चैक डैम बन जायें, लेकिन वह मानकों में नहीं आती हैं। अगर सरकार चाहे तो उनको मानको मे लाये। हमारे उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, उनको लाकर अगर हम केन्द्र सरकार से कोशिश करें तो उनमें परिवर्तन हो सकता है। इकोसेन्सटिव जोन बनाने का जो मामला चल रहा है उसका विरोध करना चाहिए जिससे और ज्यादा हम सड़कें बना पाये। जर्मनी में है, फ्रान्स में है, इटली मे है, बहुत सारी आजकल वैज्ञानिक पद्धतियाँ आ गई है कि जिसमें बिना पेड़ों को नुकसान पहुँचाये अलग-अलग तरह से सड़कें बन रही हैं, हमारे बहुत सारे मंत्री विदेश घूम रहे है, उन चीजों को यहाँ पर लाये और केन्द्र सरकार से मदद लेकर के वह योजनायें बनायें, ऐसा निवेदन आपके माध्यम से कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री गणेश गोदियाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। वैसे भी जो आपदा श्रीकेदारनाथ से शुरू हुई, जो आपदा बद्रीनाथ से शुरू हुई, दोनों ने आकर, मिलकर श्रीनगर क्षेत्र को प्रभावित किया। श्रीनगर क्षेत्र के विधायक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सुनने का अगर मौका नहीं मिलता तो यह बहस अधूरी रहती। माननीय अध्यक्ष जी, विशेष रूप में धन्यवाद देना चाहूँगा कि भले ही प्रतिपक्ष द्वारा यह प्रस्ताव नियम-310 के तहत लाया गया, लेकिन जिस घटना का जिक्र, जिस घटना का मथन, चिन्तन आपने सुनिश्चित किया। ऐसी महत्वपूर्ण बात पर, ऐसी महत्वपूर्ण घटना पर इस प्रदेश की विधान सभा में यह महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। इस हेतु निश्चित रूप से आपकी सदाशयता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, बेहतर होता नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर होते। माननीय अध्यक्ष जी, 16 जून और 17 जून को जो केदारनाथ में, मैं समझता हूँ कि उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक यह जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है सभी स्थानों पर एक साथ प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा है। इसके चलते शासन तक 16 तारीख की रात तक 17 तारीख की सुबह एक जो सूचना आई कि यहाँ पर ऐसी दुर्घटनायें हो गई हैं।

कल तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पर बात कर रहे थे, मैंने बीच में उनको टोका था। 17 तारीख की सुबह इस बात की जानकारी मिली मैं स्वयं सचिवालय गया। वहाँ पर काफी मंत्री लोग भी थे मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर कैबिनेट की बैठक रही हो। उसके बाद मुझे सूचना मिली कि श्रीनगर में काफी नुकसान हो चुका है, रास्ता बन्द होने के कारण मैं वापस आ गया। उसके बाद 18 तारीख की सुबह को मैं हरक सिंह रावत जी के साथ श्रीनगर गया। 18 तारीख को तीरथ सिंह रावत जी वहाँ पर आये थे उससे पहले तीरथ सिंह जी अपने विधान सभा क्षेत्र चले गये। वहाँ से वह श्रीनगर आ गये। कल वह डी०एम० की तारीफ कर रहे थे। निश्चित रूप से वह डी०एम० की तारीफ कर रहे थे, कहीं न कहीं उस तारीफ की पात्र सरकार होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि आप स्वयं वहाँ आये थे बाद में मुख्यमंत्री जी भी वहाँ आये थे। मैं कहना चाहूँगा कि जो श्रीनगर का निचला क्षेत्र है वहाँ पर लोग आज भी बहुत ही दारूण जीवन जी रहे हैं, चारों तरफ से रेता भरा हुआ है। लोगों ने और शासन ने घरों से मलबा साफ करके, वह घरों में रह रहे हैं। लेकिन एक प्रकार से घर जमीन में दबे हुए हैं। मैं मांग करता हूँ सरकार से करीब डेढ़ सौ वे परिवार हैं उनके विस्थापन की कार्यवाही को तेजी से करने की आवश्यकता है और अगली बरसात से पहले कोई ठोस व्यवस्था करने की जरूरत है मैं ऐसी माँग करता हूँ। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे वहा पर आये। उन्होंने वहां के डी०एम० को स्पष्ट रूप से आदेश दिये हैं कि वहा के लोगों को हैल्प मिलनी चाहिए, वह मिली और वहां पर काफी हद तक स्थित नियंत्रण में हुई। अभी भी बहुत जगह पर स्थिति ठीक नहीं है।

मान्यवर, वहां पर हमारे माननीय मंत्री यशपाल आर्य जी, माननीय हरक सिंह जी, माननीय सतपाल जी आये। इन्होंने वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिये। मैं आपको बताना

चाहता हूँ कि जब मैं 23 तारीख को श्रीनगर गया तो मेरी विधान सभा क्षेत्र के मैणाणी का खण्डासू वाला जो क्षेत्र है वहा पर 20 ग्राम सभायें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा और यहां पर आपदा से सम्बन्धित सचिव भी बैठे हुए हैं। आज तक पैठानी–बडेत मोटर मार्ग नही खुला है। यह 25 ग्राम सभाओं का मोटर मार्ग है, मैं इसके लिए डी0एम0 को बोल–बोल कर थक गया हूँ। यहा पर माननीय तीरथ सिंह रावत जी जो वरिष्ठ नेता भी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। वह यहा पर डी0एम0 पौड़ी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं बोलूं तो वह मुकुट मे होल करने जैसा हो जायेगा, वह ठीक नही रहेगा। वह मोटर मार्ग आज तक नहीं खुला है। जब मैने उस मोटर मार्ग के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि कमिश्नर को भेज दिया है। इस बारे में मै माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कमिश्नर को कहे या शासन को कहें, यह मोटर मार्ग शीघ्र खोला जाय। इस आपदा के तहत जो ग्राम डाण्डी क्षेत्र है वहां पर रोड एवं पानी की लाईन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। अधिकांश लोग जो प्रभावित हैं वह इन्ही दो कारणो से प्रभावित हुए हैं।

मान्यवर, मैं केदारनाथ के बारे मे बताना चाहूँगा यहां पर जिन लोगों ने पूजा से सम्बन्धित बाते की हैं। मान्यवर, जब मैं 22 तारीख को रूद्रप्रयाग पहुचा तो वहां पर माननीय आपदा मंत्री एवं माननीय हरक सिंह रावत जी थे, उसके बाद माननीय शैलारानी रावत जी भी आयीं। मैं केदारनाथ मन्दिर समिति का अध्यक्ष भी हूँ और शासन ने मुझे वहां पर जाने को कहा और मैं वहा से साय को केदारनाथ पहुंचा और आपदा के सम्बन्ध मे यहां पर विपक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के लोग अपनी–अपनी बाते कह चुके हैं। मै कहना चाहूँगा कि वहां पर जाने के बाद दो–तीन लोग जीवित थे और एन0डी0आर0एफ0 के लोग भी वहा पर थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बासुकी ताल पर मदद की मांग कर रहे हैं। क्योकि वहां पर फोन की सुविधा नहीं थी। इसलिए मै गरूडचट्टी के रास्ते बासुकी ताल पर गया, जिसमे मेरे साथ एक नेपाली और मेरा सहायक भी था। वहा पर हमे 32 लोग जीवित मिले, उन 32 लोगो को लेकर मैं गरूडचट्टी पर आया तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन और मैसेज भी किया। उन्होंने मुझे कहा कि मै इन लोगो को लाने की व्यवस्था कर रहा हूँ और स्थितिया बहुत ही कष्ट दायक थी। उन्होने एक हेलीकॉप्टर वहां पर भेजा। मैं इस सदन के माध्यम से उस पायलट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनका नाम भूपेन्द्र सिंह है। सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। हमारी बदीनाथ मन्दिर समिति ने एक प्रस्ताव पास किया है कि उस पायलट को ₹ 51 हजार देकर सम्मानित किया जाय। हमारे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है।

मान्यवर, उसमें माननीय श्री हरक सिंह रावत जी भी थे, उसको करने में तीन दिन लगे क्योंकि हर पाँच मिनट में वहाँ पर मौसम खराब हो जाता था और 24 तारीख को वहाँ से लोगों को पूरी तरह से निकाल पाये। उसमें गुजरात का एक दल ऐसा था जिनके आधे लोग दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना में नहीं रहे और वे उनकी बॉडी छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने उनको समझाया कि बॉडी का क्या करोगे, हमने कहा इनको तो सीधे बैकुण्ठ प्राप्त हो गया है, आप लोग जीवित है और आपकी हिफाजत के लिए सरकार हेलीकॉप्टर भेज रही है आप लोग यहाँ से निकलिए और फिर वे वहाँ से निकले और बाद में उन्होंने अपनी सरकार को बताया होगा तो उनके चीफ सेक्रेटरी का मेरे पास फोन आया धन्यवाद के लिए। मान्यवर, यहाँ लोगों ने पूजा के बारे में कहा और मेरे भाई श्री दलीप सिंह रावत जी ने कल अष्टावक्र की कहानी कही और उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका मतलब यह था कि मैं मूर्खों की बैठक में आ गया, तो ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी–अपनी बात कहते हैं, सभी लोग विद्वान हैं। तो मन्दिर समिति के एक्ट में प्राविधान है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा हो, यह मन्दिर समिति का पहला कर्तव्य है कि पूजा को सुचारू करें। बहुत विपरीत परिस्थिति में यह असम्भव हो गया था कि वहाँ पर पूजा नहीं हो सकती है, उसके बाद जीवित लोग नीचे आये और फिर हमने और मन्दिर समिति ने शासन से अपील की कि हम वहाँ पर पूजा शुरू करना चाहते हैं।

शासन चाहता तो तुरन्त परमीशन दे देता, मगर शासन को वहाँ जाने वाले लोगों की चिन्ता थी कि क्या हम वहाँ पर जाने वाले लोगों के जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और जब इस बात से शासन आश्वस्त नहीं था तो उसने वेट एण्ड वाच की स्थिति अपनाई। थोड़े दिन इंतजार किया और इंतजार करने के बाद जब स्थितियां सामान्य हुई तो पूजा का निर्णय लिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज विवाद है कि पूजा क्यों हुई, इतनी जल्दबाजी क्या थी, तो मैं समझता हूँ कि यह विवाद उचित नहीं है। पूजा का काम मन्दिर समिति का है और शासन से जो मदद मिल सकती थी वह मदद शासन ने की, उसके लिए शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब एक बात और आई कि कोई पत्रकार महोदय कह रहे थे कि विपक्ष के किसी सदस्य ने कहा है कि यह गलत टाईम में पूजा हो गई, भाद्रपक्ष में पूजा नहीं होनी चाहिए थी। क्या यह कोई नई परम्परा है कि भाद्रपक्ष में पूजा नहीं होती है, क्या इससे पहले केदारनाथ में भाद्रपक्ष में पूजा नहीं हुई है, इसी बार विवाद क्यों हो रहा है। इसमें तो यह संदेश देना चाहिए कि इस मौके पर पूरा उत्तराखण्ड एक है, सत्ता एवं विपक्ष सब एक है और हम केदारनाथ में पूजा शुरू करें। पूजा का सम्बन्ध पूरे देश से ही नहीं हमारे प्रदेश से भी है, वहाँ हजारों लोग हैं जो होटल आदि व्यवसाय करते हैं और वे आशा लगाये हैं कि पूजा शुरू हो, तो यात्रा शुरू करने के लिए पूजा करना प्राथमिक कार्य है। इसलिए पूजा की ताकि लोगों को आस हो, जिनकी आजीविका वहाँ पर निर्भर है उनको भी आशा हो कि जल्द यात्रा भी शुरू होगी।

मान्यवर, राजनीति करने के लिए तो सभी पक्ष स्वतंत्र होते हैं, लेकिन राजनीति करने के कुछ विशेष मौके होने चाहिए जिन पर राजनीति करें। इस आपदा के समय विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। माननीय श्री हरक सिंह रावत जी ने सही कहा कि यदि कुछ नहीं किया तो कैसे पहुँचे वहाँ ?

मान्यवर, आज यह स्थिति है कि वहां पहुंचा जा सकता है, यह कार्य इस सरकार ने किया है। मान्यवर, मै इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2010 मे मेरे क्षेत्र में एक जगह पावो है यहा पर आपदा आयी थी। इस आपदा में यहां पर 8 दुकानें पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो गयीं थी, लेकिन इन दुकानदारों को एक पैसे का भी मुआवजा नहीं मिला। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि यदि यह सम्भव हो सके तो इन्हें भी मुआवजा मिले, चूंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो नियम कानून के अन्तर्गत ही होती है। मान्यवर, वर्तमान आपदा में जिस तरह से दुकानदारों को मुआवजा मिला है, उस तरह से वर्ष 2010 की आपदा के दुकानदारों को नहीं मिला है। मान्यवर, यदि उस समय इन लोगों को मुआवजा मिल जाता तो आज हम इस बात को इस समय यहां पर क्यों उठाते।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें श्वेत पत्र लाईये। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) सारी सच्चाई सामने आ जायेगी। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अग्रवाल जी, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। जब आपका समय आयेगा, उस समय आप अपनी बात रखिये। (घोर व्यवधान)

श्री गणेश गोदियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे साथी मेरे अधिकार का हनन कर रहे हैं। मुझे अपनी बात रखने नहीं दे रहे है। जब आप लोग बोल रहे थे उस समय हमने आप लोगों को बीच में रोका नही, अब जब हमारी बारी है तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि हमें भी बीच मे न रोका जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, यह हमारी पार्टी का चरित्र है कि हम सभी की बात सुन लेते हैं।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आप अपनी पार्टी की चरित्र की बात तो मत करिये। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मानानीय अग्रवाल जी, कृपया शांत रहें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) बीच में बोलना बहुत गलत बात है, जब आपका समय आयेगा, उस समय अपनी–अपनी बात रखिये।

श्री गणेश गोदियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपदा की ही तो बात कर रहा हूँ, यदि मैं आपदा से हट कर बोलूगा तो फिर आप लोग बीच में बोलिये। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं, माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दीजिए।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, आपदा का ही विषय है, सिर्फ आपदा के वर्ष में परिवर्तन है। आपदा वर्ष 2010 में भी आयी और आपदा ही वर्ष 2013 में भी आयी। वर्ष 2010 की आपदा में तत्कालीन सरकार ने क्या किया, उसका हवाला दिया और इस आपदा का भी मैं हवाला दे रहा हूँ कि हमारी सरकार ने अब तक क्या–क्या किया। आखिर इसमें किसी को मिर्च लग रही है तो मैं क्या करूं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अग्रवाल जी, माननीय सदस्य की पूरी बात आने तो दीजिए, जब माननीय सदस्य की पूरी बात आ जायेगी और उसके बाद जब आपका समय आयेगा, उस समय अपनी बात रखिये।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मिर्च शब्द असंसदीय है, इसे कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मिर्च शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आप लोगों ने भी तो कहा, ऊँट के मुँह में जीरा। (व्यवधान)

विद्यालयी, प्रौढ़, संस्कृत शिक्षा, पेयजल मंत्री (श्री गणेश गोदियाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जो समय मिला, उसमें से 5–7 मिनट तो इन लोगों ने ऐसे ही खराब कर दिये लेकिन मैं कम से कम समय में अपनी बात को समाप्त करूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सी अच्छी–अच्छी बातें भी आई। एक बात अच्छी यह आयी, माननीय चीमा जी ने कहा, मैं उस बात का समर्थन भी करता हूँ, आपने कहा कि ऐसे समय पर सरकार को एक संसदीय समिति बनानी चाहिए, ऑब्जर्वेशन के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव बहुत अच्छा है। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। यह नहीं है कि विपक्ष से कोई भी बात आयी तो हम उसको बुरा ही कहेंगे। अच्छी बातें भी आ सकती है और अच्छी बातें भी आयी है। हम उनका स्वागत करते हैं। आपके वरिष्ठ नेता निशंक जी वहाँ पर पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक पूजा के लिए जो उन्होंने क्वेश्चन किया, उसका जवाब मैं उनके रहते ही देना चाहता था कि यह मन्दिर समिति का काम था और मन्दिर समिति ने अपना काम किया, सरकार ने उनको मदद पहुँचाई। इस बात के लिए वे सरकार को क्रिटिसाईज नहीं कर सकते कि सरकार ने पूजा क्यों शुरू करी। मैंने इस बात को पहले भी कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा बहुत सी बाते और भी हैं, अभी कल परसो से हमारे बहुत से मित्र इस बात को कह रहे थे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बार–बार लड़ते रहते हैं, खासकर शैलारानी जी के बारे में, भण्डारी जी के बारे में और मेरे बारे मे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जुझारूपन हमारा चरित्र है। जैसे कि आज होड लगी हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बडाई करें और बाकी सबकी बुराई करें। (व्यवधान) हमें अच्छा लगा लेकिन जब असली मदद की जरूरत होगी तो हम कहीं पीछे थोडी हैं। हम सरकार के साथ हैं और पूर्णतया सरकार के साथ है। इसमें किसी को संदेह नही होना चाहिए।

*श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, सफाई क्यों देनी पड रही है ? (व्यवधान) आप माननीय नेता सदन को प्रसन्न करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, हम भी मानव हैं और मानवीय स्वभाव होता है, जब आप लोग बडाई करते रहते हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने हमसे ज्यादा काम करा लिया। लास्ट में फिर बात वहाँ पर आती है। एक शेर अभी माननीय भण्डारी जी ने सुनाया था, अब एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ–

"तुम हमको न चाहो तो कोई बात नहीं,

तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी।" (व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारी सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी सबके हैं। लेकिन अगर हमसे ज्यादा कोई उधर से नम्बर बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वह बात हमको हजम नहीं होगी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अन्ततोगत्वा हम सबको इस बात पर निश्चित रूप से जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, पूरे सदन को तय करना होगा कि इन बिन्दुओं पर हम सब एक मत हों। जो आपदा आयी है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे प्रदेश की जनता निश्चित रूप से त्राहि-त्राहि कर रही है लेकिन सरकार की तरफ से काफी कुछ हुआ और काफी कुछ करना अभी बाकी है, उसमें आपकी भी सहभागिता होगी। सरकार भी अपना काम करेगी और निश्चित रूप से हम इस दु:ख की घड़ी को दूर कर खुशी के पल दोबारा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपने उद्‌बोधन को समाप्त कर रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अजय टम्टा-

मान्यवर, हमारे द्वारा नियम-310 में, चूंकि पहले बिजनेस कमेटी में भी हम लोग अनुरोध कर चुके थे, सत्र के शुभारम्भ में भी हमने इस हेतु निवेदन किया था कि जो जल प्रलय हमारे प्रदेश मे विगत दिनों आया है, उस पर इस नियम में चर्चा होनी चाहिये और आपने हमारे इस निवेदन को स्वीकारा भी। मान्यवर, जब सदन चलने वाला था तो मैं क्षेत्र में था और धारचूला, पिथौरागढ़ और गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों में सम्पर्क में था और देश के अनेक लोगों का भी फोन मेरे पास आ रहा था कि उत्तराखण्ड राज्य में इतना बड़ा जल प्रलय आया है, तो क्या इस पर सदन में चर्चा होगी, तो हमने कहा कि अवश्य होगी और हम भी निवेदन करेंगे। जब हमने इसका निवेदन किया तो आपने इस विषय को स्वीकारा, तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, यह मैसेज प्रदेश के उस जनमानस मे भी गया है, जो इससे प्रभावित है और देश भर के लोगों में भी यह मैसेज गया है कि उत्तराखण्ड के सदन मे आपदा पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, रूद्रप्रयाग जिले की भौगोलिक परिस्थितियों से मैं भी बहुत भिज्ञ हूँ क्योंकि जब मैं आदरणीय जनरल साहब की सरकार में मंत्री था तो रूद्रप्रयाग जिले का मै प्रभारी मंत्री भी था। केदारनाथ जी और हेमकुण्ड साहिब को मैंने देखा है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश के एक सांसद, जो मेरे मित्र भी है का फोन आया कि अजय जी, आप उत्तराखण्ड के रहने वाले हैं, हमारे कुछ लोग वहां पर गये थे, उनके फोन 15 तारीख से नहीं लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर के कोई राठौर परिवार के दो गांवों के करीब 120 लोग दो बसों से आये थे और ऋषिकेश तक उनकी उनसे बात हुई थी, उससे आगे वह लोग छोटी गाड़ियों से गये हैं। चूंकि 17 तारीख तक किसी को घटना का पता नहीं था, लेकिन मुझे कुछ सन्देह होने

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगा था। लेकिन मैंने कहा कि वहां पर पहाड़ आदि होने के कारण सिग्नल नहीं मिल पा रहे होंगे, आप थोड़ा इंतजार करिये और मैंने रूद्रप्रयाग के कई साथियों को फोन ट्राई किया, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लगा।

श्रीनगर के एक मित्र को फोन किया तो उन्होंने कहा कि यार यहां तो मौसम ठीक नहीं है और ऊपर कुछ गम्भीर हुआ है, ऐसी सूचनायें आ रही हैं। एक निजी कम्पनी के पायलट, जिनका जिक्र यहां पर बार-बार हुआ है और सभी लोगों ने उनकी तारीफ की है, सौभाग्य से वह भी मेरे मित्र हैं, उनको कारगिल युद्ध में वीर चक्र भी प्राप्त हुआ है, उनका नाम कैप्टन भूपिंदर सिंह है। इसके बाद मैंने भी उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि "ऐसा है अजय जी, हमने 17 तारीख को शाम 6 बजे फाटा से रामबाड़ा के लिये उड़ान भरी थी। जब हमने ऊपर से रामबाड़ा को देखा तो ऐसा लगा कि रामबाड़ा तो है ही नहीं।" और उन्होंने 17 तारीख की शाम को ही इसकी सूचना सरकार के अधिकारियों को दे दी थी। उसके बाद वह केदारनाथ तो नहीं जा पाये क्योंकि मौसम खराब था और 18 तारीख से लगातार उन्होंने रेस्क्यू प्रारम्भ किया। मान्यवर, यह सही है कि उस जल प्रलय में जल के साथ कई लोग बह गये थे और यह भी सही है कि कई लोग अपनी जान बचाकर जगलों की तरफ भागे। तो ऐसे में कैप्टन भूपिंदर सिंह और उनके साथियों ने प्रयास किया कि इन लोगों को बचाया जाय, मैं समझता हूँ कि इससे क्षेत्रीय विधायक भी सहमत होंगे।

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि हम बहुत सारे और लोगों को भी बचा सकते थे, क्योंकि उन्हीं का एक व्यक्तिगत अनुभव था, मैंने उनसे कहा कि क्या आप कोई व्यक्तिगत अनुभव बतायेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको वह सुनकर बहुत दुःख होगा, मैंने कहा कि मुझे तो इस घटना से ही दुःख है। उन्होंने बताया कि मान्यवर, एक जगह एक दर्रे में तीन महिलाएं ऐसी फसी हुई थीं, जहां दोनों जगह से पानी आ रहा था और पहले दिन जब हमने उनको देखा तो उन्होंने हाथ हिलाया, मगर हम कहीं पर भी हेलीकाप्टर को रोक नहीं सकते थे, इसलिए हमने इशारा किया कि आप लोग ऊपर को चले आओ। मगर लगता यह था कि उनके पेट में कुछ भोजन नहीं था तो सम्भवतः हम उनको नहीं ले पाये क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को हमें लाना था तो हम आगे-आगे से लोगों को ला, ला कर नीचे ला रहे थे। मगर दूसरे दिन वो महिलाएं बैठी हुई थीं और तीसरे दिन वो महिलाएं लेटी हुई थीं। मान्यवर, ऐसी बहुत सारी घटनाए हैं। मान्यवर, या तो सरकार की थोड़ी-बहुत कमी कहें या हो सकता है कि सरकार की थोड़ी-बहुत से बहुत ज्यादा कमी कहें। इस प्रकार की घटनाओं में लोगों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने भी अपनी सेना को भेज दिया, वायु सेना को भेज दिया, उसके बावजूद भी

हम इतनी जानें बचा पाये, सम्भवत: और कुछ रिक्वेस्ट करते, कुछ और ज्यादा संसाधन जुटाते। जैसा कि माननीय निशंक जी वहां सबसे पहले पहुँचे, ऐसे ही आदरणीय हरक सिंह जी पहले पहुँचे, बहुत सारे लोग पहुँचे, माननीय गणेश गोदियाल जी ने भी बताया। विगत घटना मे हम लोग भी सक्रिय थे। आपकी कमेटी में अल्मोडा की अमिता जीना जी भी सदस्य थीं। उनके घर में भी हम लोग लगातार बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे।

मान्यवर, यह बहुत बडी घटना जो हुई है इसमें थोडा-बहुत जो हमारा डिजास्टर का काम था, उसमें थोडी-बहुत कमी के कारण और बहुत सारे लोगों की जान बचायी जा सकती थी, भले ही चाहे ठंड के कारण उनकी मृत्यु हुई हो, बहुतों की ऑक्सीजन के कारण मृत्यु हुई हो, क्योंकि वहाँ का टैम्परेचर बहुत ठंडा है, जिस कारण से बहुत से लोगो की जानें गयी है। सरकार को जरूर स्वीकारना चाहिए बहुत सारी जो कमियॉ है, हो सकता है कि मौसम साथ नही दे रहा था। लगातार इस बात पर भी हमको ध्यान देना पडेगा कि उत्तराखण्ड राज्य में लगातार कई वर्षों से लगभग 2008-09 से लगातार एक नया प्रकार का बरसाती मौसम हो रहा है और खण्ड वृष्टि टाईप की हो रही है और बारिश का स्वरूप इतना खतरनाक है कि हर बार लोगों के दिमाग में रहता है कि अब क्या होगा। मुझको ध्यान है बहुत अच्छे ढग से हमारे कई साथी बोल रहे थे कि 2010 की आपदा में क्या हुआ, ये सारी चीजें आप लोग भी, हम लोग भी बोल रहे थे। यह आने वाले समय के लिए एक नजीर बनेगा कि उत्तराखण्ड विधान सभा का एक सत्र पूरा दो दिन तक इसी चर्चा में रहा कि वास्तव में भविष्य मे आने वाली आपदा से हम कैसे निपटेंगे। मेरा कहना माननीय अध्यक्ष जी, यह भी है कि 2010 में सबसे पहले लॉज अकेला की घटना घटी। मुनस्यारी के नीचे लॉज अकेला में 42 परिवार एक ही रात मे लील लिये गये। आपने बताया कि पानी तो जमीन से आता है, मगर यह एक प्रकार का नया स्वरूप देखा कि पहाड के अंदर से पानी फट रहा है। अनेक स्थानों के बडे-बडे पत्थर और मलबा अचानक निकल रहा था। लॉज अकेला की घटना में पहले दिन ही मै पहुँचा था तो 42 परिवार एक ही रात में लील लिये गये थे। दो परिवार मात्र बचे थे। वहीं बागेश्वर में सुमगढ की घटना हुई, इसमे 18 बच्चे हमारे एक ही दिन की धूप मे चले गये, एक दीवार ढहने से। ऐसी ही अल्मोडा की घटना जो 2010 की है, उसमें भी बल्टा में, देवली मे बहुत बडी घटना घटी। मान्यवर, बराबर उत्तराखण्ड राज्य में ऐसी घटनाएं घट रही हैं।

संयोगवश अगर केदारनाथ जी में यात्रा का समय नही होता तब यदि बादल फटता तो शायद इतनी जनहानि नहीं होती। ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि बारिश का मौसम और बादल का फटना, जलप्रलय का आना और बहुत बडी संख्या में वहा पर तीर्थयात्रियो का रहना, यह बहुत बडी घटना हुई है। वहीं धारचूला, मुनस्यारी और झूलाघाट, उन स्थानो

में आपने भी बहुत समय दिया है, आपने भी लोगों का दुख-दर्द देखा है। मैं बताना चाहता हूँ कि काली और गोरी गंगा ने जो कहर किया है उससे भारत और नेपाल दोनो जगह भारी नुकसान हुआ है। बल्कि धारचूला का बलवाकोट, जौलजीबी, गुट्ठी, आलागाड, राती, जुम्मा, खेला, गुजी और दारमा, ये सारे स्थानों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आज सदन में यही बात रखना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर विराजमान है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी बेल्ट है, जो हमारे हरीश धामी जी का क्षेत्र है, इस बेल्ट में लगभग जो गांव हैं, वो पूरे के पूरे जमीन से निकले हुए गांव हैं और आने वाले समय में कभी भी वो गिरने की स्थिति में हैं, क्योंकि पूरा पानी भर गया है, पानी भरने से जगह-जगह दरारें पड गयी हैं गावो के अंदर, कई जगह गांव बैठ गये हैं। मान्यवर, मुन्स्यारी के नीचे एक गाँव है वह पूरा का पूरा बैठ गया है। मुझे लगता है वहाँ से वह पूरी मधुकोट तक इस नदी ने पूरा काट दिया है। आने वाले समय में काफी कठिनाई होगी और कभी भी बहुत बडी घटना घटने की आशंका है। इसको किसी भी तकनीकी माध्यम से इन गाँवों को सरकार चिन्हित करे और वहाँ पर रहने वाले लोगों को कही अन्य स्थानों पर विस्थापित करे। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो गोठी में बार्डर रोड का आफिस है वह पूरा का पूरा नेपाल चला गया और जो नदी का स्वरूप है वह भारत की तरफ आ गया है। ऐसी स्थितियाँ आ गयी हैं। हमसे भी आर्थिक रूप से उतना सक्षम नेपाल नहीं है। मगर नेपाल की सारी रोडें बार्डर तक खुल चुकी हैं। उसमें आवागमन हो रहा है। ठीक एक महीने के बाद हमारी जौलजीवी धारचुला कनेक्टीविटी हो पाई। मैं एक महीना उस क्षेत्र में लगातार रहा। एक महीने तक मैं किन परिस्थितियों में रहा। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार ने भी प्रयास करे क्योंकि इस क्षेत्र के अन्दर दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ कि माननीय विधायक जी सम्भवतः नेपाल के सिम से बात करते होंगे। वहाँ पर नेपाल का सिम लेकर, भारत के करीब 40-50 गाँव नेपाल का सिम लेते हैं और तब बात करते हैं। कहीं हम कहते हैं कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में हम संचार की सुविधा नहीं देंगे। कही हमारे पास संचार की सुविधा उपलब्ध है वह भी नेपाली सिम के माध्यम से, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और उस क्षेत्र का रोना भी है कि हमारे यहाँ संचार की सुविधा कुछ भी नही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस क्षेत्र में जो लोग टैन्ट में रह रहे है। गोठी में अभी भी लोग टैन्ट में है। धारचूला में अभी लोग स्कूल में हैं। सरकार इस पर गम्भीर हो क्योंकि अब ठंड का मौसम आने वाला है। मैं देख रहा था कि उनके टेन्ट के अन्दर कोई बिच्छू वगैरा आ रहे हैं और उनको बहुत बीमारी भी हो रही है। वह कीचड़ में रह रहे हैं क्योंकि बरसात तो हो ही रही है। बरम में यही हाल है।

माननीय अध्यक्ष जी, तत्काल इन लोगों की रहने की व्यवस्था की जाये। माननीय अध्यक्ष जी, सेराघाट वाली बेल्ट में क्योंकि आप उस जनपद के रहने वाले हैं आपने देखा भी है अभी खेरखेत में इतना बड़ा पहाड़ है, वहाँ का भी भूगर्भीय सर्वेक्षण होना चाहिए। वह बरसात में नहीं हो रहा है, वहाँ गर्मियों में धुआं निकल रहा है, पूरा खेराखेत क्षेत्र भरभराकर गिर रहा है। आपने 10 तारीख को देखा होगा पूरा धौलछिना से आगे को पूरा शेराघाट की बेल्ट में मलबा आने के कारण दो गाड़ियाँ, रोडवेज की बसें गिर जाती हैं, उनमें पाँच लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसमें गंगोलीहाट और धारचूला के हमारे भाई होते हैं। सुबह सात बजे यह घटना घटती है। मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचता हूँ। क्योंकि एक डेढ़ घंटा हमें जाने में लगता है। डेढ़ घंटे के बाद वहाँ जो लोग हैं जिनको हम उठा कर लाना चाहते हैं जो गम्भीर हालत में हैं जिनको अस्पताल में दिखाना चाहते हैं। उनको इस कारण से नहीं ला पाते हैं कि जगह जगह मलबा है। हम चार बजे उस बस तक पहुँचते हैं। जिलाधिकारी भी थे और एस0पी0 भी साथ में थे। इन सारी चीजों को देखते हुए हमको एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में ये नजीर बनेगी। और उस नजीर में आपको सब महत्वपूर्ण रूप से याद करेंगे। आने वाले समय में क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। कहीं भी कोई प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है। ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। शहरों के अन्दर भी यह समस्या आने वाली है।

मैंने आपके माध्यम से यह भी बताना चाहा कि जौलजीवी का एक पुल है। मैं समझता हूँ कि उसका जिक्र माननीय सदस्य ने भी किया होगा। जो भी माननीय सदस्य वहाँ गये हैं उनको जानकारी होगी। मेरे को जो बताया गया सरकार स्वयं संज्ञान में ले ले। वह पुल नेपाल सरकार के द्वारा बनाया गया। नेपाल के कुछ इंजीनियरों ने आकर भारत में सम्पर्क किया है। उन्होंने जो अपने देश का अपरमेंट है जो चिनाई होकरके पुल बनना है उसकी वह एन0ओ0सी0 ले चुके है। आज दो तीन महीना हो चुका है हमारे भारत की तरफ से उसमें थोड़ा पहल हो जाये, उसकी एन0ओ0सी0 भारत सरकार से वन हस्तान्तरण की मिल जाये तो सम्भवतः वह पुल बन जायेगा। क्योंकि वह एक अन्तर्राष्ट्रीय मेले का स्थान भी है।

मान्यवर, जौलजीबी पर बहुत बड़ा मेला होता है और वहां पर हमारे बहुत सारे लोगों के रिश्ते है वह टूट चुके है। इसलिए माननीय नेता सदन से मेरा निवेदन है कि इस बात को भी गम्भीरता से ले। इस आपदा में हमारे माननीय मोदी जी ने भी कहा कि यदि आपको कोई सहयोग की जरूरत है तो हम आपको सहयोग करेंगे। यह अच्छा होता कि हमारी यह सरकार उनसे भी कुछ सहयोग ले लेती। मुझे याद है कि हमारी पूर्व की सरकार में, जब नेपाल ने पानी छोड़ा तो बिहार में बाढ़ आ गयी थी। उस समय के माननीय सदस्य इस विधान सभा में भी आये हैं, हम सब ने उस समय माननीय मुख्यमंत्री

जी को आवाहन किया कि हम लोग अपनी विधायक निधि से ` 10–10 लाख बिहार के बाढ़ क्षेत्र को देंगे। उस समय हम लोगो ने पैसा दिया था। अब दूसरे राज्य से पैसा लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उसको राजनैतिक रूप में नहीं लेना चाहिए।

मान्यवर, केदारनाथ मन्दिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। इसलिए इस आपदा का बहुत बडा मैसेज पूरे देश में चला गया है। (व्यवधान) मान्यवर, अभी यह भी कहा गया था कि पूजा ठीक समय पर नहीं हुई है। वहा की पूजा भक्तो के द्वारा होती है। यहा पर एक प्रकार से सरकारी हिसाब किताब से कार्य हो रहे है, यह तो समिति का निर्णय था। वहा पर लोगों को कोई दिक्कत न हो और आज भी लोग हमसे पूछ रहे है कि वहा पर पूजा फिर से शुरू हो गयी है ? यह आपदा सभी विधान सभा क्षेत्र में आयी है और सभी जगह पर नुकसान हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कह रहा हूँ। सरकार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र का आकलन करा ले कि कहां पर क्या–क्या नुकसान हुआ है। सभी जगह पर उपजाऊ भूमि का बहुत बडा नुकसान हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र में भी बहुत बडा नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वह प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र का आकलन करा ले और हर वर्षाकाल में ऐसा ही होने वाला है, इसलिए बारिश के दो–चार महीने पहले इसकी पूरी तैयारी कर लें। धौलाछीना में जो बस गिरी थी वहां पर तो आपदा की सामग्री सारी थी लेकिन उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। आज की बात सदन में दो दिन की चर्चा का विषय न रहे, ऐसा होना चाहिए कि आने वाले दिनो में इसका लाभ मिले। आज कल तो सूचना तंत्र भी बहुत मजबूत है। इस आपदा के बारे में हमारे बहुत सारे साथियो ने सदन में अपनी बात रखी है। सभी लोगों ने कहा कि आत्मीयता से हम सब लोगों को इस पर काम करना चाहिए। इसके लिए हमारे अधिकारियों को भी आत्मीयता से काम करना चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

वित्तीय वर्ष 2013 14 की प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगे प्रस्तुत करती हूँ।

मान्यवर, वर्ष 2013–14 की प्रथम अनुपूरक में कुल ` 4815.85 करोड का प्राविधान है, जिसमें से आयोजनागत पक्ष में ` 3299.82 करोड व आयोजनेत्तर पक्ष में

` 1516.03 करोड का प्राविधान है। आपदा 2013 पैकेज अन्तर्गत पुनर्निर्माण हेतु लगभग ` 2350 करोड का व्यय प्राविधानित है। इसके अधीन वाह्य सहायतित, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत शहरी विकास, पेयजल, लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई एवं बाढ, जलागम, कृषि सम्बद्ध सेवाए, खेलकूद, शिक्षा, ऊर्जा आदि विभागों के कार्यों हेतु व्यवस्था की गयी है। आपदा राहत कार्यों हेतु एन0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत ` 526 करोड की अतिरिक्त बजट व्यवस्था की गयी है। गैरसैण मे ग्रीष्मकालीन विधान सभा भवन हेतु ` 25 करोड का प्राविधान किया गया है। रायपुर (देहरादून) में सचिवालय भवन (फेज–1) के निर्माण हेतु ` 25 करोड का प्राविधान किया गया है। जिला अल्मोडा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौडी गढवाल, पिथौरागढ, ऊधमसिंह नगर व उत्तरकाशी में न्यायिक मजिस्ट्रेट के 18 न्यायालयों एव तहसील देहरादून, बाजपुर, सितारगज, जसपुर एव मसूरी मे सिविल जज (जूनियर डिविजन) के न्यायालयो की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। परियोजना विकास निधि व वायबिल्टी गैप फंडिग हेतु ` 4 करोड का प्राविधान किया गया है। जिलाधिकारियों के निवर्तन पर अनटाइड फंड हेतु ` 3.25 करोड का प्राविधान किया गया है। एसिड अटैक सम्बन्धित अपराध से पीडितों की सहायता हेतु ` 5 लाख का प्राविधान किया गया है। आपदा मे खोज/बचाव कार्यों की सुदृढ व्यवस्था करने के लिए एस0डी0आर0एफ0 के गठन हेतु ` 5.84 करोड व भवन के निर्माण हेतु ` 5 करोड का प्राविधान किया गया है।

अल्मोडा में फायर स्टेशन तथा गरूड व कपकोट में उप फायर स्टेशन के भवन निर्माण व उपकरणों के लिए ` 6 करोड का प्राविधान किया गया है। राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों मे अध्ययनरत बालिकाओं को मुफ्त साइकिल योजना हेतु व्यवस्था की गयी है। आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, एन0आई0टी0, एन0डी0ए0 एव आई0एम0ए0 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित प्रदेश के छात्र–छात्राओं को पुरस्कार हेतु ` 1.50 करोड की बजट व्यवस्था की गयी है। ऋषिकेश मे हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु ` 50 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है। कोटद्वार में बेस चिकित्सालय, ट्रामा सेंटर तथा डाइग्नोस्टिक सेंटर के निर्माण हेतु ` 5 करोड का प्राविधान किया गया है। बाजपुर, चम्पावत एवं गुप्तकाशी मे नर्सिंग कालेजों की स्थापना हेतु ` 3 करोड का प्राविधान है। अल्मोडा–सरयू–सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना हेतु ` 1 करोड का बजट का प्राविधान किया गया है। पेयजल सैक्टर में लगभग ` 120 करोड, शहरी विकास हेतु लगभग ` 160 करोड, सिंचाई/लघु सिंचाई/बाढ कार्यों हेतु लगभग ` 454 करोड, लोक निर्माण विभाग में ` 292 करोड की व्यवस्था की गयी है। देहरादून, हरिद्वार एवं रूद्रपुर में कार्यशील महिलाओ के छात्रावास हेतु ` 9 करोड का प्राविधान किया गया है।

इंजीनियरिंग व मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत बी0पी0एल0 विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए लैपटाप वितरण योजना के लिए ` 9 करोड़ का बजट का प्राविधान किया गया है। विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा में ` 26.46 करोड़, माध्यमिक शिक्षा में ` 33.61 करोड़ का प्राविधान है। उच्च शिक्षा में ` 38.61 एवं तकनीकी शिक्षा में ` 37.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। खेल सैक्टर में ` 37.50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु ` 2 करोड़ का बजट का प्राविधान किया गया है। बेरोजगारी भत्ता हेतु ` 6.50 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। कालसी (देहरादून) एवं नरियाल गांव (चम्पावत) में पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हेतु ` 2 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कृषि महाविद्यालय जखोली तथा भराड़ीसैंण की स्थापना हेतु ` 1 करोड़ बजट का प्राविधान किया गया है। खनन के सम्बन्ध में पर्यावरण प्रभाव का आकलन एवं सर्विलांस कार्यों हेतु ` 9.13 करोड़ बजट का प्राविधान किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने यह कहा है कि उत्तराखण्ड में आपदा को देखते हुए अनुदान मांगों पर हम कोई बात नहीं बोलना चाहेंगे, आपने बजट रख दिया है और हमने स्वीकार कर लिया है। यह एक इतिहास इसलिए भी कायम हो रहा है कि हमने एक वचन दिया था कि इस समय आपदा पूरे प्रदेश में लगी है। मान्यवर, वरना तो हर विधायक एस0एन0डी0 में अपने लिए कुछ न कुछ चाहेगा। मान्यवर, जैसे आपने एन0डी0आर0एफ0 के लिए मांगा है, आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए मांगा है, कुछ बचे हुए कार्यों के लिए मांगा है। मान्यवर, कल को हमारे ऊपर कोई लांछन न लगे, छोटी–छोटी बातों पर एस0एन0डी0 में भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही कह रखा है तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि टोटल बजट आप बता दीजिए। एक चीज इतना जरूर बता दीजिए कि ये अनुदान मांगें क्यों मांगी जाती है, क्योंकि आज कोई एक माननीय नये विधायक थे उन्होंने कहा था कि हमें तो पता ही नहीं है कि प्रोसीजर क्या–क्या होता है, इसको बता कर आप भी अपनी वाणी को विराम दे दीजिए। इसके बाद आपदा पर चर्चा शुरू हो जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अनुपूरक मांगें ` 4815.85 करोड़ है। अनुपूरक मांगें दो ही स्थितियों में मांगी जाती है, एक जहां–जहां विकास कार्य हेतु धन की आवश्यकता है इस बीच इसे आपदा के कारण भी समायोजित किया गया है। जो मुख्य बजट है वह मार्च में हमेशा आता है, जो सभी विभागों को दिया जाता है। इसमें जो वंचित रह गये हैं या विभाग

द्वारा पास किये गये प्रस्ताव, जिनको कैबिनेट में पास किया जाता है। उनके लिए इसमें बजट का प्राविधान किया जाता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुख्य बजट के समय यह लिबर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि बजट के एक–एक पैसे का सदुपयोग प्रदेश के हित में होना चाहिए। एक–एक पैसे का जवाब हम मुख्य बजट में मांगेंगे। कितने की एस0एन0डी0 हुई, और बजट कहा–कहा खर्च हुआ। उस समय हम इस तरह की लिबर्टी नहीं देंगे, यह लिबर्टी हम सिर्फ आपदा की वजह से दे रहे है। हम चाहते हैं कि आपदा पर चर्चा जारी रहे और हमारे हर विधायक को बोलने का मौका मिले चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो और उनकी क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो। मान्यवर, कुछ नये सदस्यों को यह पता नहीं होता है कि यह एस0एन0डी0 क्यों होती है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था, बाकी माननीय अध्यक्ष जी, पढा हुआ मान लिया जाय।

(अनुपूरक बजट पढा हुआ माना गया)

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2013 के प्रथम सत्र के नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2013 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड रूद्रपुर के अन्तर्गत ग्राम कनकपुर में राजकीय हाईस्कूल का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड रूद्रपुर के अन्तर्गत ग्राम कनकपुर में राजकीय हाई स्कूल का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री बलजीत सिंह, निवासी ग्राम कनकपुर, पो0 प्रतापपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नव प्रभात–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम रूद्रपुर, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर के ग्राम देवथला में अनुसूचित जाति बस्ती के लिए कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नव प्रभात–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर के ग्राम देवथला में अनुसूचित जाति बस्ती के लिए कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री दौलत राम, निवासी ग्राम सभा रूद्रपुर, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जांघा में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नव प्रभात–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जांघा में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री गेन्दन लाल, निवासी ग्राम जांघा, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर तप्पड़ में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नव प्रभात–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम जमनीपुर तप्पड़ में कृषि भूमि की सिंचाई

हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री अश्वनी कुमार, निवासी ग्राम ममनीपुर, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के तहसील विकास नगर में नगर पालिका परिषद वार्ड नं0 1, 4, 5, तथा वार्ड नं0 9 में सीवर लाईन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नव प्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के तहसील विकास नगर के नगरपालिका परिषद वार्ड नं0 1, 4, 5 तथा वार्ड नं0 9 में सीवर लाईन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र प्रकाश, निवासी नगरपालिका परिषद विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा छरबा (उस्मानपुर) की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा छरबा (उस्मानपुर) की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री लियाकत अली, निवासी ग्राम सभा छरबा (उस्मानपुर), विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा फतेपुर में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु उत्तर उदगादी नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा फतेपुर में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु उत्तर उदगादी नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री अश्वनी कुमार, निवासी ग्राम फतेपुर, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा कटापत्थर की हजारों बीघा कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित होने के कारण सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा कटापत्थर की हजारों बीघा कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित होने के कारण सुरक्षा हेतु कटापत्थर में यमुना नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री पाती राम, निवासी ग्राम कटापत्थर, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा ढकरानी के नहर पार कृषि फार्म के पीछे निवासियों की कृषि भूमि के लिए सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा ढकरानी के नहर पार कृषि फार्म के पीछे निवासियों की कृषि भूमि के लिए सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में'' मो0 यूनिस, निवासी ग्राम सभा ढकरानी, विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री अजय टम्टा तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से मा0 सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना जो कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के 42 विभिन्न सड़क सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना जो कि जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में मछोड़ नामक स्थान पर सम्पूर्ण स्वीकृति के उपरान्त भी विद्युत सब पावर स्टेशन का निर्माण न होने के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ।

जनपद नैनीताल के भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काला पातल ल्वेशाल एवं कस्यालेख सूपी पाटा रोड के बन्द होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में श्री दान सिंह भण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[(1) कालापातल–ल्वेशाल मोटर मार्ग:–

कालापातल–ल्वेशाल (मौना–ल्वेशाला–कालापातल) मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 31.77 किमी0 है। उक्त मार्ग में से मौना से ल्वेशाला तक का भाग 10.50 किमी0 लम्बाई मे लेपित है। ल्वेशाल से पोखरी तक 5.00 किमी0 लम्बाई में मार्ग कच्चा है तथा पोखरी से कालापातल तक 16.27 किमी0 लम्बाई मे लेपित है। बरसात के समय मार्ग पर जगह–जगह मलवा आने व स्कवर के क्षतिग्रस्त होने के कारण यह मार्ग दिनांक 18–06–2013 से 20–06–2013 तक अवरूद्ध रहा। जिसे वर्तमान मे विभागीय संसाधनो के प्रयोग करने के उपरान्त यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। समुचित मार्ग का सुधारीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(2) कस्यिालेख–सूपी–पाटा मोटर मार्ग:–

इस मार्ग की कुल लम्बाई 18.50 किमी0 है, जो कि0मी0 1.00 से 8.75 कि0मी0 मे लेपित है। मार्ग के कि0मी0 9.00 से 18.00 तक मार्ग कच्चा है एवं वर्षा में कीचड होने से मार्ग में यातायात प्रभावित होता है। यह मार्ग वर्षा में दिनांक 18–06–2013 से 24–06–2013 तक यातायात हेतु अवरूद्ध रहा, जो विभागीय जे0सी0बी0 मशीन एव गैग लगाकर खोला जा चुका है। दैवी आपदा के अन्तर्गत जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा इस मार्ग पर दैवी आपदा के अन्तर्गत हुई क्षतियों के पुन: निर्माण कार्य हेतु ` 10.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत मार्ग के कि0मी0 12 में एक स्थान पर यातायात की सुविधा हेतु दीवार निर्माण का कार्य कराया जा चुका है। मार्ग में दलदल वाले भाग में सुधारीकरण का कार्य प्रगति मे है। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है। समुचित मार्ग का सुधारीकरण वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर है।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के प्राथमिक विद्यालय खूना के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[राजकीय प्राथमिक विद्यालय खूना विकासखण्ड मूनाकोट जनपद पिथौरागढ़ के भवन की वृहद मरम्मत को सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 में प्रस्तावित किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना में वृहद मरम्मत की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पिथौरागढ़ को राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। सम्प्रति कक्षाओं का संचालन निकटस्थ पंचायत भवन में किया जा रहा है। विद्यालय की कुल छात्र संख्या 06 है।]

नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा जारी (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आपदा पर चर्चा जारी है।

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, कल की कार्यवाही की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अभी संशोधन के लिए कार्यवाही आयी है, उसके पृष्ठ 100 पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। यह माननीय सदस्य दलीप सिंह रावत जी के भाषण के बीच में है। उस शब्द का उच्चारण मैं नहीं करना चाहूँगा। इसमें है "हम तो विद्वानों की सभा में आए थे, पर हमें पता चला ये सभी .... हैं। इसके बीच में जो शब्द है, मेरा अनुरोध है कि उसको कार्यवाही का भाग न बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसको निकाल देंगे।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–310 की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दु:ख का विषय रहा कि उत्तराखण्ड प्रदेश में 16 व 17 जून को जो दैवीय आपदा आयी है, यह हम सबके लिए बहुत दु:ख का विषय है लेकिन इसके साथ–साथ कष्ट का विषय भी है कि जब मौसम विभाग द्वारा सरकार को सचेत कर दिया गया था कि 16 और 17 तारीख मे भयंकर वर्षा की संभावना है तो ऐसी परिस्थिति मे उस यात्रा को, जो चार धाम यात्रा चल रही थी, उसको रोका जाना अति आवश्यक था। इसमे कहीं न कहीं सरकार से चूक हुई, जिसकी वजह से हजारों हजार की संख्या मे लोग वहाँ पर हताहत हुए है। अगर उस समय यात्रा रोक दी जाती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी न होती। क्योंकि यह प्रकृति का प्रकोप है, आपदा कही भी और कभी भी आ सकती है, लेकिन सरकार की ओर से इस विषय मे कहीं न कही चूक हुई है। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मदन कौशिक जी, माननीय निशंक जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह रावत जी ने जो उद्‌गार यहा पर व्यक्त किये हैं, उन सभी की बातों से अपने आप को सम्बद्ध करते हुये कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष के मेरे मित्रों ने कुछ विषय रखे हैं, मै उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि देहरादून जनपद की सहसपुर विधान सभा चारों ओर से जंगलों और नदियों–नालों से घिरी हुई है। इसमे बड़ी–बड़ी आठ नदिया, जिसमें आसन, सारना, शीतला, टोंस, नून नदी, नीली नदी और कई ऐसे नाले हैं, जो यमुना से बहकर आते है और हमारे क्षेत्र मे नुकसान करते हैं। इस साल की बारिश में मेरे विधान सभा क्षेत्र मे बहुत नुकसान हुआ है। आदरणीय नवप्रभात जी ने भी इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है। वहां की हजारों बीघे जमीन दरियाबुर्द हो गई है। कई मकानों मे दरारें आई हैं, कई मकान गिर गये हैं, किसानों की जमीनें बह गई है और फसलें तबाह हो गई हैं।

बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह मैदानी इलाका है और कुछ ही लोगो को मुआवजा मिल पाया है, तीन महीने बाद भी सभी आपदा पीड़ितों को मुआवजा नही मिल पाया है। मान्यवर, इसमे मेरा एक निवेदन है कि आपदा से जिस मकान मे दरारें आई हैं, मकान रहने लायक नहीं रह गया है, उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। मै इसमें नेता सदन से भी अनुरोध करूंगा कि जब उस दरार वाले मकान में दबकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी की मौत हो जायेगी, तब क्या इसमें संशोधन किया जायेगा। जब सामने मकान में हमें दिख रहा है कि यह मकान गिरने वाला है, तो उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि जिस मकान में दरारें पड़ गई हों और रहने लायक न बचा हो, उसे क्षतिग्रस्त मान लिया जाय। इसके साथ ही साथ सहसपुर विधान सभा में कई ऐसे गांव हैं, जहां आपदा के समय घरों में पानी घुसा, कई खेत दरियाबुर्द हो गये हैं, मैं उनमें से कुंजा ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ। वहां पर जंगल की तरफ से एक नाला आता है और वह नाला सड़क से आकर पूरे आबादी क्षेत्र में नुकसान करता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब इस सम्बन्ध में गांव वालों ने अधिकारियों से सम्पर्क किया कि इस सड़क पर आवागमन बन्द हो गया है और यदि इसे हटाया नहीं गया तो घरों को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने वहां पर जे0सी0बी0 भेजने की आवश्यकता नहीं समझी। गांव वालों ने देखा कि 15 दिन हो गये हैं और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उन्होंने आपस में चन्दा करके जे0सी0बी0 मंगाई और रास्ता खुलवाया, सरकार की ओर से उनको कोई मदद नहीं दी गई। अभी बात आई थी कि आपदा में बहुत पैसा मिला है, मेरे क्षेत्र के ग्राम शुक्लापुर में एक सड़क ऐसी है, जिसमें गाड़ी तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल था। मान्यवर, लेकिन गाव वालों ने उसमें थोड़ा–बहुत श्रमदान किया है। अभी मैं जिलाधिकारी से इस विषय पर जब मिला तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे पास कोई बजट नहीं है, जिससे हम इसे सुचारू रूप से कर सकें। मैं पूछना चाहता हूँ एक तरफ तो ये बड़ी–बड़ी बातें करते हैं कि हमें बजट मिल रहा है और दूसरी तरफ जिलाधिकारी कह रहे है कि हमारे पास अभी बजट नहीं है। मैं ज्यादा न कहते हुए जो विषय आया उसमें अपने नेता प्रतिपक्ष और जो हमारे सम्मानित सदस्यों ने यहां पर जो विषय रखा है, उसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि श्वेत पत्र जरूर जारी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह नेगी जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

*श्री प्रदीप बत्रा–

मान्यवर, 16, 17 तारीख को जो आपदा आयी उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इससे एक बात साबित होती है कि जो एकजुटता दिखायी दी, सभी लोगों ने सहयोग दिया, पूरे देश के लोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए एक हो गये और सभी ने सहायता की, यह बहुत ही सराहनीय है। मैं कहना चाहता हूँ कि 16, 17 तारीख

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को आपदा आई और 19, 20 तारीख को मैं जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर गया, मैंने देखा कि जो हेलीकाप्टर वहां पर जा रहे है, उनमें राहत सामग्री भेजना बहुत जरूरी है। तो मैंने व्यवस्था की और लगातार तीन दिन तक फूड पैकेट बनाकर भिजवाये। दो दिन तक 500–500 पैकेट और तीसरे दिन 1000 पैकेट बनवाकर हेलीकाप्टर द्वारा भेजे। इसकी टी0वी0 की क्लिपिंग भी मेरे पास है। टी0वी0 पर भी इसे दिखाया गया है कि पैकेट वहां पर बांटे गये हैं। जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर काफी संख्या में बाहर से लोग आये हुए थे जो अपने–अपने परिजनों को ढूढ रहे थे, लेकिन वहां पर उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमने वहां पर कैम्प लगाया और खाना, पानी की व्यवस्था की। पीड़ितों के परिजनों की व्यवस्था की, उनकी हर सम्भव मदद की कि कौन वापिस आ रहा और कौन नहीं आ रहा है। जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर हमने सारी व्यवस्थाएं की। जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर ही मैं लोगों की सेवा करता रहा। पहाड़ पर जाने का तो मुझे मौका नहीं मिला और मैं जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि मेरे जाने से एक हेलीकॉप्टर में एक सवारी कम आयेगी। मेरे न जाने से हो सकता कि किसी और की जान बच जाय, इससे अच्छा कोई और कार्य नहीं होगा। डोईवाला और जौलीग्रान्ट में ही हम लोग सेवा का कार्य करते रहे और कुछ एन0जी0ओ0 ने भी बहुत अच्छा काम किया।

श्री सत्य सांई सेवा ऑरगैनाईजेशन, सुभाष रोड पर है उसने फूड पैकेट बनवाकर भेजे। जो हमारे क्षेत्र बिल्कुल कट गये थे जैसे कि पाण्डुकेश्वर, गोविन्द घाट, हनुमान चट्टी आदि दुर्गम इलाकों में उन्होंने स्वयं जाकर फूट पैकेट लोगों तक पहुँचाए है। दाल, चावल, नमक, तेल और अन्य जरूरी चीजें वहां पर पहुंचायी, मैं उनके कार्य की सराहना करता हूँ कि इस ऑरगैनाईजेशन ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे क्षेत्र में भी एक नदी बहती है, जो बाढ़ के कारण काफी उफान पर आ गयी थी। इससे काफी मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। मैं सरकार की सराहना करता हूँ कि जिनके मकान वहां पर क्षतिग्रस्त हुए थे, सभी को मुआवजा मिल चुका है। बहुत जल्द इनको मुआवजा दिया और इनका पुनर्स्थापन हो चुका हैं। सरकार द्वारा किये जा रहे कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर जो योजनाए बनायी गयी हैं वो आने वाले 20–30 सालों की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। ग्रिड के जो पुल मेरे क्षेत्र में बनने है और जो सड़कें बननी हैं, उनका बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब काम करने का समय आ गया है, बारिश अब रुकने वाली है। बारिश के कारण जो हॉट मिक्स प्लांट बंद पड़े थे, वो अब चलने लगेंगे और सड़कों का निर्माण तेजी से होगा और जो मार्ग बंद पड़े हैं, उन्हे भी शीघ्र खोल दिया जायेगा और हमारी सरकार ने जो ए0डी0बी0 और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्व बैंक के साथ जो बैठक हुई, सर्वे कराया और बजट उपलब्ध कराया है, उसका जल्दी ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी जल्दी ही नदी पर तटबंध बन जायेगा, जिससे आने वाले समय में वहां पर दिक्कत नहीं आयेगी।

जो अभी खेतों में सिल्ट और बालू आ गयी है जिससे बिजनौर जिले में गन्ने के खेतों को बहुत नुकसान हुआ है। वहां के किसानों को काफी मुआवजा भी मिला है। ₹ 50 करोड़ हमारे क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, खेतों के मुआवजे के रूप में। मान्यवर, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में इतना सोचा। किसानों की जो खेती नष्ट हुई उनको उसका मुआवजा मिल गया है। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह कार्य बहुत ही तेजी से हुआ और सभी कार्य पटरी पर आ गये हैं। जो पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन का कार्य करना है उस कार्य को जल्दी करने की आवश्यकता है, ताकि हम आपदा को फेस कर सकें। धन्यवाद।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपने आप को नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट जी, श्री मदन कौशिक जी और अपने दल के सभी विधायकों से सम्बद्ध करते हुए, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सभी दल के सदस्यों ने कहा कि जो 16–17 जून को दैवी आपदा आयी है वह कोई सरकारी आपदा नहीं थी, प्रकृति ने विकराल रूप लिया जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना उत्तराखण्ड में हुई। मेरा यह मानना है कि जो 16–17 जून को आपदा आई वह दैवी आपदा थी। जो उसमें लोग मरे, जो प्रलय का शिकार हुए वह दैवी आपदा के कारण हुए। लेकिन जो उसके बाद मरे, जैसा कि माननीय विधायिका श्रीमती शैलारानी रावत जी ने कहा कि दो हजार लोगों को हम बचा सकते थे। मैं कहता हूँ कि उससे भी ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। मेरा मानना है कि 16–17 तारीख को जो लोग मरे वह दैवी आपदा के कारण मरे। लेकिन उसके बाद जो मरे, जो आज तक स्थिति है वह सरकारी आपदा के कारण मरे। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है। मेरे सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार के बहुत सारे काम गिनाये कि सरकार ने ये काम किया है। यह तो सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जब आपदा प्रबन्धन विभाग उत्तराखण्ड के अन्दर बनाया गया तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? माननीय अध्यक्ष जी, सैकड़ों विभाग सरकार के अन्दर काम करते हैं। जिसमें पी0डब्ल्यू0डी0 भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, आपूर्ति विभाग भी है, अन्य तमाम विभाग भी हैं। फिर आपदा प्रबन्धन विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी ? वह इसलिए पड़ी कि जब कभी ऐसी दुर्घटना, ऐसी कोई आपदा आये तो उस समय हम समय से राहत पहुँचा सकें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारा प्रदेश लगातार आपदाओं का सामना करता रहता है, तो इससे हम उनको त्वरित लाभ पहुँचा सकें, इसलिए आपदा प्रबन्धन विभाग का गठन किया गया है। लेकिन आज तीन महीने हो गये है, तीन महीने के बाद स्थिति क्या है यह आपने सदन में चर्चा के दौरान देख ली। आपदा प्रबन्धन के जो कार्य होने चाहिए थे वह आज तक धरातल पर नहीं दिख रहे है। आपदा आई पता चला कि सेटलाईट फोन नहीं है, कहीं कनेक्टीविटी नहीं रही। जो आपदा से जुड़े लोग थे उनके पास रस्सी तक नही थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए एक दूरगामी योजना हमको बनानी चाहिए। जिससे कि इस तरह की कोई दुर्घटना घटे तो हम त्वरित लाभ दे सकें, त्वरित रीलिफ के काम चलाये जा सकें। इससे पूर्व भी देश के अन्दर, चाहे वह भुज में भूकम्प आया हो, 1991 मे हमने देखा उत्तरकाशी में भूकम्प आया, देश में सूनामी आई। लेकिन जिस तरह का वातावरण पूरे देश के अन्दर उत्तराखण्ड की आपदा को लेकर बना। जिस तरह से उत्तराखण्ड के लोगो को शर्मसार होना पड़ा। उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह सरकार है। जिसने समय रहते वहाँ पर रिलीफ के काम नहीं किये। सरकार तीन चार दिन तक तो आपदा का आकलन करने में पूरी तरह विफल रही। जहाँ भटवाड़ी केदारघाटी, रामबाड़ा या धारचूला की बात करते हैं यह जितना भी पर्वतीय क्षेत्र में पानी बरसता है, यह सारा का सारा पानी मैदानी क्षेत्रों में आकर वहाँ पर भारी तबाही मचाता है। लेकिन इस पूरे तीन महीने के दौरान ज्यादा ध्यान पर्वतीय क्षेत्रो पर रहा। वहाँ पर जानें बचाना बहुत जरूरी था। निचले मैदानी क्षेत्रों में भी जो नदियां तूफान मचाती है जो प्रलय वहाँ पर जाती हैं उसकी ओर सरकार का ध्यान बहुत कम गया।

मान्यवर, हमारे हरिद्वार जिले के लक्सर और खानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 20 हजार बीघा जमीन गंगा जी में बह गयी है। (व्यवधान) इसके अलावा 20 किमी0 क्षेत्र मे आज भी जल भराव है और इनके अन्दर चार-पाच फुट पानी भरा हुआ है। वहाँ पर मकानो के अन्दर पाच-पांच फुट पानी भरा हुआ है। मै कहना चाहता हूँ कि महाराजपुर, रणजीतपुर, गंगदासपुर बहादराबाद, नंदीपुर ये सारे गांव बाढ से प्रभावित हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी एव माननीय निशक जी सभी लोगों ने वहां का दौरा किया। लेकिन आज भी वहाँ कि स्थिति बहुत खराब है। गंगदासपुर और महाराजपुर गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर जंगलों में रह रहे हैं। वहां पर सबसे बड़ी समस्या है तो वह चारे की समस्या है और आने वाले 8 महीने तक वहां पर चारा मिलने वाला नहीं है। वहां पर आज तक जो चारा था वह भी पानी के अन्दर समा गया है और 20 किमी0 आज भी जलमग्न है। वहा के किसानों की सवा दो लाख बीघा गन्ने की फसल तबाह हो गयी है और लगभग 60 हजार बीघा चारे की फसलें तबाह हो गयी हैं। लेकिन सरकार द्वारा राहत के नाम पर जो कुछ भी दिया वह केवल चिन्हित

लोगो को ही दिया गया है। आपदा के अन्तर्गत जो पैसा दिया जाता था वह पैसा आज तक भी वहां के लोगो को नही दिया गया है। गंगदासपुर और महाराजपुर के लगभग साढे चार सौ परिवार विस्थापित होकर गुर्जर बस्ती के अन्दर रह रहे है, जो लगभग वहां से पन्द्रह किमी दूरी पर है वहां पर आज तक सरकार ने हैण्डपम्प नही लगाये हैं तो वहां पर 450 परिवार एवं पशु कैसे पानी पी रहे होंगे ? मान्यवर, जब हम पांच विधायक डी0एम0 के पास गये और कहा कि वहां पर चारे की बहुत बडी समस्या है उसकी व्यवस्था करे, तो उन्होंने सौ कुन्तल भूसा एक दिन पहुचाया, उसके बाद उनको देखने वाला कोई नही हैं।

मान्यवर, उस क्षेत्र में आज तक सरकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर नही गया है, यह बडी दुर्भाग्य की बात है। माननीय प्रभारी मंत्री जी जब वहां पर आये तो हम लोगों ने अपने विधान सभा क्षेत्र की छोटी–छोटी समस्यायें बतायी थी और एक–दो पत्र भी दिये थे। लेकिन आज तक उन पत्रों पर कोई काम नही हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खालाटिहरा गांव, औरंगाबाद गाव और गाव आन्नेकी, शिवालिकनगर के चारों ओर से तीन या चार नदियॉं गुजरती है, जिसके कारण ये गांव नदी के कारण बहुत प्रभावित हुए हैं। आज भी सरकार के द्वारा वहां पर कोई सुरक्षा के काम नही किये गये हैं। मान्यवर, हमारे जो गन्ना किसान हैं उनकी आय का साधन केवल गन्ना ही है। इसके लिए सरकार ने जो मुआवजा तय किया है वह लागत से भी बहुत कम है, इसको बढाया जाना चाहिए। दूसरा उनके पशुओं के लिए 8 महीने तक चारे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वहां के लोग चारे का पैसा देने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी वहां पर चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिससे वहां के लोग अपने पशुओं को बेचने के लिए मजबूर हो गये हैं। मान्यवर, मै आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि जो यह बाढ प्रभावित क्षेत्र है चाहे विधान सभा खानपुर हो या लक्सर या हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र हो ये सारे लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। मान्यवर, इन्होंने कृषि के अन्तर्गत जो लोन लिये हुए है। इनके पास अब यह लोन चुकाने का कोई साधन बचा नहीं है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से इन सब लोगों के बिजली के बिल और अन्य ऋण जो फसल से सम्बन्धित हैं वो तत्काल माफ किये जाने चाहिए।

मान्यवर, हमारे यहॉं कुछ गाव में वर्ष 2010 में भी भयंकर रूप से जल प्रलय आया था, इस बार भी आया है और इससे पहले भी आता रहा है, ऐसे गाव का विस्थापन किया जाना चाहिए और विस्थापन की कोई नीति बननी चाहिए। अभी तक सरकार ने किन–किन गांव को विस्थापन के लिए चिन्हित किया है इसकी हमको जानकारी नही है, लेकिन हमारे जिले के अन्दर लगभग 22–23 गांव ऐसे है जिनका विस्थापन जरूर होना

चाहिए। मान्यवर, सरकार के द्वारा बहुत सारी घोषणायें की गई, बहुत कार्य किये गये और ये सरकार की जिम्मेदारी भी थी, लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों द्वारा जो उपलब्धियां बताई हैं वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं और अधिकारी बेलगाम हैं, उनसे कहने के बाद भी कोई देखने वाला नहीं है। माननीय यतीश्वरानन्द जी के क्षेत्र में बहुत विस्थापित लोग रह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई अधिकारी वहाँ की स्थिति को देखने के लिए नहीं गया, इसलिए जब इन अधिकारियों के ऊपर हमारी लगाम नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पायेंगे, सरकार कुछ नहीं कर पायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले साल जुलाई के महीने में, बारिश का मौसम था, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि एक छोटा सा काम है जहाँ पर शिवालिक नगर और कृपाल नगर के बीच में आधा किलोमीटर के रास्ते पर मिट्टी व एक पाईप पड़ना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन उठाकर वहाँ के डीएम को कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे है, आप कोई व्यवस्था कीजिए। मान्यवर, केवल 93 हजार का काम था और आज एक साल से ज्यादा हो गया पर मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर भी इस प्रदेश के अन्दर काम नहीं हो रहा है तो इस प्रदेश में क्या काम होंगे।

मान्यवर, इस आपदा से इस प्रदेश का ही नहीं पूरे देश के कई प्रदेशों का व्यक्ति प्रभावित हुआ है, उत्तराखण्ड में पंचर का काम करने वाले से लेकर ट्रांसपोर्ट के बड़े व्यवसायी तक, बीड़ी-सिगरेट बेचने वाले लोगों से लेकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों तक सभी लोग इस आपदा से पीड़ित हैं। मान्यवर, गरीब लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना या अन्य किसी योजना के अन्तर्गत गाड़ी ले रखी है और वे गाड़ियों की किस्तें देने की स्थिति में आज नहीं हैं तो कम से कम इस वर्ष के लिए उनकी किस्तें माफ की जानी चाहिए। किसानों के कर्ज की माफी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हरिद्वार जिले का गन्ना किसान आज परेशान है और हरिद्वार जिले के अन्दर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये गये जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री का आभार कि पैसा दे दिया, जबकि आज तक एक पैसे का पेमेण्ट नहीं हुआ है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो गन्ने का पेमेण्ट है वह भी तत्काल दिया जाना चाहिए। मान्यवर, आपने इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री विक्रम सिंह नेगी-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है। यह चोटी और घाटी, नदी, घाट, गदेरों और ग्लेशियर का प्रदेश है। इस प्रदेश में आपदा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का पुराना सम्बन्ध रहा है और भविष्य में भी ऐसी सम्भावनाएं हैं। प्रदेश सरकार को और प्रदेश के शासन और प्रशासन को इसका अध्ययन करना चाहिए और इसकी मानिटरिंग करनी चाहिए, उत्तरकाशी शहर में बीच में जो नदी है उसमें रेत और पत्थरों के टीले बन गये है। मान्यवर, इस नदी में बाढ आती है तो यह बाढ कभी नदी के बाई ओर के मकानो को बहा ले जाती है तो कभी दाई ओर के मकानों को बहा ले जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर साल ऐसी समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए एक ठोस नीति बननी चाहिए। मान्यवर, कभी-कभी बाढ के कारण जो गाद भर जाती है तो यह गाद पहाडी शहरो के साथ-साथ जो हमारे तराई के जिले है, चाहे वह हरिद्वार हो या ऊधमसिंह नगर या देहरादून इनमे भी यह समस्या लगातार बढती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें चाहे इनमे जे0सी0बी0 उतारनी पडे तो उतारनी होगी, जिससे भविष्य मे इस तरह की समस्या फिर उत्पन्न न हो सके। मैं इस सदन के माध्यम से टिहरी प्रशासन को बधाइ देता हूँ कि वहा से 40 हजार यात्रियों को जो कि केदारनाथ और गंगोत्री में फसे हुए थे, तो टिहरी प्रशासन ने सबसे पहले घनसाली-मयाली-गुप्तकाशी का मार्ग खोला और उत्तरकाशी में गौडार मे फसे हुए यात्रियों को निकाला। मान्यवर, हम लोगों ने स्वय प्रशासन के साथ 7-8 घंटे तक खडे रहकर यात्रियों को निकालने मे मदद की है। मान्यवर, वहां पर जे0सी0बी0 नही थी तो वहां पर एच0सी0सी0 जो कम्पनी कार्य करती है। उनकी जे0सी0बी0 और डोजर मशीनों के द्वारा रास्ता खोला गया और इस रास्ते से कभी तीन हजार गाडिया और कभी चार हजार गाडियों को निकालने का कार्य किया है।

मान्यवर, वहां के स्थानीय लोगों ने, घनसाली से लेकर चम्बा तक के लोगो ने जन सहयोग से राहत शिविर लगाया और यात्रियों को खाना एवं आवश्यक दवाईया मुहैया करायी हैं, इस जन सहयोग हेतु मैं टिहरी के जिलाधिकारी एव स्थानीय लोगो को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, 652 लोगों की रूद्रप्रयाग में मृत्यु हुई है, 52 लोगो की मृत्यु चमोली में हुई और इसके बाद 40 लोगों की मृत्यु टिहरी जनपद मे भी हुइ है और कुछ लोगो की मृत्यु केदारनाथ मे भी हुई है। मान्यवर, यह पहला अवसर है जब चार दिन के अंतराल में घरसिल्वाड गांव में जहा तीन लोगों की मृत्यु मकान गिरने से हुई और चार दिन के अंदर उन्हें ` 9 लाख का चैक और ` 50 हजार अनुमन्य सहायता उनके घर पर पहुंचाने का कार्य किया है। मैं नेता सदन को दैवीय आपदा के मानक में की गयी बढोत्तरी के लिए बधाई देता हूँ। यहां पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंहगाई बढने के कारण यह वृद्धि हुइ है, परन्तु विगत छः माह में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, यह सबको पता है। इस राशि से निश्चित रूप से लोगो को राहत पहुची है। मैं अपने क्षेत्र के 18 लोग जो केदारनाथ में मिसिंग हो गये थे, उनके परिजनो के साथ गौरीगाव तक गया था। उस स्थिति मे गौरीगांव तक सरकारी प्रशासन का कोई

भी अधिकारी नहीं पहुच पाया था। मैं वहां पर युवा कांग्रेस के साथियों को धन्यवाद देता हूँ जो महाराष्ट्र के लोग थे, वे चार–चार सौ फीट में ऊपर से पहाड खिसक रहा था और नीचे से मदाकिनी बह रही थी, ऐसी विषम परिस्थिति में लोग कंधे पर राशन का पैकेट रख कर गौरीगांव तक पहुच रहे थे। मान्यवर, आई0टी0बी0पी0 के लोग वहां पर लाशों को इकट्ठा करने का कार्य कर रहे थे।

मान्यवर, मैं एक दु:खद घटना का जिक्र भी यहा पर करना चाहता हूँ। मैं जब गुप्तकाशी पहुंचा तो वहा पर मुझे निरंकारी मिशन के लोग मिले जो टिहरी जनपद से वहां पर सेवा करने के लिए गये थे। एक महिला ने कहा कि मेरे पीछे एक ने रिवाल्वर लगा दी और कहा कि शैलारानी रावत कहा है और यह बात मैंने आज तक बहिन शैलारानी रावत को नही बतायी। मैंने सोचा कि उन्हे यह डर पैदा न हो जाय और वह क्षेत्र में न जाय। मान्यवर, जब मैंने पूछा कि यह आदमी कौन है तो उस महिला ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप सभी संभल के चलना। मैंने अपने गनर को कहा कि भाई आप भी खाकी वर्दी निकाल कर सादी वर्दी पहनो। अब आप सादी वर्दी में चलो। मान्यवर, कहने का मतलब यह है कि दैवीय आपदा के दौरान कुछ ऐसे अराजक तत्व, जो कि इस तरह की हरकत करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। मैंने शैलारानी रावत को इसलिए नही बताया कि उनके मौरल में कही कमी न हो और जब मैं सोनप्रयाग से पिण्डर पहुंचा तो मुझे 8–10 लोगों ने घेर कर कहा कि हमारे विधायक कहां है ? मुझे पता लगा कि विधायक 4 किलोमीटर पैदल ऊपर के गॉव में गयी हैं। मैंने उनसे कहा कि आपकी विधायक 4 किलोमीटर ऊपर के गॉव में पैदल गयी हैं। उन्होंने कहा यहॉ तो आयी नहीं। मैंने पूछा कि क्या आपका मकान टूट गया है ? उन्होंने कहा हमारा मकान तो नहीं टूटा, लेकिन यहॉ क्यों नही आयी ? मैंने कहा, देखिए यह नेतागिरी करने का समय नहीं है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण होना है आप दोनों हाथ मिलाकर सहयोग करिए और आपस में मिलकर जो यात्री और स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद करने में सहयोग करिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि आपदा आयी और हम पूरे प्रदेश के वासियों को, क्योंकि हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थितियो का प्रदेश है, हमको इसको गंभीरता से लेना पडेगा। पुनर्निर्माण की कार्यवाही जल्दी होनी चाहिए, जिससे आपदा से प्रभावित लोगो को यह महसूस हो कि सरकार उनके साथ पूरी तरह से खडी है। मान्यवर, मेरा एक अनुरोध यह भी है। आपदा से पीडित जो बच्चे हैं, जिनके मॉ–बाप नही हैं, जो विधवा हो गयी है, उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए, यह अनुरोध मैं सरकार से करना चाहता हूँ। पुनर्वास का कार्य शुरू होना चाहिए और

जिलाधिकारियों को यह निर्देश होना चाहिए कि जमीन चयन का काम तो उन लोगों ने शुरू कर दिया है, उसको और तीव्र गति दी जानी चाहिए। मान्यवर, एक अनुरोध मैं और करना चाहता हूँ, इसको मैंने महसूस भी किया है कि दैवीय आपदा में यदि हम स्थानीय लोगों का सहयोग लें, तो जिस जगह पर सरकारी कर्मचारी, पटवारी भी 20-20 गाँवों को देखता है, वह हर गाँव में हर दिन नहीं जा सकता, हम अगर स्थानीय लोगों का सहयोग लें, तो जितने यात्री बीच में फंस गये थे, स्थानीय लोगों के सहयोग से उनको बचाया जा सकता था। हवाई सेवाओं का महत्त्व बढ़ गया है। केदारनाथ की घटना के बाद हमारे पास अधिक हवाई सेवाएं होनी चाहिए और हर गाँव, पट्टी और न्याय पंचायत के स्तर पर हमारे पास हवाई पट्टी या हैलीपैड होने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, केदारनाथ में पूजा का मैं इसलिए स्वागत करता हूँ कि आदिम काल से वहाँ पर दीप बत्ती और धूप जलती है। इसलिए उस मन्दिर को बंजर नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बद्रीनाथ टैम्पल कमेटी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर पूजा शुरू की। भगवान केदारनाथ की धूप बत्ती जरूर जलनी चाहिए। मान्यवर, एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, सरकार ने हर क्षेत्र में मदद दी है। जो गाड़ियाँ वहाँ केदारनाथ और गंगोत्री के रास्ते में फंस गयी हैं क्योंकि वहाँ सड़क नहीं खुल पाई है। उन गाड़ी वालों को कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि उनकी गाड़ियों पर जंग लग गया। वह ऐसे गरीब लोगों की गाड़ियाँ हैं, जिन्होंने ऋण लेकर ये गाड़ियाँ खरीदी है। ये गाड़ियाँ अभी भी वहाँ फंसी हुई है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि टिहरी बांध के ऊपर आवागमन का रास्ता खुलना चाहिए, एक साल से वहाँ बगल की सड़क बन्द है और गाड़ियाँ बांध के ऊपर से जा रही हैं। पता नहीं टी0एच0डी0सी0 क्यों इस बात के लिए बार-बार परेशान रहती है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उस सड़क को खोला जाय। मान्यवर, यहाँ पर हमारे साथियों ने कहा कि वे 17 तारीख को गुप्तकाशी पहुँच गये। 17 तारीख को गुप्तकाशी किसी भी हालत में नहीं पहुँचा जा सकता था। जितने लोगों ने भी कहा, यह कतई सम्भव नहीं था।

*श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, हरक सिंह रावत जी ने कहा कि मैं पहुँच गया था।

श्री विक्रम सिंह नेगी-

मान्यवर, हरक सिंह रावत जी हवाई सेवा से गये। लेकिन कई माननीय साथियों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि 17 तारीख को हम गुप्तकाशी पहुँच गये। उस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिन वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा मे भाग लेने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

अनुदान संख्या 01, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एवं 31

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–01 के अन्तर्गत ` 266500 हजार (छब्बीस करोड पैंसठ लाख), अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत ` 213960 हजार (इक्कीस करोड उन्तालीस लाख साठ हजार), अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत ` 57781 हजार (पाच करोड सतहत्तर लाख इक्यासी हजार), अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत ` 19681926 हजार (एक हजार नौ सौ अड़सठ करोड उन्नीस लाख छब्बीस हजार), अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत ` 5963186 हजार (पांच सौ छियानबे करोड इकतीस लाख छियासी हजार), अनुदान संख्या–08 के अन्तर्गत ` 14850 हजार (एक करोड अडतालीस लाख पचास हजार), अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत ` 782219 हजार (अठहत्तर करोड बाइंस लाख उन्नीस हजार), अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत ` 2544448 हजार (दो सौ चौवन करोड चौवालीस लाख अडतालीस हजार), अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत ` 446167 हजार (चौवालीस करोड इकसठ लाख सडसठ हजार), अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत ` 2302420 हजार (दो सौ तीस करोड चौबीस लाख बीस हजार), अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत ` 143100 हजार (चौदह करोड इकतीस लाख), अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत ` 450006 हजार (पैंतालीस करोड छ: हजार), अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत ` 295028 हजार (उन्तीस करोड पचास लाख अठाईस हजार), अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत ` 2581590 हजार (दो सौ अठ्ठावन करोड पन्द्रह लाख नब्बे हजार), अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत ` 79787 हजार (सात करोड सन्तानवे लाख सत्तासी हजार), अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत ` 78812 हजार (सात करोड अठ्ठासी लाख बारह हजार), अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत ` 4422843 हजार (चार सौ बयालीस करोड अठाईस लाख तैंतालीस हजार), अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत ` 244406 हजार (चौबीस करोड चौवालीस लाख छ: हजार), अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत ` 2400600 हजार (दो सौ चालीस करोड छ: लाख),

अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत ` 264237 हजार (छब्बीस करोड़ बयालीस लाख सैंतीस हजार), अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत ` 641920 हजार (चौंसठ करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार), अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत ` 465551 हजार (छियालीस करोड़ पचपन लाख इक्यावन हजार), अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत ` 5400 हजार (चौवन लाख), अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत ` 284800 हजार (अट्ठाईस करोड़ अड़तालीस लाख), अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत ` 219052 हजार (इक्कीस करोड़ नब्बे लाख बावन हजार), अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत ` 36910 हजार (तीन करोड़ उनहत्तर लाख दस हजार ), अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत ` 2424677 हजार (दो सौ बयालीस करोड़ छियालीस लाख सतहत्तर हजार), अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत ` 842916 हजार (चौरासी करोड़ उन्तीस लाख सोलह हजार), जो कुल ` 48155092 हजार (चार हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ पचास लाख बयानवे हजार) मात्र है, को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 के अन्तर्गत ` 266500 हजार (छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख), अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत ` 213960 हजार (इक्कीस करोड़ उन्तालीस लाख साठ हजार), अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत ` 57781 हजार (पांच करोड़ सतहत्तर लाख इक्यासी हजार), अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत ` 19681926 हजार (एक हजार नौ सौ अड़सठ करोड़ उन्नीस लाख छब्बीस हजार), अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत ` 5963186 हजार (पांच सौ छियानबे करोड़ इकतीस लाख छियासी हजार), अनुदान संख्या–08 के अन्तर्गत ` 14850 हजार (एक करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार), अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत ` 782219 हजार (अठहत्तर करोड़ बाईस लाख उन्नीस हजार), अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत ` 2544448 हजार (दो सौ चौवन करोड़ चौवालीस लाख अड़तालीस हजार), अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत ` 446167 हजार (चौवालीस करोड़ इकसठ लाख सड़सठ हजार), अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत ` 2302420 हजार (दो सौ तीस करोड़ चौबीस लाख बीस हजार), अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत ` 143100 हजार (चौदह करोड़ इकतीस लाख), अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत ` 450006 हजार (पैंतालीस करोड़ छ: हजार), अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत ` 295028 हजार (उन्तीस करोड़ पचास लाख अट्ठाईस हजार), अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत ` 2581590 हजार (दो सौ अट्ठावन करोड़ पन्द्रह लाख नब्बे हजार), अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत ` 79787 हजार (सात करोड़ सन्तानवे लाख सत्तासी हजार), अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत ` 78812 हजार (सात करोड़ अट्ठासी लाख बारह हजार), अनुदान

संख्या–20 के अन्तर्गत ` 4422843 हजार (चार सौ बयालीस करोड अठाईस लाख तैंतालीस हजार), अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत ` 244406 हजार (चौबीस करोड चौवालीस लाख छ: हजार), अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत ` 2400600 हजार (दो सौ चालीस करोड छ: लाख), अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत ` 264237 हजार (छब्बीस करोड बयालीस लाख सैंतीस हजार), अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत ` 641920 हजार (चौंसठ करोड उन्नीस लाख बीस हजार), अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत ` 465551 हजार (छियालीस करोड पचपन लाख इक्यावन हजार), अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत ` 5400 हजार (चौवन लाख), अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत ` 284800 हजार (अठाईस करोड अडतालीस लाख), अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत ` 219052 हजार (इक्कीस करोड नब्बे लाख बावन हजार), अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत ` 36910 हजार (तीन करोड उनहत्तर लाख दस हजार), अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत ` 2424677 हजार (दो सौ बयालीस करोड छियालीस लाख सतहत्तर हजार), अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत ` 842916 हजार (चौरासी करोड उन्तीस लाख सोलह हजार), जो कुल ` 48155092 हजार (चार हजार आठ सौ पन्द्रह करोड पचास लाख बयानवे हजार) मात्र है, को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड विनियोग (2013 14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2013–14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2013–14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2013–14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2013–14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2013–14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड विनियोग (2013 14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013

(विधेयक संख्या वर्ष 2013)

31 मार्च, 2014 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2013–14 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2013 है।

संक्षिप्त नाम

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ` 48158477000 ( ` चार हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2013–14 के लिये ` 48158477000 का दिया जाना

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (धनराशि हजार ` में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
01	विधान सभा	राजस्व	12000	0	12000
		पूंजी	254500	0	254500
02	राज्यपाल	राजस्व	0	3385	3385
		पूंजी	0	0	0
03	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	213960	0	213960
		पूंजी	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	राजस्व	57781	0	57781
		पूंजी	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	19681926	0	19681926
		पूंजी	0	0	0
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	1560536	0	1560536
		पूंजी	4402650	0	4402650
08	आबकारी	राजस्व	14850	0	14850
		पूंजी	0	0	0
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व	228254	0	228254
		पूंजी	553965	0	553965
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	841365	0	841365
		पूंजी	1703083	0	1703083
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	281417	0	281417
		पूंजी	164750	0	164750
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	1942420	0	1942420
		पूंजी	360000	0	360000
14	सूचना	राजस्व	143100	0	143100
		पूंजी	0	0	0
15	कल्याण योजनायें	राजस्व	291947	0	291947
		पूंजी	158059	0	158059
16	श्रम और रोजगार	राजस्व	293028	0	293028
		पूंजी	2000	0	2000
17	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	866590	0	866590
		पूंजी	1715000	0	1715000

1	2	3			
18	सहकारिता	राजस्व	41787	0	41787
		पूंजी	38000	0	38000
19	ग्राम्य विकास	राजस्व	75812	0	75812
		पूंजी	3000	0	3000
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1253	0	1253
		पूंजी	4421590	0	4421590
21	ऊर्जा	राजस्व	19406	0	19406
		पूंजी	225000	0	225000
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	63500	0	63500
		पूंजी	2337100	0	2337100
23	उद्योग	राजस्व	217810	0	217810
		पूंजी	46427	0	46427
24	परिवहन	राजस्व	111920	0	111920
		पूंजी	530000	0	530000
25	खाद्य	राजस्व	165551	0	165551
		पूंजी	300000	0	300000
26	पर्यटन	राजस्व	400	0	400
		पूंजी	5000	0	5000
27	वन	राजस्व	257600	0	257600
		पूंजी	27200	0	27200
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	193789	0	193789
		पूंजी	25263	0	25263
29	औद्योगिक विकास	राजस्व	36810	0	36810
		पूंजी	0	0	0
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	884243	0	884243
		पूंजी	1540434	0	1540434
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	298279	0	298279
		पूंजी	543637	0	543637
	योग–	राजस्व	28798434	3385	28801819
		पूंजी	19356658	0	19356658
	महायोग		48155092	3385	48158477

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2013–14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2013–14 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

*श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–310 की चर्चा में बोलने का अवसर दिया, लेकिन काफी प्रतीक्षा के बाद दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं इस सदन के माध्यम से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की आपदा हमारे प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे देश और दुनिया में भी न आये। वास्तव में इस सदन के अन्दर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो कि इस आपदा से दु:खी न हो, चाहे वह पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सारे सदस्य जो यहां पर बैठे है, निश्चित रूप से बहुत दु:खी हैं। मान्यवर, और वास्तव में आपने इस विधान सभा में एक इतिहास बनाया है। जब से हम इस सदन के अन्दर आये हैं, बहुत से मुद्दों पर नियम–310 के अन्तर्गत यहां पर बहस होनी चाहिए, प्रश्न लगाये, लेकिन आपने किसी भी प्रश्न पर नियम–310 में चर्चा कराना उचित नहीं समझा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यह जो दैवी आपदा है, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। सरकार के हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं, उन्होंने किस प्रकार से दैवी आपदा से निपटने के लिए प्रयास किये। यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने दैवी आपदा से निपटने के लिए जो भी अच्छे कार्य किये, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से जो भी सरकार को सुझाव दिये गये, आप उनको विरोध न समझें, उनको भी आप सुझाव समझें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विपक्ष के सदस्यों ने जो सुझा दिये हैं, सरकार को उन पर विचार करना चाहिए और वास्तव में पहले भी हमारे यहां दैवी आपदाए आयी हैं, लेकिन इतनी बडी दैवी आपदा हमारे प्रदेश के अन्दर और मैं तो कहूँगा कि हो सकता है कि इतनी बडी आपदा शायद पूरे देश में भी न आयी हो। इसको एक प्रकार से हम प्रलय कह सकते हैं। सरकार मे अगर हम लोग भी होते तो हो सकता है कि हम भी उसे रोकने में कामयाब न होते। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ हम टी0वी0 और मीडिया के माध्यम से देखते है कि विदेशों के अन्दर जब बाढ आती है तो ऐसी-ऐसी मशीने वहा पर हैं जो 15-15, 20-20 फिट पानी के अन्दर डूब जाती है और जो मलबा सामने आता है, उसको हटाने मे वो कामयाब हो जाती है। आज हमारे प्रदेश के अन्दर अगर कहीं भी 10-15 फिट पानी आ जाये तो हम लोग किनारो पर देखते रहते हैं कि ये पानी उस गाव को गिरा रहा है, ये पानी उस गांव की जमीन को काट रहा है। मै यह सुझाव देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से विदेशों में 15-20 फिट पानी के अन्दर मशीनें घुस जाती है, बाढ का जो रूप है, उसको बदल देती हैं। यहा पर भी सरकार को इसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पर्वत हैं, पहाड हैं, ये कोई आपके और हमारे बनाये हुए नही है। जो पर्यटक यहां पर आते है वो कोई चौडी-चौडी सडकें देखने के लिए नही आते हैं, कोई बडे-बडे होटलो और मकानो को देखने के लिए नही आते हैं, वो वहां पर प्राकृतिक सौन्दर्य देखने के लिए आते हैं, यहा पर आत्मिक शांति के लिए आते हैं।

विकास के नाम पर जो हमारे प्रदेश का प्राकृतिक स्वरूप है, उसको बिल्कुल न बिगाडा जाय। परमपिता परमेश्वर ने जो रास्ते वहां पर नियत किये हुए हैं, वो जो हमारी छोटी और बडी पगडंडियॉ है, उनमें नम्बर-1 का सामान लगाया जाय, वहा पर अच्छी सडकों का निर्माण किया जाय। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे प्रदेश के अंदर यह आपदा आयी है, इसमे कहीं न कहीं जो विकास के नाम पर हम जो चौडी-चौडी सडके बना रहे हैं, जो बडे-बडे बिजली के बांध बना रहे है, बडे-बडे रिसोर्ट और होटल गंगा के किनारे बना रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें यह चीज भी बाधक है। मैं देखता हूँ चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे गंगोत्री हो, आप आज से 50 साल पुराना इतिहास उठा लीजिए, उस समय वहां पर कितने होटल थे, कितनी धर्मशालाएं थीं, मैं समझता हूँ कि आज की तुलना में वो नगण्य मिलेगा। कहीं न कही आज वो लोग जो हमारे यहां लोकल जो मूल निवासी मरे हैं, तो निश्चित रूप से मान्यवर, उन लोगों ने कहीं न कहीं अतिक्रमण किया था, गंगा के किनारे, नहर के किनारे, यमुना के किनारे, इसीलिए वहॉ पर ज्यादा मरे है। यही हालात आज हमारा जो प्लेन का हिस्सा है वहॉ भी

लोग गंगा के किनारे बड़े-बड़े आश्रम, बड़े-बड़े होटल, बड़े-बड़े रिसोर्ट बना रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दैवी आपदा के अन्दर निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को इस आपदा ने छुआ है। इससे मेरी विधान सभा भी अछूती नहीं रही है। हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जहॉ पर डी0एम0 बैठते है, जहॉ डेम कोठी है, यहॉ आये दिन मंत्री, विधायक आते हैं, उससे मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर, कुमाऊॅ को जाने के रास्ते पर है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि वहॉ से कोई मंत्री न गुजरता हो। वहॉ पर एक कांगडी गॉव पडता है, चण्डी घाट के नीचे लोग झोपड़ियो में रहते है, वहॉ पर इन झोपड़ियों का पानी तीन दिन तक नहीं सूखा। सरकार ने जो फौरी योजना बनाई थी कि ₹ 8-10 हजार तत्काल गरीबों को मदद मिलेगी, वह आज तक उनको नहीं मिली है। उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार नहीं किया गया है। हमारा एक कांगडी गॉव है जो ऐतिहासिक गॉव है, स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इस गॉव को बसाया था। स्वामी श्रद्धानन्द जी वह व्यक्ति थे, जो महात्मा गॉधी जी के आगे महात्मा शब्द लगता है वह शब्द उन्होंने ही दिया था। तभी से उनके नाम के सामने महात्मा शब्द लगता है। वह कांगडी गॉव स्वामी श्रद्धानन्द जी का बसाया हुआ है। उस गॉव की सैकडों बीघा जमीन इस बाढ में कटी है। हमारे जो हरिद्वार के रहने वाले कैबिनेट मंत्री माननीय हरीश रावत जी है, वह जल संसाधन मंत्री हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होता है, यहॉ पर उसका नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।

श्री यतीश्वरानन्द-

मान्यवर, उन्होंने भी वहॉ जाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद कागडी के बाद श्यामपुर, गाजीवाला, टाटवाला, अन्दरपीडी इन पॉच की कम से कम पॉच छ- सौ बीघा जमीन कटी है। उस जमीन की कीमत लगभग 20-30 लाख बीघा थी। वहॉ पर सरकार का कोई भी नुमाइन्दा, कोई भी अधिकारी कर्मचारी केवल एक एस0डी0एम0 को छोडकर, जब मैं उस गॉव में जाकर धरने पर बैठा हूॅ, तब एस0डी0एम0 वहॉ गया है। मुझे ऐसे लगता है इस आपदा में हरिद्वार जनपद को लेकर सरकार गम्भीर नही है। हमारे आपदा मंत्री जी भी वहॉ गये हैं, माननीय इन्दिरा हृदयेश जी भी वहॉ गई हैं, वहॉ गये तो जरूर हैं लेकिन वहॉ आज तक कोई बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है। हमारे लक्सर के विधायक श्री संजय गुप्ता जी का विधान सभा क्षेत्र का एक गॉव है, गंगासपुर, आज भी उस गॉव में पानी भरा है। वहॉ से कम से कम एक हजार आदमी अपने पशुओ को लेकर अपनी झुग्गी झोपडी को लेकर मेरे विधान सभा का जो वन विभाग का क्षेत्र है,

उसमें रह रहे हैं वन विभाग के अधिकारी उनसे बार–बार खाली कराने को कहते हैं। वे लोग लगातार यह कहते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अब तक सरकार की तरफ से वहाँ पर कोई हैण्डपम्प भी नहीं लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मै धन्यवाद करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 16 तारीख से पहले का प्रदेश था उससे भी अच्छा प्रदेश बने, पक्ष और विपक्ष को बैठकर इस पर योजना बनानी चाहिए। यह भी कहना चाहता हूँ कि जो विचार यहाँ से जाने के बाद हमारे दिमाग मे आते हैं हो सकता है वह विचार हम यहाँ पर न कह पायें हो, आप अपने द्वारा कोई आदेश दे कि जो 70 के 70 विधायक है वह लिखित मे अपना सुझाव सदन को दे सकते है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।

*श्रीमती सरिता आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। उत्तराखण्ड में जो आपदा आई हुई है, उसमे जो हानि हुई है और उसमें सरकार ने जो मुस्तैदी से कार्य किया है, मैं उसकी सराहना करती हूँ और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आपदा प्रबन्धन मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, आपके द्वारा जो कार्य किये गये हैं, वह सराहनीय हैं। नैनीताल एक पर्यटक नगरी है मैं वहाँ की विधायक हूँ। मान्यवर, इस आपदा से वहां के लोगो की बहुत बड़ी क्षति हुई है। वहां के होटल व्यवसाय, छोटे–छोटे कारोबारी और टैक्सी व्यवसाय सभी लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि इनके टैक्स माफ किये जायें, क्योंकि नैनीताल एक पर्यटकों का शहर है। मान्यवर, नैनीताल के पास एक बलिया नाला है, उसके लिए मैं माननीय आपदा मंत्री जी से कहना चाहती हूँ और सुझाव देना चाहती हूँ, शायद हमारे कई माननीय सदस्यगण बम्बई के शिरडी मन्दिर गये होंगे वहां पर जो छोटी–छोटी पहाडियां है उन पर रेलिंग का काम किया है। इसी प्रकार का काम बलिया नाला में भी होना चाहिए, उसमें भी रेलिंग का कार्य किया जाय। जिससे हमारे इन छोटे–छोटे पहाडियो को बचाया जा सके, बडे पहाडों में तो यह कार्य नहीं हो सकता है। माननीय आपदा मंत्री जी ने इस बलिया नाले के लिए पैसा भी दिया उसके लिए मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी करती हूँ और वहां पर अन्य नाले भी हैं। मै आपके माध्यम से माननीय आपदा मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि उनके लिए भी आपदा मद से पैसा दिया जाय जिससे उस क्षति को पूरा किया जा सके।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस सदन में सारे माननीय विधायकों ने विस्थापन की माग की है। मै जहां पर रहती हूँ भूमियाधार, वहा पर भी वर्ष 2010 से विस्थापन का कार्य नहीं हो पाया है। वहां पर वर्ष 2010 में आपदा आयी थी तो उस आपदा से वहां के लोग बहुत प्रभावित हुए है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि उनका विस्थापन यथाशीघ्र किया जाय। मान्यवर, नैनीताल एवं मसूरी शहर मे पर्यटकों को बढावा देने के लिए वहां पर एक बहुत अच्छा महोत्सव का कार्यक्रम रखा जाय जो हमारी पहाड की संस्कृति पर आधारित हो, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय पर्यटन मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगी। इस आपदा की घडी में हमारी सरकार ने जो काम किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आपदा मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। हमारे माननीय सदस्यगणो ने आपदा के बारे में इस सदन में जो भी बात कहीं हैं उन बातों से अपनी बात को भी सम्बद्ध करती हूँ और इसके साथ ही आपका धन्यवाद करती हूँ।

श्री महावीर सिंह–

मान्यवर, आपने नियम–310 पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश मे जल प्रलय के कारण पूरे देश ने हमारे प्रदेश की सहायता की है और हमारे प्रदेश के लोगों ने इस जलप्रलय के कारण जो लोग आपदा में हर जगह पर फंसे हुए थे उनको निकालने का काम किया और उनका सहयोग किया, उसके लिए मैं उन लोगों को कोटि–कोटि प्रणाम करता हूँ। मान्यवर, आज जो आत्मायें हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए मैं दु:ख व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन मे पक्ष और विपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये और कई सारे सुझाव इस सदन में रखे। मान्यवर, यदि लोकतंत्र ठीक होगा तो हम लोग इस प्रदेश के विकास में बहुत सारी भागीदारी निभायेंगे। मान्यवर, मेरे क्षेत्र मे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्री हरक सिंह रावत जी आये, लेकिन क्षेत्र की जनता ने यह महसूस किया कि 10 मिनट के लिए आए और कुछ करके नहीं गये, बडा खेद का विषय है। मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी किया कि जो पीडित परिवार हैं, उनके दु:ख के समय मे उनके कन्धे पर हाथ रखिए, पर ऐसा नहीं किया गया तो जब वे जाने लगे तो मैंने कहा मैं आपको छोडने तो नही आऊँगा। इसी बीच श्री हरक सिंह रावत जी का कार्यक्रम लगा और वे 2–3 गॉव में गये और वहॉं की जन समस्याओं को सुना, पर होना क्या था, यह तो समय बतायेगा, लेकिन इस प्रकार की आपदा जो इस वर्ष आई तो मैं समझता हूँ कि सौ वर्ष पहले ऐसा पानी बरसा होगा।

मान्यवर, मेरी विधान सभा के अन्दर कई गांव हैं, जिनमे थल्यूड बाजार है, वह तीन नदियों के संगम में बना हुआ है और मेरी विधान सभा मे एक दिन माननीय

मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में श्री यशपाल आर्य जी भी आये थे और उस समय भी कण्डीसौड के कार्यक्रम में थत्यूड के बाढ सुरक्षा कार्य के लिए प्रार्थना की थी तो वह प्रस्ताव बाढ सुरक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार को गया, उसमें 15 करोड मिलना था, वह 5 हजार की आबादी वाला कस्बा है और यदि उस कस्बे को खडा रखना है तो वहॉ के लिए यह योजना स्वीकृत करानी बहुत जरूरी है। मान्यवर, थत्यूड हो, पापरा हो, खेडा हो, सिंजल हो इन सभी जगह बहुत सारी क्षति हुई और दूसरा क्षेत्र सरोट, रमोल गांव, श्याम गांव, धरवाल गांव, नकोट, भगोडी ये सारे ऐसे गांव है, जिनका विस्थापन होना है, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप सरकार से इनका विस्थापन करवायेंगे। मान्यवर, पहाड पर रोजगार के लिए आदमी भटक रहा है, उसी प्रकार नीचे जो व्यापारी हैं, उन्होंने पहाड के छोटे–मोटे व्यापारियों को उधार दिया होगा वे भी परेशान है। पहाड मे किसी का ढाबा होगा, किसी की छोटी दुकान होगी, किसी की मैक्स होगी, किसी की गाडी होगी, किसी का घोडा होगा, तो उनके टैक्स माफ होने चाहिए। मान्यवर, मेरी विधान सभा में सबसे ज्यादा भूमि की क्षति हुई है और धनोल्टी तहसील के अन्तर्गत 481 हैक्टेयर भूमि वाशआउट हो गई, अभी श्री खर्कवाल जी ने कहा कि पहाड में भूमि के लिए 5 हजार देंगे तो मैं कहूँगा कि जो सिंचित भूमि है, उसका सर्किल रेट 20–22 हजार है, तो उतना उसको मिलना चाहिए।

मान्यवर, इसी प्रकार जो कडीसौड तहसील है, इसमें 93.95 है0 भूमि क्षतिग्रस्त हुई है। मान्यवर, चाहे बंजर भूमि हो, चाहे सिंचित भूमि हो, चाहे असिंचित भूमि हो। यदि इस भूमि को दो भागो में सिंचित भूमि और असिंचित भूमि में बाटा जाय तो आकलन करने में सुविधा होगी। मान्यवर, रवाई घाटी और जौनपुर घाटी में ज्यादातर किसानो ने आलू की खेती की है और आलू एवं पशु ही इनके जीवन यापन का मुख्य आधार है। यह क्षेत्र आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है यहा पर करोडों रुपये का आलू होता है, इस बार इनको भारी क्षति का सामना करना पडा है। मान्यवर, किसानों ने बैंकों से करोडो रुपये का लोन ले रखा है। मान्यवर, जैसे यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि ऋण माफ होना चाहिए, मैं भी यही चाहता हूं। मान्यवर, विद्युत की योजनाओं के हाल इन दोनों विकास खण्डों में बहुत खराब हैं, इस ओर भी इस सरकार को ध्यान देना होगा। मान्यवर, मैं इस क्षेत्र की सडको की ओर भी इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, लगभग ` 25–30 करोड के रोड का आकलन जो सरकार के पास आया है। मान्यवर, कई सडकें इस क्षेत्र में ऐसी हैं, जिन पर सरकार ने कोई प्लान ही नही किया है। नकोट नेग्याणा मे जे0सी0बी0 नाम की कोई चीज ही नही गयी, बनोगी चाम्बा, थत्यूड, पापरा, कैम्परी चडोगी की जो सडके पूरी तरह से वाशआउट हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा सरकार इस दिशा मे कार्य करे। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र मे कहना

चाहता हूँ, इस समय माननीय शिक्षा मंत्री सदन में मौजूद हैं। मेरे क्षेत्र मे 27 विद्यालय ऐसे है जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और 5 विद्यालय कहीं और चल रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मै आपको जानकारी के लिए बता दू कि माननीय शिक्षा मंत्री ने क्षतिग्रस्त विद्यालयों की सूची माननीय विधायकों से मागी है, आप उन्हें ऐसे विद्यालयो की सूची दे दीजिएगा।

श्री महावीर सिंह–

मान्यवर, पेयजल के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि इसमें लगभग 200 योजनाए पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और लोग गाड–गदेरों से पानी पी रहे हैं। मान्यवर, सिंचाई के क्षेत्र मे कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र मे लगभग 90 नहरें क्षतिग्रस्त है। इसमें लघु सिंचाई की नहरें अलग से है। मैं चाहूंगा सरकार इस दिशा में भी कार्य करे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नेगी जी यहाँ पर हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नैनबाग के लिए एम्बुलेंस भेजी और इस क्षेत्र में आपदा की घडी में जो मैने महसूस किया है कि गांव–गाव मे बीमारिया फैल रही हैं और डाक्टरों एवं मेडिसन की कमियां भी है, मैं चाहूगा इस दिशा मे भी यह सरकार कार्य करे। मान्यवर, जो सुझाव यहां पर सदन के वरिष्ठ साथियो ने दिये, उनसे सम्बद्ध होते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री राजेश गुप्ता–

मान्यवर, मै एक जानकारी सरकार से चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप बोल चुके हैं। बैठ जाईये।

*श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम पहली पारी में भी आया था, लेकिन उस समय मैं यहां पर मौजूद नही था। मान्यवर, 16 एव 17 जून को जो आपदा आयी, वह वास्तव में किसी के हाथ की आपदा नहीं थी। यह एक ईश्वरीय प्रकोप था, जो हमारे पूरे प्रदेश को झेलना पडा। मान्यवर, खासकर उन लोगो को, जिनकी जाने गयी, जिनके परिवार हताहत हुए, वे बुरी तरह से प्रभावित हुए। मैं अपने आप को स्वामी जी की बात से जोडते हुए सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि भगवान उन सब लोगों को दु:ख की इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, जिनके परिवारों के लोग हताहत हुए है और उन मृतक आत्माओं को भगवान शान्ति प्रदान करे। जैसा कि पहले हमारे बहुत से वक्ता, कल से आपने यहाँ पर चर्चा का अवसर दिया है, तो उसमें अलग–अलग प्रकार से सबके अपने–अपने विषय आए हैं। चूंकि अभी समय की बहुत कमी है, इसलिए उन विषयों से अपने को सम्बद्ध करते हुए, उन बिन्दुओं को नहीं छूना चाहता, उसके आगे कहना चाहता हूँ कि 16 और 17 जून को जो आपदा आयी, उस आपदा के बारे में इतनी देरी से हमको पता चला, यह बड़े दुःख की बात है। कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि यह संवेदनहीनता है, यह हमारे तंत्र की कमी है। इस विषय पर हम सबको विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर कहाँ हमसे कमी रह गयी है क्योंकि आपदा इतनी बड़ी आयी और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी तब पता चला जब मीडिया में इतनी सारी बातें आ गयीं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमको पता लगा कि इतने लोग मारे गये हैं, इतनी बड़ी आपदा आयी है। रामबाड़ा पूरा ध्वस्त हो गया है, केदार घाटी पूरी बह गयी, चारो तरफ जिस तरह से तबाही का मंजर आया, वह हमको अखबारों और मीडिया के माध्यम से पता चला। उसी तरह से आज तीन महीने से अधिक का समय बीत गया है और तीन महीने के समय में जो राहत का कार्य हो रहा है, वह भी हमको विज्ञापनों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है।

जमीनी हकीकत यह है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चूँकि आलोचनाओं का दौर नहीं है और आलोचना करने का कोई लाभ भी नहीं है। इसमें निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष सबको और जैसा कि हमने पहले भी कहा हम सब लोग रचनात्मक विपक्ष के रूप में सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन सरकार को भी तय करना होगा कि वास्तव में वह कितना सहयोग लेना चाहती है। केवल और केवल ट्रेजरी बैंच पर बैठ कर, बहुत सारी चीजो पर हम देख रहे थे, चूँकि हम लोग तो पहली बार सदन में आये है, मैं अभी स्वामी जी से भी कह रहा था, भाई प्रेम सिंह जी से कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि हम लोगो को विषय की जानकारी नहीं है। आपके आशीर्वाद से, आप हम नये लोगो को बोलने का मौका दे रहे हैं, हमको आगे बढ़ा रहे हैं, आपके हम बड़े आभारी है। विषय और विचार हम लोगों के मन में भी बहुत सारे है और वास्तव मे जैसा स्वामी जी ने कहा, मैं पुनः इनकी बात से अपने को जोड़ता हूँ कि 16 जून से पहले का जो हमारा उत्तराखण्ड राज्य था, उससे भी अच्छा राज्य बने। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कई बार अपने बयानो में कहा है, अधिकारियो ने भी कहा है कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। पैसा इतना आ रहा है लेकिन वह पैसा सही तरीके से सही जगह पर लग जाए, जहाँ उसकी आवश्यकता है, वहाँ उसका उपयोग हो जाय तो मैं समझता हूँ कि हमारा यह नवगठित प्रदेश पुनः इस बड़ी विभीषिका को झेलने के

बाद भी एक नया स्वरूप और एक नया आकार लेकर पूरे देश के लिए एक आदर्श राज्य बनेगा और लोग जैसे जापान के बारे में कहते हैं कि वहाँ पर इतनी बड़ी सुनामी के बाद भी, जापान आज भी दुनिया के लिए आदर्श बन चुका है। लोग उसकी गणना विकसित देशों में करते है और उससे तुलना करते हैं। उसी प्रकार से हम सब लोगों को भी करना होगा। क्योंकि समय कम है और चूँकि आपने मुझे दूसरी पाली में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ चीजें हैं और सौभाग्य की बात है कि माननीय यशपाल जी उसका पहले प्रतिनिधित्व भी कर चुके है, आपदा मंत्री भी हैं और सिंचाई मंत्री भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक मात्र मंत्री हैं, हमारे जिले के। (व्यवधान) मान्यवर, मै आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूँ, वैसे उनके संज्ञान में है भी। (व्यवधान) मान्यवर, जब हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से पृथक हो रहा था, तो उस समय उत्तर प्रदेश से संचालित होने वाली कम से कम 06 नहरें ऐसी है, जिनका हेड और टेल उत्तर प्रदेश में हैं और ऐसी छः नहरें यहां है, जिनका संचालन वहां से होता है और उनका संचालन यहां से होना चाहिये और उन्ही नहरों का, जो छः अन्य नहरे है, उनका संचालन उत्तर प्रदेश से होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनबसा से लेकर भारामल, जो कि पीलीभीत बार्डर पर है, में लगभग 27 किलोमीटर शारदा नहर जाती है और उससे लगी हुई सड़क है, जो सीमान्त देश नेपाल से लगी हुई है। पिछले 12–13 साल तो छोड़ दीजिये, जब से यह सड़क बनी होगी, तब से उनका कोई भी पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। उस पर बहुत बड़े गड्ढे हो गये है, क्योंकि मैं लखनऊ में विद्यार्थी रह चुका हूँ, जिस कारण उत्तर प्रदेश के कई लोगों से मेरा परिचय है, मैंने वहां भी प्रयास किया तो उनका कहना था कि यह सब परिसम्पत्तिया उत्तराखण्ड में आती है, इसलिये हमारी सरकार इस पर बहुत पैसा खर्च नहीं करेगी। तो यह बड़ा दुर्भाग्य है जो लोग वहां पर निवास कर रहे हैं और बगल में नेपाल बार्डर है। माननीय यशपाल जी जानते हैं कि इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सिर्फ मेरी ही विधान सभा का मामला नहीं है, अन्य जगह भी ऐसे मामले होंगे।

उत्तर प्रदेश के लोग हमसे सिर्फ पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद उनको हमारी सड़कों से क्या लेना–देना। अपने हेडवर्क्स का तो रखरखाव करते हैं, वहां पर अपने कर्मचारी रखते है, लेकिन जिन सड़कों से उत्तराखण्ड के लोगो को चलना होता है, वहां पर उनका कोई रखरखाव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी खटीमा आये थे, मैंने उनके समक्ष भी इस विषय को रखा, उन्होने कहा था कि मैं इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन उस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है। मान्यवर, यह विषय सामरिक महत्व का भी है, सीमाओं की सुरक्षा

की दृष्टि से भी हमें इन सड़कों की ओर ध्यान देना चाहिये। हमें यह भी देखना चाहिये कि जिस तरह से नेपाल आज चीन के सहयोग से सड़कों का निर्माण कर रहा है, उस ओर भी हमें संवेदनशीलता से ध्यान देना होगा, यह आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे प्रदेश के आस–पास जो माओवाद पनप रहा है, कहीं न कहीं इससे उस पर भी विराम लगेगा।

मान्यवर, इसी प्रकार से एक सड़क है, जिस पर आप, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय यशपाल जी भी जाते हैं, जसपुर से खटीमा तक जो एन0एच0 74 और 25 है, की स्थिति आज बहुत बदहाल है। उस एन0एच0 के अधिकारी कोई सुनील कुमार हैं, मैंने उनसे बात की थी और एक तरह से उनसे बात करने में मुझे क्रोध भी आ गया था, क्योंकि कई बार कहने के बाद भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि महोदय, एक बार मैं 1995–96 में बिहार की यात्रा पर गया था और टाटा सूमो की पिछली सीट पर बैठा था, मुझे नींद आई हुई थी, रात के दस बजे जब मैं मुगलसराय पहुंचा तो एकदम से झटके लगे और मेरी नींद खुल गई। अगली सीट पर हमारे संगठन के नागेन्द्र जी बैठे थे, मैंने उनसे पूछा भाई साहब, कहां पहुंच गये, तो उन्होंने जवाब दिया कि बच्चा तुम्हें पता नहीं कि तुम बिहार पहुंच गये हो, तभी तुम्हारी नींद खुली है। उसी प्रकार की स्थिति आज हमारे हाईवे की है, आप लोग तो ट्रेन से या हेलीकॉप्टर से आते हैं, मैं भी कभी ट्रेन से नहीं आता था, लेकिन इस बार ट्रेन से मुझे यात्रा करनी पड़ रही है। जब आपदा की चर्चा यहां पर चल रही है तो आपकी ओर से यह भी निर्देश जाने चाहिये कि नेशनल हाईवे ठीक हो। मान्यवर, उसमें माननीय चीमा जी बोले थे और मैं तो समझता हूँ कि जब घर से हम लोग निकलते हैं, तो आपकी बात को पुनः दोहराता हूँ। मैं माता जी, पिता जी से मिलता हूँ तो यह लगता है कि पता नहीं वापस लौट कर आयेंगे या नहीं, क्योंकि इतनी दुर्घटनाएं वहां पर हो रही हैं।

माननीय सुरेन्द्र नेगी जी यहां पर बैठे हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि खटीमा चूँकि सीमान्त क्षेत्र है और एक मात्र वहां पर राजकीय बड़ा हास्पिटल निर्माणाधीन है, वो इसी सत्र में शुरू हो जाय तो आपदा के समय में वहां से लेकर बनबसा से पीलीभीत तक की सीमा के लोगों को वहां इलाज करवाने का अवसर मिलेगा। इसके साथ–साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि आपदा के समय में बिजली की कटौती शहरी क्षेत्रों देहरादून या हल्द्वानी में तो शायद इतनी नहीं होती होगी, मैं बिल्कुल सीमान्त क्षेत्र नेपाल बार्डर से तीन किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ, तो लगभग 08 से लेकर 12 घंटे तक रोज कटौती हो रही है और जब यू0पी0सी0एल0 के अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि कभी सिल्ट आ जाती है और कभी किसी कारण से मशीन ट्रिप हो जाती है, इसलिए बिजली नहीं आ रही है। तो इस

और भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो टनकपुर का, अभी माननीय हेमेश खर्कवाल जी यहां पर नहीं है, लेकिन वहां भी मैं कई बार गया इस आपदा के दौरान, तो टनकपुर इस बार तो किसी कारण से बच गया। वहां पत्थरों की जो रेलिंग बिछायी गयी, उसके कारण से बहुत बचाव हुआ, लेकिन एक अच्छी नीति वहां के लिए बनानी होगी कि नेपाल की तरफ से जो वहां पर मलबा आ गया है, उस मलबे को हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि शारदा नहर अपने रास्ते पर आ जाये। इसके साथ-साथ खटीमा क्षेत्र में भी उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जगबुड़ा नदी मेलाघाट में, कामन नदी रिया में, देवा नदी मेहरबान नगर और मजगरी और सुनबहर में। अभी एक वहां पर बाढ़ की योजना में पिछले कई वर्षों से जो योजनाएं चल रही थीं, उसकी स्वीकृति भी हुई, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस ठेकेदार को वह ठेका दिया गया, उसका 30 मार्च के लगभग टेंडर हो गया था और 30 मार्च से लेकर अभी 06 महीने क्या 07, 08 महीने हो गये होंगे, उसने काम शुरू नहीं किया है। इस बार तो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि उतनी बाढ़ नहीं आयी वहां, लेकिन अगर बाढ़ आती तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी न बचता।

इसी के साथ-साथ हमारे यहां एक बग्गाचौव्वन ग्राम सभा है जहां पर खटीमा जो हमारा ब्लॉक मुख्यालय है, उससे 27 किलोमीटर दूर है और वहां पर बरसात के दिनों में कोई आवागमन का साधन नहीं होता है, बिल्कुल रोड बंद हो जाती है, दलदल हो जाता है भीषण, वहां जंगल है, वो भी नेपाल बार्डर और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। पहले भी मैंने इसके बारे में यहां विधान सभा में प्रश्न लगाया था कि इसको राजस्व ग्राम बनाकर, इसी तरीके से हमारे यहाँ 3-4 गूठ और खत्ते हैं, उन गूठ और खत्तों को भी कहीं न कहीं उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। चूंकि आपदा आयी थी, जब धारचूला में आयी तो मैंने धारचूला, मुनस्यारी, बलवाकोट में जब आपदा आयी तो हमारे खटीमा के लोगों ने वहा पर राशन वगैरह एकत्र किया और दो गाड़ियों को सबसे पहले खटीमा से वहां भिजवाने की व्यवस्था की डी0एस0ओ0 के माध्यम से और वहां के माननीय विधायक हरीश धामी जी के माध्यम से और कमिश्नर कुमाऊं के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आपने इस आपदा के समय में सब लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया और जो गन्ने की बात थी पिछली बार नेता सदन और माननीय गन्ना मंत्री जी ने कहा था कि 10 एकड़ एक बार गन्ना जला था, उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कई बार हम लोगों ने वहां के गन्ना अधिकारियों से बात की है, लेकिन अभी तक उसको गम्भीरता से नहीं लिया गया है। यह गरिमा का सदन है, मैं समझता हूँ कि यह सारी चीजों को चलाने का सदन है और यहां से एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। चूंकि आप स्वयं ध्यान देते हैं और आगे भी ध्यान देंगे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।

एक अंतिम सुझाव देते हुए चूंकि माननीय विक्रम सिंह नेगी जी ने कहा था, उससे अपने को जोड़ते हुए कि स्थानीय लोगों को और नौजवानो को चूंकि आपदा प्रबन्धन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और नौजवानो के बीच में मैं भी लम्बे समय तक काम करता रहा हूँ तो आपदा का जो 4–5 महीने का हमारा पीरियड होता है, उस पीरियड मे यदि उन बेरोजगार लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दिलवाकर कोई काम दिया जायेगा तो निश्चित रूप से उन बेरोजगार नौजवानों का काम भी हो जायेगा और आपदा से निपटने मे मदद भी मिलेगी।

मान्यवर, निश्चित रूप से उन बेरोजगारों का काम भी हो जायेगा। साथ ही जो गन्ना किसान हैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से मॉग करूंगा, क्योंकि माननीय इन्दिरा हृदयेश जी का उत्तर आया है कि एक साल के लिए उनके ऋण को स्थगित किया गया है, एक साल तक नही वसूला जायेगा। लेकिन उनको माफ करने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी उनको कोई न कोई मरहम पट्‌टी लगेगी, कोई लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

*श्री प्रेम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नियम–310 की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मान्यवर, 16 और 17 जून को जो दैवीय आपदा आयी उसमें बहुत अधिक त्रासदी आइ, हजारों की संख्या में लोगो की जाने गई यह बड़ा दु:ख का विषय है। हमारी देव भूमि में जो दैवी आपदा आइ है, उसका अवलोकन करते हुए और उस विषय की चर्चा करते हुए जो पुनर्वास और विस्थापन की जो स्थिति पैदा हुई है। मान्यवर, एक दो महीने के बाद शीतकालीन मौसम आने वाला है। पुनर्वास और विस्थापन यहॉ की भौगोलिक परिस्थितियो के आधार पर होना चाहिए। साथ ही जब हम उत्तराखण्ड में पलायन की बात करते है, यहॉ एक ऐसी प्रणाली बनाई जाये जिससे उनका पलायन रुके। उनको ऐसे संसाधन उपलब्ध कराये जायें, जो इस प्रदेश में अंतिम छोर मे निवास कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनायें हैं, उन योजनाओ से वह वंचित है, उनको हर तरह की सहायता उपलब्ध कराइ जाये। अपने को मैं नेता प्रतिपक्ष से और माननीय सदस्य से सम्बद्ध करते हुए, हमारी नानकमत्ता की विधान सभा ग्रामीण क्षेत्र की विधान सभा है। यह विधान सभा पहली बार बनी है। जितनी भी पहाड की नदियॉं है वह खटीमा, सितारगंज और नानकमत्ता होते हुए गुजरती हैं, जिसमे कैलाश नदी, जो हमारी मेन नदी है और कैलाश नदी से लगभग दर्जनों गॉव प्रभावित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होते हैं। साथ ही साथ दर्जनों गाँव में निवास करने वाले लोग हैं। वहाँ पर जो किसान है, उन किसानों की जो भूमि है वह बहुत ज्यादा घटी है। उन पर तटबन्ध बनाने का, उनकी सफाई करने का एक प्रस्ताव बने तो निश्चित तौर पर जो किसानों की दशा है, वह सुधर पायेगी।

इसी के साथ नानकमत्ता विधान सभा के अन्तर्गत दूरस्थ जो ग्राम है, उनकी 10 हजार की आबादी है, लेकिन निहाई नदी के तांडव से बाढ़ के दिनो में वहाँ पर बहुत अधिक बाढ़ आती है। उसका मलबा हटाने की कई बार बातें आई, कई बार दैवी आपदा से पैसा भी मिला, वह काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट होने के कारण, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि हमारे आपदा मंत्री जी मौजूद हैं, उस प्रोजेक्ट को बहुत कम पैसा रिलीज हुआ है। जहाँ तक उसकी खुदाई हुई है, दो गाँव बचने के बाद तीसरे और चौथे गाँव में फिर आपदा का आतंक फैलने वाला है, वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है, जब वह पूरा प्रोजेक्ट खुद जायेगा तो उसका पूरा मलबा हट जायेगा तो उससे जानमाल के खतरे से बचाव हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो धनराशि आपने अवमुक्त की है वह और अधिक बढ़ा दी जाये, जिससे कुछ गाँव जो प्रभावित हो रहे है वह बच सकें। इसी तरह से एक दैवीपुर कस्बा है, बहुत बड़े नाले से वह दैवी आपदा से इस बार कटा हुआ है, उससे लगभग दो–तीन गाँवों का सम्पर्क टूट गया है।

मान्यवर, उस नाले मे पुल बनाने की बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक नाला है, जो नानकमत्ता डैम से निकलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दिनांक 30 मई को एक बहुउद्देश्यीय कैम्प में खटीमा में गये थे और आपके द्वारा वहा पर इस सम्बन्ध में घोषणा भी की गई थी। लेकिन उस नाले मे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। लोग वहां पर आवागमन के लिए वंचित है। वहा पर जगह–जगह पर कटाव होने के कारण वहां के किसानों की जमीन कटी हुई है। उन लोगो को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा आपसे ऐसा आग्रह है। मान्यवर, मेरा आपसे एक सुझाव है कि जहा–जहां पर आपदा से नुकसान हुआ है, उन क्षेत्रों में एक अच्छी योजना बनायी जाय और भविष्य में उन योजनाओं को वहा पर लागू किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, दिनाक 16 एव 17 तारीख को प्रदेश में आयी भीषण दैवीय आपदा पर नियम–310 के अन्तर्गत आपने चर्चा मे भाग लेने का जो मुझे मौका दिया, इसके लिए

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बारे में टेजरी बैंच और हमारी तरफ से भी बहुत सारे सुझाव आये हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि बहस के दौरान एक बात निकल कर आयी कि वहां पर संचार व्यवस्था खत्म हो गयी थी। निश्चित रूप से इस दैवीय आपदा पर संचार व्यवस्था ध्वस्त हुई होगी और सूचनायें जगह पर नहीं पहुच पायी। मान्यवर, मैंने एक प्रश्न 20 तारीख के बाद लगाया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दैवीय आपदा से कितना नुकसान हुआ है ? और सरकार उस पर क्या कर रही है ? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो शासन से जवाब मिला है, उसमें यह कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग के 09 मार्गों की सतह को क्षति पहुंची है और यह भी कहा गया है कि 7 बाढ़ सुरक्षा योजनाएँ हुई हैं और पूरे जिले को ` 11 करोड़ की धनराशि आपने दी है। मैं यहां पर यह कहना चाहूँगा और कोई आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। निश्चित रूप से बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अभी गोदियाल साहब ने एक शायरी सुनाई थी उसमें उन्होंने कहा कि तुम गैर मत समझना, हमको न चाहो तो कोई बात नहीं और गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। मान्यवर, यह विषय ऐसा था कि इसमें कोई गैर नहीं है। एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। अच्छा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने माननीय विधायकों को बुलाया। ठीक यह होता की माननीय मुख्यमंत्री जी सभी दलों के माननीय विधायकों को बुलाते, क्या यह आपदा उनके यहां नहीं आयी थी ? उसके बाद भी यह भावना रहेगी कि यह गैर है और अपने हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि यह दलगत राजनीति से प्रभावित हुई है। उसकी पुष्टि तो आप स्वयं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा आपके शायरी के जवाब में-

"माना कि तगाफल (हीला-हवाली) न करोगे, लेकिन।
खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक।

मान्यवर, इस बीच में कितने लोग खाक हो गये, यह चिन्ता का विषय है। आपदा तो आयेगी उसको कोई नहीं रोक सकता है। आपदा के बाद जो स्थिति हुई है उस पर हमने चिन्ता व्यक्त की है। इसमें सरकार गिरने और चलने की बात थोड़ी हो रही है। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र का कुछ क्षेत्र जो अब माननीय मुख्यमंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र में है। वहां से माननीय यशपाल आर्य जी भी पहले विधायक रह चुके हैं। वहां पर गोला नदी ने बहुत ज्यादा तबाही की है, इसका अन्दाज आपको भी है। हमारे लोगों की जमीनें गोला नदी में बह गयी हैं।

मान्यवर, मैंने कहा था कि इस आपदा के पैसे में आप दलगत भाव मत देखिए, जहाँ नुकसान हो रहा है उसे रोकिए। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आपदा में ` 9 करोड़ मेरे जिले में गया, लेकिन ` 4 करोड़ बड़े भाई ने ले लिया और जहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, वहाँ पर ` 30-35 लाख कुल मिल पाया। मान्यवर, इससे

बड़ी बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वहाँ अवैध खनन होता रहा और उसका वीडियो हमने मोबाईल से बनाकर जिलाधिकारी को पेश किया और कहा कि यह अवैध खनन करा रहे हैं, यह अगली बार फिर तबाही करेगा, पर सरकार ने उसकी कोई चिन्ता नही की और आज उसका असर देखने को मिल रहा है। जो हमारा हाई–वे और रेलवे ट्रैक हैं वह दोनों कटने की राह में है और जो पैसा उसके लिए आपने रखा है वह बहुत कम रखा है। मान्यवर, आपके जवाब में सड़कें छूट गई, स्कूल छूट गये, हमारी फसलें बह गईं वह छूट गये, मुझे उससे दु:ख नहीं हुआ पर आपने यह लिख दिया कि दैवीय आपदा में किच्छा तहसील के अन्तर्गत कोई परिवार प्रभावित नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक बंजर ग्राम है, जो अनुसूचित जाति की बस्ती है, वहाँ पर गरीब बालक विजय बाढ़ में बह गया, उसकी मौत हो गई, उसको कोई मदद नहीं मिल पाई। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके आवेदन पर लिखकर दिया कि डी०एम० दैवीय आपदा से दे दें, उन्होंने कहा कि विवेकाधीन कोष से नही होगा क्योंकि यह बाढ़ में बहा है, इसलिए इसको दैवीय आपदा से दे दो। पर उसको पैसा नही मिला और हमारे माननीय मंत्री जी का जवाब है कि वहाँ कोई परिवार प्रभावित ही नहीं है।

मान्यवर, 16–17 में जो बारिश हुई है जिसमें लोगों के कच्चे मकान टूटे हैं, बांसे गिरी हैं और हम जिलाधिकारी और एस०डी०एम० को वहाँ पर लेकर गये हैं, लेकिन आपका सूचना तंत्र सही से नही चला। पहाड़ में तो इतनी बड़ी तबाही आई जिससे टेलीफोन फेल हो गये, लेकिन मैदानों में टेलीफोन कहाँ फेल हुये, तो क्या वजह है कि 20 दिन पहले आपको पत्र दिया और आज तक कोई जवाब नहीं मिला। मान्यवर, आपने सिर्फ 8 पी०डब्ल्यू०डी० की सड़कों का जिक्र किया, वहाँ इसके अलावा जो मण्डी की सड़के हैं, गन्ना समिति की सड़के हैं और सड़के है जो गाव को जोड़ती हैं, वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई जब पहाड़ से पानी आया। नहरों के तटबंध टूटे है, उनको ठीक किया जाए जिससे कि सिंचाई का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। मान्यवर, मैं श्री धामी जी की चिन्ता से वाकिफ हूँ और मैं कहता हूँ कि जो हमारी नहरें ऊधमसिंह नगर में उत्तर प्रदेश के साथ हैं और जो हमारे डैम हैं उनके 3–4 जलाशय ऐसे है जो उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में हैं। मान्यवर, भूमि हमारी है लेकिन उसका मालिक उत्तर प्रदेश है तो मैं कहना चाहूँगा कि उसमें डाऊन में सिल्ट आ गई है जिसकी वजह से प्लेटफार्म कमजोर हो गये है कि किसी दिन बहुत भीषण हादसा होगा और जब जब हम कहते है तो वे कहते है कि उत्तर प्रदेश के पास है, यदि उत्तर प्रदेश के पास है तो सरकार उनसे बात करे कि उन तटबन्धों की सुरक्षा कैसे हो, वो टूट न जाएं, कोई भीषण आपदा न आ जाए, यह

जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस दिन एस०डी०एम० अरोड़ा जी अलकनन्दा में बह गये पेपर में फोटो आई और उसके अगले दिन मुख्यमंत्री जी गये, इससे घोर लापरवाही प्रशासन की क्या होगी, यदि उस डेढ़ फुट के पुल से जिस पर मुख्यमंत्री जी गुजरे थे वे बह जाते तो क्या स्थिति पैदा होती। बाद में उसको 5 फुट चौड़ा चलने लायक बना दिया अब लोग उस पर से निकल रहे हैं, तो क्या यह काम पहले नहीं हो सकता था। मान्यवर, कहीं न कहीं अधिकारियों पर बहुत अधिक निर्भरता है। मैं हमेशा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की उस बात से पूर्णतया सहमत हूँ, जैसा वे कहती है कि जनप्रतिनिधि बात को कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई होगी। मान्यवर, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी का पत्र हमें मिला है तो बहुत अच्छा लगा। जब उनसे बात हुई तो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि अधिकारियों ने जो हमें सूचनाए दी है, मैं उन सूचनाओं से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूँ और इसीलिए मैंने आज सारे माननीय विधायकों को यह पत्र दिया है कि आप भी अपनी रिपोर्ट दें कि कहां–कहां पर क्या–क्या नुकसान हुआ है, ताकि हम अपडेट हो सकें। मैं चाहता हूँ कि यह किसी के मन में न रहे कि अमुक माननीय सदस्य किस पार्टी के है, विकास में पार्टी का सवाल नहीं होना चाहिए। आपदा पूरे प्रदेश में आयी है और पूरे प्रदेश का विकास होना चाहिए। हमने भी दलगत भावना से ऊपर उठकर अपने छोटे से किच्छा शहर से एक दिन के अपने दुकानदारों और छोटे–छोटे उद्योगों से लेकर एक दिन के अन्दर ` 15 लाख का चैक माननीय मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दिया और 6 ट्रक अनाज भी उस दिन भेजा था। इसके बाद हमने अपने क्षेत्र की इण्डस्ट्रीज को राहत राशि हेतु प्रेरित किया था। मान्यवर, आज धन की कमी नहीं है। ` साढ़े तीन सौ करोड़ पूरे देश से आपको मिला है। इसके साथ ही साथ और धन भी मिलेगा, लेकिन इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी दिखायी दे रही है।

मान्यवर, अभी तक आपदा के क्षेत्र में धरातल पर कुछ भी कार्य दिखायी नहीं दे रहा है, जब तराई में कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है तो पहाड़ों में क्या कार्य हुआ होगा। हो सकता है हमारी बात से माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री जी सहमत न हों। मान्यवर, एक बात और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब यह आपदा प्रदेश में आयी तो पूरा देश हमारे साथ खड़ा दिखायी दिया, जिसकी जितनी क्षमता थी, उसने उसके मुताबिक सहयोग दिया है। लेकिन हमने बहुत ही संकीर्णता दिखायी, उस दिन हम सभी लोग शर्मसार हुए जब सरकार की तरफ से बयान आया कि हम जो उत्तराखण्ड के लोग मरे हैं, केवल उन्हीं को मुआवजा देंगे और जो हमारे देश के अन्य भागों से यहां पर आये और मर गये, उनको मुआवजा नहीं देंगे। इसमें मेरी जो राय है, इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस बात से देश में बहुत गलत संदेश चला जायेगा। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूँ कि जो धन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है, वह पूरे देश भर में जायेगा और शेष अपने राज्य में देंगे। जैसे हम अपने राज्य में प्रति व्यक्ति को ₹ डेढ़ लाख दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है अन्य राज्य यह राशि बढ़ाकर दे रहे हों। ऐसा मत कहो इसका संदेश बहुत गलत चला जायेगा। भारत सरकार ने पूरे देश के मृतक लोगों को यह राशि दी है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ नेताओं को यहां पर रोका गया और कोई युवराज आये तो उनके लिए कोई नियम नहीं रहा। लेकिन युवराज के आने के बाद हम लोगों ने यह महसूस किया था कि बात केन्द्र तक गयी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई बड़ी बात होगी, इस दैवीय आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे हमें बहुत निराशा हुई। मैं समझता हूँ कि आपको इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कराना चाहिए था, जो कि आप द्वारा नहीं कराया जा सका। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि आपदा पर एक वृहद कार्ययोजना बननी चाहिए, चूंकि यह हर वर्ष की समस्या है, यह कभी भी खड़ी हो सकती है। इसके उपाय ढूंढे जाने चाहिए और इसको प्रैक्टिकली भी देखा जाना चाहिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा में पंतनगर विश्वविद्यालय पड़ता है, मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा हूँ। आपको याद होगा कि पहले नैनी झील बहुत ज्यादा खराब हो गयी थी, उसमें प्रदूषण हो गया था, और इस झील को शुद्ध करने के लिए तमाम प्रयास किये गये, इसमें झील विकास प्राधिकरण भी है, इसे सुधारने के लिए तमाम प्रयास किये गये, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, बहुत बड़ा एमाउंट खर्च हुआ, परन्तु झील जस की तस रही, इसमें सुधार नहीं हो पाया।

मान्यवर, मेरे विश्वविद्यालय के एक छोटे से वैज्ञानिक हैं, जो विश्वविद्यालय में डीम्ड थे, बाद में जो कार्यवाहक चांसलर थे श्री ए०पी० शर्मा, उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने सिर्फ एक सेमीनार में कहा कि मैं इस झील को ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने झील में आक्सीजन के सिलेण्डर लगाकर, झील में आक्सीजन को बढ़ाया और आक्सीजन बढ़ने के बाद जो झील में जब मछलियों के बच्चे छोड़े गये तो वे सर्वाइव कर रहे है। माननीय आर्या जी बैठे हुए हैं, आज वह झील कुछ हद तक पहले के स्वरूप में आ गयी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपदा के सम्बन्ध में दीर्घकालिक योजनाएं बनें। मान्यवर, बादल फटने की घटनाएं अब बढ़ने लगी हैं, इसके

कुछ वैज्ञानिक कारण रहे होंगे, इसमें कुछ न कुछ गलतियां हुई होंगी। इन घटनाओं को हम किस तरह से रोक सकते है, इस पर हम सबको विचार करना होगा। हमें नीतियां देश और प्रदेश हित में बनानी होंगी। मान्यवर, मैं ज्यादा कुछ न कह कर इतना ही कहना चाहता हूँ। एक शेर से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। गोदियाल जी, आपने शेर सुनाया था। भण्डारी जी ने तो कह दिया, हम धमका कर अपनी बात करा लेते हैं। हम क्या करें ? मुख्यमंत्री जी काम नहीं करेंगे। भण्डारी जी धमका कर करा लेंगे। शैला बहन जी भी अपना काम करा लेंगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, आप बहुत बोलते हैं, वह घडियाली नहीं थे। हमने बहुत खोए हैं। बहुत सख्त ऑब्जेक्शन हैं। हमने बेटे खोए हैं, भाई खोए हैं। मत बोलिए। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, घडियाली कतई नहीं थे और जैसा कि हमने टी०वी० में देखा था, किस तरह से भण्डारी जी झगड रहे थे, वह वास्तविक था या नहीं हमें नहीं मालूम। आज तो सब बदला–बदला लग रहा था। पता नहीं सुबोध जी दिल्ली से लेकर कहाँ–कहाँ तक मैनेजमेंट कर दे रहे हैं, क्या से क्या हो जा रहा है।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य आपदा पर चर्चा करने से ज्यादा हम लोगों की बातों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आपदा में आपने हमें गैर कहा ना।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, इनके लिए आपदा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी हमारी बातें महत्वपूर्ण हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि चर्चा आपदा पर हो रही थी और गोदियाल जी ने आपदा की चर्चा में हम लोगों को गैर कहा। अगर हमको गैर नहीं कहा तो कौन वे गैर हैं, जिनको मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और आपको तकलीफ होती है। कृपया खुलासा कीजिए क्योंकि यह सदन का विषय बन चुका है, उसको कार्यवाही से निकाला भी नहीं गया है। इसलिए या तो आप स्पष्ट करें कि कौन वो गैर

है, जिनको मुख्यमंत्री जी चाहते है और इनको उस पर आपत्ति है। हमे लगता है, इन्होंने विपक्ष के लोगों को ही कहा है। (व्यवधान) अगर हम गैर नहीं हैं, तो कौन गैर है आपके लिए, यह क्लियर होना चाहिए। इस शेर के साथ ही,

"आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक,

कौन रूकता है फिर तेरी जुल्फ के सर होने तक।"

जो आह निकल रही है, उसका असर हो और वह असर दिखाई दे, ताकि भविष्य मे अगर इसकी पुनरावृत्ति हो तो लोग पहले से तैयार रहें ताकि इस तरह की दिक्कते न हों। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

*श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं अपने सम्मानित सभी मंत्रियों का, नेता प्रतिपक्ष और सभी विधायकगण का धन्यवाद करता हूँ कि इस चर्चा मे भाग लेकर वे मुझे भी कुछ सीखने का मौका दे रहे हैं। दो दिन से यह चर्चा जारी है। सभी ने अपने विचार और सुझाव दिये। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना है जिस तरह की परिस्थितियाँ बताई गई कि न वहाँ मौसम ने साथ दिया, न वहाँ सड़क थी, न वहाँ मौसम की वजह से आवागमन के कोई साधन थे। ऐसी स्थिति में एक लाख से ज्यादा लोगों को निकालने का सरकार द्वारा जो कार्य किया गया, उसके लिए वाकई हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारी आई0टी0बी0पी0 और हमारे अधिकारी बधाई के पात्र है। मैं इस सदन के माध्यम से अपनी सरकार, अपने सभी मंत्रियों और अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियो का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कैसी विकट परिस्थितियों में, जब पूरा देश इस आपदा की घडी में उन हजारों–लाखों लोगों की ओर ध्यान लगाए बैठा था, उन्होंने इस परिस्थिति मे उनको निकाला। मैं एक–दो सुझाव देना चाहता हूँ, हर तरह की बाते आ गयी है। आने वाले समय मे मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि 18 जून को रिस्पना नदी की बाढ से जो क्षति हुई थी, उन्होंने उसका मुआयना किया और तुरन्त तटबंध बनवाए और जिन लोगो के घर बह गये थे और आपदा मे जिनका नुकसान हुआ, उनको तुरन्त एक हफ्ते के अन्दर मुआवजा भी दिया गया।

मान्यवर, मैं एक और निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, हमारे सिंचाई और आपदा प्रबन्धन मंत्री जी यहा पर बैठे हैं, रिस्पना नदी और देहरादून की और भी जो हमारी छोटी नदियां हैं, उनमें जो मलबा भर गया है, उनकी सफाई अवश्य करा दें, नही तो अगली बार इससे भी भयंकर स्थिति देहरादून में होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मै एक और निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जितने भी हमारे पहाडी मार्ग थे, उनमें गैंग हुआ करती थी, उस समय आज के जैसे औजार और मशीनें नहीं थी। केवल गैंगों के सहारे से हमारी सडकें खुला करती थीं और उन गैंगों को 1990 में खत्म कर दिया गया और

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब उत्तराखण्ड बना तो उसके 3700 व्यक्ति हमारे पी0डब्ल्यू0डी0 में संयोजित किये गये। उन गैंगों को आज फिर से बनाये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय करीब 19000 कि0मी0 सड़कें ही थी और आज 31000 कि0मी0 सड़कें हैं। उन सड़कों पर आवागमन को सुचारू करने के लिये आज गैंगों की बहुत आवश्यकता है, इससे लोकल लोगों को काम भी मिलेगा और पलायन भी रुकेगा और आपदा में या बारिश मे जो सड़के ब्लॉक हो जाती हैं, उनको तुरन्त खोले जाने में भी यह मददगार होंगे। यहां पर हमारी संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठी हैं और वह पूर्व में लोक निर्माण मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके संज्ञान में भी इस विषय को लाना चाहता हूँ कि इस विषय को वह कैबिनेट में लाने का कष्ट करे, जैसे पूर्व में होता था कि 16 किलोमीटर पर 10 (9 प्लस 1) पर जो गैंग का रेशियो था, यदि उसके अनुसार यह काम दोबारा से लागू करेंगे तो करीब 15,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों के लिये इसकी प्राथमिकता तय कर दी जाय कि 50 प्रतिशत स्थानीय लोगों को ही भर्ती किया जायेगा, इससे पहाड़ों से पलायन भी रुकेगा और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा।

मैं ज्यादा न बोलकर, विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दो दिन में यहां पर एकता दिखाई है, आप लोगों से अनुरोध भी है कि इसी तरह से सदन को चलाते रहें। हम लोग नये हैं, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, यदि इस तरह से स्वस्थ चर्चायें होंगी। साथ ही मैं अपनी सरकार का और माननीय मंत्रियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी अनुमति से यह ऐतिहासिक चर्चा हो पाई है।

श्रीमती शैला रानी रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, आप पीठ से निर्देश देने की कृपा करें गैंग को शुरू कराने के सम्बन्ध में, क्योंकि पहाड़ों में यह बहुत जरूरी है।

श्री विक्रम सिंह नेगी—

मान्यवर, यह पहाड़ों की सड़कों के लिये बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

चर्चा जारी रहेगी। अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 06 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

जगदीश चन्द्र

देहरादून, अपर सचिव, विधान सभा,

दिनांक: 19 सितम्बर, 2013 उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्र0सं0 10 का उत्तर पृष्ठ 59 पर)

(निम्न पत्र अंग्रेजी में है, जिसे हिन्दी में अनुवादित किया गया है)

फोर कन्सलटेंट

पत्रांक 155/सी0एफ0ए0/इनफा/2012–13 दिनांक 20 जून 2013

महाप्रबन्धक, निर्माण,
गढ़वाल मण्डल विकास निगम
देहरादून
उत्तराखण्ड

विषय- लैंसडाउन जनपद पौड़ी में ईको लॉग में 5 नग एकल शयनकक्ष व 4 नग द्वि शयन कक्ष का निर्माण।

प्रिय महोदय,

आपके पत्र संख्या 354/ई0अनु0(नौ)–इंको हटस भूमि दिनांक 17–6–2013 के सन्दर्भ में उपरोक्त विषयक हमारे विचार एवं अवलोकन निम्न प्रकार है-

(अ) लैंसडाउन में लॉग हटस के निर्माण से पूर्व हमारी टोली जिसमें प्रोजेक्ट निदेशक एवं मुख्य वास्तुविद द्वारा लॉग हटस किट आपूर्ति करने वाली निर्माता कम्पनी "आर्टिक हाउस" की उत्पादन सुविधा का निरीक्षण जून 2012 में किया गया। उचित प्रकार से निरीक्षण के बाद पाया गया कि उत्पादन सुविधा एवं कार्यवाही मूलतः डिजाइन के अनुसार संतोषजनक है।

(ब) उत्पादनकर्ता, फिनिश लॉग हाउस इण्डस्ट्री एसोसियेशन द्वारा प्रतिस्थापित मानकों के अनुरूप व प्रमाणित है। एसोसियेशन द्वारा "लॉग भवन के डिजायन के सिद्धांत" के दिशा निर्देश जो कि संलग्न है, का निर्माणकर्ता कम्पनी द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

(स) वन अनुसंधान संस्थान की आख्या के अनुसार–यह साक्ष्य है कि लैंसडाउन में जो लकड़ी प्रयोग की गयी उसकी आर्द्रता की मात्रा, स्थापित मानकों के अनुसार है।

(द) लकड़ी के भवन की आवश्यक गुणवत्ता, के पृष्ठ 2 की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार ध्रुवीय चीड़ की लकड़ी में दरार का आना, स्वाभाविक गुण है।

(य) भविष्य हेतु हमारी सलाह है कि जहाँ पर दरारें दृष्टिगोचर हो रही है, उसमें सिलीकोन सीलिंग या एरलडाईट सीलिंग का प्रयोग किया जाये।

धन्यवाद,
आपका शुभाकांक्षी
मनीष उनियाल
प्रोजेक्ट मैनेजर

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः श्री ए0के0 द्विवेदी, संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।

(निम्न पत्र अंग्रेजी में है, जिसे हिन्दी में अनुवादित किया गया है)

भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का स्वायत्त निकाय)
पोस्ट बैग संख्या 2273, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बंगलौर, 560022

पत्रांक: संख्या डीआईआर दिनांक 05 जून 2013

महाप्रबन्धक, निर्माण,
गढ़वाल मण्डल विकास निगम
<u>74/1 राजपुर रोड, देहरादून</u>

विषय: लकड़ी के सैम्पल की जाँच।

प्रिय महोदय,

आपके पत्र संख्या 236/इं0अनु0(नौ) लैंसडाउन दिनांक 24 मई 2013 जो कि वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा निर्गत जाँच आख्या जिसमें आर्द्रता क्षमता एवं लकड़ी की पहचान के संदर्भ में है। रिपोर्ट के कथनानुसार सैम्पल में आर्द्रता कन्टेंट 9.12 प्रतिशत के नजदीक है और लकड़ी की पहचान पाईनस सिल्वेस्टरिस के रूप में हुई है। यद्यपि पाईनस सिल्वेस्टरिस का वर्गीकरण सामान्य अपवर्तक लकड़ी की तरह है किन्तु लकड़ी के विशेष रूप से मोटे सेक्शन जो कि लकड़ी के लॉग हट्स के निर्माण में प्रयुक्त किये जाते है, हवा में सूखने के दौरान लकड़ी में 'हेयर क्रेक्स', 'सतह क्रेक्स' व कुछ मात्रा में 'एंड क्रेक्स' विकसित होने की प्रवृत्ति हो जाती है। यह लकड़ी का सीजनिंग गुण है जिसे कि रोका नहीं जा सकता जब लकड़ी मोटे सेक्शन में प्रयुक्त की जाती है। जबकि लकड़ी पर आये ऐसे 'हेयर क्रेक्स', 'सतह क्रेक्स' व 'एंड क्रेक्स' लकड़ी की सुदृढ़ता पर अधिक प्रभाव नहीं डालते है और इसको लॉग हट्स के निर्माण में इसे समस्या नहीं समझना चाहिए।

धन्यवाद,

आपका शुभाकांक्षी

(सी0एन0 पाण्डेय)
निदेशक

(निम्न पत्र अंग्रेजी में है, जिसे हिन्दी में अनुवादित किया गया है)

वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
डाकघर न्यूफारेस्ट, देहरादून–248006

पत्रांक: 901/डीएफपीआर/एफआरआई देहरादून/डब्ल्यू0एस0/15(6) दिनांक 31 05 2013

श्री राहुल शर्मा,
महाप्रबन्धक (निर्माण)
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0
74/1 राजपुर रोड, देहरादून।

विषय. लकड़ी के सैम्पल की जाँच।

संदर्भ. आपके पत्र संख्या 83/ई0अनु0(नौ)ईको हटस दिनांक 22–4–2013 एवं संख्या 116/ई0अनु0(नौ) ईको हटस दिनांक 29–4–2012।

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उल्लेख है कि.

1–लकड़ी की पहचान पाइनस सिलवेस्टरिस एवं पाईनस स्प0 है, यह दोनों ही विदेशागत प्रकृति की है।

2–मेरी जानकारी एवं उपलब्ध प्रकाशित साहित्य के अनुसार, वन अनुसंधान संस्थान द्वारा विदेशागत किस्म की लकड़ी पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

3–रिपोर्ट के अनुसार आर्दता कान्टेंट अनुज्ञेय सीमा में है जो कि 8 से 10 प्रतिशत है। इस प्रकार विशेष किस्म की लकड़ी पर बिना कोई काम किये किसी निष्कर्ष पर पहुँचना मुश्किल है।

4–इस किस्म की लकड़ी का प्रदर्शन, जिस देश से आयी है व साथ ही साथ उष्ण कटिबन्धीय देशो से लिया जा सकता है।

फिर भी भारतीय मौसम परिस्थिति के अनुसार उक्त किस्म की लकड़ी का अध्ययन योजना के आधार पर किया जा सकता है। यदि गढ़वाल मण्डल विकास निगम फंड उपलब्ध कराता है तो उक्त विशिष्ट समस्या को अध्ययन किया जा सकता है।

आपकी शुभचिंतक

(डा0 साधना त्रिपाठी)
हेड
फारेस्ट प्रोडक्ट डिविजन
फारेस्ट रिसर्च इन्सीट्यूट

(निम्न पत्र अंग्रेजी में है, जिसे हिन्दी में अनुवादित किया गया है)

वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
डाकघर न्यूफारेस्ट, देहरादून–248006

पत्रांक: 68/2013 डब्ल्यू0ए0/नवम–19(8) दिनांक 21–05–2013

सेवा में,

श्री राहुल शर्मा,
महाप्रबन्धक (निर्माण)
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0
74/1 राजपुर रोड, देहरादून।

विषय: लकड़ी के सैम्पल की जॉंच।

संदर्भ: आपके पत्र संख्या 114/ई0अनु0(नौ)ईको हटस दिनांक 27–4–2013

महोदय,

लकड़ी के 5 सैम्पल जो पहचान हेतु आपके द्वारा प्रेषित किये गये हैं, का परीक्षण और पहचान की गयी है जो निम्न प्रकार है:

सैम्पल विवरण	पहचान
सैम्पल नं0 4, 5, 7, 8	सभी पाईनस सिलवेस्टरिस है।
सैम्पल न0 6	पाईनस स्प0

डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 893074 दिनाक 27–4–2013 धनराशि ` 28,090.00 प्राप्त किया गया जो कि सैम्पल की जॉंच हेतु है।

आपकी शुभचिंतक

वैज्ञानिक
काष्ठ शरीर शाखा, बाटनी डिवीजन
एफ0आर0आई0, देहरादून।

(निम्न पत्र अंग्रेजी में है, जिसे हिन्दी में अनुवादित किया गया है)

वन उत्पादित शाखा
वन अनुसंधान संस्थान
डाकघर न्यूफारेस्ट, देहरादून–248006

टेस्ट रिपोर्ट वुड सीजनिंग
रिपोर्ट नं0 203/एफआरआई देहरादून एफपीडी/डब्ल्यू.एस/6 1/टीटिंग/30 दिनांक 19.5.2013

मायश्चर कन्टेंट रिपोर्ट

श्री राहुल शर्मा, महाप्रबन्धक निर्माण, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, 74/1 राजपुर रोड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 115/ई0अनु(नॉ)ई की जॉंग टटस दिनांक 27–4–2013 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 28–4–2013 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा प्राप्त 5 नग लकड़ी के सैम्पल में मायश्चर कन्टेंट निम्न प्रकार पाये गये.

सैम्पल नं0	मायश्चर कन्टेंट
1	12.5%
2	11.6%
3	11.1%
9	9.8%
10	11.5%

हस्ताक्षर

हेड फारेस्ट प्रोडक्ट डिविजन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्र०सं० 17 का उत्तर पृष्ठ संख्या 62 पर)

तारांकित प्रश्न संख्या 17 की संलग्न सूची

(15 वर्ष से अधिक अवधि की पेयजल योजनाओं का विवरण)

क्र० सं०	योजना का नाम	ब्लॉक	निर्माण वर्ष
1	2	3	4
1.	कौन्दा पे०यो०	रिखणीखाल	1982–83
2.	डबरा पे०यो०	रिखणीखाल	1982–83
3.	गुरेण्डी पे०यो०	रिखणीखाल	1982–83
4.	कठूड मरखोला पे०यो०	रिखणीखाल	1983–84
5.	सीला पे०यो०	रिखणीखाल	1983–84
6.	देवलखाल पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
7.	कश्वाडा पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
8.	मझरखोला पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
9.	वल्सामल्ला पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
10.	सारीमल्ली पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
11.	नावे मल्ली पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
12.	डल्ला गाँव पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
13.	सिद्धपुर पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
14.	दलगोटा पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
15.	सिमलधार पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
16.	रैवा पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
17.	पीपलस्मरी पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
18.	पाली पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
19.	रधुवादाब पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
20.	नावे तल्ली पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
21.	मन्जोली मल्ली पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
22.	दियोर पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
23.	सिमलधार भेटी पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
24.	वल्सा तल्ला पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
25.	कालीगाड मल्ला पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
26.	खालबाखल पे०यो०	रिखणीखाल	1984–85
27.	नयेरी पे०यो०	रिखणीखाल	1986–87
28.	बासूदेव गाडियू पे०यो०	रिखणीखाल	1987–88
29.	बगेडा पे०यो०	रिखणीखाल	1987–88
30.	रौता पे०यो०	रिखणीखाल	1987–88
31.	जुई पे०यो०	रिखणीखाल	1987–88

1	2	3	4
32.	डुवारी पे0यो0	रिखणीखाल	1987—88
33.	वल्सा मल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1987—88
34.	गजरछाला पे0यो0	रिखणीखाल	1987—88
35.	भयोंसू पे0यो0	रिखणीखाल	1987—88
36.	ढिमकी पे0यो0	रिखणीखाल	1987—88
37.	नाड पे0यो0	रिखणीखाल	1987—88
38.	सिलगाँव पे0यो0	रिखणीखाल	1987—88
39.	बूगीं तल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1987—88
40.	कुमल्डी पे0यो0	रिखणीखाल	1987—88
41.	नावाडा पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
42.	चुराणी तल्ली पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
43.	अजीतपुर पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
44.	शेरूगाड पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
45.	बडखेत तल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
46.	द्वारी पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
47.	काण्डीधारा भरदोली पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
48.	अन्दरसौं पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
49.	बिन्दवाज तोक पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
50.	काण्डा, सिसईधार, गलाचौड के तोक पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
51.	सतगरिया पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
52.	ढिकोलिया पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
53.	पढियार पानी पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
54.	बरई पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
55.	कर्तिया पे0यो0	रिखणीखाल	1988—89
56.	बैरोवाडी पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
57.	भुगलगडी पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
58.	कलवाडी पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
59.	बासूदेव गाडियू पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
60.	मन्जूली मल्ली पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
61.	बडैथ तल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
62.	अजीतपुर पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
63.	बडखेत मल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
64.	ढिकोलिया पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
65.	चौकडी वल्ली पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
66.	जोगेडा मल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
67.	बडखेत तल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1989—90
68.	शीला बडसू पे0यो0	रिखणीखाल	1990—91
69.	रिखणीखाल बाजार पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
70.	तौडिया पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92

1	2	3	4
71.	बरई ह0ब0 पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
72.	झुण्डईसारी पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
73.	चरगदी पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
74.	बदरूधार पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
75.	डबरू पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
76.	डल्ला मल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
77.	झाला कासेरा पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
78.	छरगडी पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
79.	क्वीराली तोल्यू पे0यो0	रिखणीखाल	1991—92
80.	कलिगाड मल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1992—93
81.	चौकडी वल्ली पे0यो0	रिखणीखाल	1992—93
82.	बूथानगर पे0यो0	रिखणीखाल	1992—93
83.	सकमुण्डा पे0यो0	रिखणीखाल	1992—93
84.	खनैता पे0यो0	रिखणीखाल	1992—93
85.	तैडिया पम्पिंग पे0यो0	रिखणीखाल	1993—94
86.	घटटासारी पे0यो0	रिखणीखाल	1993—94
87.	बिन्दवाज पे0यो0	रिखणीखाल	1993—94
88.	पातल तोक पे0यो0	रिखणीखाल	1994—95
89.	अनगौर पे0यो0	रिखणीखाल	1994—95
90.	मुसमोली ह0ब0	रिखणीखाल	1994—95
91.	मुण्डियाना पे0यो0	रिखणीखाल	1994—95
92.	लखनपुर पे0यो0	रिखणीखाल	1994—95
93.	अदाली पे0यो0	रिखणीखाल	1995—96
94.	कंचनखेत पे0यो0	रिखणीखाल	1995—96
95.	सपलपानी पे0यो0	रिखणीखाल	1995—96
96.	कर्तिया जग्गा पे0यो0	रिखणीखाल	1995—96
97.	उमेदूबाखल प0 पे0यो0	रिखणीखाल	1995—96
98.	खकांचौड पे0यो0	रिखणीखाल	1995—96
99.	भण्डूखाल पे0यो0	रिखणीखाल	1995—96
100.	रथुवाढाब पे0यो0	रिखणीखाल	1995—96
101.	डुंगरियाल पे0यो0	रिखणीखाल	1996—97
102.	बडियार गॉव मल्ला पे0यो0	रिखणीखाल	1996—97
103.	खुण्ड पे0यो0	रिखणीखाल	1996—97
104.	डुमनाधार पे0यो0	रिखणीखाल	1997—98
105.	चिलोंऊ पे0यो0	रिखणीखाल	1997—98
106.	पल्ली गॉव पे0यो0	रिखणीखाल	1982—83
107.	सिरस्वाडी	रिखणीखाल	1975
108.	बयेला तल्ला	रिखणीखाल	1975
109.	किल्वोखाल	रिखणीखाल	1979

1	2	3	4
110.	आगरोड़ा	रिखणीखाल	1982
111.	वनगढ़	रिखणीखाल	1983
112.	टकोलीखाल	रिखणीखाल	1983
113.	सैन्धीबामसू	रिखणीखाल	1983
114.	वड़डा	रिखणीखाल	1984
115.	झर्तधामधार	रिखणीखाल	1987
116.	किमगांव मझखोला	रिखणीखाल	1987
117.	सिद्धपुर मैलधार	रिखणीखाल	Nov-90
118.	सुलमोडी	रिखणीखाल	Nov-90
119.	रौताकलिगाड	रिखणीखाल	Nov-90
120.	क्वीरालीधूरा	रिखणीखाल	Nov-90
121.	किमसेरा	रिखणीखाल	Nov-90
122.	रजवो ग्रा0 समूह	रिखणीखाल	Nov-90
123.	सिलवेडी	रिखणीखाल	1987
124.	गुडलखेत	रिखणीखाल	Nov-90
125.	छडियानी बडखेत	रिखणीखाल	1975
126.	क्यार्कि पे0यो0	नैनीडाण्डा	1981–82
127.	कफोली पे0यो0	नैनीडाण्डा	1981–82
128.	क्यार पे0यो0	नैनीडाण्डा	1981–82
129.	पटोटिया पे0यो0	नैनीडाण्डा	1981–82
130.	गूम पे0यो0	नैनीडाण्डा	1982–83
131.	सीला मल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1982–83
132.	पतगॉव पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–85
133.	डोबरियालसार पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–85
134.	तिमलाबाखल पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–85
135.	कमन्दा मल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
136.	कुलारखान्द पल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
137.	खोल पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
138.	गले गॉव पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
139.	नाला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
140.	गोला छोटा पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
141.	बिजकोट पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
142.	ढागलगॉव पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
143.	गोला तल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
144.	चौरगगढ मल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
145.	अदवाडी पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
146.	भैराहाट पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
147.	खयूनी मल्ली पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87
148.	पाण्ड गूथ पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–87

1	2	3	4
149.	सीला मल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1986–87
150.	कफलटाण्डा पे०यो०	नैनीडाण्डा	1986–87
151.	ध्याडा पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
152.	बाडाधार पे०यो०	नैनीडाण्डा	1982–83
153.	बेतालढुंगा मल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
154.	बसोली पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
155.	खिरेरीखाल पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
156.	खर्ड़ेथ गाँव पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
157.	कमेडा मल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
158.	मोरगद पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
159.	ब्यासी पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
160.	सिलखेरा पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
161.	बर्ड़ेथ तल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1982–83
162.	कोला तल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
163.	भरतपुर पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
164.	डण्डवारी पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
165.	गुनिया पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
166.	खुन्डेला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
167.	उतिण्डा तल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
168.	उपगाँव तल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
169.	डेरियालग्गा पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
170.	कालीलग्गू पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
171.	उपगाँव मल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
172.	असनोत मल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1987–88
173.	रणगाँव पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
174.	सुपकल पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
175.	कालाखान्द पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
176.	खेतु पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
177.	काली बडी पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
178.	जोगिधार पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
179.	गैराखेतु पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
180.	जोगेडा मल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
181.	जालीखान्द पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
182.	जल गुनियाल पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
183.	जमरिया तल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
184.	मटवा डाँग पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
185.	बवीना तल्ला पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
186.	झण्डा लग्गा कोटी पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89
187.	खतखोल्यू बनासी पे०यो०	नैनीडाण्डा	1988–89

1	2	3	4
188.	सिलगाँव पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
189.	मतवाड तोक पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
190.	नलई बल्ली पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
191.	मोक्षण नारद पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
192.	रिंगलाना पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
193.	पुलटाण्डा पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
194.	पिन्जोली तल्ली पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
195.	खेतुबाखल पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
196.	आसौं मल्ला पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
197.	बडेथ तल्ली पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
198.	सिमखेत पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
199.	अपोलासोरा पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
200.	नाला पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
201.	सिमली मल्ली पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
202.	खुटिण्डा तल्ला पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
203.	मंजेडा बिचला पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
204.	बिचिया बगड पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
205.	सिमलखेत पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
206.	बैराहाट छोटा पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
207.	बिरखेत तल्ला पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
208.	खिरेडी मल्ली पं0यो0	नैनीडाण्डा	1988–89
209.	डाण्डाचौर पं0यो0	नैनीडाण्डा	1989–90
210.	भैरगाँव पं0यो0	नैनीडाण्डा	1989–90
211.	कोला तल्ला पं0यो0	नैनीडाण्डा	1989–90
212.	बबलियाना पं0यो0	नैनीडाण्डा	1989–90
213.	रैन्दौडी बडी पं0यो0	नैनीडाण्डा	1989–90
214.	गैराखेतु पं0यो0	नैनीडाण्डा	1989–90
215.	बूमागाड पं0यो0	नैनीडाण्डा	1989–90
216.	चौडसुकिलधार पश्चिम पं0यो0	नैनीडाण्डा	1990–91
217.	गुनिया मल्ला पं0यो0	नैनीडाण्डा	1991–92
218.	किनाथ मल्ला पं0यो0	नैनीडाण्डा	1991–92
219.	चौबाडा पं0यो0	नैनीडाण्डा	1991–92
220.	मलेथी पं0यो0	नैनीडाण्डा	1991–92
221.	मोक्षण पंजाई पं0यो0	नैनीडाण्डा	1992–93
222.	मंजकोट पं0यो0	नैनीडाण्डा	1992–93
223.	नौनियाखेत पं0यो0	नैनीडाण्डा	1992–93
224.	महेली वल्ली पल्ली पं0यो0	नैनीडाण्डा	1993–94
225.	बनियागाँव पं0यो0	नैनीडाण्डा	1993–94
226.	ग्वाड दयया पं0यो0	नैनीडाण्डा	1994–95

1	2	3	4
227.	बसूलीसेरा पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–95
228.	कमन्दा पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–95
229.	भटवाडा पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–95
230.	बैदूनबाखल पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–95
231.	बमेरीसैण पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–95
232.	तोरण पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–95
233.	चिलोंऊ पे0यो0	नैनीडाण्डा	1984–95
234.	किनाथ तल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
235.	सिलनधार पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
236.	जड़ाऊ गम्भीर पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
237.	सतखोल्यू मल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
238.	देवकाटण्डोला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
239.	मरवाडा पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
240.	विजयगॉव पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
241.	टाण्डियू पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
242.	कोटा मैन्दोली पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
243.	ग्वीलेडी बाखल पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
244.	रिगंलाना पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
245.	रिगंलटा तल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1985–96
246.	जमरिया मल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–97
247.	डाबर पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–97
248.	मोक्षण मानसिंह पे0यो0	नैनीडाण्डा	1986–97
249.	ढोंगियाना पे0यो0	नैनीडाण्डा	1987–98
250.	छिनखाल पे0यो0	नैनीडाण्डा	1987–98
251.	नाला ह0ब0 पे0यो0	नैनीडाण्डा	1988–99
252.	गम्भीरूबाखल पे0यो0	नैनीडाण्डा	1988–99
253.	किनाथ मल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1988–99
254.	कसाना वल्ला पे0यो0	नैनीडाण्डा	1982–83
255.	टेण्डी पे0यो0	नैनीडाण्डा	1982–83
256.	बुरकण्डई पे0यो0	नैनीडाण्डा	1981–82
257.	कन्डासू पे0यो0	नैनीडाण्डा	1983–84
258.	रूण्डियाली	नैनीडाण्डा	Oct-76
259.	कोचियार	नैनीडाण्डा	Oct-76
260.	जालोन	नैनीडाण्डा	Oct-76
261.	हल्दूखाल	नैनीडाण्डा	Oct-76
262.	पंजारा बिचला	नैनीडाण्डा	1983
263.	चिजाउँ	नैनीडाण्डा	1978
264.	भित्ताकोटी	नैनीडाण्डा	1983
265.	धौजियाना	नैनीडाण्डा	1983

1	2	3	4
266.	क्वीन	नैनीडाण्डा	1983
267.	मंगेरी छोटी	नैनीडाण्डा	Nov-90
268.	बेडहाट	नैनीडाण्डा	Nov-90
269.	कमन्दा मल्ला	नैनीडाण्डा	Nov-90
270.	डोबरियालसार	नैनीडाण्डा	Nov-90
271.	अदवाडी	नैनीडाण्डा	Nov-90
272.	भौन	नैनीडाण्डा	1983
273.	सन्द्रणा कुठेलागॉव	नैनीडाण्डा	1983
274.	ख्युडाई	नैनीडाण्डा	Nov-90
275.	बसनोली	नैनीडाण्डा	Mar-96
276.	पीपली	नैनीडाण्डा	1978
277.	जामूण	नैनीडाण्डा	1983
278.	चमाडा	नैनीडाण्डा	1985
279.	छिनखाल	नैनीडाण्डा	Feb-02
280.	नैनीडाडा पम्पिंग	नैनीडाण्डा	3/82
281.	नौगियाना पे0यो0	जहरीखाल	1981—82
282.	घेरूवा मल्ला पे0यो0	जहरीखाल	1982—83
283.	चिल्वॉ पे0यो0	जहरीखाल	1982—83
284.	मैरूडा पे0यो0	जहरीखाल	1982—83
285.	सैन्धी पे0यो0	जहरीखाल	1982—83
286.	अमलेश्वा पे0यो0	जहरीखाल	1983—84
287.	सगवारी पे0यो0	जहरीखाल	1983—84
288.	जनवासार पे0यो0	जहरीखाल	1983—84
289.	नौगॉव पे0यो0	जहरीखाल	1983—84
290.	जमुनामाप पे0यो0	जहरीखाल	1984—85
291.	गुईलानी पे0यो0	जहरीखाल	1984—85
292.	पोखरी पे0यो0	जहरीखाल	1984—85
293.	मैन्दौली पे0यो0	जहरीखाल	1984—85
294.	पाजकोट पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
295.	बढगॉव पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
296.	असनाखेत पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
297.	डुगोरिया पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
298.	गुनियाल गॉव पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
299.	गोदियाल गॉव पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
300.	मैरगॉव पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
301.	कुरा कुस्ती पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
302.	कण्डिया पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
303.	सिलवाड पे0यो0	जहरीखाल	1986—87
304.	बोरेगॉव पे0यो0	जहरीखाल	1986—87

1	2	3	4
305.	बयाली पे०यो०	जहरीखाल	1986–87
306.	मंगरी तल्ली पे०यो०	जहरीखाल	1986–87
307.	ग्वीजानी पे०यो०	जहरीखाल	1982–83
308.	कन्डोली पे०यो०	जहरीखाल	1986–87
309.	महरगाँव पे०यो०	जहरीखाल	1986–87
310.	मन्थाल पे०यो०	जहरीखाल	1986–87
311.	खेडा पे०यो०	जहरीखाल	1986–87
312.	सुरमाडी मल्ली पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
313.	खैंनी तल्ली पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
314.	ल्यूठा लग्गा मैथुन पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
315.	देवलखेत पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
316.	धौडा पल्ला पे०यो०	जहरीखाल	1982–83
317.	पढियार गाँव पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
318.	राईसेरा पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
319.	ओडल पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
320.	भितारा तल्ला पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
321.	मलासा बडा पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
322.	नौगाँव पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
323.	सारी तल्ली पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
324.	गवाना पल्ला पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
325.	तुनीसेरा कोरधार पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
326.	सिद्धपुर तोक पे०यो०	जहरीखाल	1982–83
327.	कोलागाड पे०यो०	जहरीखाल	1982–83
328.	पहरगाँव पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
329.	ओडल पे०यो०	जहरीखाल	1987–88
330.	होली पे०यो०	जहरीखाल	1983–84
331.	गवाना वल्ला पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
332.	राईसेरा पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
333.	सिनवाडी पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
334.	घेरूवा तल्ला पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
335.	मैन्दोली मल्ली पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
336.	चुण्डई पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
337.	मंजीना पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
338.	बाँसी पम्पिग पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
339.	दुर्गापुर, सिद्धार तोक पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
340.	डोंगू पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
341.	मथाली पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
342.	भितारा तल्ला पे०यो०	जहरीखाल	1988–89
343.	कुन्जोली पे०यो०	जहरीखाल	1989–90

1	2	3	4
344.	रैतपुर पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
345.	डयूडाजी पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
346.	पाजी तल्ली पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
347.	जोगियाना पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
348.	बयाली पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
349.	धौडा पल्ला पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
350.	सिलोजी पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
351.	मैरूडा पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
352.	औडल पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
353.	झण्डा लग्गा कोटी पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
354.	मशाली वल्ली पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
355.	मंजीना पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
356.	इगारा पे0यो0	जहरीखाल	1989–90
357.	हैण्डुल तल्ला पे0यो0	जहरीखाल	1990–91
358.	पाजी तल्ली पे0यो0	जहरीखाल	1990–91
359.	अन्दरगॉव पे0यो0	जहरीखाल	1990–91
360.	बिदुरगॉव पे0यो0	जहरीखाल	1990–91
361.	सन्दना पे0यो0	जहरीखाल	1991–92
362.	जहरीग्राम पे0यो0	जहरीखाल	1991–92
363.	कोटी पे0यो0	जहरीखाल	1982–83
364.	घाघसी पे0यो0	जहरीखाल	1991–92
365.	जोगियाना पे0यो0	जहरीखाल	1991–92
366.	ग्वाडचौड पे0यो0	जहरीखाल	1991–92
367.	जयपुर ग्रा0 समूह पे0यो0	जहरीखाल	1992–93
368.	वाडियून पे0यो0	जहरीखाल	1992–93
369.	मलारा छोटा पे0यो0	जहरीखाल	1992–93
370.	डेरियाखाल पे0यो0	जहरीखाल	1992–93
371.	खुण्डोजी पे0यो0	जहरीखाल	1992–93
372.	ल्वाड पल्ला पे0यो0	जहरीखाल	1992–93
373.	काण्डा ग्राम समूह पम्पिग पे0यो0	जहरीखाल	1993–94
374.	बॉसी पम्पिग पे0यो0	जहरीखाल	1993–94
375.	मठाली खर्का पे0यो0	जहरीखाल	1994–95
376.	डाण्डा कण्डल पे0यो0	जहरीखाल	1994–95
377.	सिद्वपुर बिल्टिया पे0यो0	जहरीखाल	1995–96
378.	झम्पाकुडियू पे0यो0	जहरीखाल	1995–96
379.	नवगैर पे0यो0	जहरीखाल	1995–96
380.	नार्गाजुन पे0यो0	जहरीखाल	1995–96
381.	दगलखेत पे0यो0	जहरीखाल	1995–96
382.	खलयाकर ग्रा0स0 पे0यो0	जहरीखाल	1995–96

1	2	3	4
383.	भटवाडी पे0यो0	जहरीखाल	1995–96
384.	अलजुनी पे0यो0	जहरीखाल	1996–97
385.	बलूनी गाँव पे0यो0	जहरीखाल	1982–83
386.	काण्डई पे0यो0	जहरीखाल	1982–83
387.	सौलीदाँर	जहरीखाल	1981
388.	जादला	जहरीखाल	1975
389.	बेनी ग्रा0स0	जहरीखाल	1975
390.	परीन्दा	जहरीखाल	1982
391.	धौलखेत खाल	जहरीखाल	1982
392.	जडियाणा	जहरीखाल	1982
393.	पास्ता	जहरीखाल	1982
394.	दौर नगधार	जहरीखाल	1984
395.	मोली ग्रा0स0	जहरीखाल	1984
396.	बेवडी	जहरीखाल	1984
397.	गौलीखेत	जहरीखाल	1984
398.	जखमलखोला	जहरीखाल	Nov-90
399.	सगवाडी	जहरीखाल	Nov-90
400.	खन्दवाडी	जहरीखाल	Nov-90
401.	मंझोला	जहरीखाल	1975
402.	पैनलगाँव	जहरीखाल	1978
403.	मलेथा	जहरीखाल	1984
404.	जैहरीखाल	जहरीखाल	1975

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्र0सं0 13 का उत्तर अतारांकित प्रश्न–13 का संलग्नक पृष्ठ संख्या 73 पर)

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य के यात्रियों का विवरण, जिनको सरकार द्वारा अनुदान दिया गया

क्र0 सं0	नाम व पता
1	2
1.	श्री रमेश सिंह, ग्राम–खारसैंण (गोचर) जनपद चमोली।
2.	श्री हरीश चन्द्र छिमवाल, मुनियाचौरा, जनपद–अल्मोड़ा।
3.	श्रीमती पुष्पलता छिमवाल, मुनियाचौरा, जनपद–अल्मोड़ा।
4.	श्री ओ0पी0 निगम, जे–232 शिवालिक नगर, बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार।
5.	श्रीमती मीरा निगम, जे–232 शिवालिक नगर, बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार।
6.	सुश्री उमा भट्ट, परिक्रमा, तल्ला डांडा, तल्लीताल, नैनीताल।
7.	श्री तुलसी दत्त काला, ग्राम मीना, गैरसैंण, जनपद चमोली।
8.	श्री विलास नाथ, गुरू गोरखनाथ मन्दिर, अपर रोड, हरिद्वार।
9.	सुश्री कामिनी कश्यप, मोहल्ला खोल्टा, अल्मोड़ा।
10.	श्री शिव कुमार गुप्ता, प्रेम सदन, पुष्कर मन्दिर मार्ग, ऋषिकेश।
11.	डा0 महावीर डबराल, डबराल सदन, लेन न0–5, शास्त्रीनगर, देहरादून।
12.	श्री बद्रीसिंह भंडारी, ग्राम डांडा खिल, जनपद टिहरी।
13.	श्री प्रदीप सिंह बिष्ट, नीम्बू वाला, गढ़ी कैन्ट, देहरादून।
14.	डा0 रजनीश बतरा, बी–31, नेताजी सुभाष मार्ग, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।
15.	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मुन्ना लाल, दून विश्वविद्यालय कैम्पस, देहरादून।
16.	श्री गोकुल चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री आर0डी0 पाण्डेय ग्राम सुनार गांव, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
17.	श्रीमती दीपा पाण्डेय, पत्नी श्री गोकुल चन्द्र पाण्डेय ग्राम सुनार गांव, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
18.	कु0 रजनीश बतरा पुत्री श्री रामचन्द्र हलवाई, नेताजी सुभाष मार्ग रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
19.	श्री देवेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री अतर पाल गुप्ता, मुंडिया कलां, जनपद ऊधमसिंह नगर।

1	2
20.	डा0 ज्योति रावत पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह रावत, ग्राम सरमोली, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।
21.	श्री भूपत सिंह बिष्ट, पट्टी डबरालस्यूं, लैंसडोन, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
22.	श्री गिरीश चन्द्र सब्बरवाल पुत्र श्री राधेश्याम, 103/3 डी0एल0 रोड, देहरादून।
23.	श्री शशी भूषण गुप्ता पुत्र श्री जय भगवान 112/1 डी0एल0 रोड, देहरादून।
24.	श्री प्रभात लाल साह पुत्र श्री ओम स्वरूप साह, जाला बाजार, अल्मोड़ा।
25.	श्रीमती ज्योति जोशी पत्नी श्री भुवन चन्द्र जोशी, बक्शी खोला, अल्मोड़ा।
26.	श्री भुवन चन्द्र जोशी पुत्र श्री जमुना दत्त जोशी, बक्शी खोला, अल्मोड़ा।
27.	श्रीमती प्रभा जोशी पत्नी स्व0 श्री जमुना दत्त जोशी, बक्शी खोला, अल्मोड़ा।
28.	कु0 विजय लक्ष्मी रौतेला पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह रौतेला, खजांची मोहल्ला, अल्मोड़ा।
29.	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, 30 रामनगर, रूड़की, जनपद हरिद्वार।
30.	श्री मोहन पाल सिंह, 83 इंजीनियर्स इन्क्लेव, राजपुर रोड, देहरादून।
31.	कु0 कामिनी कश्यप पुत्र श्री अम्बा कश्यप, खोल्टा, अल्मोड़ा।
32.	श्री श्याम दत्त पन्त पुत्र स्व0 श्री काशी राम पन्त नाथूपुर, लालकुंआ, जनपद नैनीताल।
33.	श्री धनेश चन्द्र पाठक पुत्र श्री चन्द्र शेखर पाठक, गौलाजाली, उत्तर, जनपद नैनीताल।
34.	श्री प्रज्ञा किसलय, 266 फेज द्वितीय बसन्त बिहार, देहरादून।
35.	कु0 रजनीश बत्रा, पुत्री श्री रामचन्द्र हलवाई, नेताजी सुभाष मार्ग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
36.	श्री भगवान चन्द्र साह, 'जीवन विला' निकट सिविल अस्पताल, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा।
37.	श्री तुषार कान्त साह पुत्र स्व0 श्री उदय लाल साह, कारखाना बाजार, अल्मोड़ा।
38.	श्री गुलाब सिंह परमार पुत्र श्री नैन सिंह परमार, ग्राम माणा, जनपद चमोली।
39.	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, पुत्र श्री स्व0 मुन्ना लाल, दून विश्वविद्यालय, कैम्पस, देहरादून।
40.	कु0 कामिनी कश्यप पुत्री श्री अम्बा कश्यप, मोहल्ला खोल्टा, अल्मोड़ा।
41.	श्री गोकुल चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री आर0डी0 पाण्डे, ग्राम सुनार गांव, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

1	2
42.	श्री रघुवीर कालाकोटी पुत्र श्री रतन सिंह कालाकोटी वार्ड नं0–3, हरिपुर कलंजवाड़े, हल्द्वानी।
43.	श्रीमती दीपा पाण्डे पत्नी श्री गोकुल चन्द्र पाण्डेय, ग्राम सुनार गांव, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
44.	कु0 रजनीश बत्रा, पुत्री श्री राम चन्द्र हलवाई, नेताजी सुभाष मार्ग,रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
45.	श्री ऋतेश शर्मा, पुत्र स्व0 श्री बचन दत्त, ग्राम बटखेम, जनपद टिहरी गढ़वाल।
46.	श्री महेश कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र, ए–13 आदेश कालोनी, रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।
47.	श्री नवीन चन्द्र ढौंडियाल, पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन प्रसाद, अनिल काटेज मल्लीताल, नैनीताल।
48.	श्री संजीव कुमार ग्राम, पुत्र श्री पूरन चन्द्र ग्राम, ग्राम महाराजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।
49.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री आनन्द बल्लभ जोशी ढूंगाधारा, जनपद अल्मोड़ा।
50.	श्री लक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री देवी दत्त, गौलाजाली, विचली, जनपद नैनीताल।
51.	श्री रमेश प्रसाद पुत्र श्री सुरेशा नन्द, ग्राम स्यालकण्डी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
52.	श्रीमती मजुला भास्कर, पत्नी श्री पी0एन0 भास्कर, वार्ड 146 ब्लॉक–II, आर्यनगर, देहरादून।
53.	श्री पी0एन0 भास्कर पुत्र स्व0 श्री बृज मोहन लाल वार्ड, 146 ब्लॉक–II आर्यनगर, देहरादून।
54.	श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, ग्राम रूईसाण, थराली, जनपद चमोली।
55.	श्रीमती श्यामा देवी शर्मा, पत्नी स्व0 श्री वेद प्रकाश शर्मा 13 / 389 मोहित नगर, देहरादून।
56.	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री माया राम, ग्राम बंगथल, पोखरी, जनपद चमोली।
57.	श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, ग्राम पातल धारचूला, जनपद पिथौरागढ़।
58.	श्री बलदेव प्रसाद खण्डूरी पुत्र श्री कृत राम, ग्राम क्वीराली, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
59.	श्रीमती रश्मि खण्डूरी, पत्नी श्री बलदेव प्रसाद खण्डूरी, ग्राम क्वीराली, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
60.	श्रीमती नीलम अरोरा पत्नी श्री जगत सिंह अरोरा, अद्वैतानन्द मार्ग, ऋषिकेश।
61.	श्री अनुसूया प्रसाद पुत्र श्री सुरेन्द्र दत्त, ग्राम कौशलपुर, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग।

1	2
62.	श्री प्रवीन जौली, पुत्र श्री स्व0 राम प्रकाश जौली, वार्ड 66 राजपुर रोड, देहरादून।
63.	श्री गोपाल सिंह राना, पुत्र श्री गुसांई सिंह, ग्राम मण्डोबा, गरूड जनपद पिथौरागढ।
64.	श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री जय सिंह, ग्राम फलतडी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ।
65.	श्री शैलेन्द्र मोहन बिष्ट, पुत्र श्री आनन्द सिंह बिष्ट, ग्राम फन्चूर यमकेश्वर, पौडी गढवाल।
66.	कु0 गगा मठपाल पुत्र स्व0 श्री बालादत्त मठपाल ग्राम रूसी, भवाली, जनपद नैनीताल।
67.	डा0 सावित्री मठपाल, पुत्र स्व0 श्री बाला दत्त मठपाल, ग्राम रूसी, भवाली, जनपद नैनीताल।
68.	श्री जग मोहन सिंह सजवाण, पुत्र श्री हुकम सिंह सजवाण, ग्राम गुल्डी पट्टी मनियार, टिहरी।
69.	श्री नारायण सिंह धामी, पुत्र श्री कुशाल सिंह धामी, ग्राम व पो0–खेला, धारचूला, पिथौरागढ।
70.	श्री प्रेम बल्लभ पाण्डे पुत्र श्री केशव दत्त पाण्डे, मौहल्लाटेडा रोड लखनपुर, रामनगर, नैनीताल।
71.	श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री जग राम शर्मा, निवासी मोक्ष धाम, चोपडा भवन, भीमगोडा, हरिद्वार।
72.	रजनीश बत्रा पुत्री श्री राम चन्द्र हलवाई, निवासी बी–31, नेताजी सुभाष मार्ग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
73.	कु0 कामिनी कश्यप पुत्री श्री अम्बा कश्यप, मोहल्ला खोल्टा, अल्मोडा, जनपद अल्मोडा।
74.	श्री आनन्द लाल साह, पुत्र स्व0 श्री इन्द्र लाल साह, मौहल्ला बॉस गली अल्मोडा, अल्मोडा।
75.	श्री गिरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री देवती नन्दन जोशी, निवासी पंचकुटी लक्ष्मी विष्णु विहार, बडी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
76.	श्रीमती शान्ती धामी पत्नी प्रो0 होशियार सिंह धामी, 3/1 प्रोफेसर्स कालोनी, अल्मोडा कैम्पस, जनपद अल्मोडा।
77.	श्री नरेश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री भुवन चन्द्र तिवारी, मकान नं0 90, बडा बाजार मल्लीताल नैनीताल।

1	2
78.	श्रीमती हरि प्रिया कर्नाटक पत्नी स्व0 श्री मोहन चन्द्र कर्नाटक, निवासी बमोरी तल्ली, मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
79.	श्री सत्य प्रसाद घिल्डियाल पुत्र श्री रैजा नन्द घिल्डियाल, ग्राम न्यू डाग, पौ0 श्रीनगर, पौडी गढवाल।
80.	श्री नरेन्द्र सिंह, ग्राम कितखेत, पट्टी क्वीटी, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ।
81.	श्री ध्रुव मर्तोलिया, ग्राम मगर, पट्टी, डोर तहसील, मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ।
82.	श्री सुजीत कुमार सरण, मकान नं0–113/ए 7 सिविल लाईन, रुडकी।
83.	श्री रामबीर सिंह, बी–56 अरिहन्त विहार, विष्णु गार्डन, गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार।
84.	सुश्री कामनी कश्यप, मोहल्ला खोल्टा, अल्मोडा।
85.	श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम बसौली, पो0 भैसोडी, अल्मोडा।
86.	श्री कमल किशोर तिवारी, 258 बीनाखान लाईन, तल्लीताल, नैनीताल।
87.	सुश्री निर्मल कनराल, कुमपुर बाजार, लालकुर्ती, तहसील रानीखेत, अल्मोडा।
88.	श्री गोविन्द सिंह, ग्राम व पो0 भनार, तहसील कपकोट, बागेश्वर।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्र0सं0 14 का उत्तर अतारांकित पृष्ठ संख्या 73 पर)

क्र0 सं0	जिले का नाम	कर्मियो की संख्या	फॉर्म एवं ठेकेदारों के नाम
1	2	3	4
1.	नैनीताल	3707	1. मै0 गुरूदेव रेलवे बाजार, हल्द्वानी 2. मै0 एम0पी0 इण्टरप्राईजेज, हल्द्वानी 3. मै0 शुभम इण्टरप्राईजेज, हल्द्वानी 4. मै0 मनोज पाठक, बिठौरिया नं0 1 हल्द्वानी 5. मै0 उत्तरांचल सोसाईटी आफ एज्यूकेशन, भवाली, नैनीताल 6. मै0 सुदीप मासीवाल, शिवलालपुर रामनगर 7. मै0 बागनाथ श्रम संविदा समिति, हल्द्वानी 8. मै0 उत्तरांचल इस्टयूट आफ एज्यूकेशन, भवाली, नैनीताल 9. मै0 के0एस0 पवार, ठेकेदार हल्दूचौड़ 10. मै0 सिंह इण्टरप्राईजेज, बण्डिया किच्छा 11. मै0 गुरूदीप सिंह, ठेकेदार बाजपुर 12. मै0 बागनाथ श्रम संविदा सहकारिता, ट्रांसपोर्ट नगर, हल्द्वानी 13. मै0 एम0पी0 इण्टरप्राईजेज, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी 14. मै0 नवीन चन्द्र नैनवाल, ग्राम खीरना, गरमपानी, नैनीताल 15. उ0इस्टी0एजू0 सर्विसेज नैनीताल 16. नैस्टेक नारायण नगर, डीडीहाट 17. भट्ट कम्प्यूटर्स डीडीहाट 18. मै0 उत्तरांचल सोसाईटी भीमताल 19. उपनल से अनुबन्धित कनिष्ठ अभियन्ता 20. साईन मैकर्स 21. नासा कम्प्यूटर 22. एकता इन्फोकॉम सर्विस 23. ओम नेटवर्क्स 24. मै0 अंकुर गुप्ता एण्ड कम्पनी 25. मै0 तेज सिंह ग्राम व पोस्ट बंजारावाला 26. श्रीमति नीलिमा गुसांई, मोहित विहार 26. श्री जमुना प्रसाद हरबंस वाला 27. श्री गुरूप्रसाद बेलवाल
2.	ऊधमसिंह नगर	641	
3.	अल्मोड़ा	1531	
4.	पिथौरागढ़	1238	
5.	चम्पावत	502	
6.	बागेश्वर	529	
7.	देहरादून	181	
8.	हरिद्वार	274	

1	2	3	4
9.	टिहरी	188	28. श्री शरद प्रसाद अवस्थी 29. मै0 हिमालयन बोरिंग कम्पनी सेवलाकला 30. मै0 श्री एण्ड को0 33 द्रोणपुरी 31. मै0 वेदप्रकाश हरिद्वार
10.	उत्तरकाशी	05	32. अगर मारकेटिंग रामेश्वर मोहल्ला झण्डा बाजार 33. निशार अहमद हरिद्वार 34. मै0 जिंदल नागर ट्रेडर्स हरिद्वार 35. मै0 आरमा ट्रेडर्स एण्ड इंजी0
11.	पौड़ी	276	36. भरत कान्ट्रेक्टर ईट बाजार 37. हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एण्ड टैक्नोलॉजी 38. मै0 धरम सिंह नेगी ठेकेदार
12.	चमोली	04	39. मै0 मैगाटैक कम्प्यूटर सॉल्यूसन 40. मै0 जी0आई0आई0टी0सी0 बोराड़ी 41. मै0 दून ट्रैडिंग कम्पनी
13.	रूद्रप्रयाग	02	42. मै0 वी0पी0 एण्टरप्राईजेज, दे0दून 43. मै0 यदूवेन्दराय, इलैक्ट्रीकल्स, ऋषिकेश 44. मै0 सत्येन्द्रा मशीनरी स्टोर सहारनपुर 45. श्री महावीर दत्त कवि 46. मै0 ध्यान सिंह अस्वाल, तिलोत उत्तरकाशी 47. मिशाल एण्टरप्राईजेज, डिजिटल सॉल्यूशन 48. मै0 प्रवीण रावत, पौड़ी 49. मै0 दीक्षा कम्प्यूटर, कोटद्वार 50. मै0 राकेश डंगवाल 51. सुनीता बहुगुणा 52. श्रीमति रजनी भट्ट 53. मै0 बीच इंटरनेशनल ऋषिकेश 54. मै0 अरविंद डोभाल 55. मै0 पोखरियाल कम्प्यूटर एण्ड एजुकेशन सेण्टर 56. मै0 नैनवाल कम्प्यूटर गोपेश्वर 57. मै0 कम्प्यूटर्स मल्लिताल 58. मै0 सी0एस0आई0एस0, कम्प्यूटर्स मल्लिताल 59. मै0 आई साफ्ट हार्डवेयर कम्प्यूटर्स मल्लिताल 60. उपवन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी 61. मै0 रजित सिंह पन्त हल्द्वानी 62. मै0 सागर इण्टरप्राईजेज हल्द्वानी 63. मै0 लोकेश कठायत रामनगर 64. श्री रविन्द्र सिंह विष्ट 65. मै0 गणपति इन्जीनियरिंग

1	2	3	4
			66. मै0 अनिल तिवारी अल्मोड़ा
			67. मै0 कैलाश सिंह, अल्मोड़ा
			68. मै0 दीपा भट्ट, अल्मोड़ा
			69. मै0 अशोक कुमार भण्डारी, अल्मोड़ा
			70. श्री पृथ्वीपाल सिंह रावत, भिक्यासैंण
			71. मै0 विरेन्द्र इलैक्ट्रीकल्स वर्क्स, अल्मोड़ा
			72. भू0-देव कम्प्यूटर्स रानीखेत
			73. संजय सिंह बिष्ट
			74. मै0 पन्त कम्यूनिकेशन
			75. जोशी जिरोक्स चम्पावत
			76. मै0 उत्प्रेती कम्प्यूटर्स सेण्टर लोहाघाट
			77. दिनेश सिंह बोरा
			78. मै0 श्री बालाजी कम्प्यूटर्स काशीपुर
			79. मै0 जयकाली ट्रैडर रूद्रपुर
			80. श्री प्रकाश बोरा
			81. मै0 मुनीर हुसैन देहरादून
			82. दिनेश कुमार ठेकेदार हरिद्वार
			83. मै0 भरत कान्ट्रेक्टर हरिद्वार
			84. मै0 के0पी0सी0 बसेड़ी, हरिद्वार
			85. मै0 जयबल्लभ सविता
			86. सत्यपाल कम्प्यूटर्स
			87. श्री हेमन्त सिंह
			88. मै0 क्रियेटिव सिस्टम, पिथौरागढ़
			89. एंकर साईबर पिथौरागढ़
			90. मो0 हसन
			91. अम्बिका टूर एण्ड ट्रैवेल्स
			92. ओम नेटवर्क
			93. अनुपम कम्प्यूटर्स उत्तरकाशी
			94. अभिनन्दन, कोटद्वार
			95. अभिनन्दन, फैसीलिटिज
			96. मै0 रामानुज थपलियाल
			97. मै0 सार सॉल्यूशन रामनगर नैनीताल
			98. शिवशक्ति ट्रैडर्स
			99. त्रिभुवन चन्द्र पाण्डेय
			100. श्री सुरेन्द्र कुमार
			101. विनाय कान्ट्रेक्टर हरिद्वार
			102. मै0 भगवान सिंह रावत, उनाना, टिहरी
			103. मनोज पवार
			104. मै0 जेटकिंग कम्प्यूटर्स, उत्तरकाशी

1	2	3	4
			105. मै0 डिजिटल सॉल्यूशन एजेंसी, पौड़ी गढ़वाल
			106. मै0 सम्बन्ध संस्था चम्पावत
			107. राहुल बिष्ट, टिहरी
			108. मो0 खालिद ऋषिकेश
			109. श्री कम्प्यूटर्स शांति बाजार देवप्रयाग
			110. सकलानी कम्प्यूटर्स
			111. ग्राम विकास समिति ग्राम हिम्मतपुर हल्द्वानी
			112. गोपाल सिंह कड़ाकोटी
			113. सन टैक्नोलॉजी
			114. कुसुम एण्टरप्राइजेज
			115. अरविंद शर्मा, देहरादून
			116. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड देहरादून
			117. हिमालयन लोक विकास समिति नैनीताल
			118. श्री भास्कर गुप्ता ठेकेदार, रामनगर
			119. श्री जंगसिंह बहादुर ठेकेदार
			120. श्री शरद बुधानी
			121. मै0 स्वास्तिक एण्टरप्राईजेज, कांतिकुटीर, देहरादून
			122. मै0 हिल्ट्रान काल्क, गोपेश्वर
			123. श्रीराम कस्ट्रक्शन

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्र0सं0 57 का उत्तर पृष्ठ संख्या 96 पर)

संख्या–1283/XXIV(1)/2011–28/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,

ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011

विषय: अध्यापक पात्रता परीक्षा–2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–352/प्रशिक्षु शिक्षक चयन/2011–12, दिनांक 08–12–2011 एवं पत्र संख्या–436/प्र0शि0 चयन (टी0ई0टी0)/2011–12, दिनांक 13–12–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आपके द्वारा दिये गये प्रस्ताव के क्रम में अध्यापक पात्रता परीक्षा–2011 उत्तीर्ण योग्यताधारी अभ्यर्थियों को निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अधीन प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(1) उत्तराखण्ड राज्य के अधीन संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन हेतु अभ्यर्थी केवल अपने गृह जनपद में आवेदन कर सकते हैं।

(2) शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता:–

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता निम्नवत् है :–

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हो, से स्नातक की उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) अर्हता प्राप्त की हो।

(ii) उत्तराखण्ड सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–1 से 5 के शिक्षकों हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण।

(3) अभ्यर्थी की आयुः—

पहली जुलाई 2011 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति में, अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट होगी तथा भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में शासनादेशानुसार छूट देय होगी। विकलांगों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी, परन्तु किसी भी दशा में निर्धारित तिथि को 50 वर्ष से अधिक आयु का अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(4) राष्ट्रीयता एवं निवासः—

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

(ख) उत्तराखण्ड का स्थायी/मूल निवासी हो और राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात दिनांक 25—12—2011 से पूर्व पंजीकृत/नवीनीकृत हो।

(5) आरक्षणः—

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्ग के लिए उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर प्रवृत्त आदेशों के अनुसार उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(6) वैवाहिक प्रास्थितिः—

चयन के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

(7) चरित्रः—

चयन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह चयन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

(8) आवेदन की प्रक्रियाः—

(क) उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी/मूल निवासी हो। प्रदेश का निवासी होने का सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूलरूप में काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र में सभी आवश्यक सूचनायें अंकित करनी होंगी।

(ग) आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा के वेब साइट **www.schooleducation.uk.in** पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगा, जिसे **A**–4 साइज के पेपर पर डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर **A**–4 साइज के पेपर स्वच्छ एवं टंकित आवेदन पत्र पर भी आवेदन कर सकते हैं शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र को पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/दस्ती रूप से इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 25–12–2011 (सायं 5.00 बजे) तक प्रत्येक दशा में प्राप्त हो जाय। निर्धारित अन्तिम तिथि 25–12–2011 (साय 5.00 बजे) के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचनाएं अंकित की जायेंगी, उससे भिन्न सूचनाए तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों से इतर प्रमाण पत्र को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र प्रेषण की अन्तिम तिथि 25–12–2011 (सायं 5.00 बजे) के बाद निर्गत कोई अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं आरक्षण और विशेष आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को यह स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि अपने गृह जनपद हेतु अपना आवेदन पत्र प्रेषित करें। अभ्यर्थी ₹ 10/– के नान–जूडिशियल स्टॅम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र अपने रंगीन फोटो सहित, जो नोटरी द्वारा प्रमाणित हो, सम्बन्धित जनपद की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके द्वारा उल्लेख किया जायेगा कि आवेदन पत्र और जांच पत्र मे भरा गया विवरण पूर्णतया सत्य है। यदि चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत अथवा फर्जी पाये जाने की दशा में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जाच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पास बुक (फोटो युक्त) राशन कार्ड में से कोइ एक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

(घ) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क आवेदन शुल्क ` 500/– तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ` 250/– होगा। निर्धारित शुल्क सम्बन्धित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला ससाधन केन्द्र के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखांकित बैंकड्राफ्ट के रूप मे देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विकलांग अभ्यर्थियो से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा उन्हें नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(8) चयन / काउन्सिलिंग की प्रक्रिया:–

समस्त चयन प्रक्रिया सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / जिला संसाधन केन्द्र द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण / निर्देशन मे सम्पन्न की जायेगी। चयन प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं गुणांको की मेरिट के आधार पर निम्नवत की जायेगी।

(क) अभ्यर्थियो के नाम उनकी शैक्षिक, प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा मे प्राप्त गुणाको के योग के अनुसार प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता के अवरोही क्रम मे रखे जायेंगे परन्तु यदि दो अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण वर्ष एवं गुणाक समान हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन मे वरीयता प्रदान की जायेगी। गुणांकों की गणना निम्नवत् की जायेगी .–

क्रमांक	परीक्षा / उपाधि का नाम	गुणांक
01	हाईस्कूल	(अंकों का प्रतिशत X 0.75) / 10
02	इण्टरमीडिएट	(अंकों का प्रतिशत X 1.5) / 10
03	स्नातक	(अंकों का प्रतिशत X 2.25) / 10
04	प्रशिक्षण–बी०एड० / डी०एड० (विशेष शिक्षा) / बी०एड० (विशेष शिक्षा)	
	क–सिद्धान्त	(अंकों का प्रतिशत X 3) / 10
	ख–प्रयोगात्मक	(अंकों का प्रतिशत X 1.5) / 10
05	टी०ई०टी०	(अंकों का प्रतिशत X 1) / 10

(ख) जनपद में उपलब्ध कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत विज्ञानोत्तर वर्ग तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्राविधानो के अधीन किया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थियो से प्राप्त आवेदन पत्र में, जो सूचनाए अंकित होंगी, उन्ही के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। आवेदन पत्र के साथ उत्तराखण्ड शासन अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (कक्षा 1 से 5 के लिए) उत्तीर्ण का अंक पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक परीक्षा एवं बी०एड० / बी०एड० (विशेष शिक्षा) / डी०एड० (विशेष शिक्षा) परीक्षा के

थक पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जायेंगी। श्रेणीवार पृथक–पृथक 25 प्रतिशत से अनधिक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी।

(घ) विज्ञापन में आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा समस्त निर्धारित अर्हताए पूरी होनी चाहिए।

(च) चयनित अभ्यर्थियो के मूल अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र द्वारा अभिलेखो का निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने की दशा में चयन/जाँच/नियुक्ति/प्रशिक्षण किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियो को निर्धारित मानदेय ` 7300/– प्रतिमाह देय होगा तथा इनकी तैनाती राज्य में तत्समय प्रचलित राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक सेवा नियमावली) में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में की जायेगी।

(10) यदि जनपदों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सभी जनपदो में रिक्तियों की पूर्ति के पश्चात अवशेष बचे आवेदन पत्र सूचीबद्ध कर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल) को उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल) उक्त प्राप्त सूचियो को वर्षानुक्रम की ज्येष्ठता एवं प्राप्त गुणांकों के अवरोही क्रम में एक सम्मिलित सूची तैयार करेगी और उस सूची के आधार पर राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियो द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु शिक्षक हेतु जनपद आवंटित करेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थियो से यह लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके द्वारा जिस जनपद में प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा, प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें उसी जनपद में नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग/चयन हेतु समिति निम्नवत होगी :–

(1) अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, नरेन्द्रनगर — अध्यक्ष।

(2) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा नामित) — सदस्य।

(3) संयुक्त निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड — सदस्य।

(4) निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक अधिकारी — सदस्य।

(5) उप निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड — सदस्य सचिव।

(11) छः माह का विशेष प्रशिक्षण :–

जनपदवार विद्यालयों में तैनाती के उपरान्त निर्धारित संख्या में चरणबद्ध रूप से श्रेष्ठता के आधार पर (आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए) बैचवार अभ्यर्थियो को छ. माह के प्रशिक्षण पर सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जायेगा, उक्त प्रशिक्षण एन०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

(12) मौलिक नियुक्ति :–

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही तत्समय प्रचलित राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक सेवा नियमावली) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर ही विचार किया जायेगा। असत्य, त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना/अभिलेख प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(13) जनपद प्रशिक्षु शिक्षकों हेतु उपलब्ध सम्भावित रिक्तियों की संख्या (उक्त रिक्तियाँ घट/बढ़ भी सकती हैं)।–

क्रमांक	जनपद का नाम	उपलब्ध रिक्तियों की संख्या
1.	उत्तरकाशी	86
2.	चमोली	167
3.	रूद्रप्रयाग	64
4.	हरिद्वार	91
5.	पौड़ी गढ़वाल	266
6.	देहरादून	233
7.	अल्मोड़ा	561
8.	टिहरी गढ़वाल	286
9.	ऊधमसिंह नगर	60
10.	बागेश्वर	182
11.	पिथौरागढ़	104
12.	चम्पावत	73
13.	नैनीताल	70
	कुल योग	2253

3. कृपया उपरोक्तानुसार प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन हेतु तत्काल/समयबद्ध रूप से आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ओम प्रकाश,
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा।
4. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)।
6. अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (शिक्षा निदेशालय के माध्यम से)।
8. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र (शिक्षा निदेशालय के माध्यम से)।
9. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) उत्तराखण्ड (शिक्षा निदेशालय के माध्यम से)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा० निधि पाण्डेय,
अपर सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 08 विधान सभा/318–18–02–2015–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।